बरेली

महायोजना–2031 (पुनरीक्षित)

बरेली विकास प्राधिकरण

एवं

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

बरेली

महायोजना–2031 (पुनरीक्षित)

Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

बरेली विकास प्राधिकरण

एवं

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

सलाहकार–क्रियेटिव सर्किल एवं वी.के.सुप्रीम कन्सलटेन्ट्स प्रा0 लि0.

प्राक्कथन

बरेली नगर रामगंगा नदी के किनारे स्थित है एवं मण्डल मुख्यालय है। बरेली जनपद के पूर्व में जिला–पीलीभीत, पश्चिम में जिला–रामपुर, उत्तर में उत्तराखण्ड प्रदेश का जिला नैनीताल, तथा दक्षिण में जिला–शाहजंहापुर और बदायूँ स्थित हैं तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 246 किलोमीटर एवं प्रादेशिक राजधानी–लखनऊ से 238 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह नगर दिल्ली–लखनऊ रेलमार्ग पर स्थित है तथा उत्तर–पूर्व रेलवे का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है एवं मण्डल मुख्यालय होने के साथ–साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यापारिक केन्द्र भी है। बरेली नगर मुख्यतः हैण्डीक्रॉफ्ट उद्योग जैसेः जरी–जरदोजी, केन फर्नीचर व चांदी के आभूषण आदि के लिए विश्वविख्यात है।

नगर के भौतिक विकास को सुनियोजित करने, भूमि का अव्यवस्थित उपयोग, भवनों के अनियोजित निर्माण एवं बढ़ते हुये निम्न स्तर के उपनिवेशों को रोकने के लिए तथा उपयुक्त योजना के अनुसार नगर के विकास एवं विस्तार किये जाने हेतु उ0प्र0 (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 के अधीन शासनादेश संख्या 4190–के/37–89 एन0के0वी0 71 दिनांक 1–11–1971 के द्वारा बरेली नगर को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया जिसमें नगरपालिका क्षेत्र एवं नगरपालिका सीमा के बाहर 198 राजस्व ग्रामों के क्षेत्र को जो कि लगभग 36558.00 (हे0) था, को सम्मिलित किया गया। इसी क्रम में इसी क्षेत्र को शासनादेश 1030/37–2–72 डी0ए00/76 दिनांक 19–4–77 के द्वारा विकास प्राधिकरण का गठन किया गया तथा विनियमित क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु महायोजना तैयार करने का कार्य शुरू किया तथा प्रथम बरेली महायोजना को शासनादेश संख्या 3768/37–3–92 एन0के0वी0/72 दिनांक 29–8–78 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। बरेली महायोजना के प्रस्तावों के उचित रूप से क्रियान्वयन न होने के कारण वर्ष 1984 में बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा बरेली महायोजना का मूल्याकंन कर वर्ष 1986–2001 तक की पुनरीक्षित महायोजना तैयार की गयी। जिसे शासनादेश संख्या 4101/9–37–3–1992–महा0/84 दिनांक 2–11–1992 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। स्वीकृत महायोजना 2001 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा नगर को उसी रूप में नियंत्रित कर विकसित किये जाने का प्रयास किया गया।

बरेली महायोजना–2001 कालातीत् हो जाने के कारण पुनरीक्षित महायोजना नगर के क्रियात्मक स्वरूप को यथावत् रखते हुए वर्ष 2021 तक अनुमानित 14.21 लाख जनसंख्या की आवश्यकतों के आधार पर विभिन्न भू–उपयोगों के लिये समन्वित रूप से भूमि आरक्षित करते हुए शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 5962/8–3–2009–22–महा/2008 दिनांक 08/01/2010 द्वारा स्वीकृत की गयी जिसकी विज्ञप्ति समाचार पत्रों में दिनांक 14/01/2010 को प्रकाशित की गयी तथा इसी तिथि से बरेली महायोजना–2021 लागू की गयी, जो वर्तमान में प्रभावी है।

भारत सरकार द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत जी०आई०एस० आधारित महायोजना–2031 तैयार करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा ई–निविदा के माध्यम से *क्रिएटिव सर्किल, नागपुर को कन्सल्टेन्ट तथा वी०के०सुप्रीम जयपुर को सब–कन्सल्टेन्ट के रूप में चयनित* किया गया। चयनित कन्सल्टेन्ट्स द्वारा बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त जी०आई०एस० सर्वे शीट की ग्राउन्ड ट्रूथिंग का कार्य किया गया तथा रेंडमली सेलेक्ट की गयी सर्वे शीट का स्थलीय भौतिक सत्यापन प्राधिकरण के अवर अभियन्ताओं से कराते हुए नोडल विभाग को प्रेषित की गयी।

तद्‌परान्त महायोजना संरचना के कार्य की प्रगति तथा प्रारूप महायोजना के आकड़ों एवं तथ्यों का गहनतापूर्वक प्रभावी अनुश्रवण मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण स्तर से किया गया।

शासन के निर्देशों के अनुपालन में आयुक्त तथा उपाध्यक्ष स्तर पर समय-समय पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बैठक कर महायोजना तैयार करने हेतु डाटा प्राप्त किये गये। समय-समय पर नगर के विभिन्न विभागों एवं स्टेक होल्डर के साथ बैठक कर महायोजना तैयार करने में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुये सुझाव प्राप्त किये गये। विभिन्न विभागों से प्राप्त डाटा एवं स्टेक होल्डर के सुझावों के क्रम में बरेली महायोजना-2031 में आवश्यक प्रस्ताव दिये गये हैं।

बरेली महायोजना-2031 में आवास, नगरीय अवस्थापना सुविधाओं एवं आधारभूत ढ़ाचें का आंकलन कर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग तथा बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा यू0आर0डी0पी0एफ0आई0 गाईडलाईन्स के मानकों के अनुरूप भू-उपयोग प्रस्तावित किये गये है।

बरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) का प्रस्तुतीकरण विभिन्न स्तरों पर किया गया तद्‌क्रम में बरेली महायोजना-2031 (प्रारूप) को दिनांक 02.12.2021 को शासकीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया। शासकीय समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में तैयार बरेली महायेजना-2031 प्रारूप को तद्‌परान्त दिनांक 07.01.2022 को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर शासन द्वारा गठित समिति द्वारा निस्तारण किया गया। समिति की संस्तुति उपरान्त महायोजना-2031 (प्रारूप) को प्राधिकरण बोर्ड बैठक द्वारा दिनांक 10.08.2022 को अनुमोदित किया गया। अनुमोदनोपरान्त महायोजना-2031 (प्रारूप) दिनांक 01.04.2023 को शासन को प्रेषित की गयी।

महायोजना-2031 (प्रारूप) के परीक्षण हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में गठित शासकीय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2023 एवं अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 20.07.2023 के उपरान्त निर्गत कार्यवृत्तों में दिये गये निर्देशों को समावेशित करते हुये तैयार महायोजना-2031 (प्रारूप) को प्राधिकरण की 87 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 11.09.2023 द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसे शासकीय समिति के अवलोकनार्थ दिनांक 07.10.2023 को पत्रांक संख्या 750/EE/का0व0प्रा0 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है, जो कि शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

अमृत योजना के अन्तर्गत जी.आई.एस आधारित बरेली महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) को तैयार करने में वी0के0 सुप्रीम कंसल्टेन्ट्स, बरेली विकास प्राधिकरण व नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लगन एवं कठिन परिश्रम प्रशंसनीय है।

(जोगिन्दर सिंह)
उपाध्यक्ष
बरेली विकास प्राधिकरण,
बरेली

विषय–सूची

अध्याय–1		**1**
उद्भव एवं विकास		**1**
1.1	स्थिति	1
1.2	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं क्रमिक विकास	1
1.3	क्षेत्रीय स्थिति एवं संपर्क	2
1.4	भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु	3
1.5	मेला एवं त्योहार	4
अध्याय–2		**5**
महायोजना की आवश्यकता		**5**
2.1	विकास क्षेत्र	5
2.2	नगरीय विकास	5
2.3	बरेली महायोजना–2031	6
2.4	महायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता	7
2.5	महायोजना की प्रक्रिया	7
अध्याय–3		**9**
वर्तमान अध्ययन		**9**
3.1	जनसंख्या	9
3.2	लिंगानुपात	10
3.3	साक्षरता दर	11
3.4	कार्यशील जनसंख्या	11
3.5	कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण	12
3.6	कार्यशील जनसंख्या का श्रेणीवार विवरण	12
3.7	पारिवारिक संरचना	13
3.8	आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण	14
3.9	प्राथमिक क्रिया	14
3.10	द्वितीयक क्रिया	14
3.11	तृतीयक क्रिया	14
3.12	भौतिक अवसंरचना	15
3.12.1	जलापूर्ति	15
3.12.2	जल निकासी	16
3.12.3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	17
3.12.4	बिजली	18
3.12.5	डाक एवं संचार	19

3.12.6 अन्य सुविधाएं 20
3.12.6.1 मल–जल निकास 20
3.12.6.2 शवदाह एवं कब्रिस्तान 21
3.13 सामाजिक आधारभूत संरचना 22
3.13.1 शिक्षण सुविधाएं 22
3.13.2 स्वास्थ्य सुविधाएं 23
3.13.3 मनोरंजनात्मक सुविधायें 23
3.13.4 धार्मिक महत्व के स्थल 24
3.13.5 सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं 25
3.13.6 अग्निशमन 25
अध्याय–4 **26**
पर्यटन प्रोफाइल **26**
4.1 बरेली नगर में पर्यटन 26
4.2 पर्यटन गतिविधियाँ 26
4.3 बरेली में पर्यटक प्रवाह 28
4.4 बरेली की फ्लोटिंग आबादी का प्रक्षेपण 29
4.5 पर्यटन नीति–2022 29
4.6 पर्यटन विभाग की प्रस्तावित/निमार्णाधीन परियोजनाएं 31
अध्याय–5 **32**
पर्यावरण रूपरेखा **32**
5.1 जलीय संरचना 32
5.2 शहर में प्रदूषण स्तर 32
5.3 आपदा प्रबंधन 33
अध्याय–6 **35**
वर्तमान भू–उपयोग एवं प्रभावी महायोजना का तुलनात्मक अध्ययन **35**
6.1 वर्तमान भू–उपयोग 35
6.1.1 आवासीय 35
6.1.1.1 नये आवासीय क्षेत्र 35
6.1.1.2 मलिन बस्तियाँ 37
6.1.2 व्यवसायिक 38
6.1.2.1 थोक मण्डियाँ 39
6.1.3 उद्योग 40
6.1.4. कार्यालय 44
6.1.5 सामुदायिक सुविधायें, सेवायें एवं उपयोगितायें 44
6.1.5.1 शैक्षणिक 44
6.1.5.2 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 45

6.1.5.3	पुलिस स्टेशन	48
6.1.6	अग्निशमन केन्द्र	49
6.1.7	डाकघर	52
6.1.8	धार्मिक स्थल	54
6.1.9	शवदाह केन्द्र एवं कब्रिस्तान	54
6.1.10	जलापूर्ति	54
6.1.11	मल–जल निकास	57
6.1.12	वर्षा जल निकासी	57
6.1.13	ठोस कचरा निष्पादन	58
6.1.14	विद्युत आपूर्ति	60
6.1.15	पार्क एवं खुले स्थल	62
6.1.16	यातायात एवं परिवहन	62
6.1.17	अन्य	65
6.2	महायोजना–2021 से विचलन की स्थिति	65
6.2.1	महायोजना भू–उपयोग विचलन	65
6.3	बरेली महायोजना–2021 का मूल्यांकन/तुलनात्मक अध्ययन	68
6.3.1	आवासीय	69
6.3.2	व्यवसायिक	70
6.3.3	औद्योगिक	70
6.3.4	कार्यालय	70
6.3.5	सामुदायिक सुविधायें, सेवायें एवं उपयोगितायें	71
6.3.6	यातायात	71
6.3.7	पार्क एवं खुले स्थल	71
6.3.8	अन्य	72
6.3.9	शासन द्वारा महायोजना–2021 में किये गये भू–उपयोग परिवर्तन	73
अध्याय–7		**74**
नियोजन की समस्यायें		**74**
7.1	नगर के वाणिज्यिक केन्द्रों की समस्यायें	74
7.2	औद्यौगिक समस्यायें	75
7.3	राजकीय/अर्द्ध–राजकीय कार्यालय से सम्बन्धित समस्यायें	75
अध्याय–8		**76**
महायोजना की अवधारणा एवं उद्देश्य		**76**
8.1	दृष्टि	76
8.2	उद्देश्य	76
अध्याय–9		**79**
आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रक्षेपण		**79**

9.1 जनसंख्या प्रक्षेपण 79
9.2 जनसंख्या घनत्व 81
9.3 जनसंख्या वृद्धि दर 81
9.4 प्रवासन 84
9.5 आवास प्रक्षेपण 84
9.6 बरेली विकास क्षेत्र में जलापूर्ति की आवश्यकता 85
9.7 वर्षा जल निकासी 85
9.8 सीवेज 86
9.9 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 87
9.10 बिजली 87
9.10.1 बिजली के लिए प्रक्षेपण 87
9.11 डाकघर एवं संचार के लिए आवश्यकताएँ 89
9.11.1 विकास क्षेत्र में डाकघर एवं संचार के लिए अनुमान 89
9.12 शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता 90
9.12.1 बरेली में शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता 90
9.13 स्वास्थ्य सुविधाएं 91
9.13.1 बरेली विकास क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रक्षेपण 91
9.14 मनोरंजनात्मक सुविधाएं 92
9.14.1 बरेली विकास क्षेत्र में आवश्यक मनोरंजन सुविधाओं का प्रक्षेपण 92
9.15 फायर स्टेशन 93
9.15.1 बरेली विकास क्षेत्र के लिए फायर स्टेशनों का प्रक्षेपण 93
9.16 अन्य सुविधायें 93
अध्याय–10 **94**
भू–उपयोग प्रस्ताव **94**
10.1 नगर के विकास/विस्तार की दिशा 94
10.2 भू–उपयोग एवं प्रस्ताव 94
10.2.1 आवासीय 96
10.2.2. निर्मित क्षेत्र 97
10.2.3 व्यवसायिक 97
10.2.3.1 नगर केन्द्र/केन्द्रीय वाणिज्यिक 98
10.2.3.2 उप नगर केन्द्र/उप केन्द्रीय वाणिज्यिक 98
10.2.3.3 थोक व्यापारिक/भण्डार 98
10.2.3.4 बाजार स्ट्रीट 99
10.2.4 कार्यालय 99
10.2.5 औद्योगिक 100
10.2.5.1 लघु उद्योग 101

10.2.5.2 वृहद् उद्योग 101
10.2.6 सामुदायिक / सांस्कृतिक सुविधायें एवं उपयोगितायें 101
10.2.6.1 स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालय / अस्पताल 102
10.2.6.2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट / ठोस अपशिष्ट स्थल 102
10.2.6.3 जल आपूर्ति / विद्युत उपकेन्द्र / पुलिस स्टेशन / अग्निशमन केन्द / उप–डाकघर 102
10.2.7 यातायात एवं परिवहन 103
10.2.7.1 वर्तमान एवं प्रस्तावित मार्ग 103
10.2.7.2 पार्किंग 103
10.2.7.3 बस टर्मिनल 104
10.2.7.4 ट्रक टर्मिनल 104
10.2.7.5 रेलवे स्टेशन / लाईन / सम्पत्ति 104
10.2.8 पार्क एवं खुले स्थल 105
10.2.8.1 पार्क 105
10.2.8.2 जोनल पार्क 105
10.2.8.3 मनोरंजन पार्क 106
10.2.8.4 डिस्ट्रिक्ट पार्क 106
10.2.8.5 प्रदर्शनी, मेला एवं रैली स्थल 106
10.2.9 ग्रीन बेल्ट 106
10.2.10 हाईवे फैसेलिटी जोन 107
10.2.11 ग्रामीण आबादी 107
10.2.12 प्रतिबंधित जोन 107
10.2.13 अन्य भू–उपयोग 108
10.2.13.1 कृषि 108
10.2.13.2 अन्य 108
10.2.13.3 राजस्व ग्रामों के सजरा मानचित्र 110
10.2.13.4 प्रस्तावित भू–उपयोग एवं भू–विकास नीतियाँ 110
10.2.13.5 नगरीय प्रभार शुल्क 112
10.2.14 आपदा प्रबंधन परियोजनाएं 112
10.2.15 वर्षा के पानी का निकास 112
10.2.16 नदी केंद्रित विकास 113
10.2.17 हेरिटेज 116
10.2.18 पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यकरण 117
10.3 शासकीय नीतियों का अनुपालन 118
10.3.1 आवास नीति, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति, हाईटेक टाउनशिप नीति, उ.प्र. टाउनशिप नीति 118
10.3.2 उ0प्र0 पर्यटन नीति 120
10.3.3 सौर ऊर्जा नीति 120

10.3.4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग नीति 121
10.3.5 फिल्म नीति 122
10.3.6 सूचना प्रौद्योगिकी नीति 123
10.3.7 आपदा प्रबंधन नीति 124
10.3.8 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 125
10.3.9 अन्य 126
10.3.9.1 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति 126
10.3.9.2 ट्रांजिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट (टी.ओ.डी.) नीति 127
10.3.9.3 हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा (टी.डी.आर.) नीति, 2022 128
10.3.9.4 बाजार स्ट्रीट 130
10.3.9.5 हाईवे फैसेलिटी जोन 131
10.4 नियोजन खण्ड 131
10.5 चरणबद्ध विकास 132
10.6 स्ट्रैटेजिक प्लान एवं वित्त पोषण 134
अध्याय–11 137
जोनिंग रेगुलेशन्स 137
11.1 परिचय 137
11.1.1 जोनिंग के उद्देश्य 137
11.1.2 जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएं 137
11.1.3 विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणियाँ 138
11.1.4 फ्लोटिंग उपयोग 139
11.1.5 प्रभाव शुल्क 140
11.1.6 अनुज्ञा की प्रक्रिया 141
11.1.7 अन्य अपेक्षाएं 142
11.1.8 परिभाषाएं 143
11.2 भू–उपयोग परिसरों /क्रियाओं की परिभाषाएं 143
11.2.1 आवासीय 143
11.2.2 व्यवसायिक 143
11.2.3 औद्योगिक 145
11.2.4 कार्यालय 145
11.2.5 सामुदायिक सुविधाऐं, उपयोगितायें एवं सेवायें 146
11.2.6 यातायात एवं परिवहन 150
11.2.7 पार्क, क्रीड़ा/खुले स्थल 150
11.2.8 कृषि/अन्य 151
11.2.9 अस्थायी क्रियाएं 152

11.3 प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्ते एवं प्रतिबंध 152

अनुलग्नक–1 **162**

दैनिक उपयोग (फुटकर दुकानें) की अनुमन्य दुकानों की सूची 162

अनुलग्नक–1क **163**

दैनिक उपयोग के दुकानों की सूची 163

अनुलग्नक–2 **164**

मिश्रित/आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची 164

अनुलग्नक–3 **165**

व्यवसायिक क्षेत्र में अनुमन्य प्रदूषणमुक्त लघु उद्योगों की सूची (10 हार्स पावर तक) 165

अनुलग्नक–4 **167**

प्रमुख भू उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता ज्ञात करने हेतु ग्राफिक प्रस्तुतिकरण के (मेट्रिक्स) उपयोग की विधि 167

अनुलग्नक–5 **170**

नगर में स्थित अवर जलाशयों तथा उनसे जुड़े नलकूपों का विवरण 170

अनुलग्नक–6 **174**

बरेली विकास क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों की सूची 174

अनुलग्नक–7 **179**

बरेली विकास क्षेत्र में ग्रामों की सूची 179

अनुलग्नक–8 **183**

नगर निगम बरेली के पार्कों की सूची वर्ष–2018 183

अध्याय–12 **187**

भारत सरकार की "स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट–2023–24" के भाग–3 (अर्बन प्लानिंग रिफार्मस) के अनुपालन की स्थिति **187**

12.1 कॉम्प्रेसिंव मोबिलिटी प्लान/ट्रांसपोर्टेशन प्लान 188

12.2 इकोनोमिक प्लान 194

12.3 ब्लू एवं ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर 199

12.3.1 ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर 199

12.3.2 ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर 201

12.3.3 प्राकृतिक ड्रेन एवं कंटूर 205

12.4 लैण्डयूज प्लान 209

16/3/24

अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(अनिल कुमार मिश्र)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0

शासनादेश संख्या–आई/522075/2024–8–3099/29–7/2023

दिनांक–16/03/2024 में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत।

मानचित्र–सूची

मानचित्र–1 **3**
बरेली नगर की क्षेत्रीय स्थिति 3
मानचित्र–2 **43**
बरेली नगर में औद्योगिक क्षेत्र 43
मानचित्र–3 **46**
बरेली नगर में शिक्षा के केंद्र 46
मानचित्र–4 **47**
बरेली नगर में स्वास्थ्य सेवाएं 47
मानचित्र–5 **50**
बरेली नगर में पुलिस थाने 50
मानचित्र–6 **51**
बरेली नगर में अग्निशमन केन्द्र 51
मानचित्र–7 **53**
बरेली नगर में डाकघर 53
मानचित्र–8 **56**
बरेली नगर में जलापूर्ति 56
मानचित्र–9 **59**
बरेली नगर में वर्षा जल निकासी 59
मानचित्र–10 **61**
बरेली नगर में विद्युत आपूर्ति 61
मानचित्र–11 **64**
बरेली नगर में यातायात सेवा 64
मानचित्र–12 **83**
बरेली नगर में जनसंख्या वृद्धि 83
मानचित्र–13 **193**
ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी 193
मानचित्र–14 **197**
इकोनोमिक इंफ्रास्ट्रक्चर 197
मानचित्र–15 **203**
ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर 203
मानचित्र–16 **204**
ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर 204
मानचित्र–17 **207**

प्राकृतिक ड्रेनेज मानचित्र 207
मानचित्र–18 **208**
कंटूर 208
मानचित्र–19 **209**
एल्टीट्यूड मैप 209

तालिका–सूची

तालिका–1 **9**
बरेली विकास क्षेत्र में नगर की जनसंख्या–2011 **9**
तालिका–2 **10**
बरेली नगर में लिंगानुपात **10**
तालिका–3 **11**
साक्षरता दर वर्ष–2011 **11**
तालिका–4 **12**
बरेली नगर में श्रमशक्ति **12**
तालिका–5 **13**
बरेली नगर में श्रमशक्ति–2011 **13**
तालिका–6 **13**
बरेली में परिवार का आकार (वर्ष 1971–2011) **13**
तालिका–7 **15**
जनसंख्या और जल कनेक्शन का विवरण **15**
तालिका–8 **16**
क्षेत्रवार नल सुविधा **16**
तालिका–9 **18**
ठोस अपशिष्ट की संरचना **18**
तालिका–10 **18**
बरेली नगर में विद्युत आपूर्ति **18**
तालिका–11 **19**
बरेली नगर में डाकघरों की सूची **19**
तालिका–12 **22**
शिक्षा सुविधायें **22**
तालिका–13 **23**
स्वास्थ्य सुविधायें **23**

तालिका–14 24
क्षेत्राधिकार के अनुसार पार्कों की सूची 24
तालिका–15 25
सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाए 25
तालिका संख्या–16 28
बरेली में पर्यटक प्रवाह 28
तालिका संख्या–17 31
बरेली में प्रस्तावित/निर्माणाधीन परियोजनाएं 31
तालिका–18 32
जलीय संरचना 32
तालिका–19 33
नालों में प्रदूषण का स्तर 33
तालिका–20 36
वर्तमान भू–उपयोग–2021 (विद्यमान/विकसित) 36
तालिका–21 40
सूक्ष्म और लघु उद्योगों की सूची 40
तालिका–22 41
वृहद् उद्योगों की सूची 41
तालिका–23 48
विकास क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस कार्यालयों/पुलिस थानों/पुलिस चौकियों की सूची 48
तालिका–24 67
बरेली महायोजना–2021 के प्रस्तावों के विपरीत हुआ अनाधिकृत विकास 67
तालिका–25 68
बरेली महायोजना–2021 में प्रस्तावित भू–उपयोग 68
तालिका–26 69
बरेली महायोजना–2021 में प्रस्तावित भू–उपयोग जी.आई.एस. के अनुसार 69
तालिका–27 72
बरेली महायोजना–2021 के सापेक्ष हुये विकास 72
तालिका–28 73
शासन द्वारा महायोजना–2021 में किये गये भू–उपयोग परिवर्तन 73
तालिका–29 79
बरेली नगर समूह की जनसंख्या प्रक्षेपण 79
तालिका–30 80
बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नगरीय भू–उपयोग के मध्य आने वाले 57 ग्रामों की जनसंख्या का प्रक्षेपण 80
तालिका–31 80

बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पेरी अरबन के मध्य आने वाले 145 ग्रामों की जनसंख्या का प्रक्षेपण 80
तालिका–32 81
बरेली नगर का जनसंख्या घनत्व 81
तालिका–33 82
बरेली नगर में जनसंख्या वृद्धि 82
तालिका–34 85
भावी आवासीय आवश्यकता का अनुमान 85
तालिका–35 86
बरेली नगर के प्रमुख नाले 86
तालिका–36 89
हाईटेन्शन लाईनों के राईट ऑफ–वे 89
तालिका–37 95
प्रस्तावित भू–उपयोग 2031 95
तालिका–38 113
सफाई उपकरण क्रय करने हेतु प्रस्ताव 113
तालिका–39 118
नाथ परिक्रमा विकास हेतु प्रस्ताव 118
तालिका–40 132
बरेली नियोजन खण्ड एवं क्षेत्रफल 132
तालिका–41 134
विजन डॉक्यूमेंट की अल्पवधि परियोजनाएं 134

चित्रो की सूची

चित्र–1 9
विकास क्षेत्र में बरेली नगर की जनसंख्या–2011 9
चित्र–2 10
बरेली नगर में लिंगानुपात 10
चित्र–3 37
वर्तमान भू–उपयोग–2021 37

अध्याय–1
उद्भव एवं विकास

1.1 स्थिति

बरेली जनपद रुहेलखंड मण्डल के मध्योत्तर में 28°1′ एवं 28°54′ उत्तरी अक्षांश तथा 78°58′ एवं 79°47′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है, जिसके अन्तर्गत बरेली, बहेड़ी, आंवला, नवाबगंज, मीरगंज एवं फरीदपुर नामक 6 तहसीलें आती हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। बरेली जनपद के पूर्व में जिला पीलीभीत, पश्चिम में जिला रामपुर, उत्तर में उत्तराखंड प्रदेश का जिला नैनीताल तथा दक्षिण में जिला शाहजहांपुर और बदायूँ स्थित हैं।

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं क्रमिक विकास

बरेली नगर की स्थापना मुगलकाल में फौजदार जगत सिंह द्वारा सोलहवीं शताब्दी में ग्राम जगतपुर के रूप में की गयी थी। सन् 1537 में उनके पुत्र बांसदेव एवं बरेलदेव ने बरेली को बसाया जो बाद में बांस बरेली के नाम से विख्यात हुआ। प्रशासनिक कार्यों हेतु पुराने नगर में किले का निर्माण किया गया। सन् 1596 में अकबर द्वारा सेना का मुख्यालय बरेली रीजन को बनाये जाने के फलस्वरूप किले के चारों ओर छोटे नगरों का विकास धीरे–धीरे हुआ। सन् 1581 में मिर्जा अन–उल–मुल्क को इस क्षेत्र का फौजदार नियुक्त किये जाने के पश्चात मिरजई मस्जिद बनाई गयी। सन् 1637 में श्री मकरन्द राय जो कि बरेली के फौजदार थे उन्होंने जामा मस्जिद तथा एक बड़ा किला निर्मित कराया जो कि वर्तमान में किले के नाम से जाना जाता है। सन् 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् यह क्षेत्र अफगान सरदार के हाथों में आ गया जो रोहेला के नाम से जाने जाते थे। अतः यह क्षेत्र रुहेलखण्ड कहलाया। सन् 1741 में रोहेला सरदार अली मोहम्मद ने यहां का दायित्व संभाला। सन् 1857 के समय से बरेली एवं निकटवर्ती क्षेत्र रुहेलखण्ड के नाम से काफी प्रसिद्ध हुआ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इस क्षेत्र का विशेष योगदान रहा था। उन्नीसवीं शताब्दी में बरेली

नगर में अनेक औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना हुयी जैसे–खाण्डसारी, काष्ठ कला एवं फर्नीचर आदि। सन् 1811 में कैन्टोनमेंट की स्थापना बरेली में हुयी। सन् 1837 में सरकार द्वारा बरेली स्कूल (वर्तमान में बरेली कॉलेज) की स्थापना हुयी तथा इसी समय में केन्द्रीय कारागार व जिला अस्पताल की भी स्थापना हुयी। सन् 1858 में बरेली नगरपालिका बोर्ड की स्थापना हुयी। सन् 1870 से 1882 के मध्य बरेली नगर में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का विकास हुआ।

19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में बरेली नगर के भौतिक विकास में तेजी से वृद्धि हुयी तथा नगर में विभिन्न व्यवसायिक, औद्योगिक, शैक्षणिक एवं सामुदायिक सुविधाओं से संबंधित संस्थानों का विकास हुआ। बरेली नगर में उत्तर–पूर्व रेलवे का मण्डलीय कार्यालय स्थापित होने के कारण नगर के विकास में तीव्रता आयी।

1.3 क्षेत्रीय स्थिति एवं संपर्क

बरेली जिले में रामगंगा नदी बहती है। नगर की मुख्य आबादी रामगंगा नदी के बायें किनारे पर बसी हुयी है तथा इसका विकास भी इसी तरफ तीव्र गति से हो रहा है। बरेली नगर, दिल्ली से 246 किलोमीटर, मुरादाबाद से 91 किलोमीटर, रामपुर से 62 किलोमीटर, लखनऊ से 238 किलोमीटर, शाहजहांपुर से 81 किलोमीटर, सीतापुर से 171 किलोमीटर तथा उत्तराखंड के जनपद नैनीताल से 141 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नगर दिल्ली–लखनऊ रेल मार्ग पर स्थित है तथा उत्तर–पूर्व रेलवे का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। जहाँ से वर्तमान में रेलवे लाइन कानपुर, लखनऊ, टनकपुर, पीलीभीत, हल्द्वानी व लालकुआं से बदायूँ, कासगंज एवं मथुरा को जाती है। नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग–24 लखनऊ, राष्ट्रीय राजमार्ग–74 पीलीभीत तथा प्रान्तीय राजमार्ग–33 अलीगढ़ एवं प्रान्तीय राजमार्ग–37 काठगोदाम नगरों को जोड़ते हैं। इस प्रकार बरेली नगर देश के प्रमुख नगरों से रेल एवं सड़क मार्गों द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है।

मानचित्र–1
बरेली नगर की क्षेत्रीय स्थिति

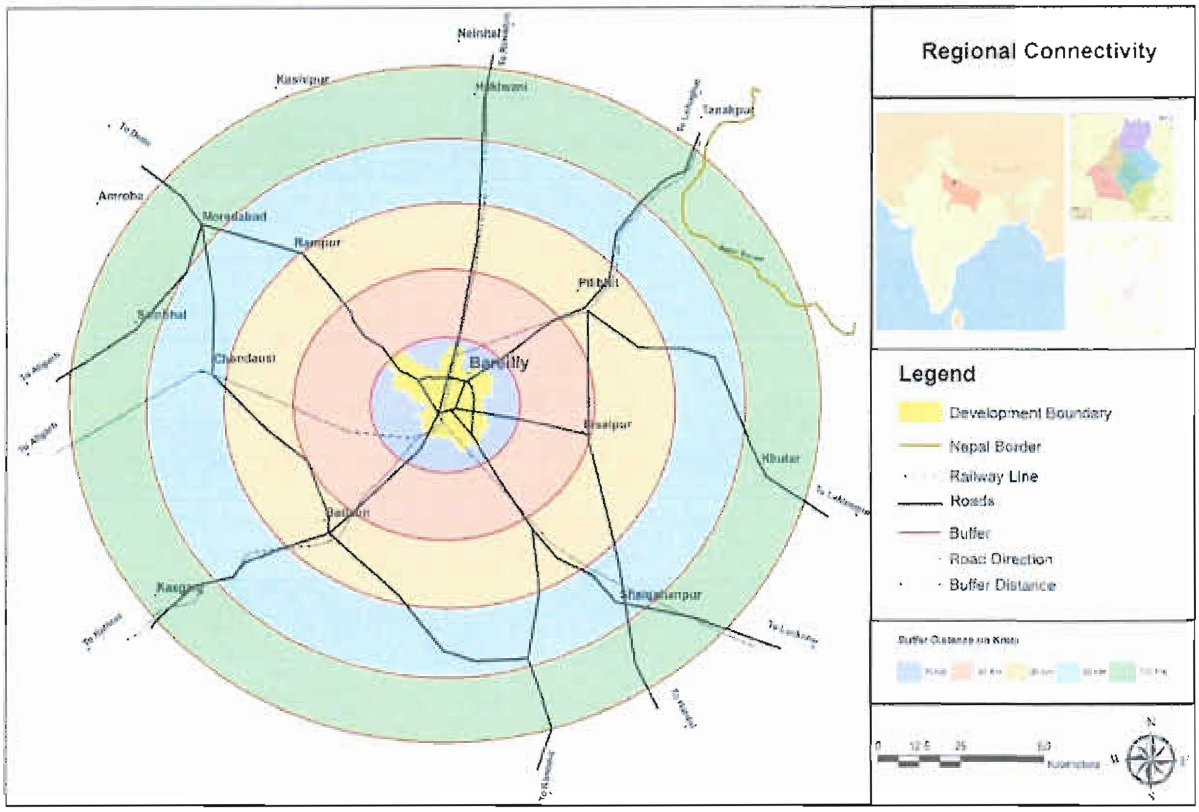

1.4 भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु

रामगंगा नदी तराई क्षेत्र से उद्‌गमित होकर बरेली जनपद में प्रवाहित हो रही है जिसके दोनों किनारे आसपास के धरातल से कुछ नीचे हैं, परन्तु नदी में जल की मात्रा सीमित होने के कारण बाढ़ की समस्या कम है। यहां की मिट्‌टी दोमट एवं उपजाऊ है। सामान्यतया यह क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है। जलवायु की दृष्टि से नगर का औसत तापमान शीत ऋतु में 5.20 सेल्सियस से 25.30 सेल्सियस एवं ग्रीष्म ऋतु में 21.70 सेल्सियस से 45.70 सेल्सियस के मध्य रहता है। ग्रीष्म ऋतु में वायु शुष्क रहती है लेकिन वर्ष के अन्य महीनों में इसमें नमी बनी रहती है। नगर में सामान्यतः वार्षिक औसत वर्षा 111.71 सेन्टीमीटर

होती है। नगर में अच्छा भूमिगत जल प्रचुर मात्रा में है। समस्त विकास क्षेत्र की जलवायु एवं भौगोलिक स्वरुप इसी प्रकार का है।

1.5 मेला एवं त्योहार

बरेली में लगने वाले प्रमुख मेलों में रामगंगा का चौबारी मेला, बरेली क्लब में लगने वाला उत्तरायणी मेला, नरियावल का मेला और कैंट का दशहरा मेला इत्यादि प्रमुख है। चौबारी मेला प्रतिवर्ष चौबारी ग्राम के समीप रामगंगा तट पर, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के अवसर पर लगता है। इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षण घोड़ों का बाजार होता है जिसमें दूर–दराज के क्षेत्रों से लोग अपने घोड़ों का क्रय–विक्रय करने आते है। उत्तरायणी मेला भी प्रतिवर्ष बरेली क्लब मैदान में आयोजित किया जाता है। यह मेला 13 से 15 जनवरी तक मकर संक्राति के अवसर पर लगता है। मेले का मुख्य आकर्षण यहाँ कुमाऊँनी और गढ़वाली भाषा में होने वाले सांस्कृतिक आयोजन है।

अध्याय–2
महायोजना की आवश्यकता

2.1 विकास क्षेत्र

भूमि के अव्यवस्थित उपयोग एवं विकास, भवनों के अनियोजित निर्माण, निम्न स्तर के उपनिवेशों की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने तथा उपयुक्त योजना के अन्तर्गत नगर के विकास एवं विस्तार को नियंत्रित करने के लिये उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के द्वारा बरेली नगर को दिनांक 1.11.1971 को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया। बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र एवं नगर पालिका सीमा के बाहर के चारों ओर स्थित 198 ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए शासनादेश संख्या 4190–के./37–89 एन.के.वी.–71, दिनांक 01.11.1971 के द्वारा बरेली विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया तथा इसी क्रम में शासनादेश संख्या 1030/37–2–1972 डी.ए.–76 दिनांक 19.4.1977 द्वारा विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसके अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र एवं नगरपालिका के बाहर 198 राजस्व ग्रामों के क्षेत्र जो कि लगभग 36,558 हेक्टेयर था, को विकास प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित किया गया। शासनादेश सं. 1626/8–6–08–72 डी.ए.–76 लखनऊ, जुलाई–2008 के द्वारा बरेली विकास क्षेत्र की सीमा का विस्तार किया गया जिसमें अतिरिक्त 66 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 264 राजस्व ग्राम आते हैं।

2.2 नगरीय विकास

बरेली नगर दिल्ली–मुरादाबाद–लखनऊ मुख्य रेलमार्ग पर स्थित है। बरेली नगर रेलमार्ग से बदायूँ तथा काठगोदाम को भी जोड़ते है। बरेली नगर का मुख्य व पुराना विकास दिल्ली–लखनऊ रेलमार्ग के पूर्व दिशा में हुआ है। सन 1851 में कैन्टोनमेंट की स्थापना हुई, सन 1837 में बरेली स्कूल वर्तमान में बरेली कॉलेज की स्थापना हुई। सन 1858 बरेली

नगरपालिका बोर्ड की स्थापना हुई। सन 1870 से 1882 के मध्य नगर में अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई। इस प्रकार कैन्टोनमेंट बोर्ड, बरेली कॉलेज, नगरपालिका बोर्ड की स्थापना के कारण 19वीं शताब्दी के प्रांरभ में बरेली नगर का भौतिक विकास तीव्र गति से हुआ तथा नगर में व्यावसायिक, औद्योगिक, शैक्षणिक तथा अनेक सामुदायिक संस्थानों का विकास हुआ। बरेली नगर में उत्तर–पूर्व रेलवे का मण्डलीय कार्यालय स्थापित होने से नगर के विकास में तीव्रता आयी है। पुराने शहर में तहसील कार्यालय, अस्पताल के निर्माण होने से शहर के विकास को गति मिली है। बरेली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत वर्ष 2010 से 2020 तक अनेक आवासीय कॉलोनियों का निर्माण हुआ जिनमें गाँधी नगर योजना, राजेन्द्र नगर, बी.डी.ए. सेक्टर 1, 3, 4, 5, 6, 7 प्राधिकरण की महत्पपूर्ण योजनायें है। निजी विकास योजनाओं में सैदपुर हाकिन्स, मेगा सिटी, मेगा ड्रीम होम्स, जी.एन.सिटी, सुखदेवपुर, साउथ सिटी, अफोर्डेबल हाउसिंग, आकाश विल्डटैक, राधारानी इन्फ्रा आदि प्रमुख योजनायें है। इनके अतिरिक्त पीलीभीत बाईपास योजना, सिविल लाईन्स योजना तथा महानगर कॉलोनी प्रमुख योजनायें है। बहुमंजिलीय परियोजनाओं में नन्दी हाईट्स, मेघा ड्रीम होम्स, कमला मेन्शन्स, रूद्राक्ष अपार्टमेंट, सफाया अपार्टमेंट प्रमुख है।

2.3 बरेली महायोजना–2031

वर्ष 1972 में विनियमित क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु महायोजना तैयार करने का कार्य शुरू किया गया तथा बरेली महायोजना (1971–1996) को शासनादेश संख्याः 3768/37–3–92 एन.के.वी./72, दिनांक 29.08.1978 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई। प्रथम महायोजना के अधिकाशं प्रस्तावों के क्रियान्वयन न हो पाने के कारण सन् 1984 में बरेली विकास प्राधिकारण द्वारा बरेली महायोजना का मूल्यांकन कर पुनरीक्षित महायोजना 1986–2001 तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गयी। पुनरीक्षित महायोजना पर शासन द्वारा शासनादेश संख्याः 4101/9–37–3–1992–महा0/84, दिनांक 02.11.1992 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। बरेली नगर की पुनरीक्षित महायोजना वर्ष 2001 की जनसंख्या की आवश्यकताओं का अनुमान एवं उसकी पूर्ति हेतु तैयार की गयी थी जो कालातीत हो जाने

के कारण, नगर के क्रियान्वयन स्वरूप को यथावत रखते हुये पुनरीक्षित बरेली महायोजना 2021 प्राधिकरण की 59 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24.5.2008 में अनुमोदन उपरान्त शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। शासन स्तर पर दिनांक 11.8.2009 को महायोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया तथा बरेली महायोजना–2021 शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 5962/8–3–2009–22 महा/2008 दिनांक 08.01.2010 को स्वीकृत की गयी जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में 14.1.2010 को किया गया।

2.4 महायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता

बरेली महायोजना बरेली नगर हेतु वर्ष 2010 में भावी आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए वर्ष 2021 हेतु तैयार की गयी थी। उक्त महायोजना 2001–2021 के नाम से जानी जाती है। भारत सरकार के अमृत मिशन 2015 के अन्तर्गत जी.आई.एस आधारित भारत के 500 शहरों की महायोजनाऐं बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के 59 शहरों का चयन किया गया है, बरेली शहर भी उनमें से एक है। राज्य सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से जी. आई.एस. आधारित महायोजनाऐं वर्ष 2031, तकनीकी सलाहकारों के माध्यम से बनाने हेतु अप्रैल 2019 में प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी, उक्त प्रक्रिया के अधीन बरेली महायोजना–2031 सेटेलाईट आधारित बेसमैप पर तैयार किया गया है, जिसमें वर्तमान भू–उपयोग मानचित्र वर्ष 2020–21 तथा 2031 के लिये अनुमानित जनसंख्या को आधार मानकर किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2021 एवं 2031 की अनुमानित जनसंख्या क्रमशः 1488447 एवं 1894211 प्रक्षेपित की गयी है। बरेली नगर की महायोजना–2031 के लिये अनुमानित जनसंख्या एवं विकास की प्रवृत्ति को मध्य नजर रखते हुऐ विभिन्न क्षेत्रो में भू–उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं।

2.5 महायोजना की प्रक्रिया

भारत सरकार के अमृत मिशन 2015 के अन्तर्गत जी.आई.एस आधारित भारत के 500 शहरों की महायोजनाऐं बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के 59 शहरों का चयन किया गया है, बरेली शहर भी उनमें से एक है। तत्क्रम में नगर एवं ग्राम नियोजन

विभाग द्वारा ई–निविदा के माध्यम से क्रियेटिव सर्किल, नागपुर एवं वी०के०सुप्रीम कन्सल्टेन्ट्स, जयपुर को सलाहकार के रूप में चयनित किया गया। चयनित सलाहकार के माध्यम से बरेली महायोजना–2031 का प्रारूप तैयार करवाया गया, जिसका प्रस्तुतीकरण शासकीय समिति के समक्ष दिनांक 02.12.2021 को किया गया। शासकीय के अनुमोदनपरांत् उक्त प्रारूप महायोजना का बरेली विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में दिनांक 07.01.2022 को प्रस्तुतीकरण किया गया, गहन विचार विमर्श के पश्चात महायोजना प्रारूप को अनुमोदन प्रदान किया गया। तद्‌ोउपरांत दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर शासन द्वारा गठित समिति द्वारा आपत्तिकर्ताओं को सुनने के उपरांत लिए गये निर्णयों के आधार पर बरेली महायोजना–2031 को तैयार किया गया है। बरेली विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 10.08.2022 द्वारा बरेली महायोजना–2031 का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं दिनांक 01.04.2023 को शासन को प्रेषित की गयी, तत्पश्चात बरेली महायोजना–2031 (प्रारूप) के परीक्षण हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में गठित शासकीय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2023 एवं अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 20.07.2023 के उपरान्त निर्गत कार्यवृत्तों में दिये गये निर्देशों को समावेशित करते हुये तैयार महायोजना–2031 (प्रारूप) को प्राधिकरण की 87 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 11.09.2023 द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसे शासन की स्वीकृति हेतु दिनांक 07.10.2023 को प्रेषित किया गया।

अध्याय–3
वर्तमान अध्ययन

3.1 जनसंख्या

बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बरेली नगर समूह तथा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 264 राजस्व ग्रामों का क्षेत्र सम्मिलित है। बरेली विकास क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग 1218968 जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार है। जिसमें नगर क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 904797 तथा ग्रामीण जनसंख्या लगभग 315300 है। जैसा कि तालिका–1 से स्पष्ट है कि विकास क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 74.15 प्रतिशत नगरीय है तथा शेष 25.85 प्रतिशत ग्रामीण है।

तालिका–1
बरेली विकास क्षेत्र में नगर की जनसंख्या–2011

क्रमांक	क्षेत्र	जनसंख्या 2011	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नगर समूह	904797	74.15
2	ग्रामीण	315300	25.85
कुल योग		**1220097**	**100.00**

स्रोत : जनगणना पुस्तिका–2011

चित्र–1

विकास क्षेत्र में बरेली नगर की जनसंख्या–2011

3.2 लिंगानुपात

बरेली नगर में लिंगानुपात वर्ष 1971 से 2011 तक तालिका–2 में दर्शाया गया है। उक्त तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 1971 से 2011 तक नगर के लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। नगर में वर्ष 2001 एवं 2011 में लिंगानुपात 895 रहा है अर्थात प्रति एक हजार पुरूषों पर 895 स्त्रियां हैं, नगरों की जनसंख्या में पुरूषों की आनुपातिक संख्या सदैव अधिक रहती है, और ऐसा बरेली नगर में भी है।

तालिका–2

बरेली नगर में लिंगानुपात

क्र.स.	दशक	कुल जनसंख्या	पुरूष	महिला	लिंगानुपात
1	1971	326106	177039	149067	842
2	1981	449425	245587	203838	830
3	1991	607652	322876	284776	882
4	2001	748353	394909	353444	895
5	2011	904797	477492	427305	895

स्त्रोत : जनगणना पुस्तिका-2011

चित्र–2

बरेली नगर में लिंगानुपात

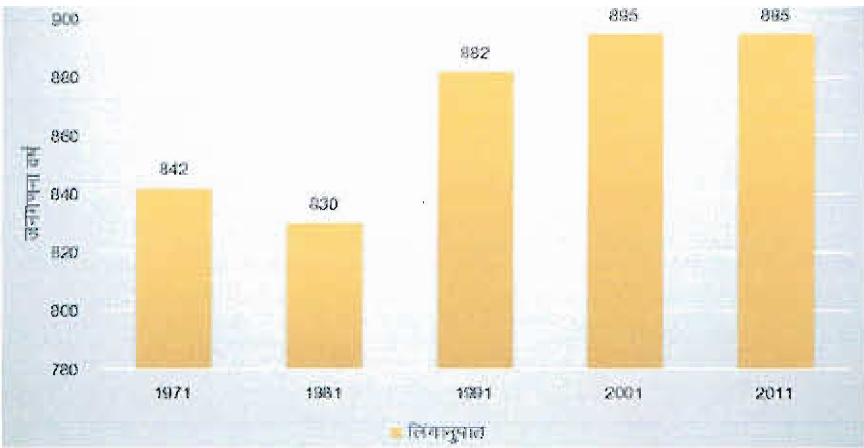

स्त्रोत : जनगणना पुस्तिका–2011

3.3 साक्षरता दर

वर्ष 2011 में बरेली नगर की कुल जनसंख्या 904797 व्यक्ति थी, जिसमें से 477492 पुरूष तथा 427305 महिलाएं थी। साक्षरता दर 68.25 प्रतिशत थी जिसमें पुरूष साक्षरता दर 72.74 प्रतिशत व महिलाओं की साक्षरता दर 63.25 प्रतिशत थी। राज्य की नगरीय जनसंख्या के अनुसार पुरूष–महिला साक्षरता दर में अन्तर बहुत कम है। मानक परिस्थितियों में पुरूषों और महिलाओं के बीच साक्षरता का कम अंतर एक संतुलित समाज को दर्शाता है।

तालिका–3
साक्षरता दर वर्ष–2011

क्र.स.	क्षेत्र	कुल जनसंख्या	साक्षर	साक्षरता दर प्रतिशत में
1	बरेली	904797	617524	68.25

स्त्रोत : जनगणना पुस्तिका–2011

3.4 कार्यशील जनसंख्या

विकास के आधार स्तम्भ के रूप में मान्य आर्थिक क्रियाओं में उद्योग, वाणिज्य एवं व्यापार का प्रमुख स्थान है। नगर का आर्थिक आधार इन्हीं क्रियाओं पर निर्भर करता है और किसी भी नगर के आधार की मजबूती के सापेक्ष ही उसका सुदृढ़ भौतिक विकास भी निर्भर करता है। नगर के आर्थिक आधार के निर्धारण में प्रयुक्त प्रमुख मानदण्डों में कुल नगरीय जनसंख्या में श्रमिकों की भागीदारी का प्रतिशत तालिका–4 में दर्शाया गया है।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगर में कुल श्रमिकों की जनसंख्या 303392 व्यक्ति थी, जो कि कुल जनसंख्या का 33.53 प्रतिशत है, तथा गैर श्रमिकों की संख्या 601405 थी जो कुल जनसंख्या का 66.47 प्रतिशत है। मुख्य श्रमिकों की जनसंख्या 235736 व्यक्ति थी, जो कि कुल श्रमिकों का 77.70 प्रतिशत है और सीमान्त श्रमिकों की जनसंख्या 67656 व्यक्ति थी जो कुल श्रमिकों का 22.30 प्रतिशत है।

तालिका–4
बरेली नगर में श्रमशक्ति

वर्ष	जनसंख्या	कुल श्रमिक	मुख्य श्रमिक	सीमान्त श्रमिक	गैर श्रमिक
2011	904797	303392 (33.53%)	235736 (77.70%)	67656 (22.30%)	601405 (66.47%)

स्रोत : जनगणना पुस्तिका–2011

3.5 कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार श्रमिकों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:–

1. मुख्य श्रमिक
2. सीमांत श्रमिक
3. गैर श्रमिक

मुख्य श्रमिक के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो वर्ष के दौरान 183 दिनों (या छह महीने) या उससे अधिक के लिए किसी भी आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधि में लगे हुए हैं अर्थात जिनके पास वर्ष मे 6 महीने से अधिक समय के लिये रोजगार उपलब्ध होता है। सीमांत श्रमिक 2011 की जनगणना की परिभाषा के अनुसार वे श्रमिक होते हैं जिन्हें 3 महीने से 6 महीने तक वर्ष भर में रोजगार उपलब्ध होता है अर्थात जिन्होंने 183 दिनों (या छह महीने) से कम समय तक काम किया और काम के लिए अन्य स्थान पर प्रवास भी किया। गैर श्रमिक वे श्रमिक हैं जिनके पास वर्ष भर में कोई रोजगार उपलब्ध नहीं होता है अर्थात वे किसी भी आर्थिक उत्पादन की गतिविधि में नियोजित नहीं है। श्रमिक बल को तीन उप श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुये तालिका–5 में दर्शाया गया है।

3.6 कार्यशील जनसंख्या का श्रेणीवार विवरण

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बरेली नगर में कुल श्रमिक 303392 हैं जिनमें से 243723 पुरूष तथा 59669 महिलाएं थी इनमें से कुल मुख्य श्रमिक 235736 हैं जिनमें 197925 पुरूष और 37811 महिलाएं है। कुल श्रमिकों में से 67656 सीमान्त श्रमिक हैं जिनमें से 45798 पुरूष व 21858 महिलाएं हैं। 601405 गैर श्रमिक है जिनके पास कोई रोजगार उपलब्ध नहीं

है। कुल गैर श्रमिकों में से 233792 पुरूष व 367613 महिलाएं है। उपरोक्त विवरण तालिका–5 में दर्शाया गया है।

तालिका–5

बरेली नगर में श्रमशक्ति–2011

जनसंख्या	कुल श्रमिक			मुख्य श्रमिक			सीमान्त श्रमिक			गैर श्रमिक		
	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष.	महिला	कुल	पुरूष	महिला
904797	303392	243723	59669	235736	197925	37811	67656	45798	21858	601405	233792	367613

स्त्रोत : जनगणना पुस्तिका–2011

3.7 पारिवारिक संरचना

तालिका–6 से स्पष्ट है कि वर्ष 1971 में परिवार का आकार (एक परिवार में सदस्य की संख्या) 5.81 व्यक्तियों का था, जो वर्ष 1981 में बढ़कर 6.48, वर्ष 1991 में बढ़कर 6.76 व्यक्तियों का हो गया एवं 2001 में घटकर 6.00 व्यक्तियों का हो गया तथा वर्ष 2011 में भी 5.30 व्यक्तियों का ही रहा।

तालिका–6
बरेली में परिवार का आकार (वर्ष 1971–2011)

क्र.सं.	जनसंख्या वर्ष	जनसंख्या	परिवारों की संख्या	परिवार का आकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1971	326106	56128	5.81
2	1981	449425	69356	6.48
3	1991	607652	89889	6.76
4	2001	748353	119767	6.24
5	2011	904797	166447	5.43

स्त्रोतः जनगणना पुस्तिका 1971–2011

3.8 आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण

आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.9 प्राथमिक क्रिया

प्राथमिक गतिविधियो से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र से है जिसमें कृषि आधारित गतिविधियाँ तथा खेतिहर श्रमिक सम्मिलित है। इस क्षेत्र में बागवानी, मत्स्य पालन, डेयरी, मुर्गीपालन, कुक्कुट, मधुमक्खी पालन आदि गतिविधियाँ सम्मिलित है। बरेली नगर में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्राथमिक गतिविधियों में कुल 13949 व्यक्ति काम करते थे जिनमें से पुरूष 11876 तथा 2073 महिलाऐं कार्यरत थी।

3.10 द्वितीयक क्रिया

द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन से सम्बन्धित वे गतिविधियां सम्मिलित है जिसमें मुख्यतः औद्योगिक, निर्माण आदि गतिविधियों में कच्चे माल का स्वरूप बदलकर अन्तिम रूप से उपभोग हेतु वस्तुओं का उत्पादन होता है। बरेली में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 27855 व्यक्ति द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में कार्यरत थे जिनमें से 20117 पुरूष तथा 7738 महिलाऐं सम्मिलित थी।

3.11 तृतीयक क्रिया

अर्थव्यवस्था में सेवा के क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में शिक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य सेवायें, बैंकिंग, सुरक्षा, विनिमय, संचार और परिवहन जैसी आर्थिक गतिविधियां सम्मिलित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बरेली में इस क्षेत्र में कुल 193932 व्यक्ति कार्यरत थे जिनमें से 165932 पुरूष तथा 28000 महिलायें सम्मिलित है।

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से बरेली नगर में विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन से विदित होता है कि बरेली नगर एक तृतीयक क्रियाओं से सम्बन्धित सेवाओं वाला नगर है।

3.12 भौतिक अवसंरचना

3.12.1 जलापूर्ति

बरेली नगर में जलापूर्ति का मुख्य साधन भू–जल ही है। वर्तमान में 142 मिलियन लीटर प्रतिदिन जलापूर्ति नगर में की जा रही है। यह आपूर्ति नगर के 42 उच्च जलाशयों से की जा रही है जिसकी क्षमता 23.625 मिलियन लीटर है। यह आपूर्ति 84 नलकूपों से की जा रही है। इनमें से 68 नलकूपों में उच्च जलाशय से आपूर्ति की जाती है जबकि 16 नलकूप सीधे ही वितरण प्रणाली से जुड़े हुए हैं। यहाँ 126 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 164522 परिवारों के 87140 जल कनेक्शन उपलब्ध थे। इनमें से 156861 परिवारों के 85259 कनेक्शन घर के अन्दर तथा 6508 परिवारों के जलापूर्ति कनेक्शन 1525 घर के पास उपलब्ध थे। 1153 परिवारों को जलापूर्ति 356 सार्वजनिक नलों से की जा रही थी जो अधिक दूरी पर उपलब्ध थी, जिसे तालिका–7 में दर्शाया गया है।

तालिका–7
जनसंख्या और जल कनेक्शन का विवरण

क्रमांक	स्त्रोत	विवरण	नलों की संख्या	जल कनेक्शन
1	जनगणना 2011	कुल जनसंख्या	8,98,167	
		परिवार	1,64,522	87,140
		140 परिसर के अन्दर	1,56,861	85,259
		परिसर के पास	6,508	1,525
		अधिक दूरी पर	1,153	356
2	विभागीय डाटा	कुल जनसंख्या	9,36,385	
		परिवार	1,41,590	66,398

स्त्रोत : जनगणना पुस्तिका–2011

बरेली नगर में 64 पम्पिंग स्टेशन हैं जिनके माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। नगर में जलापूर्ति जल निगम तथा नगर निगम के जलकल विभाग द्वारा संस्थाओं के माध्यम से की जा रही है। जलापूर्ति हेतु नगर को 4 जोन में बांटा गया है। क्रमशः सेन्टर सिटी जोन, सुभाष नगर जोन, नार्थ जोन, ट्रांस रेलवे जोन उक्त चारों जोन में 66398 (46.8 प्रतिशत)

परिवारों को नलों द्वारा जल उपलब्ध हो रहा था जबकि 75192 (53.2 प्रतिशत) परिवारों को अन्य स्त्रोतों से जलापूर्ति की जा रही थी। उक्त वितरण व्यवस्था को तालिका–8 में दर्शाया गया है।

तालिका–8
क्षेत्रवार नल सुविधा

जोन संख्या	परिवारों की कुल संख्या	नल कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या	बिना नल कनेक्शन वाले परिवार
1	40067	22302	17765
2	36738	21590	15148
3	37652	12305	25347
4	27133	10201	16932
कुल	**141590 (100%)**	**66398 (46.8%)**	**75192 (53.2%)**

स्त्रोत : जलकल विभाग, बरेली

3.12.2 जल निकासी

बरेली नगर में देवरनिया, नकटिया नदी प्रवाहित होती है जिनके माध्यम से शहर का ड्रेनेज भी प्रवाहित होता है एवं नगर में चौबारी ड्रेन द्वारा भी ड्रेनेज प्रवाहित होता है।

देवरनिया नदी बरेली विकास क्षेत्र में उत्तरी दिशा से ग्राम–दभौरा खंजनपुर व ग्राम–बुझिया शुमाली से प्रवेश करती है। देवरनिया नदी लगभग 33 किलोमीटर लम्बाई में विकास क्षेत्र के अन्दर प्रवाहित होती है एवं दक्षिण दिशा से ग्राम–महगवां एवं सराय तल्फी मुस्तकिल से रामगंगा नदी में समाहित हो जाती है। देवरनिया नदी में शहर का लगभग 102.80 एम.एल.डी. सीवेज मिलता है।

नकटिया नदी बरेली विकास क्षेत्र में उत्तरी दिशा से ग्राम–रिठौरा व ग्राम–सिंघाई कायस्थान से प्रवेश करती है। शंखा नदी लगभग 27 किलोमीटर लम्बाई में विकास क्षेत्र के अन्दर प्रवाहित होती है एवं दक्षिण दिशा से ग्राम–दुबारी एवं ग्राम–पालपुर कमालपुर की सीमा से विकास क्षेत्र से बाहर हो जाती है। नकटिया नदी में शहर का लगभग 24 एम.एल.डी. सीवेज मिलता है।

चौबारी ड्रेन सुभाष नगर से आरंभ होकर रामगंगा नदी में समाहित हो जाती है। जिसकी लम्बाई लगभग 11 किलोमीटर है। नकटिया नदी में शहर का लगभग 51 एम.एल.डी. सीवेज मिलता है।

उपरोक्त प्रमुख ड्रेन्स के अतिरिक्त बीसलपुर रोड नाला (वार्ड सख्या–17), रामपुर रोड नाला (वार्ड संख्या–30), पीर भहौड़ा नाला (वार्ड सख्या–70), सौफिता नाला (वार्ड संख्या–10), हरूनंगला नाला (वार्ड संख्या–17), बड़ी विहार नाला (वार्ड संख्या–10), सूफी टोला नाला (वार्ड संख्या–10), तुलिया नाला (वार्ड संख्या–37), परतापुर नाला (वार्ड संख्या–34), संजय कम्यूनिटी हॉल (वार्ड संख्या–35), अक्षर विहार नाला (वार्ड संख्या–32) तथा डेलापीर लेक नाला (वार्ड संख्या–10) कुल 12 अन्य ड्रेन है। ये ड्रेन कच्चे है जिनमें मिट्टी जमा हो रही है। लोग मलबा एवं ठोस कचरा इनमें डाल रहे है। विजन प्लान–2051 बरेली के अनुसार शहर में समुचित ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने हेतु 634 किलोमीटर लम्बाई में नालों की पहचान की गई है जिनके सुधार हेतु उक्त विजन प्लान में दिये गये प्रस्तावों के अनुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

3.12.3 ठोस अपशिष्ट प्रंबधन

ठोस अपशिष्ट निष्पादन के सम्बन्ध में स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत किये गये मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 2019 में बरेली नगर 72 वें स्थान पर आया था। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार बरेली नगर में 227 मैट्रिक टन कचरा प्रतिदिन निस्तारित किया जा रहा था। नगर में अपशिष्ट निस्तारण हेतु प्लांट नहीं लगाया गया है जिसके कारण 89 प्रतिशत कचरे को नगर के बाहर निस्तारित किया जाता था। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार 450 मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन पैदा हो रहा था जिसमें 164515 परिवारों का योगदान रहा है। नगर में हाल ही में दिसम्बर 2020 में घर–घर से अपशिष्ट संग्रहण की व्यवस्था चालू की गयी है जिसमें 62.96 प्रतिशत बायो डिग्रेडेबल, 32.02 प्रतिशत पुनःचक्रित कचरा, 0.35 प्रतिशत धातु, 0.60 प्रतिशत रबड़, 0.94 प्रतिशत शीशा तथा 3.13 प्रतिशत कागज था।

तालिका–9

ठोस अपशिष्ट की संरचना

क्र.स.	एम.एस.डब्लू. कम्पोनेन्ट	प्रतिशत
1	कागज	3.13
2	कांच	0.94
3	रबड	0.60
4	धातु	0.35
5	रिसाईकेबल वेस्ट	32.02
6	बायो डिग्रेडेबल	62.96
कुल		**100.00**

स्त्रोत : नगर निगम, बरेली

3.12.4 बिजली

बरेली में विद्युत आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं द्वारा यथा मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि. व यू.पी. पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लि0 द्वारा की जा रही है। बरेली में 1.82 लाख बिजली के उपभोक्ता है जिसमें घरेलू, व्यवसायिक एवं राजकीय संस्थान सम्मिलित हैं। 30 करोड़ के नये प्राविधान में से 29 करोड़ रूपये नगर में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने में व्यय किये जायेंगे जिससे 30 ट्रांसफारमर्स 220 के.वी.ए. क्षमता के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे।

तालिका–10

बरेली नगर में विद्युत आपूर्ति

क्र. स	डिस्कॉम	जोन	सर्किल	विभाग	220/132 के.वी. एस.एस.	66/33/11 के. वी. एस./एस	11 के.वी. फिडर
1	मध्यान्चल	बरेली	ई.डी.सी. बरेली	ई.डी.डी I बरेली	220 के.वी. सी.बी. गंज	परसाखेड़ा	बी.पी.सी. एल.
2	मध्यान्चल	बरेली	ई.डी.सी. बरेली	ई.डी.डी I बरेली	220 के.वी. सी.बी. गंज	परसाखेड़ा	बी.एस.एफ
3	मध्यान्चल	बरेली	ई.डी.सी. बरेली	ई.डी.डी I बरेली	220 के.वी. सी.बी. गंज	परसाखेड़ा	नवोदय विद्यालय
4	मध्यान्चल	बरेली	ई.डी.सी. बरेली	ई.यू.डी.डी II बरेली	132 के.वी. बरेली (दोहना)	नवाबगंज	ओसवाल
5	मध्यान्चल	बरेली	ई.यू.डी.सी. बरेली	ई.यू.डी.डी II बरेली	220 के.वी. सी.बी. गंज	33/11 के.वी. एस./एस परसाखेड़ा	आम्रपाली

6	मध्यान्चल	बरेली	ई.यू.डी.सी. बरेली	ई.यू.डी.डी II बरेली	220 के.वी. सी.बी. गंज	33/11 के.वी. एस. /एस परसाखेड़ा	कैम्फर
7	मध्यान्चल	बरेली	ई.यू.डी.सी. बरेली	ई.यू.डी.डी II बरेली	220 के.वी. सी.बी. गंज	33/11 के.वी. एस. /एस परसाखेड़ा	विमको

स्त्रोत : मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम, बरेली

3.12.5 डाक एवं संचार

नगर में मुख्य डाकघर सिविल लाईन्स के अतिरिक्त 24 अन्य पोस्ट ऑफिस नगर में उपलब्ध हैं इस प्रकार विकास क्षेत्र में कुल 25 डाकघर है।

तालिका–11
बरेली नगर में डाकघरों की सूची

क्र.म	नाम	पता
1.	मुख्य डाकघर	सिविल लाईन्स, बलवंत सिंह मार्ग, शनि मंदिर
2.	डाकघर, बरेली, आर.एस	169, स्टेशन रोड, सिविल लाईन्स, बरेली
3.	इज्जतनगर, डाकघर	बसंत विहार कॉलोनी, इज्जतनगर, बरेली
4.	भारतीय डाकघर	कृषि उत्पादन मंडी समिति, डेलापीर, बरेली
5.	डाकघर, सुरेखा	श्रीनाथपुरम, बरेली
6.	श्यामतगंज, डाकघर	श्यामतगंज, बरेली, उत्तर प्रदेश
7.	महानगर, डाकघर	33 उमंग फेज–2, उज्जवल फेज–1, महानगर कॉलोनी, बरेली, उत्तर प्रदेश
8.	विश्वविद्यालय, डाकघर	पीलीभीत बाईपास रोड, एम.जी.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश
9.	उप–डाकघर, राजेन्द्र नगर	राजेन्द्र नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश
10.	डाकघर, बरेली कॉलेज	बरेली, उत्तर प्रदेश
11.	उप–डाकघर, सी.ए.आर.आई	आई.वी.आर.आई. कैम्पस, मिनी बाईपास रोड, इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश
12.	उप–डाकघर	सुभाष बाजार, बरेली, उत्तर प्रदेश
13.	डाकघर, किला	बड़ा बाजार, साहूकार, बरेली, उत्तर प्रदेश
14.	सुभाष नगर, डाकघर	सुभाष नगर कॉलोनी, बरेली
15.	मढ़ीनाथ, डाकघर	नेकपुर, बरेली, उत्तर प्रदेश
16.	डाकघर ,म्युनिसिपल बोर्ड	54, सिकलापुरी रोड, सिविल लाईन्स, बरेली
17.	डाकघर, ख्वाजा कुतुब	ख्वाजा कुतुब, भूड़ बरेली
18.	डाकघर	कर्मचारी नगर, बरेली

19.	बिहारीपुर, डाकघर	भूड़, बरेली
20.	डाकघर, कोहाड़ापीर	कोहाड़ापीर, गुलाब नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश
21.	उप–डाकघर, मुड़िया अहमद नगर	राष्ट्रीय राजमार्ग–74 मुड़िया अहमद नगर, बरेली
22.	बरेली, रेलवे मेल सर्विस	स्टेट बैंक ए.टी.एम, स्टेशन रोड, सिविल लाइन्स, बरेली
23.	जी.पी.ओ	राजेन्द्र नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश
24.	ठिरिया, डाकघर	ठिरिया निजावत खां, उत्तर प्रदेश
25.	पदारथपुर	पदारथपुर, उत्तर प्रदेश

स्त्रोतः भारतीय पोस्ट पोर्टल, बरेली

3.12.6 अन्य सुविधाएं

3.12.6.1 मल–जल निकास

किसी भी नगर में मल–जल की मात्रा उस नगर में जलापूर्ति पर निर्भर करती है जो कि सामान्यतः जलापूर्ति का 80 प्रतिशत भाग होता है। नगर में मल–जल निकास लाईन की लम्बाई 293.92 कि.मी. है इनमें से 210 कि.मी. सीवर लाईन जल निगम द्वारा तथा अवशेष निकास संबंधी कार्य आवास विकास परिषद, बरेली विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम, बरेली द्वारा सम्पादित किया जाता है। जिसमें 45 कि.मी. मुख्य लाईन तथा उप लाईनों की लम्बाई 248.92 कि.मी. है तथा सीवर मेन होल चैम्बरों की संख्या 32500 है। यहां पर मल–जल निकासी की व्यवस्था वर्ष 1963–64 में आरम्भ की गयी थी। यह लाईन 35 वर्ष पूर्व डाली गयी थी। नगर में अभी तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। परन्तु मुख्य सीवर पम्पिंग स्टेशन के स्थान पर सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण प्रगति पर है। सीवरेज को सीधा ही तालाब या बरसाती नालों में बहा दिया जाता है जिसे बाद में लोग पम्प करके खेती के काम में लेते हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत 4 एस.टी.पी. जो कि (हरूनगला में पावर हाउस के पीछे 42 एम.एल.डी.), (बारी नगला, मिर्जापुर ग्राम के समीप 20 एम.एल.डी.), (ततारपुर, श्मशान भूमि के पास 1 एम.एल.डी.), तथा (सराय तल्फी, सिटी श्मशान भूमि के पास 35 एम.एल.डी.) मल–जल परिशोधन संयत्र प्रस्तावित किये गये हैं। वर्ष 2016 में लगभग 164370 भवन बरेली नगर में उपलब्ध थे जिनमें से 153504 (84 प्रतिशत) भवनों में शौचालय की व्यवस्था थी तथा 67 प्रतिशत परिवारों के घरों में सैप्टिक टैंक उपलब्ध

थे। अधिकतर लोग मल–जल को बरसाती नालों में बहा देते हैं जिससे रामगंगा नदी प्रदूषित हो रही है।

बरेली नगर में नगर निगम द्वारा विकसित आवासीय कॉलोनियों में 8500 परिवारों को सीवरेज लाईन उपलब्ध है जबकि सार्वजनिक आवासीय योजनाओं के तहत 2300 घरों को सीवरेज की सुविधा उपलब्ध है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित आवासीय योजना में 1000 लोगों को सीवरेज की सुविधा उपलब्ध हो रही है। इस प्रकार मात्र 11800 परिवारों को यह मल–जल निकासी की सुविधा उपलब्ध हो रही है।

3.12.6.2 शवदाह एवं कब्रिस्तान

बरेली नगर में लगभग 7 शवदाह केन्द्र व 7 कब्रिस्तान स्थित है। शवदाह और कब्रिस्तान की सूची निम्नानुसार हैः–

1. गुलाब बारी श्मशान भूमि पीलीभीत बाईपास रोड, सिविल लाईन्स
2. श्मशान भूमि एस.एच.–37, करमपुर चौधरी, बरेली
3. जोहरपुर श्मशान भूमि, जोहरपुर, बरेली
4. श्मशान भूमि, बजरंग कॉलोनी, इज्जतनगर, बरेली
5. श्मशान भूमि, मुड़िया अहमद नगर
6. श्मशान घाट–2, सी.बी.गंज, बरेली
7. नगर श्मशान भूमि, मढ़िनाथ, बरेली
8. पीर बहोड़ा कब्रिस्तान, पीर बहोड़ा, सन सिटी विस्तार
9. टाकिया कब्रिस्तान, एन.एच.–74, मुड़िया अहमद नगर
10. पुराना कब्रिस्तान, मुस्तफा मुंजिल एजाज नगर
11. छोटी कर्बला कब्रिस्तान, एन.एच.–24, रजा नगर, स्वाले नगर
12. मुस्लिम कब्रिस्तान, श्रीनाथपुरम, बरेली
13. ईसाई कब्रिस्तान, नेहरू पार्क कॉलोनी, जनकपुरी
14. गोरों का कब्रिस्तान, सदर बाजार, कैंट, बरेली

3.13 सामाजिक आधारभूत संरचना

3.13.1 शिक्षण सुविधाएं

शैक्षणिक आधारभूत ढांचे के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा, कॉलेज शिक्षा एवं विश्वविद्यालय स्तर के शैक्षणिक संस्थान सम्मिलित हैं। स्कूल शिक्षा के अन्तर्गत 422 प्राथमिक, 175 माध्यमिक तथा 82 उच्च माध्यमिक/इण्टर कॉलेज स्तर के विद्यालय बरेली विकास क्षेत्र में संचालित हैं। स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान एवं कॉमर्स शिक्षा में 18 कॉलेज शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। 11 इंजीनियरिंग कॉलेज, 3 पॉलिटेक्निक कॉलेज 3 चिकित्सा महाविद्यालय, 9 प्रबन्धन महाविद्यालय शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। 18 व्यवसायिक प्रशिक्षण/आई.टी.आई. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 12 केन्द्र अनौपचारिक शिक्षा तथा 4 विद्यालय दिव्यांगजनों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। जिन्हें विस्तृत रूप में तालिका–12 में दर्शाया गया है।

तालिका–12
शिक्षा सुविधायें

क्र.स.	शैक्षणिक संस्थाएं	संख्या
1	प्राथमिक स्कूल	422
2	माध्यमिक स्कूल	175
3	उच्च माध्यमिक स्कूल/इण्टर कॉलेज	82
4	डिग्री कॉलेज आफ आर्ट्स एण्ड साइंस	18
5	इंजीनियरिंग कॉलेज	11
6	चिकित्सा महाविद्यालय	3
7	प्रबन्धन संस्थान	9
8	पॉलिटेक्निक कॉलेज	3
9	वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल/आई.आई.टी	18
10	अनौपचारिक प्रशिक्षण केन्द्र	12
11	दिव्यांगों के लिये विशेष स्कूल	4

स्त्रोत : शिक्षा विभाग, यू.डी.आई.एस.ई

बरेली में 4 विश्वविद्यालय क्रमशः महात्मा ज्योतिराव फूले, रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, पीलीभीत बाईपास रोड पर इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, बरेली–लखनऊ (राष्ट्रीय राजमार्ग–24), पर, भारतीय पशु विज्ञान शोध संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय, इज्जत नगर में स्थित है। तथा बरेली अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय चंद्रपुर, बिचपुरी में स्थित है।

3.13.2 स्वास्थ्य सुविधाएं

बरेली नगर में बहुत से अस्पताल व क्लीनिक के साथ–साथ उत्तर प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। बरेली में 7 सामान्य चिकित्सालय, 9 विशेष चिकित्सालय, 60 डिस्पेन्सरी/स्वास्थ्य केन्द्र, 29 परिवार स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र, 15 मेटरनिटी एण्ड चाइल्ड वेलफेयर सेन्टर, 13 पशु चिकित्सालय, 29 चैरिटेबल अस्पताल/नर्सिंग होम, 1 मोबाईल स्वास्थ्य केन्द्र तथा 430 दवाइयों की दुकानें हैं। जिन्हें तालिका–13 में दर्शाया गया है।

तालिका–13
स्वास्थ्य सुविधायें

स्वास्थ्य सुविधायें	संख्या
सामान्य चिकित्सालय	7
बरेली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल	9
डिस्पेन्सरी/स्वास्थ्य केन्द्र	60
परिवार स्वास्थ्य/कल्याण केन्द्र	29
मेटरनिटी एण्ड चाइल्ड वेलफेयर सेन्टर	15
पशु चिकित्सालय	13
चैरिटेबल अस्पताल/नर्सिंग होम	29
मोबाईल स्वास्थ्य क्लिनिक	1
मेडिकल शॉप	430

स्त्रोत : मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली

3.13.3 मनोरंजनात्मक सुविधायें

मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिये मनोरंजन भी आवश्यक है। मनोरंजन को हम बाहरी व आन्तरिक गतिविधियों में बांट सकते हैं। मनुष्य मनोरंजन में क्रियात्मक एवं निष्क्रिय आनन्द का उपभोग करते हैं। बरेली नगर में 148 पार्क नगर निगम एवं बरेली विकास प्राधिकरण के हैं, जिनका क्षेत्रफल (30.7 हेक्टेयर) है। बरेली नगर में 106 छोटे पार्क निजी विकासकर्ताओं के द्वारा विकसित किये जा रहे हैं जिनका क्षेत्रफल 13.7 हेक्टेयर है। इस प्रकार बरेली नगर में कुल 254 पार्क हैं जिनका क्षेत्रफल 44.63 हेक्टेयर है। इन उद्यानों का विस्तृत विवरण तालिका–14 में है।

तालिका–14
क्षेत्राधिकार के अनुसार पार्कों की सूची

क्र.स.	क्षेत्राधिकार	पार्कों की संख्या	पार्कों का क्षेत्रफल (वर्ग मी. मे)
1.	नगर निगम बरेली	120	268759
2.	विकास प्राधिकरण	28	39798
3.	निजी स्वामित्व / एन.जी.ओ.	106	137761
	कुल	**254**	**446318**

स्त्रोतः बरेली नगर निगम

बरेली कॉलेज, पुराने हॉकी मैदान/स्टेडियम तथा पुलिस लाईन परेड मैदान भी मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त बरेली क्लब लिमिटेड मिलिट्री तथा सिविलियन मेम्बर का मुख्य क्लब हैं। इसमें 18 हॉल का गोल्फ कोर्स भी है, इस क्लब में एक रेस्टोरेन्ट, फार्म हाउस, लाइब्रेरी एवं टेबिल टेनिस आदि खेलों का प्राविधान है। क्लब के कुल 2600 सदस्य हैं जिनमें से 1600 असैनिक सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर, बोटेनिकल पार्क, पर्यावरण पार्क व नगर में ऑडिटोरियम कम्यूनिटी हॉल, प्ले ग्राउण्ड, सार्वजनिक पुस्तकालय व वाचनालय हैं, जिनकी कुल संख्या 121 है। सिनेमा हॉल भी मनोरंजन गतिविधियों के लिये उपलब्ध है। एम्यूजमेंट पार्क की दृष्टि से यहां फन सिटी में एम्यूजमेंट पार्क पीलीभीत बाईपास रोड पर स्थित है जबकि फीनिक्स यूनाईटेड मॉल पीलीभीत बाईपास महानगर कॉलोनी में स्थित है इसके अतिरिक्त रामपुर रोड व बड़े बाईपास तिराहे पर खुला स्थल आमोद–प्रमोद की गतिविधियों हेतु उपलब्ध है जिसमें 4 मीटर ऊँचा पीतल एवं ताँबे से निर्मित झुमका लगा है जो कि सभी के आकर्षण का मुख्य केन्द्र है। बरेली नगर में इस प्रकार पार्क एवं खुले स्थल गतिविधियों के अन्तर्गत 357.92 हेक्टेयर (4.00 प्रतिशत) भूमि वर्ष 2021 में विकसित भूमि का भाग है।

3.13.4 धार्मिक महत्व के स्थल

बरेली नगर में लगभग 36 मन्दिर है जिनमें मुख्यतः वनखण्डीनाथ, मढ़ीनाथ, पशुपतिनाथ, बाबा अलखनाथ मन्दिर, श्री धोपेश्वर नाथ, इसके अतिरिक्त तीन वट वृक्षों की

बीच शिवलिंग निकलने के कारण सिद्ध पीठ के रूप में प्रसिद्ध त्रिवटीनाथ तथा भगवान शिव के अन्य मन्दिर है इसके अतिरिक्त 20 मस्जिद है, 4 गुरूद्वारा, एवं 7 चर्च उपलब्ध है।

3.13.5 सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं

बरेली शहर में मुख्यतः निम्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाऐं उपलब्ध है, जिन्हें तालिका सख्या–15 में दर्शाया गया है।

तालिका–15
सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाए

क्र.स.	नाम	विवरण
1.	बरेली हाट बाजार	बरेली नगर निगम के द्वारा निर्माण किया गया है।
2.	जी.आई.सी. ऑडीटोरियम	राजकीय इन्टर कॉलेज के द्वारा निर्माण किया गया है।
3.	रिद्धिमा ऑडीटोरियम	एस.आर.एम.एस. ट्रस्ट के द्वारा निर्माण किया है।
4.	विण्डर मीयर ऑडीटोरियम	अक्षय विहार में स्थित है।
5	कन्वेंशन सेंटर	बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा रामगंगा नगर आवासीय योजना में निर्माण किया जा रहा है।
6	युगवीणा पुस्तकालय	बरेली कैंट में स्थित है।
7	हिस्ट्री म्यूजियम	रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली में स्थित है।

स्त्रोतः बरेली विजन डॉक्यूमेंट–2051

3.13.6 अग्निशमन

बरेली नगर में अग्निशमन सेवा के अर्न्तगत मात्र 1 अग्निशमन केन्द्र है, जो सिविल लाईन्स में स्थित है।

अध्याय–4
पर्यटन प्रोफाइल

4.1 बरेली नगर में पर्यटन

वर्तमान बरेली क्षेत्र प्राचील काल में पांचाल राज्य का हिस्सा था। उत्तर पांचाल की तत्कालीन राजधानी, अहिच्छत्र के अवशेष बरेली जिले की आँवला तहसील में स्थित रामनगर के समीप पाये गये है। स्थानीय लोककथाओं के अनुसार गौतम बुद्ध ने एक बार अहिच्छत्र का दौरा किया था। यह भी कहा जाता है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को अहिच्छत्र में कैवल्य प्राप्त हुआ था। यह नगर से बरेली शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पर एक पुराना किला भी है। उक्त के अतिरिक्त गोपेश्वर नाथ मन्दिर बहुत ही खूबसूरत वास्तुकला का नमूना है एवं भगवान शिव को समर्पित है। इसके अतिरिक्त तपेश्वर नाथ मन्दिर रेलवे स्टेशन के नजदीक है जिसकी बहुत मान्यता है। इसके अतिरिक्त तीन वट वृक्षों की बीच शिवलिंग निकलने के कारण सिद्ध पीठ के रूप में प्रसिद्ध शिव मन्दिर त्रिवटीनाथ है जो शहर के बीचों–बीच स्थित है एवं अपने सुन्दर परिवेश के कारण प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करता है। वनखण्डीनाथ, मढ़ीनाथ व पशुपतिनाथ भगवान शिव के अन्य मन्दिर है। भगवान शिव को समर्पित बरेली शहर का सबसे बड़ा मन्दिर अलखनाथ है इस मन्दिर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री हनुमानजी की विशाल प्रतिमा स्थित है।

उक्त के अतिरिक्त 19वीं शताब्दी (1856–1921) में निर्मित दरगाह–ए–आला हजरत अहमद रजा खान की पवित्र दरगाह है जिसके दर्शनार्थ लाखों की संख्या में दर्शनार्थी बरेली आते है।

4.2 पर्यटन गतिविधियाँ

बरेली नाथ नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ महाभारत काल में पूर्व के पौराणिक मुख्य सात प्राचीन शिव मन्दिर स्थापित हैं। इस क्षेत्र में एक अद्वितीय शिव प्रभाव भी है, जो पर्यटकों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करता है। चार नाथ (शिव) मन्दिर शहर के चारों

दिशाओं में स्थित है: जोकि अलखनाथ मन्दिर मोहल्ला किला उत्तर दिशा में, मढ़ीनाथ शिव मन्दिर दक्षिण दिशा में, धोपेश्वर नाथ मन्दिर कैंट पूर्व दिशा में एवं वनखण्डी नाथ मोहल्ला जोगी नवादा पश्चिम दिशा में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त तीन अन्य नाथ मन्दिर त्रिवटीनाथ मोहल्ला प्रेम नगर शहर के मध्य में, तपेश्वर नाथ मन्दिर मोहल्ला सुभाष नगर एवं गोपाला सिद्ध मन्दिर (गोपालेश्वर नाथ) ब्लाक क्यारा में स्थित है। एक अन्य नवीन मन्दिर, पशुपति नाथ मन्दिर नेपाल के तर्ज पर रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के समीप स्थापित किया गया है। इन मन्दिरों में अलखनाथ मन्दिर का इतिहास 930 से अधिक वर्षो का है। संत अलखिया बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या करते थे इन्ही के नाम पर इस मन्दिर का नाम अलखनाथ मन्दिर पड़ा। मान्यता है कि वनखण्डी नाथ मन्दिर का निर्माण द्वापर युग में हुआ। धोपेश्वरनाथ मन्दिर त्रेतायुग में स्थापित माना जाता है। मढ़ीनाथ मन्दिर 5000 वर्षो से अधिक पुराना माना जाता है। इस मन्दिर की स्थापना पांडवों ने अपने वनवास के दौरान की थी। इन मन्दिरों में श्रावण माह में जलाभिषेक, महाशिवरात्रि एवं अन्य प्रमुख पर्वो पर मेले का आयोजन कराया जाता है। इन मन्दिरों में वर्षभर श्रद्धालुओं/पर्यटकों का आवागमन बना रहता है। बरेली में महाभारत कालीन अहिच्छत्र रामनगर किला के अवशेष भी विद्यमान है, जिस कारण यह नगर पांचाल नगर के रूप में भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की अपनी अलग ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है, जिसके कारण इस क्षेत्र की अपने आप में एक अलग पहचान है। यह क्षेत्र रूहेलखण्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ प्रसिद्ध दरगाह–ए–आला हजरत एवं खानकाह–ए–नियाजिया भी स्थित है। जहाँ जायरीनों का आवागमन बना रहता है। ब्रिटिश काल का कैन्ट क्षेत्र में स्थित चर्च, मयूर वन चेतना केन्द्र, फन सिटी वाटर पार्क भी पर्यटन गतिविधियों के प्रमुख केन्द्र हैं। बरेली का फर्नीचर उद्योग, पतंग, मांझा एवं जरी–जरदोजी आदि भी अन्य आकर्षण है। बरेली में स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्य कराये गये है, जिसके अन्तर्गत गाँधी उद्यान के आधुनिकीकरण उपरान्त निर्मित ग्लास की भूल–भूलैया, अक्षर विहार पार्क/ताल में लेजर–शो तथा पुरानी जिला जेल में लाइट एण्ड साउण्ड–शो पर्यटकों को आकर्षित करते है।

4.3 बरेली में पर्यटक प्रवाह

तालिका संख्या–16 से विदित होता है कि बरेली में मुख्यतः घरेलू पर्यटक ही आते है। घरेलू पर्यटक भी मुख्यतः वर्ष के चार महीनों में–सितम्बर से दिसम्बर में ही आते है। जैसा कि तालिका–16 के विवेचन से ज्ञात होता है। वर्ष 2022 में कुल पर्यटकों की संख्या 3544467 थी जबकि वर्ष 2023 में जनवरी से अगस्त तक 4557456 थी। बरेली में पर्यटन का मुख्य कारण सालाना उर्स–ए–रजवी है जैसा कि सितम्बर 2022 के पर्यटन प्रवाह से ज्ञात होता है।

तालिका संख्या–16
बरेली में पर्यटक प्रवाह

माह	2022		2023	
	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी
जनवरी	14444	35	620055	62
फरवरी	29317	11	784256	137
मार्च	54362	61	595217	67
अप्रैल	76762	48	522459	78
मई	112591	39	530953	72
जून	54578	18	444380	52
जुलाई	180857	28	519912	53
अगस्त	218512	48	540224	47
सितम्बर	1514027	55	–	–
अक्टूबर	379017	62	–	–
नवम्बर	580970	73	–	–
दिसम्बर	329030	90	–	–
योग	**3544467**	**568**	**4557456**	568
कुल योग	3545035		4558024	

स्त्रोतः पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश

B D A

उपरोक्त विवरण क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी बरेली/मुरादाबाद मण्डल, बरेली द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार है।

4.4 बरेली की फ्लोटिंग आबादी का प्रक्षेपण

बरेली नगर में फ्लोटिंग आबादी मुख्यतः घरेलू पर्यटक, कोचिंग प्रयोजनार्थ आने वाले विद्यार्थी, तथा ग्रामीण आंचल से आने वाले जनसामान्य व्यक्ति है। वर्ष 2022 में पर्यटकों की संख्या 3545035 व्यक्ति थी तथा वर्ष 2023 के प्रथम आठ महीनों में 4558024 व्यक्ति थी। उपरोक्त सभी अवयवों को देखते हुये प्रतिवर्ष लगभग 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है।

4.5 पर्यटन नीति–2022

शासनादेश संख्या 588/2022/3956/41–2022–237 (सा0)/2022 दिनांक 23.11.2022 के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र की विविध सम्भावनाओं, बदलते परिदृश्य के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 को अवक्रमित करते हुए उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2022 प्रख्यापित की गयी है, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में विभिन्न श्रेणियों में 33 पर्यटन इकाईयों को अनुदान, लाभ, छूट तथा वित्तीय प्रोत्साहन निवेशकों/उद्यमियों को प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। इस नीति का लक्ष्य पर्यटन हित धारकों के सभी स्तरों के बीच साझा समृद्धि की दिशा में सर्वोत्तम पर्यटक अनुभव के लिए विश्व स्तरीय पर्यटक बुनियादी ढ़ॉचे के साथ नए अनुभवात्मक पर्यटन सेवाएं प्रस्तुत करके राज्य की पर्यटन क्षमता का दोहन, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और बनाए रखने के लिए निवेश–अनुकूल नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ एक सुगम पारदर्शी माहौल प्रदान करना, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को प्रदेश में आकर्षित किए जाने हेतु नए पर्यटन उत्पादों, आयोजनों और राज्य के अल्पतर सेवित गंतव्यों का वैश्विक स्तर पर विपणन और प्रोत्साहन किया जाना है।

पर्यटन इकाईयाँ

1. होटल्स
2. इको टूरोज्म स्टे
3. इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्
4. रिसोर्ट
5. कारवां पार्क
6. थीम पार्क/मनोरंजन पार्क
7. मेगा प्रोजेक्ट्
8. फिक्सड टेन्ट एकोमोडेशन
9. एडवेन्चर टूरिज्म प्रोजेक्ट
10. फार्म/स्टे तथा एग्री टूरिज्म प्रोजेक्ट्स
11. इंनोवेटिव एवं अल्ट्रनेटिव एक्मोडेशन अभिनव एवं वैकल्पिक आवास
12. बजट होटल्स
13. रिवर क्रुज
14. वेलनेस सेन्टर ढ़ाबा
15. ग्रामीण होम स्टे
16. कन्वेंशन सेंटर
17. योगा सेंटर
18. कैम्प/स्थायी आवासी व्यवस्था
19. टूर एण्ड ट्रैवल ऑपरेटर
20. पब्लिक म्यूजियम एवं गैलेरी
21. रिवॉलविंग रेस्टोरेन्ट/फलाई डाइन रेस्टोरेन्ट
22. हेरिटेज होटल
23. हेरिटेज होम स्टे
24. वे–साइड एमेनिटीज
25. कारवां टूरिज्म
26. गोल्फ कोर्स
27. साउन्ड एण्ड लाइट शो/लेजर शो
28. धर्मशाला
29. ग्रामीण/सांस्कृतिक/पर्यटक ग्राम
30. फ्लोटल्स/फ्लोटिंग रेस्टोरेन्ट
31. पर्यटन एवं अतिथ्य सत्कार ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट
32. सांस्कृतिक केन्द्र/हस्तकला बाजार/पार्क उत्सव तथा अन्य सांस्कृतिक कार्ययोजना

4.6 पर्यटन विभाग की प्रस्तावित/निमार्णाधीन परियोजनाएं

पर्यटन विभाग की जनपद बरेली में वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित/निमार्णाधीन परियोजनाएं निम्न है, जिसका विवरण तालिका–17 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या–17

बरेली में प्रस्तावित/निर्माणाधीन परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष	विधानसभा का नाम	प्रस्तावित/प्रशासकीय स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)	प्रस्तावित/निर्माणाधीन
1	जनपद बरेली के अहिच्छत्र, रामनगर/आगर सागर ताल जगन्नाथपुर का पर्यटन विकास।	2023–24	आँवला	149.67	स्वीकृत
2	जनपद बरेली के अलखनाथ मन्दिर मौहल्ला किला का पर्यटन विकास।	2023–24	बरेली शहर	333.23	स्वीकृत
3	जनपद बरेली के तुलसीमठ मौहल्ला किला का पर्यटन विकास।	2023–24	बरेली शहर	100.51	स्वीकृत
4	जनपद बरेली के ग्राम–रिछौला ताराचन्द में श्री सुखराम धाम का पर्यटन विकास।	2023–24	नवाबगंज	109.99	स्वीकृत
5	जनपद बरेली के धोपेश्वर नाथ मन्दिर कैण्ट का पर्यटन विकास।	2023–24	बरेली कैंट	159.50	स्वीकृत
6	जनपद बरेली के भीठानाथ मन्दिर, वि0ख0 विथरी चैनपुर का पर्यटन विकास।	2023–24	भोजीपुरा	221.90	स्वीकृत
7	जनपद बरेली के वि0ख0 विथरी चैनपुर में ज्वाला देवी सिद्ध पीठ, ग्राम–भगवतीपुर का पर्यटन विकास।	2023–24	विथरी चैनपुर	100.00	प्रस्तावित

स्त्रोतः पर्यटन विभाग, उत्तरप्रदेश

अध्याय–5
पर्यावरण रूपरेखा

5.1 जलीय संरचना

बरेली नगर में रामगंगा, शंखा, देवरनिया एवं नकटिया नदियां उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। रामगंगा नदी बरेली विकास क्षेत्र में दक्षिण–पश्चिम दिशा से ग्राम–महगवा व ग्राम–सिंगठौरा की सीमा से प्रवेश करती है। रामगंगा नदी लगभग 6 किलोमीटर लम्बाई में विकास क्षेत्र की दक्षिण–पश्चिम सीमा पर प्रवाहित होती है एवं दक्षिण–पश्चिम दिशा से ही ग्राम–भगवानपुर ठाकुरान मुस्तकिल की सीमा से विकास क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। शेष तीनों नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर समानान्तर रूप में प्रवाहित होती है। इसके अतिरिक्त बरेली नगर में विद्यमान व राजस्व अभिलेखों में अंकित तालाबों, नहरों/जलाशयों आदि को मानचित्र–15 एवं आंकड़ों के रूप में तालिका–18 में दर्शाया गया है।

तालिका–18
जलीय संरचना

श्रेणी	उप–श्रेणी	क्षेत्रफल (हे0)	प्रतिशत
जल निकाय	नदी/नाला/पोखर	620.40	54.73
	तालाब/जलाशय/पोखर	513.26	45.27
	कुल	**1133.26**	**100.00**

5.2 शहर में प्रदूषण स्तर

बरेली योजना क्षेत्र में प्रदूषण के प्रमुख रूपों में शामिल हैं: वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। इसके अतिरिक्त प्रदूषण के उपरोक्त स्वरूप से बरेली में जल और ध्वनि प्रदूषण मुख्य रूप से चिंता का विषय है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उद्योगो का विकास होने के कारण, इनसे निकलने वाले तरल फैक्ट्री अपशिष्ट

(रसायनों के मिश्रण एवं अपशिष्ट पदार्थ) को स्थानीय जलधाराओं में प्रवाहित किया जाता है, जो जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। शहर के 3 प्रमुख नालों में प्रदूषण का स्तर निम्नानुसार है।

तालिका–19
नालों में प्रदूषण का स्तर

क्र.स	नदी/ड्रेन/नाले का नाम	पी.एच.	बी.ओ.डी (एम.जी/एल)	सी.ओ.डी (एम.जी/एल)	टी.एस.एस (एम.जी/एल)
1	देवरनिया	7.2	39.8	80	89
2	चौबारी	7.1	33.2	200	70
3	नकटिया	7.3	44.8	120	14

स्त्रोतः बरेली विजन डाक्यूमेंट–2051

5.3 आपदा प्रबंधन

आपदा प्रबंधन में बाढ़, सूखा, आग एवं भूकम्प से जान–माल को होने वाली संभावित हानि से बचाव हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित है। प्रतिवर्ष प्रथम 3 आपदाओं के सम्बन्ध में उक्त प्रकोष्ठ द्वारा जान–माल की हानि से बचाव हेतु प्रबंधन/कार्यवाही की जाती है।

बरेली शहर भूकम्पीय क्षेत्र–3 में आता है, जिसमें रिक्टर स्केल के अनुसार 5 या 5 से अधिक तीव्रता की भूगर्भीय गतिविधि होने से अत्यधिक क्षति संभावित है। इस संबंध में देश में समय–समय पर आये भूकम्पों की त्रासदी को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा समय–समय पर जारी भूकम्परोधी शासनादेशों एवं सुरक्षात्मक प्राविधानों को शत–प्रतिशत अनुपालन किये जाने का प्रस्ताव है। अतः इस शहर में भूकम्परोधी भवनों के निर्माण हेतु प्राधिकरण, नगर निगम तथा आपदा प्रबन्धन विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में सतत् प्रचार–प्रसार आवश्यक है, ताकि जान–माल की कम से कम क्षति हो। भूकम्प से सुरक्षा हेतु सभी प्राविधानों के अनुपालन उपरान्त ही किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य होगा तथा उसके अनुरूप स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार किये जाने का प्राविधान है।

अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं से सम्बन्धित शासन द्वारा जारी एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अपेक्षित प्राविधानों की व्यवस्था सभी भवन निर्माण की स्वीकृति के समय सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी भवन, जो पूर्व में बन चुके हैं, निर्माणाधीन हैं, मानचित्र स्वीकृत हैं परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, परन्तु वर्तमान में वह अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करते हैं, में भी उपयुक्त प्राविधान सुनिश्चित कराया जाना प्रस्तावित है।

बरेली शहर में बहने वाली प्रमुख नदी रामगंगा है जिसके ऊपर कालागढ़ एवं तुमड़िया बांध बन जाने से बाढ़ की विभीषिका में कुछ कमी आयी है। परन्तु अधिक वर्षा होने पर इस बांध से पानी छोड़ा जाता है जिससे कई बार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार बरेली शहर में बाढ़ से बचाव हेतु रामगंगा नदी के तटबन्ध का निर्माण प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त भी इस नदी पर जहां भी तट/बन्ध क्षतिगत होने की संभावना हो वहां पर आपदा प्रबन्धन के साथ एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा समुचित कार्यवाही निश्चय समयान्तर्गत की जानी अपेक्षित है। साथ ही शहर के अन्य नालों की नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण द्वारा सफाई करना कम से कम वर्ष में एक बार आवश्यक है, ताकि बरसात के मौसम में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो।

अध्याय–6
वर्तमान भू–उपयोग एवं प्रभावी महायोजना का तुलनात्मक अध्ययन

6.1 वर्तमान भू–उपयोग

नगर में बढ़ती जनसंख्या के कारण जनसंख्या घनत्व तथा परिवारों के आकार में भी वृद्धि होती जा रही है जिसके कारण नगर में आवासीय स्थिति भी गम्भीर होती जा रही है। नगर के सामान्य निरीक्षण से ज्ञात होता है कि बरेली नगर में पुराने क्षेत्र में अधिकांश भवन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं तथा यहाँ सड़कें संकुचित हैं जिससे यातायात के सुचारू प्रवाह में अत्यधिक समस्या महसूस की जा रही है। यहाँ का आवासीय पर्यावरण गुणात्मक दृष्टि से निम्न स्तर का है तथापि नगर के बाहरी/नये क्षेत्रों में बरेली विकास प्राधिकरण, आवास विकास संस्थान तथा अन्य निजी विकासकर्ताओं द्वारा नये आवासीय क्षेत्र विकसित किये गये हैं जिनमें सामुदायिक सुविधाओं, खुले स्थलों व पार्कों की सुविधा उपलब्ध है तथा सड़कों की समुचित चौड़ाई के कारण सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था विकसित है। नगर के पुराने भाग, जिसे नये विकसित क्षेत्रों की तुलना में, निर्मित क्षेत्र के नाम से सम्बोधित किया जाता है, वहां आवासीय आवश्यकताओं की अपेक्षाकृत सामुदायिक सुविधाओं, पार्कों व खुले स्थलों की उपलब्धता बहुत निम्न स्तर की है।

6.1.1 आवासीय

6.1.1.1 नये आवासीय क्षेत्र

बरेली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत वर्ष 2010 से 2017 तक स्वीकृत मुख्य कॉलोनियां सैदपुर हाकिन्स, केसर वाटिका, मेगा सिटी, ट्यूलिप ग्रेस, अर्फोडेबल हाउसिंग, हारमनी, कान्हा अपार्टमेन्ट, किंग्स कोर्ट, सुखदेव पुर, साउथ सिटी, सांई इन्फ्रा, मेगा ड्रीम होम्स, जी. एन.सिटी, के.टी. इण्डिया, नवजीवन, आकाश विल्डटैक, मेगा ड्रीम होम्स टावर–1, सूर्योदय, पार्क एवेन्यू, रिगेलिया गार्डन, इण्टर नेशनल सिटी, मेगा ड्रीम सिटी होम टावर–3, राधारानी इन्फ्रा, सिटी इन्कलेव, जीवन सुख, अरवानियां व मेगा मेन्शन आदि प्रमुख है जिनमें विकास की गतिविधियाँ जारी हैं।

गाँधीनगर योजना, राजेन्द्र नगर, रामगंगा योजना एवं ग्रेटर बरेली प्राधिकरण की महत्वपूर्ण योजनाएं है। पीलीभीत बाईपास योजना, सिविल लाईन्स योजना व महानगर कॉलोनी प्रमुख है। महत्वपूर्ण आवासीय क्षेत्र एरोसिटी, नील गगन पार्क, पार्क एवेन्यू सिटी, रामगंगा नगर, रॉयल विला तथा महत्वपूर्ण बहुमंजिलीय परियोजनाओं में नन्दी हाईट्स, मेघा ड्रीम होम्स, कमला मेन्शन्स, रूद्राक्ष अपार्टमेन्ट, सफाया अपार्टमेंन्ट हैं।

आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत 5216.24 हेक्टयर भूमि आती है जो कि वर्ष 2021 तक विकसित नगरीय क्षेत्र का 58.33 प्रतिशत है, जिसे तालिका–20 में दर्शाया गया है।

तालिका–20

वर्तमान भू–उपयोग–2021 (विद्यमान/विकसित)

भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	क्षेत्रफल (%)
आवासीय	5216.24	58.33
व्यवसायिक	240.52	2.69
औद्योगिक	655.06	7.33
कार्यालय	265.38	2.97
सार्वजनिक/अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधायें	632.86	7.08
पार्क एवं खुले स्थल	357.92	4.00
यातायात	1105.49	12.36
अन्य (जल संसाधन)	468.5	5.24
योग	**8941.97**	**100.00**
कृषि	28348.52	
छावनी	2059.3	
अन्य	893.71	
रिक्त भूमि	2227.1	
ग्रामीण आबादी	1852.75	
महायोग	**44323.35**	

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार

चित्र–3

वर्तमान भू–उपयोग–2021

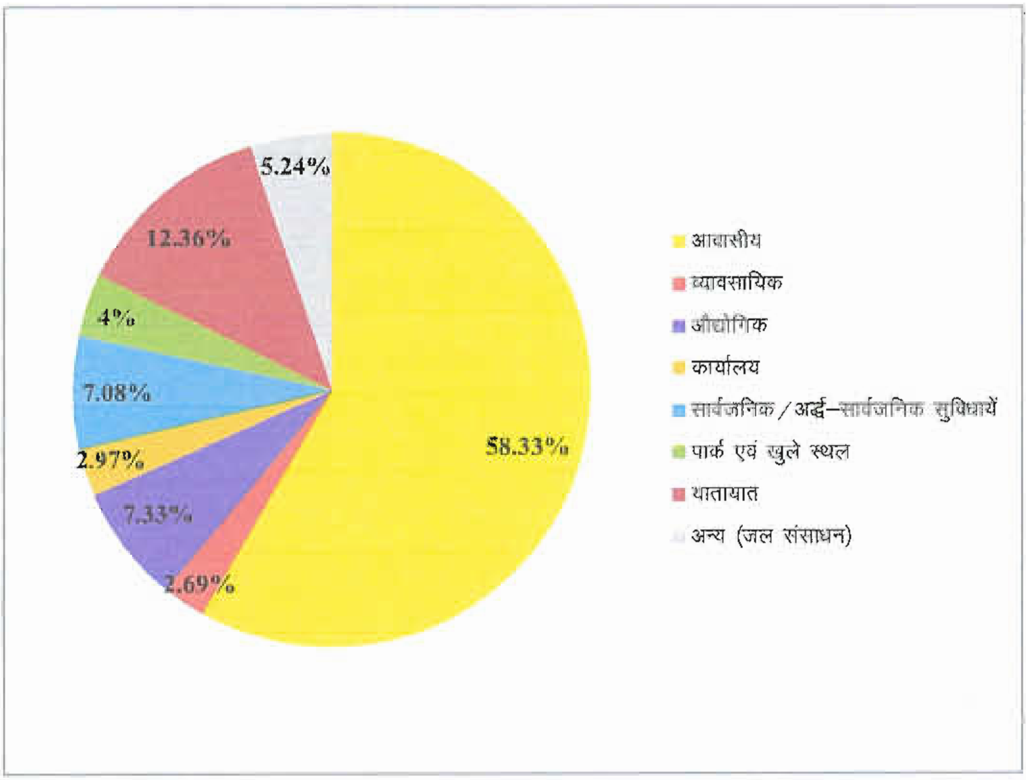

6.1.1.2 मलिन बस्तियाँ

नगर के बाहरी क्षेत्र में विकल्प के रूप में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की आवासीय सुविधा के अभाव में अनाधिकृत एवं मलिन बस्तियों का विस्तार बढ़ता जा रहा है जहां पर खुले क्षेत्रों व सामुदायिक सुविधाओं का अभाव है। इन मलिन बस्तियों में राजीव आवास योजना में वर्ष 2013 के अनुसार नगर की लगभग 24 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती हैं जिनकी जनंसख्या 214184 है। इन कच्ची बस्तियों में 42837 परिवार निवास कर रहे थे तथा प्रति परिवार की संख्या 5 थी। कच्ची बस्तियों में 48 प्रतिशत जनसंख्या निम्न आय वर्ग के लोगों की थी तथा ऐसे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या 19142 थी इसमें से 13362 लोग अनुसूचित जाति के, 58398 लोग अन्य पिछड़ा वर्ग के व 42324 लोग

अन्य जातियों के थे। इन कच्ची बस्तियों में 3882 आवासीय ईकाइयाँ थी, जिनमें से 40 प्रतिशत पक्के, 26 प्रतिशत कच्चे/पक्के व शेष 34 प्रतिशत कच्चे मकान थे। कुल परिवारों में से 34431 परिवारों के लिए जलापूर्ति ट्यूबवेल/बोरवेल/हैण्डपम्प से हो रही थी। 5258 परिवारों के पास पानी का कनेक्शन था जबकि 461 परिवार अन्य साधनों पर निर्भर थे। मात्र 6 कच्ची मलिन बस्तियों में पहुँच मार्ग पक्का था और 29 बस्तियाँ कच्ची सड़क से जुड़ी हुई थी तथा 12 कच्ची बस्तियों में सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। बरेली विकास क्षेत्र में 197 अवैध कॉलोनियों विकसित हो चुकी है जो कि बरेली नगर में अनियोजित विकास को इंगित करती है, जिसे अनुलग्नक–6 में दर्शाया गया हैं।

6.1.2 व्यवसायिक

बरेली विकास क्षेत्र में निर्मित क्षेत्र में मुख्य बाजारों के साथ–साथ तथा नये वाह्य आवासीय क्षेत्रों में भी व्यवसायिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। पुराने व्यवसायिक क्षेत्रों में शाहमतगंज चौराहा, किला क्रासिंग से बड़ा बाजार चौराहा, बड़े बाजार चौराहे से शाहदाना चौराहा, बड़े बाजार चौराहे से नावेल्टी सिनेमा चौराहे तक, बड़े बाजार चौराहे से कोहाड़ापीर तक, गली नवादन, कुतुबखाना से चौपुला चौराहा, आर्यसमाज गली, बिहारीपुर ढाल से जसौली तक, गली मनिहारन तथा शास्त्री मार्केट, शाहमतगंज चौराहे से शाहदाना चौराहे तक, कटरा मानराय गली, सैलानी बाजार, नावेल्टी चौराहे से बरेली कॉलेज रोड, सुभाषनगर, शाहमतगंज से रोडवेज वर्कशॉप तक, मैकेनियर रोड, कोहाड़ापीर से कुदेशिया फाटक, कोहाड़ापीर से राजेन्द्र नगर रेलवे क्रॉसिंग तक, शाहदाना चौराहे से श्मशान भूमि संजय नगर रोड आदि मुख्य व्यवसायिक क्षेत्र हैं। बरेली नगर का मुख्य उत्पादन एवं व्यवसाय केन, बांस का फर्नीचर, पतंग का मांझा, कपास, अनाज एवं गुड़ का व्यापार है। मुख्य बाजार शाहमतगंज चौराहे के पास स्थित है। बड़ा बाजार जैसा कि नाम से विदित है यह बहुत बड़ा बाजार मध्यम आय वर्ग के लोगों की माँग की पूर्ति करता है। इसी बाजार में दर्जी चौक बहुत ही प्रसिद्व बाजार है जहां पर सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध रहती है। नगर निगम का शास्त्री बाजार नगर के बीच में स्थित है। यह होलसेल व्यापार का मुख्य केन्द्र है, जिसमें गारमेन्ट्स, क्रोकरी, घरेलू किराने आदि का सामान मिलता है। कुतुबखाना बाजार में चौराहे पर बहुत

चहल–पहल रहती है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम लगा रहता है। इस बाजार में हर व्यक्ति की जरूरतें पूरी होती हैं, जिसमें हार्डवेयर व बच्चों के उपभोग की वस्तुएं व सौन्दर्य प्रसाधन की वस्तुएं मिलती हैं। यह बाजार पर्यटकों के लिये भी आकर्षण का केन्द्र है। राजेन्द्र मार्केट, कोहाड़ापीर मार्केट, सिविल लाईन्स मार्केट तथा अन्य अरबन हाट भी व्यवसायिक गतिविधियों के मुख्य केन्द्र है। फीनिक्स यूनाईटेड मॉल महानगर कॉलोनी में स्थित एक सुप्रसिद्व मल्टी स्टोरी मॉल है। अन्य महत्वपूर्ण मॉल ब्रांड स्कायर बरेली, नावेल्टी प्लाजा, बंसी टावर आदि प्रमुख मॉल है। इस प्रकार व्यवसायिक भू–उपयोग के अन्तर्गत वर्ष 2021 में 240.52 हेक्टेयर भूमि आती है जो कुल नगरीकृत विकसित भूमि का 2.69 प्रतिशत है। उक्त भू–उपयोग का विवरण बरेली वर्तमान भू–उपयोग मानचित्र–2021 के मानचित्र में दर्शाया गया है। पूरे नगर में जहाँ भी अनियोजित विकास हुआ है वहां पर अनाधिकृत व्यापारिक गतिविधियाँ व मुख्य मार्गों के साथ–साथ पट्टीनुमा व्यवसायिक गतिविधियों का विकास हुआ हैं। जहां पार्किंग तथा सैटबैक का अभाव होने से यातायात बाधित होता है। नये व्यवसायिक विकास के अन्तर्गत चौकी चौराहे के निकट मिशन अस्पताल की भूमि पर मिनी व्यवसायिक क्षेत्र का विकास हुआ है।

6.1.2.1 थोक मण्डियाँ

बरेली नगर में थोक मण्डी भी उपलब्ध है जिसका क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर है और यह पीलीभीत रोड पर स्थित है। सिंधु नगर में फल मण्डी व बरेली कॉलेज के पास भी एक फल मण्डी है जिसे बरेली कॉलेज सब्जी मण्डी के नाम से जाना जाता है। रहमान मार्केट व पंजाबी मार्केट, गंगापुर रोड पर स्थित है जबकि सरहिन्द मार्केट, पीलीभीत रोड पर स्थित है।

बरेली मंडी

6.1.3 उद्योग

बरेली नगर मुख्यतः हैण्डीक्राफ्ट उद्योग जैसे–जरी, जरदौरी, केन फर्नीचर, बम्बू वर्क व चांदी के आभूषण के लिये प्रसिद्व है। यहां पर उपरोक्त उद्योगों से बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है। बरेली विकास क्षेत्र में 16 विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित हैं जिनमें 71000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं जिन्हें तालिका–21 में दर्शाया है:–

तालिका–21
सूक्ष्म और लघु उद्योगों की सूची

एनआईसी कोड	इण्डस्ट्रीज के प्रकार	यूनिट की संख्या	निवेश (लाख में)	श्रमिकों की संख्या
1	एग्रो बेस्ड	1607	9375	21500
2	सोडा वाटर	56	800	250
3	जूट एण्ड जूट बेस्ड	08	40	200
4	रेडीमेड गारमेन्ट एवं कढ़ाई	3158	7000	15312
5	वुड/वुडन बेस्ड फर्नीचर	578	1200	3800
6	पेपर एण्ड पेपर प्रोडेक्ट	42	1600	800
7	लेदर बेस्ड	21	300	35
8	केमिकल/केमिकल बेस्ड	167	1670	670
9	रबड, प्लास्टिक एण्ड पेट्रोबेस्ड	103	1030	1030

10	मिनरल बेस्ड	48	480	305
11	मेटल एण्ड स्टील बेस्ड	437	972	1702
12	इंजीनियरिंग यूनिट	627	1250	2605
13	इलेक्ट्रिकल मशीनरी एण्ड ट्रांसपोर्ट इक्यूपमेंट	1012	2570	3521
14	रिपेयरिंग एण्ड सर्विसिंग	1501	3000	4000
15	अन्य	5794	8383	16000
16	विभिन्न	467	0	0
कुल		**15626**	**39670**	**71730**

स्त्रोत : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमिता मंत्रालय

बरेली विकास क्षेत्र में वृहद् उद्योगों में काफी संख्या में श्रमिक काम कर रहे हैं जिनसे लगभग 10000 लोगों को रोजगार मिल रहा हैं वृहद् उद्योगों के नाम, उत्पादन, किये गये निवेश तथा कार्यरत श्रमिकों का विस्तृत विवरण तालिका–22 में दिया गया है।

तालिका–22
वृहद् उद्योगों की सूची

क्र.स.	नाम	पता	उत्पाद	निवेश (करोड़ों में)	श्रमिकों की संख्या
1	रामा श्यामा पेपर लि0	विल रजऊ परसपुर, फरीदपुर, बरेली	पोस्टर पेपर	67	110
2	केम्फर एण्ड एलाईड प्रोडेक्ट लि0	सी.बी. गंज, बरेली	केम्फर एण्ड एलाईड प्रोडेक्ट	28	409
3	डिस्टेलरी ऑफ केसर एन्टरप्राईजेज लि0	बहेड़ी, बरेली	एथेनॉल, एल्कोहल एण्ड एल्कोलिक	13	151
4	केसर एन्टरप्राईजेज	बहेड़ी, बरेली	शुगर	112.08	850
5	वृन्दावन ब्रेवरेज लि0	बी.54–55, इण्डस्ट्रियल एरिया, परसाखेड़ा, बरेली	मिनरल वाटर	150	203
6	जे.के. शुगर लि0	मीरगंज, बरेली	रिफाइनरी ऑफ शुगर	109	469
7	द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि0	भगवानपुर, फुलवा, बाकरगंज, फरीदपुर, बरेली	वाइट क्रिस्टल शुगर	283	343

8	ओसवाल ओवरसीज लि0 शुगर डिविजन	नवाबगंज , बरेली	शुगर मुलेसिस	40.09	140
9	भारत पेट्रोलियम प्लान्ट	परसाखेड़ा, बरेली	कुकिंग गैस, बोटलिंग, एलपीजी	21	100
10	एन.ई. रेलवे वर्कशाप	इज्जतनगर, बरेली	रिपेयरिंग ऑफ वैगन्स	31.04	2839
11	आई.एफ.एफ.सी.ओ.	उनला, बरेली	अमोनिया यूरिया	1625	1900
12	विमको लि0	सी.बी. गंज, बरेली	सेफ्टी माचिस	11.50	1335
13	किसान सहकारी चीनी मिल. लि0	सीमीखेरा, बरेली	शुगर	10.77	685
14	यू.पी. सहकारी कताई मिल, लि0	बहेड़ी, बरेली	कॉटन यार्न	31.80	1036
15	सुपीरियर इण्डस्ट्रीज लि0	सी.बी. गंज, बरेली	एल्कोहल	20.0	60
कुल				**2553.28**	**10630**

स्त्रोत : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमिता मंत्रालय

जिले में 11 औद्योगिक क्षेत्र हैं तथा 1048 भूखण्ड में से 771 भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों में 242 ईकाइयाँ कार्य कर रही हैं। उक्त औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तृत विवरण तालिका–22 में दिया गया है। इस प्रकार औद्योगिक गतिविधियों के अन्तर्गत 655.06 हेक्टेयर भूमि अर्थात कुल नगरीय विकसित क्षेत्र की 7.33 प्रतिशत भूमि औद्योगिक उपयोग में आ रही है।

मानचित्र–2
बरेली नगर में औद्योगिक क्षेत्र

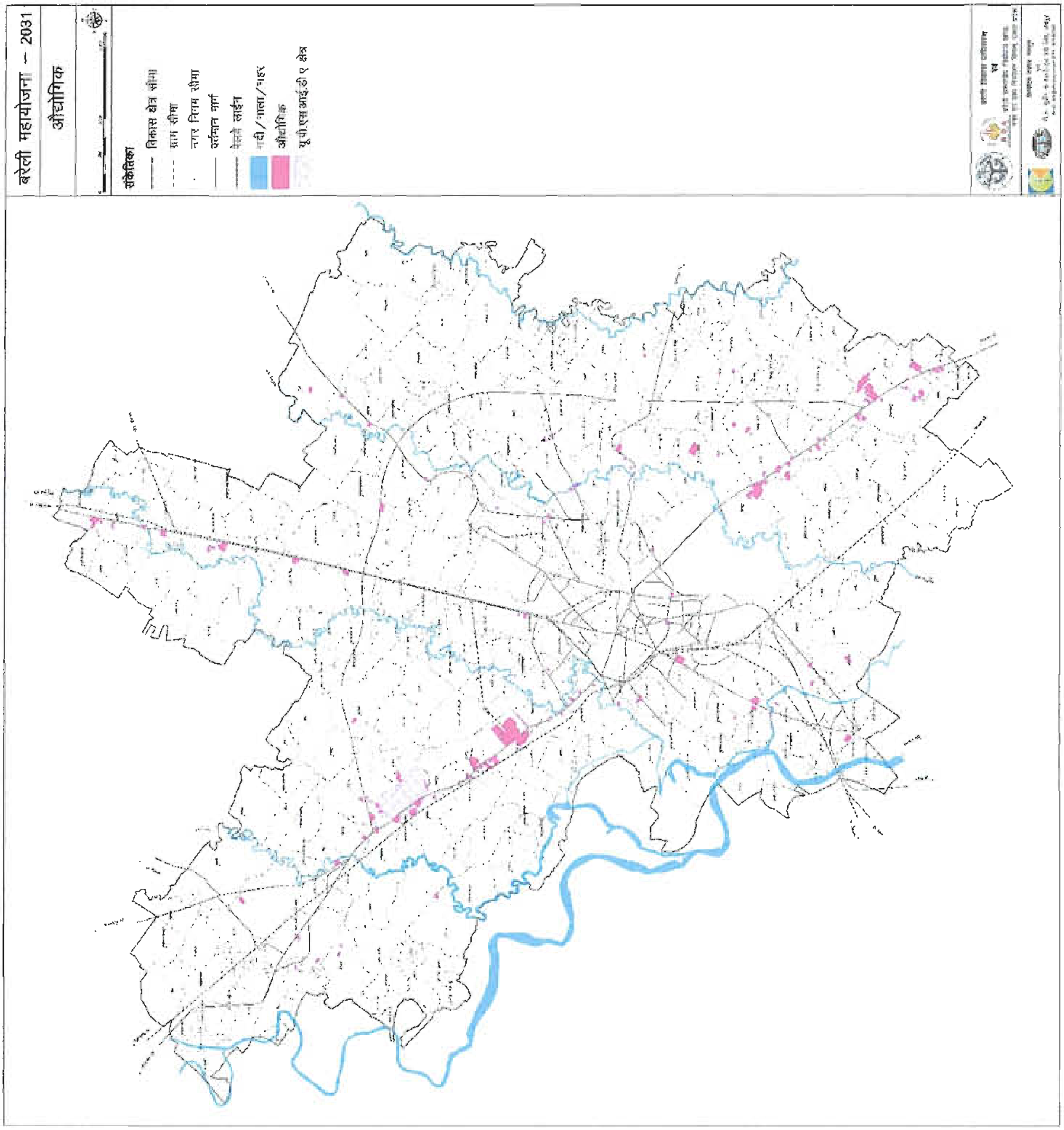

6.1.4. कार्यालय

बरेली उत्तर प्रदेश सरकार का सम्भागीय मुख्यालय के साथ–साथ जिला मुख्यालय भी है। यहां बरेली विकास प्राधिकरण के साथ नगर निगम तथा जिला मुख्यालय के समस्त कार्यालय स्थित हैं। यहां पर जिला मुख्यालय के अतिरिक्त वन विभाग, पर्यटन विभाग और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित हैं। कार्यालयों के अन्तर्गत 21 मुख्य कार्यालय नगर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित है।

इन कार्यालयों के अतिरिक्त बी.एस.एफ भिटौरा स्टेशन के पास फतेहगंज पश्चिमी में तथा पी.ए.सी., राष्ट्रीय राजमार्ग–24 शाहजहांपुर बाईपास के पास तथा वायु सेना स्टेशन त्रिशूल इज्जतनगर में स्थित है। यह नगर के प्रमुख अर्द्ध–सैनिक एवं सैनिक संस्थान है। विभिन्न कार्यालयों के अन्तर्गत 265.38 हेक्टेयर भूमि कुल नगरीकृत विकसित क्षेत्र का 2.97 प्रतिशत कार्यालय उपयोग के अन्तर्गत आता है।

6.1.5 सामुदायिक सुविधायें, सेवायें एवं उपयोगितायें

सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक भू–उपयोग के अन्तर्गत मुख्यतः नगर में उपलब्ध आधारभूत ढांचा यथा शैक्षणिक संस्थाएं, स्वास्थ्य सेवायें, जलापूर्ति, जल मल निकासी, कचरा संग्रहण व निस्तारण, विद्युत आपूर्ति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से सम्बन्धित संस्थान भवन, डाक तार, टेलिफोन सुविधा, पुलिस थाने सहित अनेक सार्वजनिक सुविधायें सम्मिलित हैं। जिसका कुल क्षेत्रफल 632.86 हेक्टेयर है जो कुल नगरीय क्षेत्र का 7.08 प्रतिशत है।

6.1.5.1 शैक्षणिक

शैक्षणिक आधारभूत ढांचे के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा, कॉलेज शिक्षा एवं विश्वविद्यालय स्तर के शैक्षणिक संस्थान सम्मिलित हैं। स्कूल शिक्षा के अन्तर्गत 422 प्राथमिक, 175 माध्यमिक तथा 82 उच्च माध्यमिक/इण्टर कॉलेज स्तर के विद्यालय बरेली विकास क्षेत्र में संचालित हैं। स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान एवं कॉमर्स शिक्षा में 18 कॉलेज शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। 11 इंजीनियरिंग महाविद्यालय, 3 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, 3 चिकित्सा महाविद्यालय, 9

प्रबन्धन महाविद्यालय शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। 18 व्यवसायिक प्रशिक्षण/आई.टी.आई. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 12 केन्द्र अनौपचारिक शिक्षा तथा 1 विद्यालय दिव्यांगजनों को शिक्षा प्रदान कर रहा है।

बरेली में 4 विश्वविद्यालय क्रमशः महात्मा ज्योतिराव फूले, रोहिल खण्ड विश्वविद्यालय, पीलीभीत बाईपास रोड पर इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, बरेली–लखनऊ (राष्ट्रीय राजमार्ग–24), 12 कि.मी. पर, भारतीय पशु विज्ञान शोध संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय, इज्जत नगर में स्थित है तथा बरेली अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय चंद्रपुर, बिचपुरी में स्थित है।

6.1.5.2 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

बरेली नगर में बहुत से अस्पताल व क्लीनिक के साथ–साथ उत्तर प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। बरेली में 7 सामान्य चिकित्सालय, 9 विशेष चिकित्सालय, 60 डिस्पेन्सरी/स्वास्थ्य केन्द्र, 29 परिवार स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र, 15 मेटरनिटी एण्ड चाइल्ड वेलफेयर सेन्टर, 13 पशु चिकित्सालय, 29 चैरिटेबल अस्पताल/नर्सिंग होम, 1 मोबाईल स्वास्थ्य केन्द्र तथा 430 दवाइयों की दुकानें हैं।

मानचित्र–3
बरेली नगर में शिक्षा के केंद्र

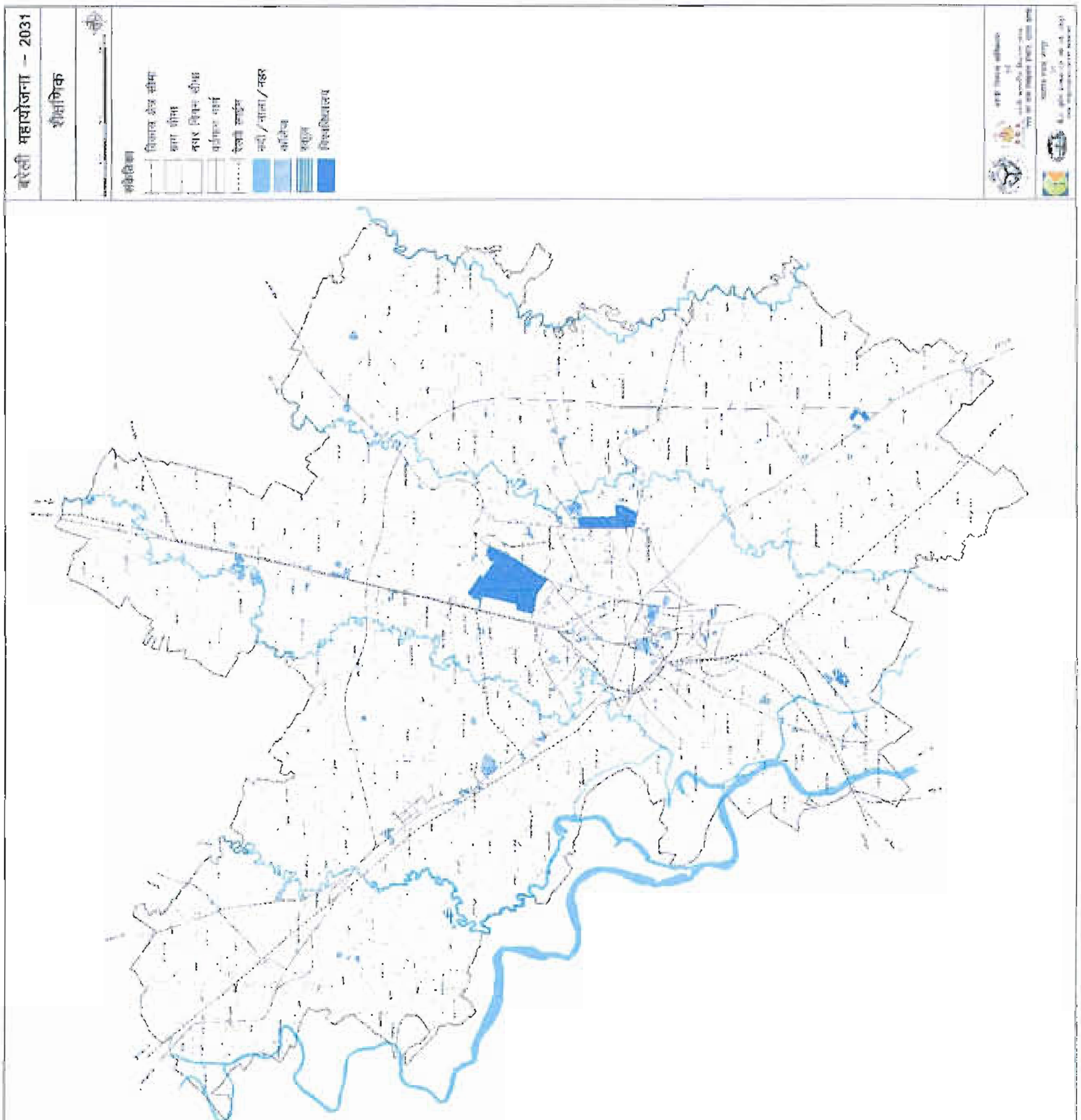

स्त्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार

मानचित्र–4

बरेली नगर में स्वास्थ्य सेवाएं

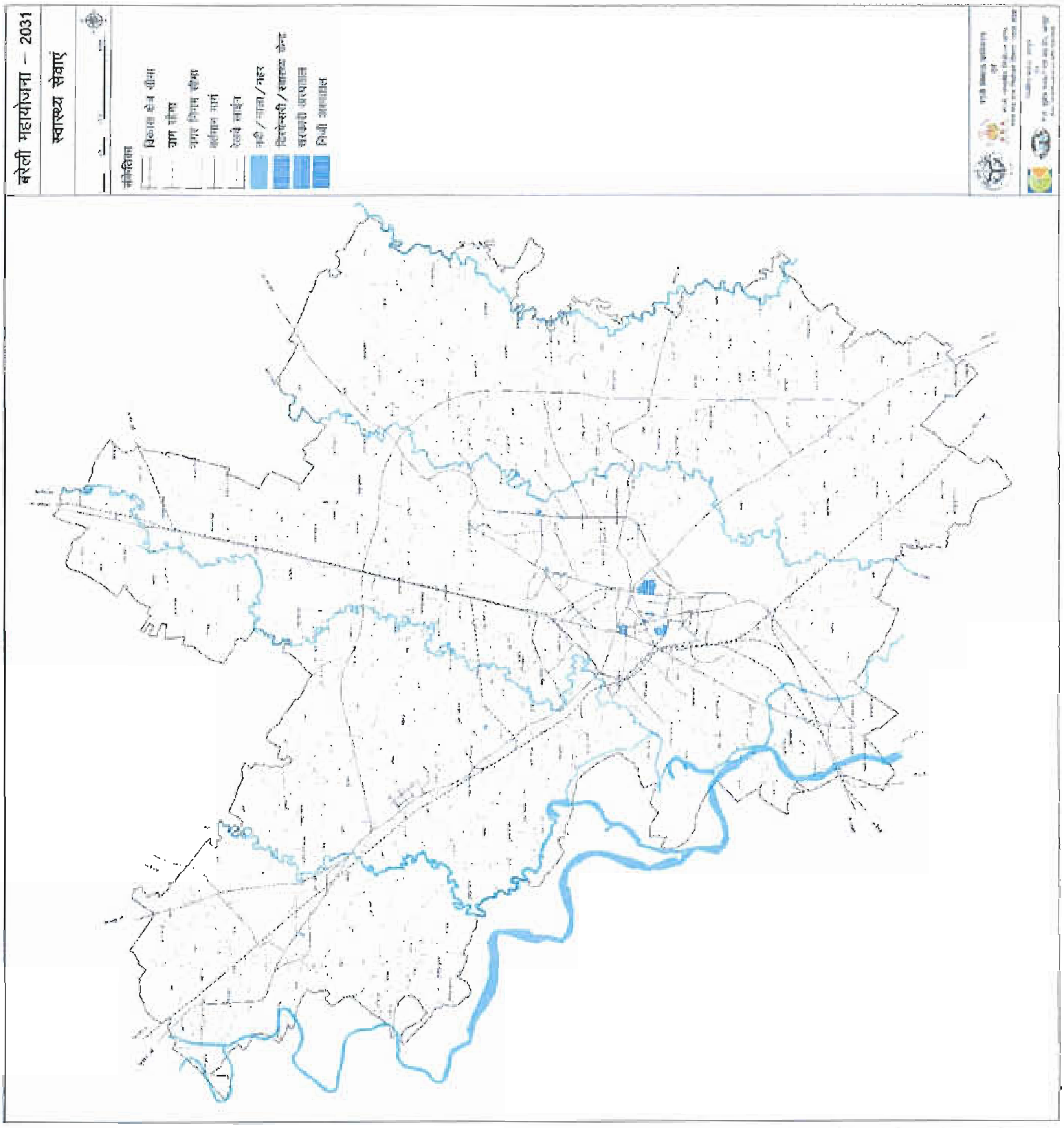

स्त्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार

6.1.5.3 पुलिस स्टेशन

पुलिस स्टेशन जनसाधारण को सुरक्षा के साथ–साथ अपराध एवं भयमुक्त वातावरण प्रदान करता है। इन भवनों में अक्सर लॉकर रूम, अस्थायी होल्डिंग सैल, साक्षात्कार/पूछताछ कक्ष, महिलाओं एवं नाबालिगों के लिये परामर्श केन्द्र, कर्मियों के आवास तथा वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध होती है। पुलिस स्टेशन शहर में आमजन की सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करते है। नगर में डी.आई.जी. और ए.डी.जी. ऑफ पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालयों के अतिरिक्त 29 पुलिस थाने एवं चौकियाँ उपलब्ध है जिन्हें तालिका–23 में दर्शाया गया है।

तालिका–23

विकास क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस कार्यालयों/पुलिस थानों/पुलिस चौकियों की सूची

क्र.म	नाम	पता
1.	डी.आई.जी. पुलिस ऑफिस	सिविल लाईन्स, बरेली, उत्तर प्रदेश
2.	ए.डी.जी. पुलिस ऑफिस	सिविल लाईन्स, बरेली, उत्तर प्रदेश
3.	पुलिस थाना, बारादरी	थाना बारादरी, मारवाड़ी गंज, बरेली
4.	पुलिस थाना	169, स्टेशन रोड, सिविल लाईन्स, बरेली
5.	प्रेम नगर, पुलिस थाना	प्रेम नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश
6	कोतवाली पुलिस थाना	सिविल लाईन्स, बरेली, उत्तर प्रदेश
7.	महिला पुलिस थाना	रामपुर गार्डन, बरेली,
8.	इज्जतनगर, पुलिस थाना	मिनी बाईपास, राजीव गंज कॉलोनी, राजेन्द्र नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश
9.	कैंट, पुलिस थाना	21, सदर बाजार, सदर कॉलोनी, बरेली
10.	सी.बी. गंज, पुलिस थाना	राष्ट्रीय राजमार्ग–24, सी.बी. गंज, बरेली
11.	जी.आर.पी. पुलिस थाना	सिविल लाईन्स, बरेली, उत्तर प्रदेश
12.	बिहारीपुर, पुलिस थाना	राष्ट्रीय राजमार्ग–24, भूर, बरेली,
13.	किला, पुलिस चौकी	साहूकार, बरेली, उत्तर प्रदेश
14.	पुलिस चौकी बैरियर नं0–1 थाना, इज्जतनगर	एस.एच.–37, बजरंग कॉलोनी, इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश
15.	पुलिस चौकी	एच–24, मोहनपुर, बरेली
16.	पुलिस चौकी, डेलापीर	राष्ट्रीय राजमार्ग–74, डेलापीर, इज्जतनगर, बरेली

17.	पुलिस चौकी, बदायूं रोड	बरेली– बदायूं रोड, जागृति नगर, चन्द्रापुरम कॉलोनी, बरेली
18.	पुलिस चौकी, श्यामतगंज	गंगापुर, बरेली, उत्तर प्रदेश
19.	पुलिस चौकी, शाहबाद	शाहबाद, बरेली, उत्तर प्रदेश
20.	पुलिस चौकी	राष्ट्रीय राजमार्ग–74, छोटी विहार, बरेली
21.	पुलिस चौकी, नवादा	मुस्तफा मुंजिल ऐजाज नगर, बरेली
22.	गढ़ी, पुलिस चौकी	बी.बी.एल. स्कूल, गुलाब नगर, बरेली
23.	जगतपुर, पुलिस चौकी	एम.डी.आर. 149 डब्लू, जगतपुर, मुस्तफा मुंजिल ऐजाज नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश
24.	बाकरगंज, पुलिस चौकी	सिटी ईदगाह रोड, बाकरगंज, बरेली
25.	पुलिस चौकी, कंकड़ टोला	रोहिली टोला, पुराना नगर, बरेली
26.	बैरियर पुलिस चौकी	बैरियर नं0–2 पीलीभीत रोड, पीर बोहरा, बरेली, उत्तर प्रदेश
27.	पुलिस चेक पोस्ट, अयुब खान	राष्ट्रीय राजमार्ग–74, भटनागर कॉलोनी, सिविल लाईन्स, बरेली, उत्तर प्रदेश
28.	पी.ए.सी.	राष्ट्रीय राजमार्ग–24, मोहनपुर, बरेली
29.	अहिलादपुर पुलिस थाना	अहिलादपुर, उत्तर प्रदेश
30.	पुलिस चौकी, परसाखेड़ा	राष्ट्रीय राजमार्ग–24, परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र
31.	पुलिस चौकी	एस.एच.–33 उत्तर प्रदेश

स्त्रोतः पुलिस विभाग, बरेली

6.1.6 अग्निशमन केन्द्र

बरेली नगर में अग्निशमन सेवा के अन्तर्गत मात्र 1 अग्निशमन केन्द्र है, जो सिविल लाईन्स में स्थित है।

मानचित्र–5
बरेली नगर में पुलिस थाने

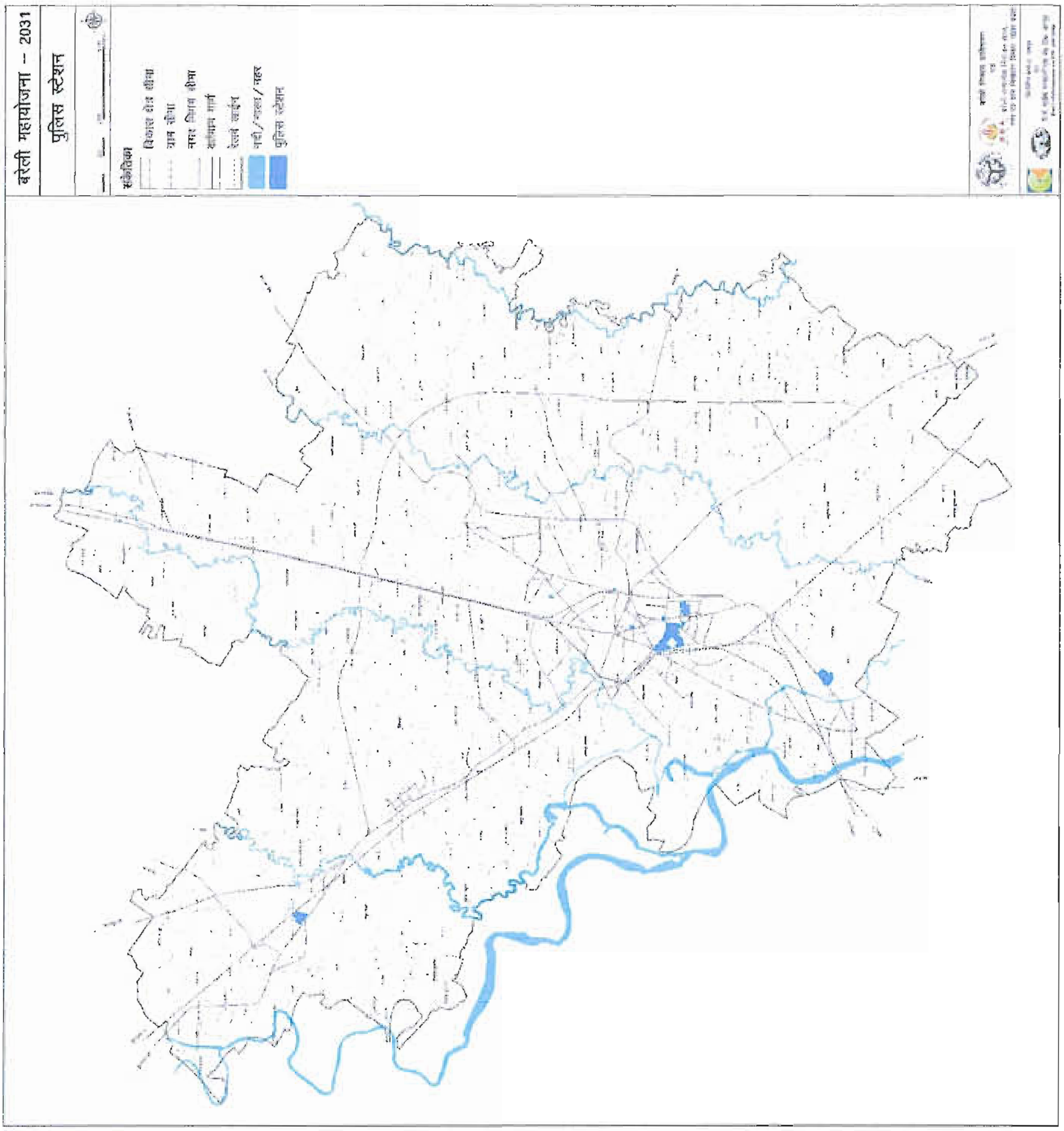

स्त्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार

मानचित्र–6
बरेली नगर में अग्निशमन केन्द्र

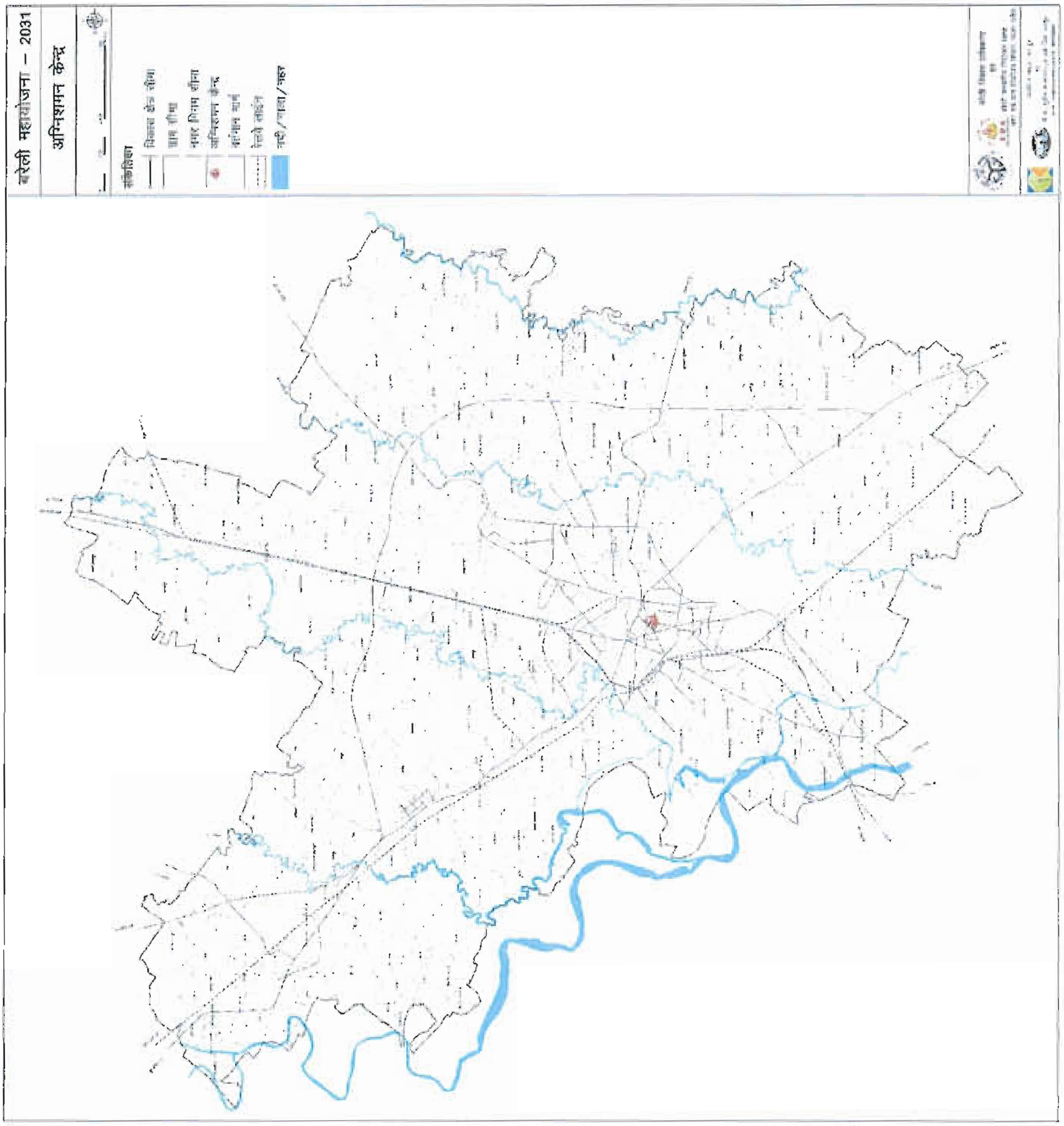

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार

6.1.7 डाकघर

नगर में मुख्य डाकघर सिविल लाईन्स के अतिरिक्त 24 अन्य पोस्ट ऑफिस नगर में उपलब्ध हैं इस प्रकार योजना क्षेत्र में कुल 25 डाकघर है।

मानचित्र–7
बरेली नगर में डाकघर

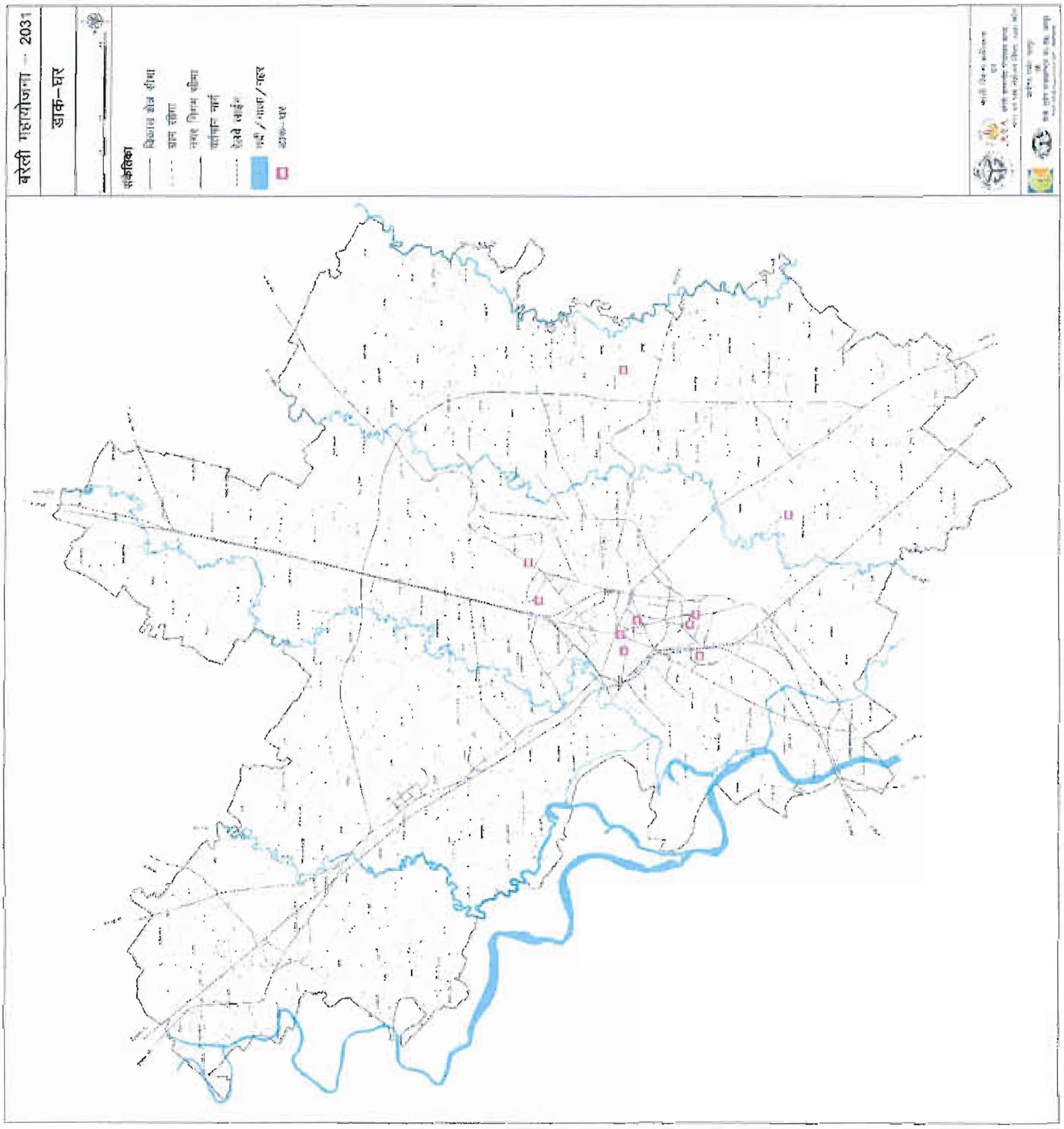

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार

6.1.8 धार्मिक स्थल

बरेली नगर में लगभग 36 प्रमुख मन्दिर, 20 मस्जिद, 4 गुरूद्वारा, 7 चर्च उपलब्ध है।

6.1.9 शवदाह केन्द्र एवं कब्रिस्तान

बरेली नगर में लगभग 7 शवदाह केन्द्र व 7 कब्रिस्तान स्थित है। शवदाह और कब्रिस्तान की सूची निम्नानुसार है:–

1. गुलाबी बारी श्मशान भूमि पीलीभीत बाईपास रोड, सिविल लाईन्स
2. श्मशान भूमि एस.एच.–37, करमपुर चौधरी, बरेली
3. जोहरपुर श्मशान भूमि, जोहरपुर, बरेली
4. श्मशान भूमि, बजरंग कॉलोनी, इज्जतनगर, बरेली
5. श्मशान भूमि, मुड़िया अहमद नगर
6. श्मशान घाट–2, सी.बी.गंज, बरेली
7. नगर श्मशान भूमि, मढ़ीनाथ, बरेली
8. पीर पीरबहौड़ा कब्रिस्तान, पीर बहोरा, सन सिटी विस्तार
9. टाकिया कब्रिस्तान, एन.एच.–74, मुड़िया अहमद नगर
10. पुराना कब्रिस्तान, मुस्तफा मुंजिल एजाज नगर
11. छोटी कर्बला कब्रिस्तान, एन.एच.–24, रजा नगर, स्वाले नगर
12. मुस्लिम कब्रिस्तान, श्रीनाथपुरम, बरेली
13. ईसाई कब्रिस्तान, नेहरू पार्क कॉलोनी, जनकपुरी
14. गोरों का कब्रिस्तान, सदर बाजार, कैंट, बरेली

6.1.10 जलापूर्ति

बरेली नगर में जलापूर्ति का मुख्य साधन भू–जल ही है। वर्तमान में 142 मिलियन लीटर प्रतिदिन जलापूर्ति नगर में की जा रही है। यह आपूर्ति नगर के 42 उच्च जलाशयों से की जा रही है जिसकी क्षमता 23.625 मिलियन लीटर है। यह आपूर्ति 84 नलकूपों से की जा रही है। इनमें से 68 नलकूपों से उच्च जलाशय से आपूर्ति की जाती है जबकि 16

नलकूप सीधे ही वितरण प्रणाली से जुड़े हुए हैं। यहाँ 126 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 164522 परिवारों के 87140 जल कनेक्शन उपलब्ध थे। इनमें से 156861 परिवारों के 85259 कनेक्शन घर के अन्दर तथा 6508 परिवारों के जलापूर्ति कनेक्शन 1525 घर के पास उपलब्ध थे। 1153 परिवारों को जलापूर्ति 356 सार्वजनिक नलों से आपूर्ति अधिक दूरी पर उपलब्ध थी।

बरेली नगर में 64 पम्पिंग स्टेशन हैं जिनके माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। नगर में जलापूर्ति जल निगम तथा नगर निगम के जलकल विभाग द्वारा संस्थाओं के माध्यम से की जा रही है। जलापूर्ति हेतु नगर को 4 जोन में बांटा गया है। क्रमशः सेन्टर सिटी जोन, सुभाष नगर जोन, नार्थ जोन, ट्रांस रेलवे जोन उक्त चारों जोन में 66398 (46.8 प्रतिशत) परिवारों को नलों द्वारा जल उपलब्ध हो रहा था जबकि 75192 (53.2 प्रतिशत) परिवारों को अन्य स्त्रोतों से जलापूर्ति की जा रही थी।

मानचित्र–8
बरेली नगर में जलापूर्ति

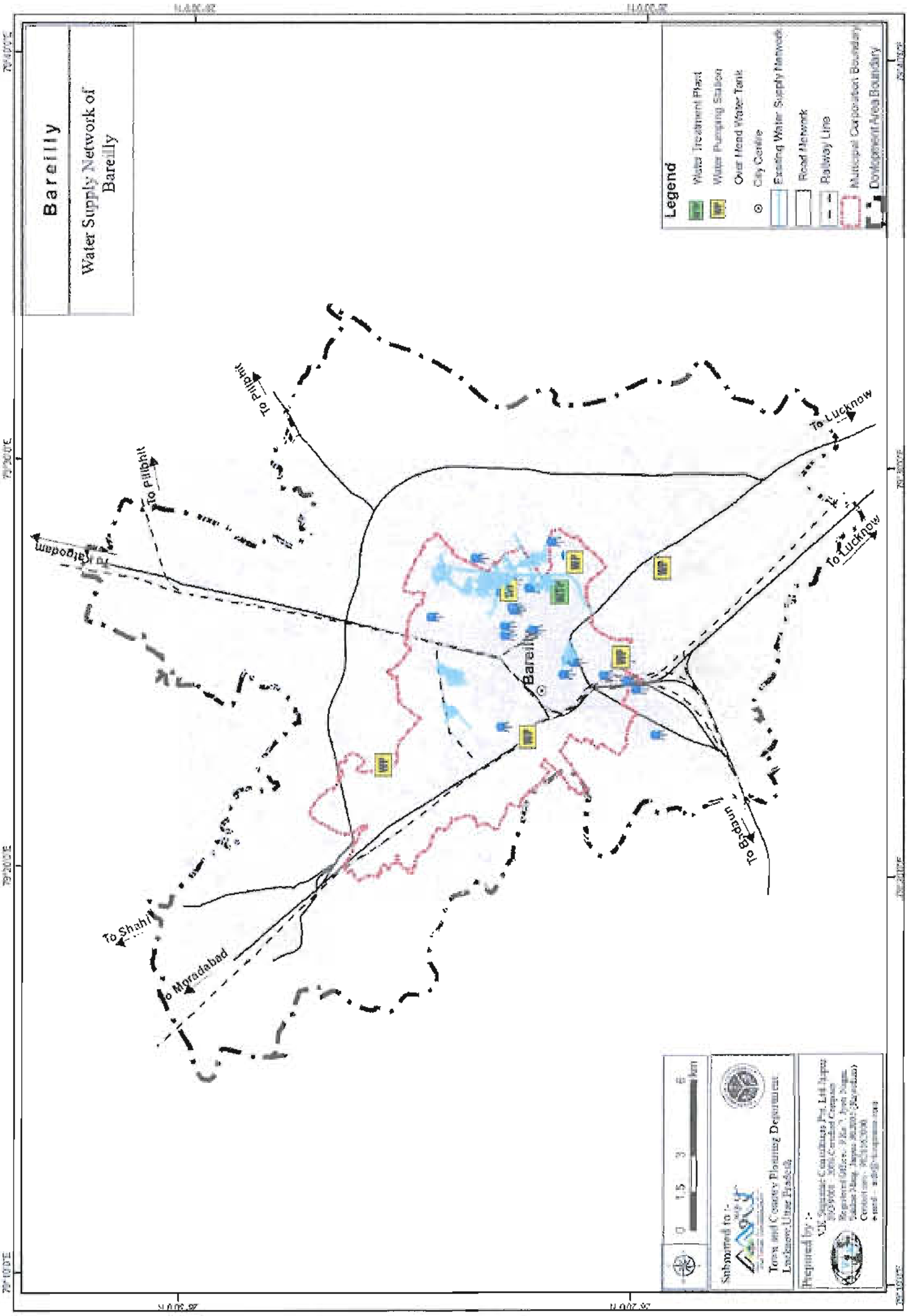

BDA

6.1.11 मल–जल निकास

किसी भी नगर में मल–जल की मात्रा उस नगर में जलापूर्ति पर निर्भर करती है जो कि सामान्यतः जलापूर्ति का 80 प्रतिशत भाग होता है। नगर में मल–जल निकास लाईन की लम्बाई 293.92 कि.मी. है इनमें से 210 कि.मी. सीवर लाईन जल निगम द्वारा तथा शेष कार्य, आवास विकास परिषद, बरेली विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम बरेली द्वारा सम्पादित की जाती है। जिसमें 45 कि.मी. मुख्य लाईन तथा उप लाईनों की लम्बाई 248.92 कि.मी. है तथा सीवर मेन होल चैम्बरों की संख्या 32500 है। यहां पर मल–जल निकासी की व्यवस्था वर्ष 1963–64 में आरम्भ की गयी थी। यह लाईन 35 वर्ष पूर्व डाली गयी थी। नगर में अभी तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। परन्तु मुख्य सीवर पम्पिंग स्टेशन के स्थान पर सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण प्रगति पर है। सीवरेज को सीधा ही तालाब या बरसाती नालों में बहा दिया जाता है जिसे बाद में लोग पम्प करके खेती के काम में लेते हैं। बरेली नगर में वर्ष 2016 में लगभग 164370 भवन में शौचालय उपलब्ध थे जिनमें से 153504 (84 प्रतिशत) भवनों में शौचालय की व्यवस्था थी तथा 67 प्रतिशत परिवारों के घरों में सैप्टिक टैंक उपलब्ध थे। अधिकतर लोग मल–जल को बरसाती नालों में बहा देते हैं जिससे रामगंगा नदी प्रदूषित हो रही है।

बरेली नगर में नगर निगम द्वारा विकसित आवासीय कॉलोनियों में 8500 परिवारों को सीवरेज लाईन उपलब्ध है जबकि सार्वजनिक आवासीय योजनाओं के तहत 2300 घरों को सीवरेज की सुविधा उपलब्ध है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित आवासीय योजना में 1000 लोगों को सीवरेज की सुविधा उपलब्ध हो रही है। इस प्रकार मात्र 11800 परिवारों को यह मल–जल निकासी की सुविधा उपलब्ध हो रही है।

6.1.12 वर्षा जल निकासी

वर्तमान में बरेली नगर में 2012 तक 388 कि.मी. वर्षा जल निकासी की सुविधा उपलब्ध थी। वर्तमान में बरेली नगर में 30 प्रतिशत क्षेत्र में ही वर्षा जल निकासी की सुविधा उपलब्ध है।

6.1.13 ठोस कचरा निष्पादन

ठोस कचरा निष्पादन के सम्बन्ध में स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत किये गये मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 2019 में बरेली नगर 72 वें स्थान पर आया था। 2011 के आंकड़ों के अनुसार बरेली नगर में 227 मैट्रिक टन कचरा प्रतिदिन निस्तारित किया जा रहा था। नगर में कचरा निस्तारण हेतु प्लांट नहीं लगाया गया है जिसके कारण 89 प्रतिशत कचरे को नगर के बाहर निस्तारित किया जाता था। 2018 के आंकड़ों के अनुसार 450 मैट्रिक टन ठोस कचरा प्रतिदिन पैदा हो रहा था जिसमें 164515 परिवारों का योगदान रहा है। नगर में हाल ही में दिसम्बर 2020 में घर–घर से कचरा संग्रहण की व्यवस्था चालू की गयी है जिसमें 62.96 प्रतिशत बायो डिग्रेडेबल, 32.2 प्रतिशत पुनःचक्रित कचरा, 0.3 प्रतिशत धातु, 0.6 प्रतिशत रबड़, 0.9 प्रतिशत शीशा तथा 3.13 प्रतिशत कागज था।

मानचित्र–9
बरेली नगर में वर्षा जल निकासी

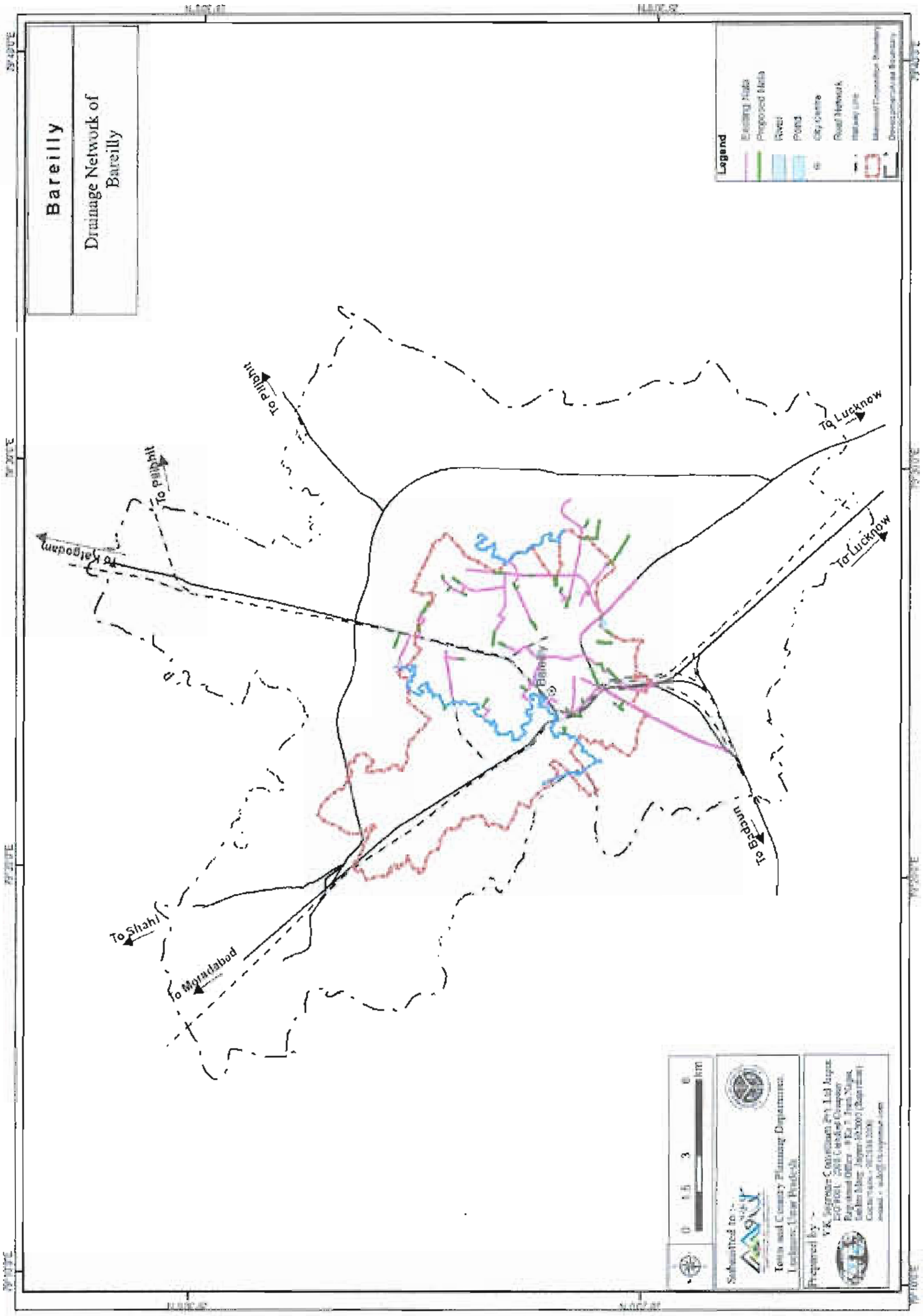

6.1.14 विद्युत आपूर्ति

बरेली में विद्युत आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं द्वारा यथा मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि., यू.पी. पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लि0 द्वारा की जा रही है। बरेली में 1.82 लाख बिजली के उपभोक्ता है जिसमें घरेलू, व्यवसायिक एवं राजकीय संस्थान सम्मिलित हैं। बरेली में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि0 से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। 30 करोड़ के नये प्राविधान में से 29 करोड़ रूपये नगर में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने में व्यय किये जायेंगे तथा 30 ट्रांसफॉरमर्स 220 के.वी.ए. क्षमता के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे।

मानचित्र–10
बरेली नगर में विद्युत आपूर्ति

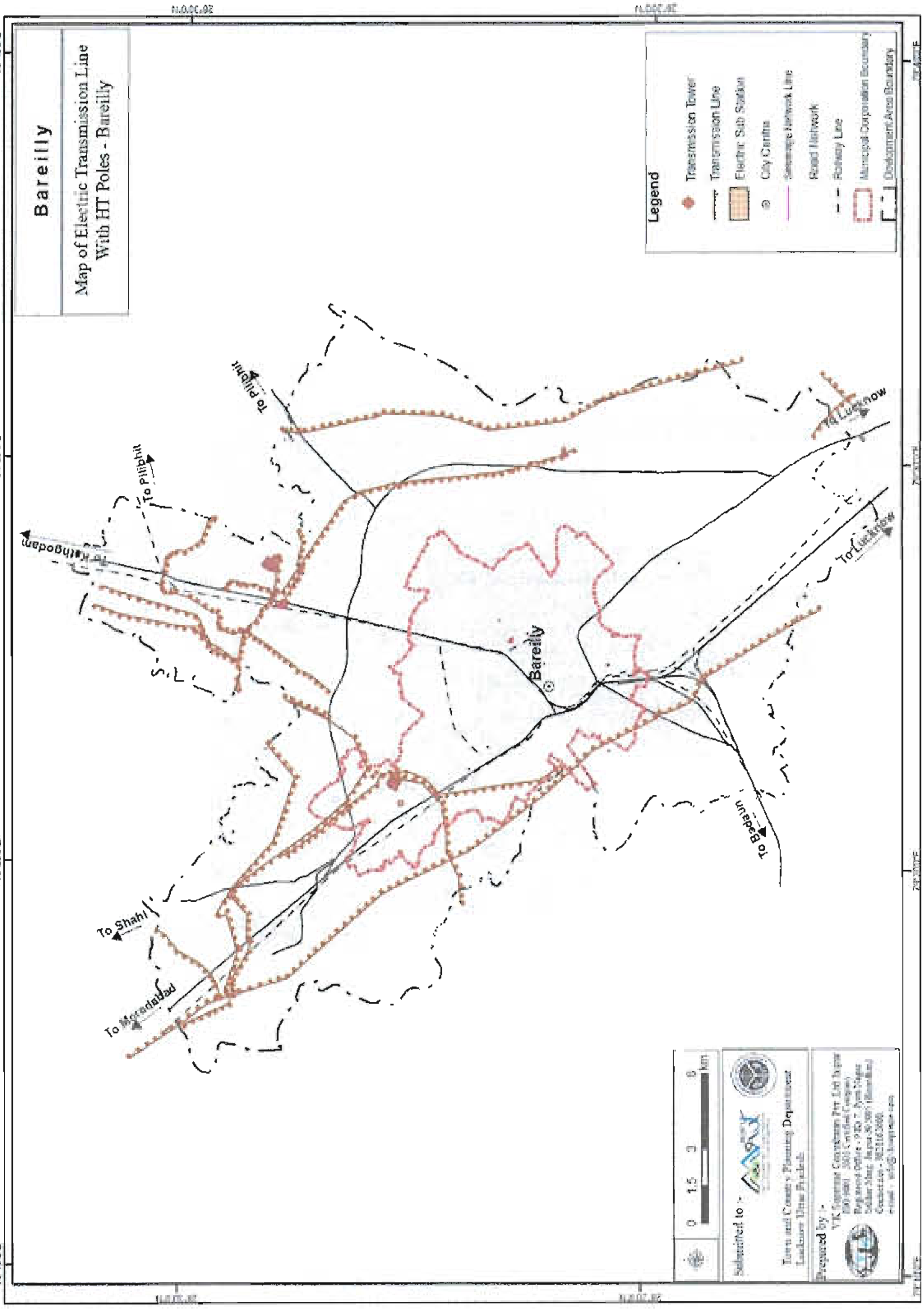

6.1.15 पार्क एवं खुले स्थल

मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिये मनोरंजन भी आवश्यक है। मनोरंजन को हम बाहरी व आन्तरिक गतिविधियों में बांट सकते हैं। मनुष्य मनोरंजन में क्रियात्मक एवं निष्क्रिय आनन्द का उपभोग करते हैं। बरेली नगर में 148 पार्क नगर निगम एवं बरेली विकास प्राधिकरण के हैं जिनका क्षेत्रफल (30.7 हेक्टेयर) है। बरेली नगर में 106 छोटे पार्क निजी विकासकर्ताओं के द्वारा विकसित किये जा रहे हैं जिनका क्षेत्रफल 13.7 हेक्टेयर है। इस प्रकार बरेली नगर में कुल 254 पार्क हैं जिनका क्षेत्रफल 44.6 हेक्टेयर है। इन उद्यानों का विस्तृत विवरण तालिका–14 में दर्शाया गया है।

बरेली कॉलेज, पुराने हॉकी मैदान/स्टेडियम तथा पुलिस लाईन परेड मैदान भी मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त बरेली क्लब लिमिटेड मिलिट्री तथा सिविलियन मेम्बर का मुख्य क्लब हैं। इसमें 18 हॉल का गोल्फ कोर्स भी है, इस क्लब में एक रेस्टोरेन्ट, फार्म हाउस, लाइब्रेरी एवं टेबिल टेनिस आदि खेलों का प्राविधान है। क्लब के कुल 2600 सदस्य हैं जिनमें से 1600 असैनिक सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर, बोटेनिकल पार्क, पर्यावरण पार्क व नगर में ऑडिटोरियम कम्यूनिटी हॉल, प्ले ग्राउण्ड, सार्वजनिक पुस्तकालय व वाचनालय हैं, जिनकी कुल संख्या 121 है। सिनेमा हॉल भी मनोरंजन गतिविधियों के लिये उपलब्ध है। एम्यूजमेंट पार्क की दृष्टि से यहां फन सिटी में एम्यूजमेंट पार्क पीलीभीत बाईपास रोड पर स्थित है जबकि फीनिक्स यूनाईटेड माल पीलीभीत बाईपास महानगर कॉलोनी में स्थित है। इसमें खुला स्थल आमोद–प्रमोद की गतिविधियों हेतु उपलब्ध है जिसमें 4 मीटर का झुमका स्टेच्यू भी है जो कि बच्चों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र है। बरेली नगर में इस प्रकार पार्क एवं खुले स्थल गतिविधियों के अन्तर्गत 357.92 हेक्टेयर (4.00 प्रतिशत) भूमि वर्ष 2021 में विकसित भूमि का भाग है।

6.1.16 यातायात एवं परिवहन

यातायात भू–उपयोग में नगर की समस्त सड़कें, बस स्टैण्ड, बस टर्मिनल, ट्रांसपोर्ट नगर, सार्वजनिक पार्किंग स्थल, रेलवे स्टेशन, रेलवे परिसर, रेलवे लाईन, धर्मकांटा, बस डिपो

व बस स्टॉप शामिल है। नगर में बस स्टैण्ड पीलीभीत बाईपास रोड पर स्थित है जिसे सेटेलाईट बस स्टैण्ड के नाम से भी जाना जाता है। नगर में एक ट्रांसपोर्ट नगर भी है जो भिनडोलिया के पास स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 24.37 हेक्टेयर है। बस स्टैण्ड के अतिरिक्त बस से उतरने व चढ़ने के लिये 24 बस स्टाप निश्चित हैं। नगर में से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग–30, 530 व 730 जो क्रमशः (दिल्ली–मुम्बई–लखनऊ), (हरिद्वार–मथुरा–पीलीभीत), (पीलीभीत–बरेली–पूरनपुर)। उत्तर–पूर्व रेलवे जोन का बरेली रेलवे स्टेशन एक मुख्य जंक्शन है। यहां से भारत के प्रत्येक नगर के लिये रेलवे लाईनों की सुविधा उपलब्ध है। बरेली के अतिरिक्त यहां 5 अन्य रेलवे स्टेशन क्रमशः सी.बी. गंज स्टेशन, चनहेटी स्टेशन, सी.टी. स्टेशन, इज्जतनगर स्टेशन व भोजीपुरा स्टेशन हैं।

यातायात भू–उपयोग के अन्तर्गत 1105.49 हेक्टेयर भूमि आती है जो कि कुल विकसित नगरीयकृत क्षेत्र का 12.36 प्रतिशत है।

मानचित्र–11

बरेली नगर में यातायात सेवा

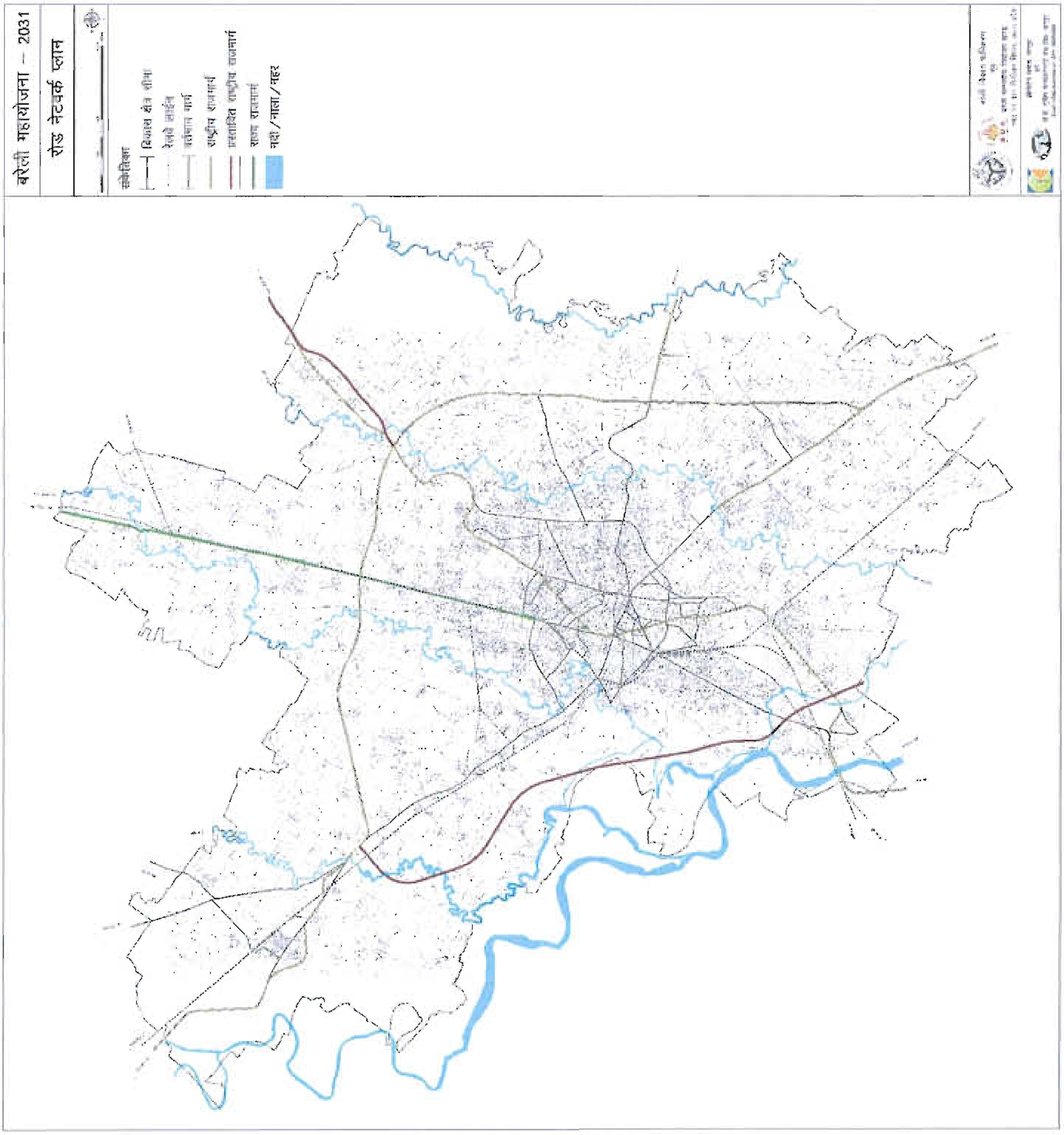

6.1.17 अन्य

बरेली विकास क्षेत्र के वर्तमान भू–उपयोग तालिका–20 से विदित होता है कि अन्य भू–उपयोगों के अन्तर्गत जल संसाधनों का क्षेत्रफल 468.5 हेक्टेयर है तथा कृषि उपयोग हेतु 28348.52 हेक्टेयर भूमि आरक्षित है।

6.2 महायोजना–2021 से विचलन की स्थिति

बरेली के प्रस्तावित भू–उपयोगों के विपरीत पिछले कई वर्षों में विकास/निर्माण हुआ। महायोजना–2021 में कुल विकास योग्य भूमि 20563.82 हे0 के विरूद्व अनाधिकृत विकास हुआ है जिसका विवरण विस्तृत रूप से तालिका–24 में दर्शाया गया है:–

तालिका–26 से स्पष्ट है कि महायोजना–2021 में प्रस्तावित कुल 20563.82 हेक्टेयर भूमि में से 8941.97 हेक्टेयर क्षेत्र ही महायोजना के प्रस्तावों के अनुरूप विकसित है जबकि 605.95 हेक्टेयरक्षेत्र प्रस्तावित भू–उपयोगों के विरूद्ध विकसित हुए हैं व हो रहे हैं। इस प्रकार महायोजना–2021 में कुल 9547.92 हेक्टेयर ही विकसित हुआ है। महायोजना–2021 में प्रस्तावित आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत 110.76 हेक्टेयर क्षेत्र अन्य भू–उपयोगों के अन्तर्गत रूप से विकसित हुआ है। इसी प्रकार प्रस्तावित व्यवसायिक, औद्योगिक भू–उपयोग के अन्तर्गत क्रमशः 72.01 तथा 7.04 हेक्टेयर क्षेत्र अन्य भू–उपयोगों के अन्तर्गत अनाधिकृत रूप से विकसित हुआ है। महायोजना में प्रस्तावित राजकीय कार्यालय, पार्क एवं खुले स्थल, यातायात, सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक तथा अन्य भू–उपयोगों के अन्तर्गत क्रमशः 5.77, 362.46, 2.74, 26.23 तथा 18.94 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास अन्य भू–उपयोगों के अन्तर्गत अनाधिकृत रूप से हुआ है।

6.2.1 महायोजना भू–उपयोग विचलन

महायोजना–2021 एवं वर्तमान विकास का तुलनात्मक विवरण तालिका–24 में अंकित है। जिसके अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान महायोजना–2021 में कुल 20563.82 हेक्टेयर भूमि के प्रस्ताव विभिन्न भू–उपयोगों के अन्तर्गत किये गये थे जिसमें कुल 9547.92 हेक्टेयर क्षेत्र ही विकसित हो सका है। कुल विकसित 9547.92 हेक्टेयर क्षेत्र में से

8941.97 हेक्टेयर क्षेत्र महायोजना प्रस्तावों के अनुरूप विकसित हुआ जबकि 605.95 हेक्टेयर क्षेत्र महायोजना प्रस्तावों के विपरीत विकसित हुआ है। वर्तमान महायोजना–2021 में प्रस्तावित 20563.82 हेक्टेयर क्षेत्र में से 11015.90 हेक्टेयर क्षेत्र रिक्त है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 53.56 प्रतिशत है।

तालिका–24

बरेली महायोजना–2021 के प्रस्तावों के विपरीत हुआ अनाधिकृत विकास

महायोजना–2021		महायोजना–2021 के प्रस्तावित क्षेत्र में विकसित हुये विभिन्न भू–उपयोग क्षेत्रफल (हिक्टेयर)								महायोजना प्रस्तावों के अनुसार हुआ विकास		प्रस्तावित भू–उपयोग के विपरीत विकसित कुल क्षेत्रफल	विकसित भूमि का कुल योग	रिक्त भूमि
भू–उपयोग	महायोजना–2021 में प्रस्तावित भू–उपयोग (जी.आई.एस. के अनुसार)	आवासीय	व्यवसायिक	औद्योगिक	कार्यालय	पार्क एवं खुले स्थल	सार्वजनिक/अर्द्ध–सार्वजनिक	यातायात एवं परिवहन	अन्य (कैटल कॉलोनी, सीवरेज फार्म, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, अपरिभाषित क्षेत्र)	क्षेत्रफल	प्रतिशत			
आवासीय	8129.88	5216.24	93.58	17.18						5216.24	58.33	110.76	5327.00	2802.88
व्यवसायिक	905.97	72.01	240.52							240.52	2.69	72.01	312.53	593.44
औद्योगिक	1170.86	7.04		655.06						655.06	7.33	7.04	662.1	508.76
कार्यालय	360	5.77			265.38					265.38	2.97	5.77	271.15	88.85
सार्वजनिक/अर्द्ध–सार्वजनिक	1358.96			26.23		632.86				632.86	7.08	26.23	659.09	699.87
पार्क एवं खुले स्थल	4979.14	346.3	14			2.16	357.92			357.92	4.00	362.46	720.38	4258.76
यातायात	1885.35	2.74						1105.49		1105.49	12.36	2.74	1108.23	777.12
अन्य (कैटल कॉलोनी, सीवरेज फार्म, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, अपरिभाषित क्षेत्र)	1773.66	9.19		9.75					468.5	468.5	5.24	18.94	487.44	1286.22
महायोग	**20563.82**	**5659.29**	**348.1**	**708.22**	**265.38**	**635.02**	**357.92**	**1105.49**	**468.5**	**8941.97**		**605.95**	**9547.92**	**11015.9**

स्रोत: जी.आई.एस विश्लेषण के अनुसार

6.3 बरेली महायोजना–2021 का मूल्यांकन/तुलनात्मक अध्ययन

बरेली महायोजना–2021 में अनुमानित जनसंख्या 14.21 लाख हेतु 16721.83 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी जिसका विवरण नीचे तालिका–25 में दिया गया है। बरेली महायोजना–2021 जो 14 जनवरी 2010 से प्रभावी है जिसका कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 16721.83 हेक्टेयर है।

तालिका–25
बरेली महायोजना–2021 में प्रस्तावित भू–उपयोग

क्र.सं	महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग	महायोजना 2021 में प्रस्तावित भू–उपयोग	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आवासीय (निर्मित क्षेत्र + आवासीय)	6900.15	41.27
2	व्यवसायिक	911.2	5.45
3	औद्योगिक	1057.42	6.32
4	कार्यालय	279.39	1.67
5	सामुदायिक सुविधायें, सेवायें एवं उपयोगितायें	1257.2	7.52
6	यातायात	1782.65	10.66
7	पार्क एवं खुले स्थल	3675.87	21.98
8	अन्य	857.95	5.13
	योग	**16721.83**	**100**

वस्तुतः जी.आई.एस. तकनीक से क्षेत्रफल की गणना करने पर बरेली महायोजना–2021 का कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 20563.82 हेक्टेयर होता है, जिसका भू–उपयोग वार विस्तृत विवरण तालिका–26 में दिया गया है।

तालिका–26

बरेली महायोजना–2021 में प्रस्तावित भू–उपयोग जी.आई.एस. के अनुसार

क्र.सं	महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग	महायोजना 2021 में प्रस्तावित भू–उपयोग	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आवासीय (निर्मित क्षेत्र + आवासीय)	8129.88	39.53
2	व्यवसायिक	905.97	4.41
3	औद्योगिक	1170.86	5.69
4	कार्यालय	360.00	1.75
5	सामुदायिक सुविधायें, सेवायें एवं उपयोगितायें	1358.96	6.61
6	यातायात	1885.35	9.17
7	पार्क एवं खुले स्थल	4979.14	24.21
8	अन्य	1773.66	8.63
	योग	**20563.82**	**100**

6.3.1 आवासीय

बरेली महायोजना–2021 में आवासीय उपयोग हेतु भूमि का जी.आई.एस. तकनीक के अनुसार कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 8129.88 हेक्टेयर है, जिसमें निर्मित क्षेत्र भी शामिल है। वर्ष 2021 तक बरेली में आवासीय प्रयोजनार्थ 5216.24 हेक्टेयर भूमि विकसित हो चुकी है, जो कुल आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि (8129.88 हेक्टे0) का 64.16 प्रतिशत है। इसका तात्पर्य यह है कि आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से अभी भी 35.84 प्रतिशत आरक्षित भूमि रिक्त है। ये भूमि अधिकतर बरेली शहर के उत्तर–पश्चिम में मिनी बाईपास से मुरादाबाद एवं काठगोदाम को जाने वाली रेलवे लाईन के मध्य, तथा बदायूँ को जाने वाली रेलवे लाईन एवं बड़े बाईपास के पश्चात् लखनऊ, पीलीभीत वाले मार्गों के क्षेत्र में स्थित है। जिसका विवरण तालिका–27 में दिया गया है।

6.3.2 व्यवसायिक

बरेली महायोजना--2021 में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ 905.97 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जिसमें से आधे से भी कम क्षेत्रफल अर्थात 240.52 हेक्टेयर भूमि पर ही व्यवसायिक गतिविधियों का विकास हो पाया है जिसका कुल 26.55 प्रतिशत रहा है। जिसका विवरण तालिका–26 में दिया गया है। व्यवसायिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित भूमि में से अभी भी 73.45 प्रतिशत भूमि रिक्त है। यह व्यवसायिक केंद्र मुख्य रूप से ग्राम परधौली के आस–पास के क्षेत्र में, बड़े बाईपास से काठगोदाम को जाने वाले मार्ग के दोनों और, ग्राम सैदपुर चुन्नीलाल के दोनों तरफ, ग्राम रिठौरा के दक्षिण में पीलीभीत मार्ग के बांयी और तथा शाहजहांपुर रोड पर ग्राम नरियावल के दक्षिण में महायोजना–2021 में प्रस्तावित व्यवसायिक केंद्र जो कि विकसित नहीं हो पाए हैं।

6.3.3 औद्योगिक

बरेली महायोजना–2021 में औद्योगिक प्रयोजनार्थ 1170.86 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जिसमें से 655.06 हेक्टेयर भूमि ही विकसित हुई है। औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित भूमि में से 515.80 हेक्टेयर भूमि अभी भी अविकसित है। ये भूमि मुख्यतः रामपुर बाईपास पर स्थित ग्राम जौहरपुर एवं मथुरापुर के उत्तर के क्षेत्र में तथा काठगोदाम को जाने वाले मार्ग पर स्थित ग्राम पीपलसाना चौधरी के पीछे के क्षेत्र में है। जिसका उल्लेख तालिका–27 में दिया गया है।

6.3.4 कार्यालय

महायोजना–2021 में कार्यालय उपयोग हेतु 360.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जिसमें से, वर्ष 2020–21 तक, 265.38 हेक्टेयर भूमि कार्यालय प्रयोजनार्थ विकसित हो पायी है। वर्तमान में 94.62 हेक्टेयर भूमि अभी भी कार्यालय प्रयोजनार्थ अविकसित है। जिसका उल्लेख तालिका–27 में दिया गया है।

6.3.5 सामुदायिक सुविधायें, सेवायें एवं उपयोगितायें

महायोजना–2021 में सामुदायिक सुविधायें, सेवायें एवं उपयोगितायें उपयोग हेतु 1358.96 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, इन सुविधाओं, सेवाओं एवं उपयोगिताओं में शैक्षणिक संस्थायें, चिकित्सालय, अन्य सुविधायें एवं सेवायें, विद्युत उपकेन्द्र, सीवरेज फार्म/ट्रीटमेन्ट प्लांट, ठोस अपशिष्ट निस्तारण केन्द्र आदि हेतु प्रस्तावित भूमि सम्मिलित है, जिसमें से मात्र 632.86 हेक्टेयर (46.57 प्रतिशत) भूमि ही विकसित हो पायी है। शेष 53.43 प्रतिशत भूमि अभी भी अविकसित है। ग्राम टियुलिया में झुमका तिराहा के समीप बड़े बाईपास के दांयी ओर के क्षेत्र में, ग्राम विवियापुर चौधरी एवं ग्राम कुम्हरा के दक्षिण में तथा शाहजहांपुर रोड पर संचालित इनवर्टिस के पीछे के क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि उक्त प्रयोजनार्थ विकसित नहीं हो पायी है, जिसका उल्लेख तालिका–27 में दिया गया है।

6.3.6 यातायात

बरेली महायोजना–2021 में शहर में यातायात को सुगम एवं सुदृढ़ बनाने हेतु विभिन्न स्तर की सड़कें प्रस्तावित की गई है जिनके अन्तर्गत 1885.35 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है। उक्त भूमि में से 1105.49 हेक्टेयर भूमि पर ही यातायात एवं सम्बन्धित सुविधाओं का विकास हो सका है। महायोजना–2021 में अधिकतर प्रस्तावित नयी सड़कों का निर्माण नहीं हो सका है तथा प्रस्तावित बस टर्मिनल, ट्रान्सपोर्ट नगर अविकसित है जिसका उल्लेख तालिका–27 में दिया गया है।

6.3.7 पार्क एवं खुले स्थल

बरेली महायोजना–2021 में पार्क खुले एवं क्रीड़ा स्थल तथा हरित पट्टी के अन्तर्गत 4979.14 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण एवं मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराना है, परन्तु इनका विकास आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं होने के कारण सरकारी एवं निजी संस्थाओं द्वारा सहज रूप इस प्रयोजन हेतु विकास नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के संदर्भ में मात्र 357.92 हेक्टेयर भूमि का ही विकास हो सका है, जो कुल प्रस्तावित भूमि का 7.19 प्रतिशत है। वर्तमान में

पार्क एवं खुले स्थलों हेतु प्रस्तावित 4979.14 हेक्टेयर भूमि में से 4621.22 हेक्टेयर भूमि (92.81 प्रतिशत) अभी भी अविकसित है। जिसका अंकन तालिका–27 में दिया गया है।

6.3.8 अन्य

बरेली महायोजना–2021 में अन्य भू–उपयोग के अंतर्गत निषिद्ध क्षेत्र, प्रदर्शनी स्थल, ठोस उपादिष्ट केन्द्र, कैटिल कॉलोनी, बाग बगीचे, सीवरेज फार्म, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र सम्मिलित है जिसका कुल क्षेत्रफल 468.50 हेक्टेयर अंकित किया गया है। महायोजना–2021 के मानचित्र में दर्शित अन्य भू–उपयोग का कुल क्षेत्रफल जी.आई.एस. तकनीक से आंकलन करने पर 1773.66 हेक्टेयर आंकलित होता है।

तालिका–27
बरेली महायोजना–2021 के सापेक्ष हुये विकास

क्र.सं	महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग	महायोजना 2021 में प्रस्तावित भू–उपयोग	वर्ष 2021 तक विकसित क्षेत्र (हेक्टे0)	महायोजना–2021 में प्रस्तावित भू–उपयोग का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आवासीय (निर्मित क्षेत्र + आवासीय)	8129.88	5216.24	64.16
2	व्यवसायिक	905.97	240.52	26.55
3	औद्योगिक	1170.86	655.06	55.95
4	कार्यालय	360.00	265.38	73.72
5	सामुदायिक सुविधायें, सेवायें एवं उपयोगितायें	1358.96	632.86	46.57
6	यातायात	1885.35	1105.49	58.64
7	पार्क एवं खुले स्थल	4979.14	357.92	7.19
8	अन्य	1773.66	468.5	26.41
	योग	**20563.82**	**8941.97**	**43.48**

बरेली महायोजना–2021 में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 20563.82 हेक्टेयर है जबकि मौके पर 8941.97 हेक्टेयर (43.48 प्रतिशत) भूमि पर ही विकास

हो पाया है। महायोजना–2021 के प्रस्तावों के संदर्भ में 56.52 प्रतिशत भूमि अभी भी अविकसित है।

6.3.9 शासन द्वारा महायोजना–2021 में किये गये भू–उपयोग परिवर्तन

शासन द्वारा महायोजना–2021 में कुल 10.44 हेक्टेयर भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से 7.14 हेक्टेयर भूमि कृषि से मेडिकल कॉलेज भू–उपयोग में परिवर्तित की गयी है, 0.79 व 0.08 हेक्टेयर भूमि हरित पट्टिका से कार्यालय, भू–उपयोग परिवर्तित की गयी है, 2.28 हेक्टेयर आवासीय से सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें भू–उपयोग में परिवर्तित की गयी है। 0.15 हेक्टेयर भूमि हरित पट्टिका, कृषि से सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें भू–उपयोग में परिवर्तित की गयी है, जिसको तालिका–28 में दर्शाया गया है।

तालिका–28
शासन द्वारा महायोजना–2021 में किये गये भू–उपयोग परिवर्तन

क्र. सं	स्थल का नाम	क्षेत्रफल (है0)	महायोजनानुसार प्रस्तावित भू–उपयोग	परिवर्तित भू–उपयोग	शासनादेश का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सतुईया खास, मकरन्दुर ठाकुरान	7.14	कृषि	मेडिकल कॉलेज	शासनादेश संख्या–270(1)/8–3–14–53 एल0यू0सी0/13, लखनऊ, 04 मार्च 2014
2	टियूलिया	0.79	हरित पट्टिका	कार्यालय	शासनादेश संख्या–395/8–2020–11 एल0यू0सी0/2019, लखनऊ, 12 फरवरी 2020
		0.08	हरित पट्टिका	कार्यालय	
3	हजियापुर	2.28	आवासीय	सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें	शासनादेश संख्या–2219/8–8–2021–09 एल0यू0सी0/2021, लखनऊ, 18 अक्टूबर 2021
4	भोजीपुरा	0.15	हरित पट्टिका, कृषि	सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें	शासनादेश संख्या–1269/8–18–25 एल0यू0सी0/2016, लखनऊ, 27 अगस्त 2018
	योग	10.44			

अध्याय–7
नियोजन की समस्यायें

7.1 नगर के वाणिज्यिक केन्द्रों की समस्यायें

बरेली नगर स्थानीय तथा मण्डल के अन्य नगरों के लिये भी मुख्य व्यवसायिक केन्द्र है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर विद्यमान होने के कारण नगर का समीपवर्ती क्षेत्रों से त्वरित सम्पर्क स्थापित है जिसके कारण नगर में व्यवसायिक क्रियाओं का तीव्र गति से विकास हुआ है। नगर में व्यवसायिक दुकानों का निर्माण अधिकांशतः प्रमुख मार्गों के किनारे पर मुख्यतः पट्टिका के रूप में हुआ है। अधिकांश दुकानें नगर के घनी आबादी वाले मोहल्लों में स्थित हैं जहाँ पर मार्ग आवश्यकता की दृष्टि से अत्यधिक संकरे होने के कारण यातायात अवरोध की समस्या बनी रहती है। व्यवसायिक क्षेत्रों में वाहनों की पार्किंग हेतु स्थलों के अभाव के कारण वाहन प्रायः मार्गों पर ही खड़े रहते हैं। सारांशतः नगर के मुख्य वाणिज्यिक केन्द्रों की समस्यायें निम्नवत् हैं :–

1. थोक व फुटकर व्यापारिक केन्द्र नगर में मिश्रित रूप से घनी आबादी के क्षेत्रों में विद्यमान हैं, जिसके कारण इन स्थलों तक सामान लाने–ले जाने में काफी कठिनाई होती है।
2. मुख्य मार्गों के किनारे विद्यमान व्यापारिक दुकानों के सामने पार्किंग स्थलों का पूर्णतया अभाव है, जिसके कारण सामान चढ़ाने–उतारने का कार्य प्रायः मार्गाधिकार में किया जाता है जो यातायात अवरोध की समस्या उत्पन्न करता है।
3. व्यवसायिक भूमि का मूल्य अधिक होने के कारण नये व्यवसायिक केन्द्रों का विकास नहीं हो पा रहा है, जिससे पुराने व्यवसायिक केन्द्रों पर दबाव बढ़ने के कारण इन क्षेत्रों में भीड़–भाड़, यातायात अवरोध तथा कोलाहल की स्थिति बनी रहती है।
4. नगर में विद्यमान अधिकतर दुकानों के आकार अत्यधिक कम हैं तथा नियोजित व्यवसायिक केन्द्रों का अभाव है।

7.2 औद्योगिक समस्यायें

1. अधिकांश औद्योगिक इकाईयों पुराने बसे आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों के अन्तर्गत स्थित है जहाँ स्थान की कमी है, परिणामस्वरूप नगरीय मार्गों पर भीड़—भाड़ तथा धुएँ के कारण आस—पास का वातावरण प्रदूषित होता है।
2. नगर में विद्यमान औद्योगिक इकाईयों से निकलने वाले दूषित जल को नदी—नाले में बिना शोधित किये ही प्रवाहित किया जाता है। सामान्य सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ कि नगर में विद्यमान रामगंगा एवं अन्य नदी—नाले का जल औद्योगिक असंगठित क्षेत्र के आर्टीजन उद्योगों सहित व्यवसायिक तथा आवासीय इकाईयाँ आदि के निस्तारित तरल अपशिष्ट से प्रदूषित है।

7.3 राजकीय/अर्द्ध—राजकीय कार्यालय से सम्बन्धित समस्यायें

1. नगर में क्रमबद्ध व नियोजित रूप से कार्यालयों का विकास नहीं हुआ है, अधिकतर कार्यालय नगर की तंग सड़कों में विद्यमान हैं जिसके कारण जनता को आवागमन सम्बन्धी असुविधा होती है।
2. नगर में विद्यमान नगर निगम कार्यालय तथा जेल मुख्य रूप से घनी आबादी में विद्यमान हैं, जिसके कारण आस—पास के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को यातायात सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
3. नगर में कुछ सरकारी/अर्द्ध—सरकारी कार्यालय किराये के आवासीय भवनों में विद्यमान हैं जिसके कारण आवासीय भवनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।
4. नगर में विद्यमान पुराने कार्यालयों के भवनों की स्थिति जीर्ण—शीर्ण होने के साथ—साथ इनमें कैन्टीन, शौचालय तथा पार्किंग आदि की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है।
5. नगर में विद्यमान अधिकतर कार्यालयों के कर्मचारियों को सरकारी आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण इन कर्मचारियों को प्रायः किराये के भवनों में ही रहना पड़ता है।

अध्याय–8
महायोजना की अवधारणा एवं उद्देश्य

8.1 दृष्टि

महायोजना एक आदर्श दस्तावेज है तथा इसका मुख्य लक्ष्य जनसाधारण की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जीवन स्तर को सुगम, सरल एवं पर्यावरण अनुकूल बनाना है। उक्त दस्तावेजों का मुख्य उद्देश्य भौतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित विकास को दिशा प्रदान करना है। महायोजना में दिये गये प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु सार्वजनिक–अर्द्धसार्वजनिक एवं जन सुविधाओं यथा जलापूर्ति, मल–जलनिकासी, वर्षा जल निकास, विद्युत आपूर्ति, शैक्षणिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं व अन्य सामुदायिक सुविधाओं एवं यातायात व्यवस्था का आंकलन कर प्रक्षेपित जनसंख्या के अनुसार नगर नियोजन के मानदण्डों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करना है तथा जन सामान्य के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

8.2 उद्देश्य

1. बरेली विकास क्षेत्र में नगरीय सीमा के अन्तर्गत प्रक्षेपित जनसंख्या के अनुरूप विभिन्न भू–उपयोगों के लिये नगर नियोजन के मानदण्डों के अनुसार भावी/भौतिक विकास को निश्चित स्वरूप प्रदान करने हेतु विभिन्न उपयोगों के युक्ति संगत प्रस्ताव तैयार करना है।
2. वर्तमान में शहर में हो रहे अनियोजित एवं अनियंत्रित विकास को नियोजित कर भावी विकास हेतु दिशा प्रदान करना।
3. जनसंख्या घनत्व के आधार पर नगर के विभिन्न क्षेत्रों को समुचित रूप से समायोजित करना।
4. नगर में समुचित विकास हेतु विभिन्न आय वर्गों के लिये आवासीय व अन्य उपयोगों तथा सामुदायिक सुविधाओं, उपयोगिताओं एवं सेवाओं का प्राविधान करना।

5. नगर में सुगम व सुचारू यातायात एवं परिवहन व्यवस्था के प्राविधान तथा औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों की स्थापना कर नगर के आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक ढांचे के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करना।

6. नगर में मनोरंजनात्मक क्रियाओं यथा पार्क एवं खुले स्थलों का प्राविधान करना तथा संतुलित पर्यावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवश्यक प्रस्ताव तैयार करना।

7. वर्तमान में प्राचीन, धार्मिक, सांस्कृतिक व पुरातात्विक स्थलों को सुरक्षित व संरक्षित करना।

8. केन्द्रीय एवं राज्य की नीतियों को समायोजित करते हुए उन्हें प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रस्ताव तैयार करना।

9. नगर के विकास एवं विस्तार हेतु उपयुक्त स्थलों पर औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्रियाओं को विकसित करने हेतु आवश्यक एवं उपयुक्त स्थलों पर इस प्रकार प्रस्तावित करना है कि नगर के आर्थिक आधार को सुदृढ़ किया जा सके।

10. सामुदायिक सुविधाओं, सेवाओं एवं उपयोगिताओं की कमी को दूर करके भावी जनसंख्या हेतु आवश्यक सुविधाओं, सेवाओं एवं उपयोगिताओं हेतु उपयुक्त भूमि का इस प्रकार प्राविधान करना है कि नगर के हर क्षेत्र के नागरिकों को इन उपलब्ध सेवाओं का लाभ मिल सके।

11. नगर के वर्तमान एवं भावी यातायात के सुगम प्रवाह हेतु प्रभावशाली मार्ग संरचना प्रदान करते हुए विविध यातायात सेवाओं को उपयुक्त स्थलों पर इस प्रकार प्रस्तावित करना है जिसमें कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के नगर में आने व जाने, यात्रियों व स्थानीय नागरिकों के आवागमन एवं स्थानीय स्तर पर माल की ढुलाई के प्रवाह हेतु आवश्यक मार्गाधिकार प्रस्तावित करने एवं अन्य पूरक सुविधायें सरलता से उपलब्ध हो सकें।

12. कृषि भूमि के अन्य अव्यवस्थित भू–उपयोगों में अनावश्यक परिवर्तन की प्रवृत्ति पर रोक लगाना जिससे अधिकाधिक उपजाऊ भूमि नगरीकरण में नष्ट न हो।

13. नगर के वाह्य एवं परिधीय क्षेत्रों में अनियोजित एवं अनियंत्रित विकास को नियंत्रित कर सुनियोजित विकास हेतु दिशा प्रदान करना।

14. नगर एवं इसके आस पास के क्षेत्र में विकास एवं विस्तार हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना ताकि प्राधिकरण, सरकारी/गैर सरकारी संगठन एवं जनसामान्य द्वारा महायोजना का उपयोग किया जा सके।

अध्याय–9
आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रक्षेपण

9.1 जनसंख्या प्रक्षेपण

किसी भी महायोजना के प्रस्ताव नगर विशेष की प्रक्षेपित जनसंख्या को आधार मान कर किये जाते हैं। किसी भी नगर के पिछले दशकों की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तथा नगर की वर्तमान जनसंख्या, अस्थायी जनसंख्या को भी ध्यान में रखते हुए जनसंख्या प्रक्षेपण की विभिन्न विधियों को ध्यान में रख कर आंकलन किया जाता है। जनसंख्या प्रक्षेपण की विभिन्न विधियाँ यथा अंकगणित वृद्धि पद्धति, ज्यामितीय वृद्धि पद्धति, वृद्धिशील वृद्धि पद्धति, ज्यामितीय एक्स्ट्रापोलेशन पद्धति तथा द्वितीय परिमाण अनुकृत, (Second Degree Parabola) पद्धति मुख्य हैं। वर्ष 2011 में विकास क्षेत्र में बरेली नगर पालिका परिषद क्षेत्र के साथ आस–पास के 92 राजस्व ग्राम भी सम्मिलित हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बरेली नगर की जनसंख्या 904797 थी। पिछले दशक से लेकर वर्ष 2011 तक बरेली नगर की औसत वृद्धि दर 20.90 प्रतिशत प्रति दशक रही है।

तालिका–29
बरेली नगर समूह की जनसंख्या प्रक्षेपण

क्र.सं.	प्रक्षेपण पद्धति	वर्ष 2021	वर्ष 2031
1	अंकगणित वृद्धि पद्धति	1332168	1402213
2	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	1514548	1817457
3	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति	1350874	1458331
4	ज्यामितीय एक्स्ट्रापोलेशन पद्धति	1102475	1355502
5	द्वितीय परिमाण अनुकृति पद्धति	1140717	1431465

तालिका–30

बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नगरीय भू–उपयोग के मध्य आने वाले 57 ग्रामों की जनसंख्या का प्रक्षेपण

क्र.स.	प्रक्षेपण पद्धति	वर्ष 2021	वर्ष 2031
1	अंकगणित वृद्धि पद्धति	175814	208424
2	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	194152	263228
3	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति	175849	208531
4	ज्यामितीय एक्स्ट्रापोलेशन पद्धति	171844	214805
5	द्वितीय परिमाण अनुकृति पद्धति	200295	273708

स्त्रोत : प्राथमिक विश्लेषण के अनुसार

तालिका–31

बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पेरी अरबन के मध्य आने वाले 145 ग्रामों की जनसंख्या का प्रक्षेपण

क्र.स.	प्रक्षेपण पद्धति	वर्ष 2021	वर्ष 2031
1	अंकगणित वृद्धि पद्धति	454898	532649
2	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	491979	641775
3	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति	454929	532740
4	ज्यामितीय एक्स्ट्रापोलेशन पद्धति	452576	565721
5	द्वितीय परिमाण अनुकृति पद्धति	491453	630129

स्त्रोत : प्राथमिक विश्लेषण के अनुसार

बरेली नगर की जनसंख्या का अनुमान/प्रक्षेपण 5 विभिन्न पद्धतियों से वर्ष 2021 से 2031 तक किया गया है। बरेली नगर की जनसंख्या का प्रक्षेपण द्वितीय परिमाण अनुकृत (Second Degree Perabola) पद्धति से करने पर वर्ष 2021 में अनुमानित जनसंख्या 1140717 तथा वर्ष 2031 में 1431465 होने का अनुमान है। विकास क्षेत्र में, नगरीय भू–उपयोग के मध्य आने वाले 57 राजस्व ग्रामों का प्रक्षेपण वर्ष 2021 व 2031 की अनुमानित 200295 व 273708 जनसंख्या को 100 प्रतिशत तथा पेरी–अरबन के मध्य आने वाले शेष 145 ग्रामों की 491453 व 630129 जनसंख्या का 30 प्रतिशत को प्रक्षेपित जनसंख्या में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2021 व 2031 में बरेली विकास क्षेत्र की प्रक्षेपित कुल जनसंख्या वर्ष 2021 1488447 (1140717 + 200295 + 147435) व वर्ष 2031 1894211 (1431465 + 273708 + 189038) अनुमानित की गयी है। उक्त जनसंख्या प्रक्षेपण/अनुमान का विस्तृत विवरण तालिका–29, 30, 31 में दर्शाया गया है।

9.2 जनसंख्या घनत्व

बरेली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 10643 हेक्टेयर भूमि आती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगर की कुल जनसंख्या 904797 है। अतः शहर का जनसंख्या घनत्व लगभग 85 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। वर्ष 1991 व 2001 में शहर का घनत्व क्रमशः 56 एवं 68 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर रहा है। इससे विदित होता है कि वर्ष 1991 से 2021 तक शहर का जनसंख्या घनत्व बढ़ती हुयी जनसंख्या के साथ सतत् बढ़ता रहा है जैसा कि तालिका–32 में दर्शित है।

तालिका–32
बरेली नगर का जनसंख्या घनत्व

वर्ष	जनसंख्या	घनत्व प्रति हे0
1991	590661	56
2001	720315	68
2011	904797	85

स्त्रोतः राजीव आवास योजना, बरेली

9.3 जनसंख्या वृद्धि दर

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बरेली नगर की कुल जनसंख्या 904797 व्यक्ति थी, जिसमें से 53 प्रतिशत पुरूष और 47 प्रतिशत महिलाएं थी। वर्ष 1971 से 1981 के दौरान बरेली नगर की जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि 37.81 प्रतिशत देखी गयी है। वर्ष 1991 से 2011 के जनसंख्या के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त वृद्धि लगातार कम दर्ज हुई है। वर्ष 1941 से 2011 तक की जनसंख्या व उनकी वृद्धि दर निम्न तालिका–33 में दर्शायी गयी है:–

तालिका–33
बरेली नगर में जनसंख्या वृद्धि

क्र.स.	वर्ष	जनसंख्या	दो दशकों की जनसंख्या में अन्तर	प्रतिशत वृद्धि
1	1941	192688	—	—
2	1951	208083	15395	7.99
3	1961	272828	64745	31.11
4	1971	326106	53278	19.53
5	1981	449425	123319	37.81
6	1991	607652	158227	35.20
7	2001	748353	140701	23.15
8	2011	904797	156444	20.90

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बरेली नगर की जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 1941 से 2011 तक क्रमशः 7.99, 31.11, 19.53, 37.81, 35.21, 23.15 एवं 20.90 प्रतिशत हुयी है। वर्ष 1941 से 1951 के दशक में वृद्धि दर मात्र 7.99 प्रतिशत थी। इस वृद्धि दर की कमी का मुख्य कारण बरेली नगर से जनसंख्या का प्रवजन रहा। इस दशक में 1947 में देश के विभाजन के फलस्वरूप नगर में जनसंख्या का आव्रजन एवं नगर से जनसंख्या का प्रवजन रहा है तथा वर्ष 1961 से 1971 के दशक में यह वृद्धि दर 19.53 प्रतिशत रही जब कि राज्य एवं जिले की औसत वृद्धि दर 20 प्रतिशत रही। इस प्रकार नगर की वृद्धि दर राज्य के समतुल्य ही है। वर्ष 1951–61, 1971–81, एवं 1981–91 के दशकों में वृद्धि दर क्रमशः 31. 11, 37.81, एवं 35.21 प्रतिशत है। इस प्रकार वर्ष 1991 से 2001 के दशक में यह वृद्धि दर 23.15 प्रतिशत है जोकि अन्य दशकों की वृद्धि दर से कम है, जिसका मुख्य कारण नगर में स्थापित वृहद् औद्योगिक इकाईयों का बन्द होना एवं उत्तराखण्ड राज्य का गठन होना है, जिससे उत्तराखण्ड से होने वाले व्यापार में कमी आई है। इस प्रकार वर्ष 2001 से 2011 के दशक में यह वृद्धि दर 20.90 प्रतिशत रही है।

मानचित्र–12
बरेली नगर में जनसंख्या वृद्धि

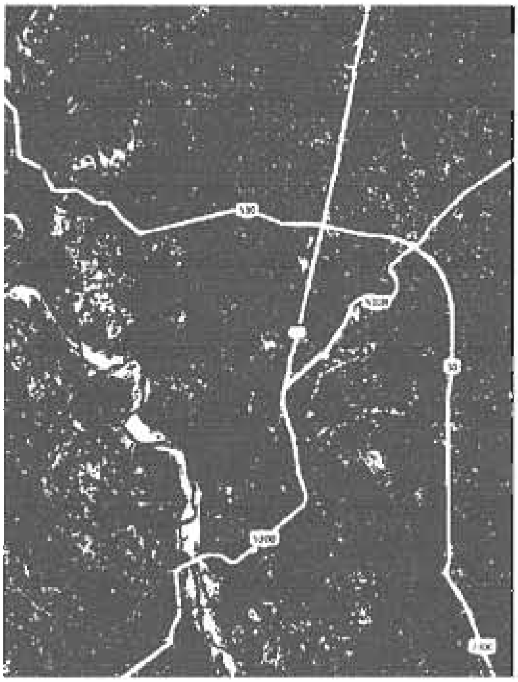

वर्ष 1991

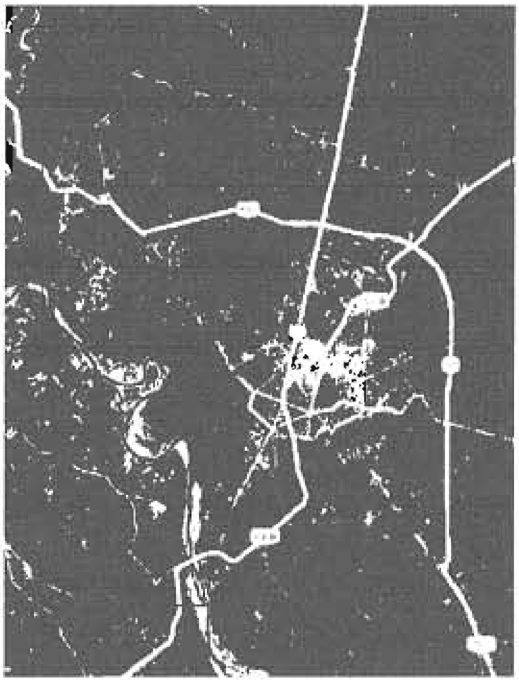

वर्ष 2001

वर्ष 2011

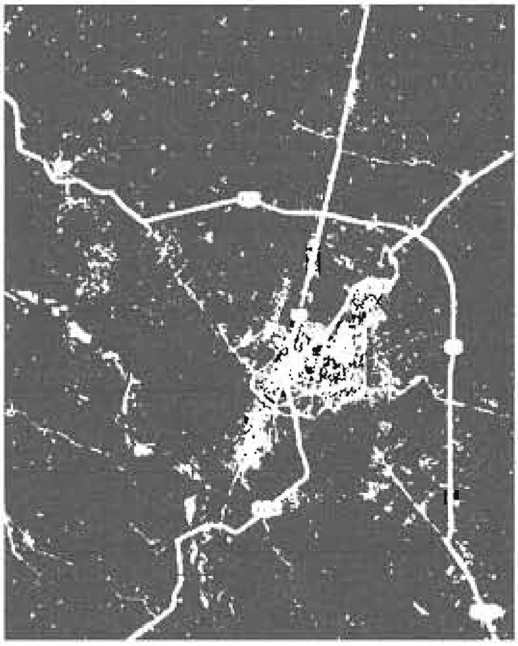

वर्ष 2021

9.4 प्रवासन

वर्ष 2001 में उत्तरप्रदेश की जनसंख्या 166,197,921 थी जो वर्ष 2011 में 199,812,341 हो गयी। इस प्रकार उ0प्र0 की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 20.22 प्रतिशत रही है। बरेली नगर की वर्ष 2001 में जनसंख्या 748353 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 904797 हो गयी। इस प्रकार बरेली में वर्ष 2001–2011 के दशक में 156444 की वृद्धि हुयी जो 20.90 प्रतिशत है। उपरोक्त विश्लेषण से यह विदित होता है कि बरेली नगर में वर्ष 2001–2011 के दशक में जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक रही है। इससे यह विदित होता है कि बरेली में ग्रामीण क्षेत्र से शहर में प्रवासन हुआ है।

9.5 आवास प्रक्षेपण

बरेली शहर में आवासीय प्रयोजनार्थ वर्ष 2011 में 13186 आवासों की कमी थी। वर्ष 2021 एवं 2031 की अनुमानित जनसंख्या क्रमशः 1488447 एवं 1894211 के आधार पर 5 व्यक्ति प्रति परिवार की दर से, 228143 एवं 378842 परिवारों के लिये क्रमशः 140372 एवं 221525 आवासों की अनुमानित आवश्यकता है। इस मांग की पूर्ति हेतु महायोजना के अनुरूप क्षेत्रीय योजनायें तैयार की जानी अपेक्षित हैं उक्त क्षेत्रीय योजनाएं चरणबद्ध विकास के दृष्टिगत तैयार कर क्रियान्वित की जानी अपेक्षित हैं। जिसका विवरण तालिका–33 में दर्शाया गया है। उपरोक्त मांग के अनुसार आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के अधीन उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आगामी दस वर्षो हेतु पंचवर्षीय योजना तैयार कर वार्षिक कार्ययोजना के माध्यम से क्रियान्वयन कर वांछित आवास इकाइयों का निर्माण करना होगा।

तालिका–34
भावी आवासीय आवश्यकता का अनुमान

वर्ष	2011	2021	2031
जनसंख्या प्रक्षेपण	904797	1488447	1894211
परिवार का आकार	5.3	5	5
अनुमानित परिवारों की संख्या	170503	297689	378842
अतिरिक्त आवासों की मांग	—	127186	81153
कुल आवासों की मांग (वर्ष 2011 की मांग सहित)	13186	140372	221525

स्रोत : प्राथमिक विश्लेषण के अनुसार

9.6 बरेली विकास क्षेत्र में जलापूर्ति की आवश्यकता

बरेली शहर में वर्तमान में जल–कल हेतु नगर निगम एवं जल निगम द्वारा 64 पम्पिंग स्टेशन के माध्यम से जल आपूर्ति की जा रही है। जलापूर्ति हेतु नगर को 4 जोन में बांटा गया है। नगर में वर्तमान में 142 एम.एल.डी. जल आपूर्ति की जा रही है।

यू.आर.डी.पी.एफ.आई. गाईडलाईन के अनुसार नगरीय क्षेत्र में औसतन प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति 135 लीटर की आवयकता निर्धारित है। इस प्रकार वर्ष 2031 में बरेली शहर में अनुमानित जनसंख्या 1894211 हेतु 255 एम.एल.डी. पानी की प्रतिदिन आवश्यकता होगी। अतः वर्ष 2031 तक बरेली नगर निगम तथा और जल–कल विभाग को 113 एम.एल.डी. पानी की व्यवस्था करनी होगी जिसके लिये उन्हें जल शोधन संयत्र स्थापित करने हेतु सामुदायिक सुविधाएं एवं उपयोगिताऐं के लिये बरेली महायोजना–2031 में प्रस्तावित 1305.5 हेक्टेयर भूमि पर उचित स्थल चयनित कर जलापूर्ति की व्यवस्था करनी होगी।

9.7 वर्षा जल निकासी

बरेली नगर में मुख्यतः 3 नदियां क्रमशः देवरनिया, चौबारी एवं नकटिया प्रवाहित होती है जो वर्तमान में नाले के रूप में प्रवाहित हो रही है। देवरनिया नाला 280 24′ उत्तरी अंक्षाश तथा 790 22′ पूर्वी देशांतर के संगम पर उत्पन्न होकर रामगंगा नदी में मिल जाता है। चौबारी नाला सुभाष नगर में 280 22′ उत्तरी अंक्षाश तथा 790 23′ पूर्वी देशांतर के संगम पर उत्पन्न होकर गोमिन्दपुर गाँव में मिल जाता है। नकटिया नाला दीननगर में 280 36′ उत्तरी अंक्षाश तथा 790 34′ पूर्वी देशांतर के संगम पर उत्पन्न होकर आहरगौथिया गाँव के

पास रामगंगा नदी के पास मिल जाता है। बरेली नगर के प्रमुख नाले तालिका–35 में वर्णित है।

तालिका–35
बरेली नगर के प्रमुख नाले

क्र0सं0	नाम	स्थान
1	बीसलपुर रोड नाला	हरूनंगला
2	रामपुर रोड नाला	स्वाले नगर
3	पीरबहोड़ा नाला	पीरबहोड़ा
4	सौफिता रोड नाला	बड़ी विहार
5	हरूनंगला नाला	हरूनंगला
6	बडी विहार नाला	बड़ी विहार
7	सुफी टोला नाला	सुफी टोला
8	तुलिया नाला	नन्दौसी
9	परतापुर नाला	परतापुर चौधरी
10	संजय कम्यूनिटी हाल नाला	एलन क्लब
11	अक्षर विहार नाला	बरेली क्लब
12	डेलापीर लेक नाला	सत्या पेट्रोल पम्प के सामने

स्त्रोत : बरेली विजन डॉक्यूमेंट–2051

9.8 सीवेज

बरेली शहर में वर्तमान में 35 एम.एल.डी. क्षमता का एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट है जो कि 1.23 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित है, जबकि ठोस अपशिष्ट स्थल हेतु ग्राम जसौली मुस्तकिल में वर्तमान में 5.48 हेक्टेयर भूमि पर संचालित है।

केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिक संगठन की नियमावली के अनुसार कुल जलापूर्ति का 80 प्रतिशत पानी सीवर लाईन में पहुंचता है। उक्त मानकों को ध्यान में रखते हुए महायोजना–2031 की अनुमानित 1894211 जनसंख्या के लिए अपेक्षित जलापूर्ति 255 एम.एल.डी प्रतिदिन की मांग के अनुसार 204 एम.एल.डी प्रतिदिन मल–जल निकास की संभावना बनती है। वर्तमान में शहर में मात्र एक एस.टी.पी 35 एम.एल.डी क्षमता का स्थापित है। नगर निगम बरेली द्वारा ग्राम–हरूनंगला में बीसलपुर रोड पर 42 एम.एल.डी. क्षमता का एस.टी.पी. प्रस्तावित है। ग्राम–बारीनगला में 20 एम.एल.डी. क्षमता का एक ओर एस.टी.पी. एवं ग्राम ततारपुर में भी 1 एम.एल.डी. क्षमता का एस.टी.पी. प्रस्तावित है। अतः वर्ष 2031

तक शहर में एस.टी.पी. हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये महायोजना में प्रस्तावित सामुदायिक सुविधायें/उपयोगितायें भू–उपयोग हेतु प्रस्तावित कुल 1264.28 हैक्टेयर भूमि पर उचित स्थल चयनित कर आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

9.9 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु गीले व सूखे अपशिष्ट का पृथक्कीकरण किये जाने हेतु जनमानस को प्रोत्साहित करना, वैज्ञानिक/यान्त्रिक ढंग से अपशिष्ट का निस्तारण कर खाद/कोयले की ईंटों का उत्पादन कर पर्यावरण के संरक्षण के साथ आर्थिक लाभ भी अर्जित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को आर्थिक गतिविधि के रूप में विकसित करने हेतु नगर निगम, बरेली विकास प्राधिकरण तथा आवास–विकास परिषद को संयुक्त रूप से आगामी 5 वर्षों में महायोजना–2031 के प्रस्तावों के अनुरूप क्रियान्वयन की कार्यवाही करनी होगी।

यू.आर.डी.पी.एफ.आई. गाईडलाईन के अनुसार नगरीय क्षेत्र में औसतन प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति 800 ग्राम कचरा उत्पन्न होता है, इस प्रकार वर्ष 2031 में 1894211 व्यक्तियों हेतु लगभग 1515 मैट्रिक टन अपशिष्ट के निस्तारण हेतु व्यवस्था करनी होगी। नगर निगम द्वारा शाहजहांपुर रोड के दक्षिण में ग्राम सथरापुर में इस परियोजनार्थ 10.42 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, अतः वर्ष 2031 तक शहर में ठोस अपशिष्ट स्थल हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग पर उचित स्थल चयनित कर आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

9.10 बिजली

9.10.1 बिजली के लिए प्रक्षेपण

बरेली शहर में मुख्यतः विद्युत आपूर्ति मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा की जा रही है। बरेली शहर में 1.82 लाख बिजली के उपभोक्ता हैं। बरेली शहर में 220 के.वी.

के 3 ग्रिड सब स्टेशन परसाखेड़ा में स्थापित है जबकि 132 के.वी. का जी.एस.एस. नवाबगंज में स्थित है। 33 के.वी. के 3 सब स्टेशन आम्रपाली, कैम्फर, विमको में स्थापित है।

1. विद्युत उपकेन्द्रों प्रयोजनार्थ 1894211 जनसंख्या के लिये भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निम्नानुसार मांग/आवश्यकता का आंकलन किया गया हैः–
2. शहर में वर्तमान में 87 सब–स्टेशन कार्यशील है। अतः 15000 की जनसंख्या पर एक 11 के.वी. के सब–स्टेशन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वर्ष 2031 तक 39 अतिरिक्त सब–स्टेशनों की आवश्यकता होगी।
3. शहर में वर्तमान में 220 के.वी. का 3 सब–स्टेशन कार्यशील है। अतः 500000 की जनसंख्या पर एक 220 के.वी. के सब–स्टेशन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वर्ष 2031 तक 1 अतिरिक्त सब–स्टेशनों की आवश्यकता होगी।
4. इस प्रकार विद्युत उपकेन्द्र की आवश्यकतानुसार महायोजना–2031 के प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र में विभिन्न खण्डों में सामुदायिक सुविधायें एवं सेवाओं हेतु आरक्षित भूमि पर प्रस्तावित किये जा सकेंगे।
5. उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी गाईडलाईन जुलाई–2022 में नगरीय क्षेत्रों में हाईटेन्शन लाईन के राईट ऑफ वे के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्राविधान हैः–

तालिका–36
हाईटेन्शन लाईनों के राईट ऑफ–वे

Voltage Level	Corridor Requirement (m)
(1)	(2)
66kV AC	18
110kV AC	22
132kV AC	27
220kV/230kV AC	35
400kV AC Single Circuit (Horizontal Configuration)	52
400kV AC Double Circuit / 400kV S/C (Vertical configuration)	46
765kV AC Single Circuit (Horizontal Configuration)	85
765kV AC Single Circuit (Delta/ vertical Configuration)	64
765 kV AC Double Circuit	67
1200kV AC	89
+/- 500kV HVDC	52
+/- 800kV HVDC	69

उपरोक्त तालिका के अनुसार बरेली विकास क्षेत्र में स्थित हाईटेन्शन लाईनों के राईट ऑफ–वे में किसी भी प्रकार का भवन निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

9.11 डाकघर एवं संचार के लिए आवश्यकताएँ

9.11.1 विकास क्षेत्र में डाकघर एवं संचार के लिए अनुमान

बरेली शहर में मुख्य डाकघर सिविल लाईन्स के अतिरिक्त 24 अन्य पोस्ट आफिस भी शहर के अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं। निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति 10000 जनसंख्या के लिये एक उप–डाकघर का प्राविधान है। बरेली महायोजना–2031 के अनुमानित जनसंख्या हेतु 164 अतिरिक्त डाकघरों की आवश्यक होगी परन्तु वर्तमान में इन्टरनेट के चलन तथा कोरियर सेवा के प्रबन्धन के कारण डाकघर की आवश्यकता शनै–शनै कम होती जा रही है।

9.12 शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता

9.12.1 बरेली में शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता

बरेली नगर का शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखता है। बरेली नगर तथा इसके आसपास के क्षेत्र के अतिरिक्त देश के अन्य भागों के लिये उच्च शिक्षा/शोध संस्थान का केन्द्र बिन्दु है। वर्तमान में बरेली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत 422 प्राथमिक, 175 माध्यमिक तथा 82 उच्च माध्यमिक/इण्टर कॉलेज स्तर के विद्यालय विद्यमान हैं। जिनमें छात्र एवं छात्रायें अध्ययन कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय है तथा इसके द्वारा संचालित 11 महाविद्यालय है तथा इसके अतिरिक्त एक राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज भी विद्यमान है। महायोजना 2001 के कार्यकाल में तकनीकी चिकित्सालय एवं शोध संस्थान कॉलेजों का विकास हुआ है। उपरोक्त के अतिरिक्त सी०बी०एस०ई० तथा आई०सी०एस०ई० बोर्ड के अधीन भी हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी कॉलेज है। नगर में इन सुविधाओं एवं उपलब्धताओं को देखते हुए 573.13 हेक्टेयर भूमि जो कि वर्तमान स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/अस्पताल में प्रयुक्त है को यथावत् महायोजना–2031 में समायोजित किया गया है। नगर की भावी आवश्यकताओं का आंकलन अध्याय–4 में किया गया है। उक्त की पूर्ति हेतु महायोजना में प्रस्तावित सामुदायिक सुविधायें/उपयोगितायें भू–उपयोग के अन्तर्गत स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/के विकास हेतु 1264.28 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

1. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन में निर्धारित मानक के अनुसार प्रत्येक 5 हजार की जनसंख्या पर न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ एक प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता होती है, जो कि प्रक्षेपित भावी जनसंख्या वृद्धि दर को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त है।
2. मानक के अनुसार 7500 जनसंख्या पर न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ 1 माध्यमिक विद्यालय की आवश्यकता होती है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार नगर में

175 माध्यमिक विद्यालय विद्यमान है, जबकि वर्ष 2031 तक लगभग 77 विद्यालयों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

3. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन में निर्धारित मानक के अनुसार 10 हजार की जनसंख्या पर न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ 1 उच्च माध्यमिक/इण्टर कॉलेज की आवश्यकता होती है जबकि वर्ष 2031 तक लगभग 107 उच्च माध्यमिक/इण्टर कॉलेज की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।
4. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन में निर्धारित मानक के अनुसार 80 हजार से 1 लाख की जनसंख्या पर न्यूनतम नगरीय क्षेत्र में 0.5 हेक्टेयर व ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ डिग्री कॉलेज/पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की आवश्यकता होती है जो कि प्रक्षेपित भावी जनसंख्या वृद्धि दर को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त हैं।
5. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन में निर्धारित मानक के अनुसार 10 लाख की जनसंख्या पर न्यूनतम 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ 2 इंजीनियरिंग कॉलेज की आवश्यकता होती है जो कि प्रक्षेपित भावी जनसंख्या वृद्धि दर को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त है।
6. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन में निर्धारित मानक के अनुसार 10 लाख की जनसंख्या पर न्यूनतम 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ 1 मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता होती है जो कि प्रक्षेपित भावी जनसंख्या वृद्धि दर को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त है।

9.13 स्वास्थ्य सुविधाएं

9.13.1 बरेली विकास क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रक्षेपण

1. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन में निर्धारित मानक के अनुसार प्रत्येक 15000 जनसंख्या पर न्यूनतम 0.08 हेक्टेयर

पर एक डिस्पेन्सरी/स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता होती है। जबकि वर्ष 2031 तक लगभग 66 डिस्पेन्सरियों/स्वास्थ्य केन्द्रों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

2. यू.आर.डी.पी.एफ.आई. की गाइडलाइन के अनुसार 45 हजार से 1 लाख की जनसंख्या पर न्यूनतम 0.20 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ 1 नर्सिंग होम की आवश्यकता होती है जबकि वर्ष 2031 तक लगभग 13 नर्सिंग होम की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।
3. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन में निर्धारित मानक के अनुसार प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या पर न्यूनतम 2 हेक्टेयर पर एक सामान्य अस्पताल की आवश्यकता होती है। जबकि वर्ष 2031 तक लगभग 12 सामान्य अस्पतालों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

इस प्रकार स्वास्थ्य केन्द्रों, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम आदि आवश्यकतानुसार महायोजना–2031 के प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र में विभिन्न खण्डों में सामुदायिक सुविधायें एवं सेवाओं हेतु आरक्षित 1264.28 हे0 भूमि पर प्रस्तावित किये जा सकेंगे।

9.14 मनोरंजनात्मक सुविधाएं

9.14.1 बरेली विकास क्षेत्र में आवश्यक मनोरंजन सुविधाओं का प्रक्षेपण

नागरिकों को शुद्ध हवा, प्राकृतिक सुंदरता, खेल, मनोरंजन एवं व्यायाम के अवसर प्रदान करने हेतु पार्क एवं खुले क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण स्थान हैं। बरेली महायोजना–2021 में प्रस्तावित मनोरंजन एवं डिस्ट्रिक्ट पार्कों को समायोजित करते हुये यथावत रखते हुये नये प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रामगंगा नदी के पास बदायूं मार्ग के बीच के क्षेत्र में एक बड़ा पार्क भी प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार ग्राम–कलारी, ऊगनपुर, नौगवांहरहा पट्टी, आसपुर पीतमराय में में 3 डिस्ट्रिक्ट पार्क प्रस्तावित किये गये है।

9.15 फायर स्टेशन

9.15.1 बरेली विकास क्षेत्र के लिए फायर स्टेशनों का प्रक्षेपण

बरेली शहर में एक मात्र अग्निशमन केन्द्र सिविल लाईन्स में स्थित है। निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक 2 लाख जनसंख्या एवं 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लिये 0.8 हेक्टेयर भूमि पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित किया जा सकता है। अतः बरेली महायोजना–2031 के लिये अनुमानित जनसंख्या 1894211 के लिये 9 अतिरिक्त अग्निशमन केन्द्रों की आवश्यकता होगी जिन्हें सामुदायिक सुविधाएं उपयोगिताऐं हेतु आरक्षित भूमि अथवा जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार अन्य भू–उपयोग में भी स्थापित किया जा सकता है।

9.16 अन्य सुविधायें

बरेली शहर में ए.डी.जी, डी.आई.जी आफिस, एस.पी कार्यालयों के अतिरिक्त 10 थानें व 19 चौकियां हैं। निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक 50 हजार की जनसंख्या पर 0.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर एक पुलिस स्टेशन की आवश्यकता होती है तथा जबकि 15000 की जनसंख्या पर न्यूनतम 0.15 हेक्टेयर क्षेत्र पर एक पुलिस चौकी की आवश्यकता होती है। महायोजना–2031 की अनुमानित जनसंख्या 1894211 के लिये 27 थानों तथा 105 पुलिस चौकियों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी जिन्हें जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार आवश्यकतानुसार निर्धारित स्थल पर स्थापित किया जा सकेगा।

अध्याय–10
भू–उपयोग प्रस्ताव

10.1 नगर के विकास/विस्तार की दिशा

बरेली नगर का मुख्य व पुराना विकास दिल्ली–लखनऊ रेलमार्ग के पूर्व दिशा में हुआ है। सन 1851 में कैन्टोनमेंट की स्थापना हुई, सन 1837 में बरेली स्कूल वर्तमान में बरेली कॉलेज की स्थापना हुई। सन 1858 बरेली नगरपालिका बोर्ड की स्थापना हुई। सन 1870 से 1882 के मध्य नगर में अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई। इस प्रकार कैन्टोनमेंट बोर्ड, बरेली कॉलेज, नगरपालिका बोर्ड की स्थापना के कारण 19वीं शताब्दी के प्रांरभ में बरेली नगर का भौतिक विकास हुआ है। इस प्रकार वर्ष 1991 से 2021 तक बरेली नगर की विकास की दिशा मुख्यतः पूर्व तथा उत्तर–पूर्व और पूर्व–दक्षिण में रही है।

10.2 भू–उपयोग एवं प्रस्ताव

प्रस्तावित भू–उपयोग योजना के आधार पर मानचित्र वर्तमान भू–उपयोग, नगरीय विस्तार एवं स्टेक–होल्डर्स के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। प्रारूप महायोजना के सम्बन्ध में जनसाधारण की आपत्तियां एवं सुझाव समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर मांगे गये थे। यह सुझाव दिनांक 07.02.2022 को 30 दिवस की अवधि में आमंत्रित किये गये थे। यह अवधि समय–समय पर बढ़ाई गयी, तथा यह अवधि अन्त में दिनांक 14.04.2022 तक बढाई गयी थी। उक्त आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त होने पर इन पर विचार एवं निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण की सक्षम समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के उपरान्त महायोजना में संशोधन किये गये जिनका अन्ततः प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 10.08.2022 में अनुमोदन किया गया। बरेली महायोजना–2031 में पूर्व में तकनीकी कारणों से रह गयी त्रुटियों का, वर्तमान में सेटेलाईट आधारित बेसमैप पर तैयार करने से, स्वतः ही निराकरण हो गया है। विशेषकर मौके पर नदियों तथा बड़े बाईपास एवं अन्य सड़कों की मौके पर भिन्नता का सुधार हो गया है।

इस प्रकार बरेली महायोजना–2031 के प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र को तैयार किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के भू–उपयोगों का श्रेणीवार विस्तृत विवरण तालिका–37 में दिया गया है।

तालिका–37
प्रस्तावित भू–उपयोग 2031

प्रस्तावित भू–उपयोग 2031				
प्रस्तावित भू–उपयोग श्रेणियाँ	प्रस्तावित भू–उपयोग उप श्रेणियों	प्रस्तावित क्षेत्र 2031 (हेक्टेयर) (जी.आई.एस के अनुसार)	कुल क्षेत्रफल	प्रतिशत
आवासीय	निर्मित क्षेत्र	818.67	11556.52	45.31
	आवासीय	10737.85		
व्यवसायिक	नगर केन्द्र/केन्द्रीय वाणिज्यिक	292.02	945.85	3.71
	उप नगर केन्द्र/ उप केन्द्रीय वाणिज्यिक	464.63		
	थोक व्यापारिक/भण्डार	189.20		
कार्यालय	कार्यालय	263.49	263.49	1.03
औद्योगिक	लघु उद्योग	718.01	2147.98	8.42
	वृहद् उद्योग	1429.97		
सामुदायिक/सांस्कृतिक सुविधायें एवं उपयोगितायें	सामुदायिक सुविधायें/उपयोगितायें	1264.28	1904.41	7.47
	स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/अस्पताल	573.13		
	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट/ठोस अपशिष्ट स्थल	19.06		
	जल कल/विद्युत उपकेन्द्र/पुलिस स्टेशन	47.94		
यातायात एवं परिवहन	वर्तमान मार्ग एवं प्रस्तावित मार्ग	2013.16	2985.23	11.70
	पार्किंग	1.37		
	बस टर्मिनल	98.78		
	ट्रक टर्मिनल	141.29		
	रेलवे संपत्ति	730.63		

पार्क एवं खुले स्थल	पार्क	466.60	5703.25	22.36
	ग्रीन बेल्ट	3208.07		
	जोनल पार्क	271.90		
	मनोरंजन पार्क	348.14		
	डिस्ट्रिक्ट पार्क	1209.44		
	प्रदर्शनी, मेला एवं रैली स्थल	199.10		
योग		**25506.73**	**25506.73**	**100**
कृषि	कृषि	16245.13		
अन्य	हाईवे फैसेलिटी जोन	1332.20		
	ग्रामीण आबादी	2008.90		
	निषिद्ध क्षेत्र	357.83		
	अपरिभाषित क्षेत्र	2379.23		
	बाग	43.73		
	नदी / नाला / नहर	620.40		
	जलाशय / तालाब / पोखर	513.26		
	बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र	779.03		
	बंधा / बांध	46.76		
	कैटल कॉलोनी	55.50		
	वन	75.46		
	सीवेज फार्म	59.74		
	यू.पी.एस.आई.डी.ए क्षेत्र	148.30		
महायोग		**50172.20**		

10.2.1 आवासीय

महायोजना वर्ष 2031 में प्रस्तावित 1894211 जनसंख्या हेतु नगर के विभिन्न क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किये गये है। बरेली नगर में आवासीय भू–उपयोग मुख्य रूप से शाहजहांपुर मार्ग के उत्तर में तथा बीसलपुर मार्ग पर एवं नैनीताल मार्ग के मध्य में प्रस्तावित है। इस प्रकार वर्ष 2031 के लिये बरेली महायोजना में कुल 10737.85 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित

16/3/24

(अनिल कुमार मिश्र)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0

16/3/24

(डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

की गयी है जो वर्ष 2031 के नगरीकरण योग्य क्षेत्र 25506.73 हेक्टेयर भूमि का 45.31 प्रतिशत है। जिसका विवरण तालिका–37 में दर्शाया गया है।

10.2.2. निर्मित क्षेत्र

निर्मित आवासीय क्षेत्र (जो नगर का पूर्ण घना बसा विकसित आवासीय क्षेत्र है) के अन्तर्गत लगभग 818.67 हेक्टेयर भूमि है जिसका आवासीय घनत्व 500 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है, जिसके घनत्व को 500 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर बनाये रखने के लिए इस क्षेत्र की घनी आबादी को नगर के वाह्य क्षेत्रों में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में स्थानान्तरित किये जाने के प्रस्ताव किये गये है। नगर के पुराने घने बसे हुए क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि को सम्मिलित किया गया है जिसमें साहूकारा, जकाती मोहल्ला, कोहाड़ापीर, गुलाबनगर, आलमगीरीगंज, शाहबाद, शाहदाना, शाहमतगंज, सुभाषनगर आदि मोहल्लें सम्मिलित हैं।

10.2.3 व्यवसायिक

बरेली महायोजना 2021 के निर्मित क्षेत्र में प्रस्तावित व्यवसायिक क्षेत्र के साथ बड़े पैमाने पर मुख्य मार्गों के किनारे एवं आवासीय क्षेत्रों में तीव्र गति से उच्च स्तरीय व्यवसायिक विकास हुआ है। जिसके कारण बरेली नगर की विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों का विकास महायोजना 2021 के प्रस्तावों के अनुरूप नहीं हुआ है। बरेली नगर की मुख्य व्यवसायिक क्रियायें नगर के पुराने क्षेत्र में विकसित है, जो वर्तमान आवासीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक विकास मुख्य मार्गों के किनारे–किनारे पट्टीनुमा हुआ है। नगर के पीलीभीत मार्ग पर प्रस्तावित मंडी क्षेत्र पर मंडी का विकास हुआ है। नगर के पुराने व्यवसायिक क्षेत्र शाहमतगंज, बड़ा बाजार, शाहदाना, कुतुबखाना, कौहाड़ापीर, चौपुला, आर्यसमाज गली, बिहारीपुर ढाल, गली मनिहारन, शास्त्री मार्केट, कटरा मानराय एवं सुभाषनगर आदि प्रमुख है। वर्तमान में व्यवसायिक विकास के अन्तर्गत चौकी चौराहे के निकट मिशन अस्पताल की भूमि पर बटलर प्लाजा, मिनी व्यवसायिक केन्द्र का विकास हुआ है, शेष प्रस्तावित व्यवसायिक क्षेत्रों का विकास नगण्य है। वर्ष 2031 के लिये

बरेली महायोजना में कुल व्यावसायिक क्षेत्र 945.85 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है जो वर्ष 2031 के नगरीकरण योग्य क्षेत्र 25506.73 हेक्टेयर भूमि का 3.71 प्रतिशत है।

10.2.3.1 नगर केन्द्र/केन्द्रीय वाणिज्यिक

केन्द्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र पर बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से नवविकसित/विकासशील क्षेत्रों में नगर केन्द्र को प्रस्ताव किया गया है। नगर केन्द्र/केन्द्रीय वाणिज्यिक के अन्तर्गत व्यवसायिक कार्यालय, शैक्षिक संस्थायें स्वास्थ्य सेवायें, बारात घर एवं बैंक्वेट हॉल क्रियायें अनुमन्य होगी, जिसका विस्तृत विवरण जोनिंग रेगुलेशन्स में है। बरेली महायोजना–2031 में नगर केन्द्र/केन्द्रीय वाणिज्यिक भू–उपयोग को काठगोदाम मार्ग से बरेली मार्ग के मध्य के क्षेत्र मे प्रस्तावित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 292.02 हेक्टेयर है।

10.2.3.2 उप नगर केन्द्र/उप केन्द्रीय वाणिज्यिक

बरेली महायोजना वर्ष 2031 की अनुमानित 1894211 जनसंख्या की दृष्टिगत नगर में पर्याप्त उपनगर केन्द्रों को उपयुक्त स्थलों पर प्रस्तावित किया गया है। बड़े बाईपास पर झुमका तिराहा पर ग्राम–धन्तिया एवं परसाखेड़ा के अन्तर्गत, रामपुर रोड़ पर सी.बी. गंज के पास, चौपला चौराहे से बदायूं मार्ग पर दांई तरफ ग्राम–करगैना के समीप, लाल फाटक से बदायूं रोड पर आई.टी.बी.पी. एवं दूरदर्शन केन्द्र के मध्य का क्षेत्र, बरेली–शाहजहांपुर मार्ग के बांयी ओर नरियावाल ग्राम में एवं बरेली–शाहजहांपुर मार्ग के दांयी ओर रजऊपरसपुर ग्राम में, पीलीभीत रोड पर ग्राम बरकापुर के पास व बडे बाईपास पर ग्राम सैदपुर चुन्नीलाल आबादी के आस–पास तथा नैनीताल रोड पर ग्राम–करमपुर चौधरी के अन्तर्गत एवं सेटेलाईट बस स्टैण्ड के बाद पीलीभीत मार्ग के दोनों ओर उपनगर केन्द्रों हेतु कुल लगभग 464.63 हेक्टेयर क्षेत्र का प्राविधान है।

10.2.3.3 थोक व्यापारिक/भण्डार

महायोजना में उपरोक्त स्थलों के अतिरिक्त थोक व्यवसाय तथा मण्डियों के लिए भी भूमि प्रस्तावित की गयी है, क्योंकि नगर की घनी आबादी में स्थित थोक व्यापार को विकेन्द्रित

करने की आवश्यकता अनुभव की गयी है। वर्तमान में सी.बी. गंज में कार्यरत एफ.सी.आई. गोदाम एवं शाहजहांपुर रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर के निकट, आई.वी.आर.आई. के सामने कार्यरत थोक मण्डियों के अतिरिक्त भी थोक, व्यवसायिक/भण्डारण हेतु नगर के विभिन्न स्थलों पर यथा बड़े बाईपास पर झुमका तिराहा से लगती हुई भूमि पर, पीलीभीत रोड पर ग्राम रिठौरा के दक्षिण में, नैनीताल रोड पर बड़े बाईपास के बाद एवं बदायूं रोड पर नये राष्ट्रीय राजमार्ग (बाईपास) पर इस प्रयोजनार्थ 189.20 हेक्टेयर (वर्तमान मण्डी स्थल क्षेत्र सहित) का प्राविधान किया गया है।

10.2.3.4 बाजार स्ट्रीट

शहर के पुराने निर्मित क्षेत्र में बरेली महायोजना–2021 में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट को यथावत रखते हुए शासन द्वारा गठित शासकीय समिति के निर्देशों के अनुसार बाजार स्ट्रीट की गहराई सड़क मार्गाधिकार के बाद 15 मीटर होगी। बरेली महायोजना–2031 में बोर्ड के निर्णयानुसार बाजार स्ट्रीट का प्राविधान 18 मीटर एवं अधिक चौड़ी सभी सड़कों पर मात्र आवासीय भू–उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि पर ही लागू होगा, जिसकी गहराई भू–स्वामी के स्वामित्व में आने वाले भूखण्ड की सम्पूर्ण गहराई तक लागू होगा, परन्तु बरेली विकास प्रधिकरण व आवास विकास की योजनाओं तथा निजी विकासकर्ताओं की स्वीकृत योजनाओं में बाजार स्ट्रीट का प्राविधान लागू नहीं होगा।

10.2.4 कार्यालय

शासन की नीति के क्रियान्वयन के लिये राजकीय कार्यालय प्रशासनिक व्यवस्था का अंग हैं। बरेली नगर जनपद एवं मण्डलीय मुख्यालय होने के कारण प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र है। यहाँ जनपद एवं मण्डलीय स्तर के सभी राजकीय कार्यालय, अर्द्ध–सरकारी व स्थानीय निकाय के कार्यालय तथा केन्द्र सरकार के कार्यालय भी स्थित हैं। नगर में कार्यालय संबंधित क्रियायें, जिनमें बरेली जंक्शन, रेलवे स्टेशन रोड पर कलैक्ट्रेट, सिविल कोर्ट, पुलिस लाइन, तहसील, कृषि कार्यालय, आयुक्त कार्यालय, संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन, सतर्कता विभाग आदि संचालित है। चौकी चौराहा से शाहजहाँपुर मार्ग पर लोक

निर्माण विभाग, आयकर विभाग, अफीम विभाग, पेंशन विभाग, चौकी चौराहे से छावनी रोड पर मुख्य डाकघर, सर्किट हाउस चौराहे के निकट विद्युत विभाग, कुतुबखाना में सिटी पोस्ट आफिस तथा जिला परिषद कार्यालय, शाहमतगंज रोड विकास भवन, रामपुर बाग में जीवन बीमा निगम, पुराने बस स्टेशन में रीजनल मैनेजर उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम कार्यालय, कोतवाली के निकट जिला चिकित्सालय कार्यालय, प्रियदर्शनी नगर में विकास प्राधिकरण कार्यालय विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर केन्द्रीय, राजकीय एवं निजी कार्यालय विद्यमान है। महायोजना–2031 में विभिन्न प्रकार के राजकीय कार्यालयों हेतु कोई नये प्रस्ताव नहीं लिये गये है। जी.आई.एस विधि से क्षेत्रफल की गणना के अनुसार कार्यालय उपयोग में 263.49 हेक्टेयर भूमि आती है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 1.03 प्रतिशत है। महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग एवं भू–विकास नीतियों के अनुसरण में यह भी उल्लेखित किया गया है कि राजकीय भूमि को महायोजना में अलग–अलग भू–उपयोगों में दर्शाया जाना संभव नहीं है अतः शासकीय प्राविधानों के अनुसार ही ऐसी समस्त राजकीय भूमियों पर राजकीय गतिविधियों के अनुरूप भू–उपयोग अनुमन्य रहेगा, जिसके लिए अलग से भू–उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी।

10.2.5 औद्योगिक

उद्योगों की भूमिका नगरीकरण की प्रक्रिया एवं जनसंख्या वृद्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिसके परिणामस्वरूप किसी नगर के आर्थिक एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन होते रहते हैं। औद्योगीकरण नगर के आर्थिक आधार को सुदृढ़ करता है तथा इसका सीधा प्रभाव रोजगार की उपलब्धता के साथ–साथ जीवन स्तर को बेहतर बनाना होता है। नगर में औद्योगिक विकास क्रमबद्व रूप से न होने के कारण सुनियोजित रूप से उद्योग विकसित नहीं हुए है। बरेली विकास क्षेत्र में 17 विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित है जिनमें 71730 लोग काम कर रहे हैं। शहर में कुल 15 वृहद् उद्योग हैं। इनमें 10630 लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान में औद्योगिक इकाईयों शाहमतगंज रेलवे स्टेशन के निकट, रामपुर रोड पर तथा बदायूं रोड, पर पराग दुग्ध डेयरी है। वर्ष 2031 के लिये बरेली महायोजना में कुल 2147.98

हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है जो वर्ष 2031 के नगरीकरण योग्य क्षेत्र 25506.73 हेक्टेयर भूमि का 8.42 प्रतिशत है। जिसमें लद्यु उद्योग एंव वृहद् उद्योग निम्नवत हैं:–

10.2.5.1 लद्यु उद्योग

बरेली महायोजना–2031 में लद्यु उद्योग हेतु 718.01 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है। इस प्रकार महायोजना–2031 में रामपुर रोड पर सी.बी.गंज., खलीलपुर, बदायूं रोड पर ग्राम महेशपुर ठुकरान, नैनीताल रोड के पश्चिम में ग्राम पीपलसाना चौधरी, नये प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग (बाईपास) पर ग्राम बल्ला कोठा तथा रामपुर रोड पर ग्राम फतेहगंज पश्चिम में लद्यु उद्योग क्षेत्र प्रस्तावित किया गया हैं।

10.2.5.2 वृहद् उद्योग

बरेली महायोजना–2031 में वृहद् उद्योग हेतु 1429.97 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है। इस प्रकार महायोजना–2031 में शाहजहांपुर रोड पर वर्तमान में संचालित औद्योगिक इकाईयों के आस–पास के क्षेत्र का विस्तार कर वृहद् औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार शहर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में नये प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग (बाईपास) पर ग्राम रसूला चौधरी एवं रायपुरा जागीर के क्षेत्र को भी वृहद् औद्योगिक क्षेत्र हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसमें आई.टी./टैक्सटाईल पार्क भी प्रस्तावित किया गया है।

10.2.6 सामुदायिक/सांस्कृतिक सुविधायें एवं उपयोगितायें

सामुदायिक/सांस्कृतिक सुविधायें एवं उपयोगिताओं का तात्पर्य नागरिक जीवन की उन आवश्यकताओं से है जो सभी समुदायों के लिये आवश्यक होती है। इनमें प्रमुख रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस स्टेशन, डाक एवं तार घर, विद्युत एवं जलापूर्ति आदि नागरिक सुविधायें, सेवायें एवं उपयोगिताओं की सुनियोजित व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इन सेवाओं के लिए महायोजना–2031 में 1904.41 हेक्टेयर क्षेत्र का प्राविधान है, जिसमें विद्यमान सुविधाओं के अन्तर्गत 640.13 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित सुविधाओं के लिए लगभग 1264.28 हेक्टेयर का क्षेत्र आरक्षित किया गया है। जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 7.67 प्रतिशत है।

10.2.6.1 स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/अस्पताल

बरेली नगर का शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखता है। बरेली नगर तथा इसके आसपास के क्षेत्र के अतिरिक्त देश के अन्य भागों के लिये उच्च शिक्षा/शोध संस्थान का केन्द्र बिन्दु है। वर्तमान में बरेली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत 422 प्राथमिक, 175 माध्यमिक तथा 82 उच्च माध्यमिक/इण्टर कॉलेज स्तर के विद्यालय विद्यमान हैं, जिनमें छात्र एवं छात्रायें अध्ययन कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय है तथा इसके द्वारा संचालित 11 महाविद्यालय है तथा इसके अतिरिक्त एक राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज भी विद्यमान है। महायोजना 2001 के कार्यकाल में तकनीकी चिकित्सालय एवं शोध संस्थान कॉलेजों का विकास हुआ है। उपरोक्त के अतिरिक्त सी०बी०एस०ई० तथा आई०सी०एस०ई० बोर्ड के अधीन भी हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी कॉलेज है। नगर में इन सुविधाओं एवं उपलब्धताओं को देखते हुए 573.13 हेक्टेयर भूमि जो कि वर्तमान स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/अस्पताल में प्रयुक्त है, को यथावत् महायोजना–2031 में समायोजित किया गया है।

10.2.6.2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट/ठोस अपशिष्ट स्थल

बरेली शहर में वर्तमान में 35 एम.एल.डी. क्षमता का एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट है जो कि 1.23 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित है, जबकि ठोस अपशिष्ट स्थल हेतु ग्राम जसौली मुस्तकिल में वर्तमान में 5.48 हेक्टेयर भूमि पर संचालित है।

.10.2.6.3 जल आपूर्ति/विद्युत उपकेन्द्र/पुलिस स्टेशन/अग्निशमन केन्द्र/उप–डाकघर

बरेली शहर में जलापूर्ति/विद्युत उपकेन्द्र/पुलिस स्टेशन/अग्निशमन केन्द्र के अन्तर्गत 47.94 हेक्टेयर भूमि उपयोग में ली जा रही है।

10.2.7 यातायात एवं परिवहन

बरेली नगर सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग से सम्बद्व है, नगर की मार्ग प्रणाली मुख्यतः रेडियल है जो लखनऊ, रामपुर, बदायूं, पीलीभीत एवं काठगोदाम को परस्पर जोड़ती हैं। ये नगर रेल मार्गो द्वारा लखनऊ, दिल्ली, अलीगढ़, मथुरा, पंजाब एवं उत्तराखण्ड से सम्बद्व हैं। नगर की बढ़ती जनसंख्या एवं वाहनों में हो रही वृद्धि के कारण नगर की यातायात व्यवस्था पर प्रतिदिन भार बढ़ता जा रहा है। नगर में सार्वजनिक यातायात के साधनों में ई–रिक्शा, ऑटोरिक्शा एवं टैम्पो आदि में अतिरिक्त वृद्धि हुयी है, जो कि शहर के आन्तरिक यातायात के प्रमुख साधन के रूप में उभरे है। बरेली शहर में कुछ स्थानों के मध्य इलेक्ट्रिक बस भी चल रही है। बरेली महायोजना–2021 में प्रस्तावित कुछ महायोजना मार्गो को वर्तमान में बनाया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। जिस क्रम में महायोजना–2031 में महायोजना मार्गो को यथासंभव वर्तमान मार्गो/चक मार्गो प्रस्तावित किया गया है।

10.2.7.1 वर्तमान एवं प्रस्तावित मार्ग

बरेली महायोजना–2021 में विभिन्न क्षेत्रों में अधिकांश प्रस्तावित सड़कों का मौके पर निर्माण संभव नहीं हो पाने के कारण, महायोजना–2031 में नयी अधिकांश सड़के चक रोड पर ही 18, 24, 30, 45 व 60 मीटर चौड़ाई में प्रस्तावित की गई है ताकि मौके पर इनके सीमाकंन व निर्माण में सुविधा हो सके। इस प्रकार बरेली महायोजना–2031 में नैनीताल रोड़ से बरेली रोड़ के मध्य के क्षेत्र, शाहजहांपुर रोड़ के दोनो ओर, नैनीताल रोड़ से पीलीभीत रोड़ के मध्य के क्षेत्र, एवं नये प्रस्तावित क्षेत्रों जैसे कि ग्राम–रिठौरा, रजऊ परसपुर, उडला जागीर, पदारथपुर, कचौली, लालपुर तथा फरीदपुर नहर के दोनों ओर 24 मीटर चौड़ा महायोजना मार्ग प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान एवं प्रस्तावित मार्गो के अन्तर्गत 2013.16 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

10.2.7.2 पार्किंग

पार्किंग हेतु प्रस्तावित भूमि को महायोजना–2021 के अनुसार यथावत रखते हुए नये प्रस्तावित क्षेत्रों में पार्किंग विशेष हेतु कोई भी पार्किंग के प्रस्ताव नहीं दिये गये है क्योंकि

नये प्रस्तावित क्षेत्रों में होने वाले निर्माण/विकासकार्य वर्तमान भवन उपविधि के अनुसार अनुमन्य होने के कारण प्रत्येक निर्माण हेतु पार्किंग का प्राविधान अनिवार्य है। इसी क्रम में यह भी प्रस्तावित किया जाता है कि पुराने शहर/निर्मित क्षेत्र में राजकीय/नगर निगम/बरेली विकास प्राधिकरण की भूमि उपलब्ध होती है तो वहां पर सार्वजनिक पार्किंग का विकास किया जा सकेगा।

10.2.7.3 बस टर्मिनल

बरेली नगर में कोतवाली क्षेत्र में एवं कैन्टोनमेंट एरिया के निकट सैटेलाइट बस टर्मिनल्स यू.पी.एस.आर.टी.सी द्वारा संचालित हैं। इसके अतिरिक्त मिनी बाईपास पर जेल के निकट यू.पी.एस.आर.टी.सी द्वारा नया बस टर्मिनल भी निर्माणाधीन है। महायोजना–2021 में बड़े बाईपास पर ग्राम–वीरपुर उर्फ कासमनगर में, बदायूं रोड़ पर ग्राम–महेशपुर ठाकुरान में, शाहजंहापुर रोड़ पर ट्रांसपोर्ट नगर के निकट बस टर्मिनल को प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार वर्ष–2031 के लिये 98.78 हेक्टेयर भूमि बस टर्मिनल हेतु प्रस्तावित की गई है।

10.2.7.4 ट्रक टर्मिनल

वर्तमान में शाहजंहापुर मार्ग पर बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित ट्रांसपोर्ट नगर योजना, पीलीभीत मार्ग पर ग्राम–रिठौरा के पास, बड़े बाईपास पर नैनीताल जक्शन पर, बड़े बाईपास पर ग्राम–परधौली के सामने दांयी ओर महायोजना–2021 में प्रस्तावित ट्रक टर्मिनल्स को समायोजित करते हुये, वर्ष 2031 के लिये नये प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग (बाईपास) पर ग्राम–रहपुरा जागीर में एक नया ट्रक टर्मिनल्स प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार बरेली महायोजना–2031 के लिए 141.29 हेक्टेयर भूमि ट्रक टर्मिनल्स हेतु प्रस्तावित की गई है।

10.2.7.5 रेलवे स्टेशन/लाईन/सम्पत्ति

बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बरेली जंक्शन के अतिरिक्त अनेक रेलवे स्टेशन यथा, बरेली सिटी, बरेली कैन्टोनमेंट, इज्जतनगर, दोहना पीतमराय, भोजीपुरा जंक्शन, भिटौरा, चनहेटी, परसाखेड़ा, एवं सी.बी गंज स्टेशन आते है।

बरेली शहर में मुख्य रूप से दिल्ली–लखनऊ वाया शाहजंहापुर, सीतापुर एवं नैनीताल से रेलवे लाईन द्वारा सीधा जुड़ा है। बरेली शहर नई दिल्ली–लखनऊ रेल मार्ग पर स्थित है तथा उत्तर–पूर्व रेलवे का महत्वपूर्ण जंक्शन है। इसके अतिरिक्त कानपुर, लखनऊ, टनकपुर, पीलीभीत, हल्द्वानी, लालकुआं से बदायुं, कासगंज एवं मथुरा को रेलवे लाईनें जाती है।

रेलवे सम्पत्तियों के अन्तर्गत रेलवे के विभिन्न प्रतिष्ठान सी.बी गंज में रेलवे कारखाना (आई.वी.आर.आई) के पास स्थित है। इस बरेली महायोजना–2031 में रेलवे स्टेशन तथा सम्पत्तियों के अन्तर्गत 730.63 हेक्टेयर भूमि आती है।

इस प्रकार यातायात के अन्तर्गत कुल 2985.23 हेक्टेयर भूमि आती है। जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र/विकास योग्य क्षेत्र का 11.70 प्रतिशत है।

10.2.8 पार्क एवं खुले स्थल

पार्क एवं खुले स्थल शहर के निवासियों के लिए स्वच्छ वातावरण प्राकृतिक सौन्दर्य एवं उच्च स्तरीय पर्यावरण प्रदान करते है तथा सक्रिय मनोरंजन का प्रमुख अवयव है।

10.2.8.1 पार्क

बरेली महायोजना–2031 में रामगंगा नदी के तटबन्ध के बाद बदायूं मार्ग एवं नये प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग (बाईपास) के बीच के क्षेत्र में एक बड़ा पार्क प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार विभिन्न पार्कों के अन्तर्गत 466.60 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

10.2.8.2 जोनल पार्क

जोनल पार्क के अन्तर्गत बरेली महायोजना–2031 में तिलियापुर गाँव में प्रस्तावित क्षेत्रीय पार्क को महायोजना–2031 में जोनल पार्क के नाम से पुनः परिभाषित किया गया है। नैनीताल मार्ग तथा बड़े बाईपास के जंक्शन पर भी एक जोनल पार्क प्रस्तावित किया गया है। महायोजना–2031 में जोनल पार्कों का कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 271.90 हेक्टेयर है।

10.2.8.3 मनोरंजन पार्क

बरेली महायोजना–2021 में प्रस्तावित मनोरंजन पार्कों का कुल क्षेत्रफल 348.14 हेक्टेयर है।

10.2.8.4 डिस्ट्रिक्ट पार्क

बरेली महायोजना–2021 में प्रस्तावित डिस्ट्रिक्ट पार्कों को महायोजना–2031 में ग्राम–कलारी, ऊगनपुर तथा नौगवांहरहा पटटी, असपुर पीतमराय में तीन डिस्ट्रिक्ट पार्क प्रस्तावित किये गये है। इस प्रकार महायोजना–2031 में डिस्ट्रिक्ट पार्क का कुल क्षेत्रफल 1209.44 हेक्टेयर है।

10.2.8.5 प्रदर्शनी, मेला एवं रैली स्थल

बरेली महायोजना–2021 में प्रस्तावित प्रदर्शनी, मेला एवं रैली स्थलों को महायोजना–2031 में यथावत समायोजित किया गया है। ये स्थल मुख्यतः हार्टमैन स्कूल के निकट एवं बदायूं मार्ग पर रामगंगा नदी के निकट प्रस्तावित हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 199.10 हेक्टेयर है।

10.2.9 ग्रीन बेल्ट

बरेली महायोजना–2021 में बड़े बाईपास मार्ग पर दोनों ओर प्रस्तावित 100मी0 की ग्रीन बेल्ट को पुनर्नियोजित करके 30मी0 किया गया है तथा महायोजना–2031 में नगरीकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत सभी सड़कों के किनारे प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट को नियोजन के दृष्टिगत विलोपित कर दिया गया है। बरेली महायोजना–2031 में नगरीकरण योग्य सीमा के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग तथा नये प्रस्तावित मार्गों के दोनों ओर 30मी0 ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित की गई है। इसी प्रकार प्रमुख नदियों की चौड़ाई के क्रम में क्रमशः 100, 30, 15 मी0 चौड़ाई में ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित की गई है। बरेली महायोजना–2031 में ग्रीन बेल्ट हेतु कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 3208.07 हेक्टेयर है।

10.2.10 हाईवे फैसेलिटी जोन

बरेली महायोजना–2031 में नगरीकरण योग्य/विकास योग्य सीमा के बाहर मुख्य मार्गो के दोनों ओर मार्गाधिकार के पश्चात 30 मीटर ग्रीन बेल्ट के बाद 300 मीटर की गहराई तक भूमि को हाईवे फैसेलिटी जोन प्रस्तावित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1332.20 हेक्टेयर है।

10.2.11 ग्रामीण आबादी

बरेली महायोजना–2031 में बरेली विकास क्षेत्र में स्थित ग्रामीण आबादियों को दर्शित किया गया है। ग्रामीण आबादी के विस्तार हेतु उसके आसपास ग्राम के निवासियों हेतु ग्रामीण आबादी से 100 मी0 अतिरिक्त क्षेत्र में नियमानुसार निर्माण अनुमन्य होंगे।

बरेली महायोजना–2031 में प्रस्तावित नगरीयकरण क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नगरीय भू–उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं। इस प्रस्तावित नगरीयकरण क्षेत्र में अनेक ग्राम विद्यमान आबादी के रूप में विकसित हैं। ऐसे ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का नगरीय भू–उपयोग प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसे आबादी क्षेत्रों को प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र 2031 में पृथक आबादी क्षेत्र के रूप मे दर्शाया गया है। इन विकसित ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 2008.90 है।

10.2.12 प्रतिबंधित जोन

आर्कियोलॉजिकल मॉन्युमेन्ट्स

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 3 स्मारक 1. A large obelisk of red sandstone, Fateh Ganj 2. Tomb of Hafiz-ul-Mulk Rahmat Khan, Bakarganj 3. Tomb or Mausoleum of Hermit Shah Dana, Syamganj में स्थित हैं जो संरक्षित धरोहर घोषित हैं। दि एनशिएन्ट मॉन्युमेन्ट्स एण्ड आर्कियोलॉजिकल साइटस एण्ड रिमेन्स (एमेन्डमेन्ट एण्ड वेलीटेशन) एक्ट 2010 के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों/हेरिटेज स्थलों की सीमा से 100 मी० परिधि (प्रोहिबिटेड एरिया) के अन्दर किसी

प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है तथा इसके पश्चात 200 मी० परिधि (रेगुलेटेड एरिया) के अन्दर कोई भी निर्माण की अनुज्ञा पुरातत्व विभाग की अनापत्ति के आधार पर देय होगी।

एयर फोर्स स्टेशन बरेली

एयर फोर्स स्टेशन बरेली के सम्बन्ध में As per Gazette of India notification dated 23 January 2013 "No building or structure shall be constructed, created or erected or no tree shall be planted on any land within the limits of 100 meters from the crest of the outer parapet except that the limit of 100 meters will extend to 900 meters from and in line with boundary of the Bomb Dump at Indian Air Force Stations and installations". उक्त सीमाओं को बरेली महायोजना–2031 मानचित्र पर दर्शाया गया है।

10.2.13 अन्य भू–उपयोग

10.2.13.1 कृषि

बरेली महायोजना–2031 में नगरीकरण योग्य/विकास योग्य सीमा के बाहर तथा विकास क्षेत्र की सीमा तक की भूमि का भू–उपयोग मुख्यतः कृषि रहेगा, कृषि क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 16245.13 हेक्टेयर है।

10.2.13.2 अन्य

1. बरेली महायोजना–2031 में अन्य भू–उपयोगों के अन्तर्गत ग्रामीण आबादी/निषिद्ध क्षेत्र (एयरबेस/एयरपोर्ट की सीमा से 100 मी0 दूरी का क्षेत्र एवं ग्राम–भूढा के चारों ओर दर्शित क्षेत्र), अपरिभाषित क्षेत्र (कैन्टोनमेंट क्षेत्र एवं एयरबेस/एयरपोर्ट), नदी/नाला/नहर, जलाशय/तालाब/पोखर, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र, बंधा/बांध, कैटल कॉलोनी, श्मशान घाट, कब्रिस्तान, वन भूमि, सीवेज फार्म एवं यू.पी.एस.आई.डी.ए. क्षेत्र सम्मिलित है। यू.पी.एस.आई.डी.ए. क्षेत्र बरेली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण क्षेत्र के बाहर होने से प्राधिकरण द्वारा इस क्षेत्र में कोई कार्यवाही अनुमन्य नहीं की जा सकेगी।

2. बरेली एयरफोर्स स्टेशन/एयरपोर्ट/एयरफील्ड से सम्बन्धित फनल जोन का चिन्हाकंन बरेली महायोजना–2031 में किया गया है। फनल जोन से सम्बन्धित अनुमति के प्राविधान भवन उपविधियों के अन्तर्गत एवं एयरफोर्स की नियमावली के अनुसार होंगे।
3. अन्य उपयोगों का कुल क्षेत्रफल क्रमशः (ग्रामीण आबादी/निषिद्ध क्षेत्र, अपरिभाषित क्षेत्र, बाग, नदी/नाला/नहर, जलाशय/तालाब/पोखर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, बंधा/बांध, कैटल कॉलोनी, वन भूमि, सीवेज फार्म एवं यू.पी.एस.आई.डी.ए. क्षेत्र), 2008.90, 357.83, 2379.23, 43.73, 620.40, 513.26, 779.03, 46.76, 55.50, 75.46, 59.74, 148.30 हेक्टेयर है।
4. जलाशय/तालाब/पोखर को बरेली महायोजना–2031 में राजस्व अभिलेखानुसार अंकित कर महायोजना मानचित्र में दर्शाया गया है यदि अंकन में छूट गया हो तो राजस्व अभिलेखानुसार ही मान्य होंगे। इन जल संसाधन इकाईयों के उच्च भराव क्षेत्र की सीमा तक इन्हें संरक्षित करना होगा तथा इनके परिधीय क्षेत्र में 15 मी0 के दायरे में किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधियां अनुमन्य नहीं होंगी।
5. बरेली महायोजना–2031 में यदि कोई भूमि वन क्षेत्र/पी.ए.सी./बी.एस.एफ/रेलवे संपत्ति/जलाशय/तालाब/सरकारी विभाग/एयरबेस/एयरपोर्ट व कैन्टोनमेंट में दर्शित हो, तो सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ऐसी भूमि का भू–उपयोग संदर्भित भूमि से निकटवर्ती (Adjacent) प्रस्तावित भू–उपयोग माना जायेगा।
6. महायोजना मानचित्र में प्रदर्शित 'बाग' भू–उपयोग 'कृषि' भू–उपयोग के समान ही मान्य होगा। 'बाग' भू–उपयोग में महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधान 'कृषि' भू–उपयोग के अनुरूप ही लागू होंगे। 'बाग' भू–उपयोग पर प्रस्तावित क्रिया विशेष की अनुमन्यता से पूर्व वन विभाग से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत नीतियों/शासनादेशों का नियमानुसार अनुपालन किया जायेगा।
7. बाग महायोजना में दर्शित ऐसे बाग भू–उपयोग, जो किसी नदी/नाले/नहर/तालाब/पोखर/जलाशय/अथवा समरूप उपयोग के आस–पास के लो–लाईंग एरिया से प्रभावित है, में नदी/नाले/नहर/तालाब/पोखर/जलाशय/अथवा समरूप उपयोग हेतु निर्धारित ग्रीन बेल्ट/नो–कनस्ट्रक्शन जोन के बाहर ही निर्माण अनुमन्य होगा।

10.2.13.3 राजस्व ग्रामों के सजरा मानचित्र

प्रायः राजस्व ग्रामों के सजरा मानचित्रों का स्थल पर शत–प्रतिशत मिलान नहीं हो पाता है एवं प्रायः आस–पास के राजस्व ग्रामों के सजरा मानचित्रों की सीमाएं आपस में पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है अर्थात ग्रामों की सीमाओं में ओवरलेप अथवा गैप की स्थिति बन जाती है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत महायोजना मानचित्र पर सजरा सुपरईम्पोजिशन का कार्य वर्तमान में उपलब्ध जी0आई0एस तकनीक के सहयोग से बहुत ही ध्यानपूर्वक किया गया है, परन्तु इस बात की सम्भावना हो सकती है कि राजस्व ग्रामों की सीमा एवं गाटों/सजरों/खसरों की स्थिति राजस्व के अभिलेखों से भिन्न हो, ऐसी दशा में राजस्व विभाग के अभिलेखों को ही अन्तिम आधार माना जायेगा।

10.2.13.4 प्रस्तावित भू–उपयोग एवं भू–विकास नीतियाँ

किसी भी महायोजना में प्रस्तावित सम्पूर्ण नगरीकरण क्षेत्र को सामान्यतया दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग के अन्तर्गत नगर में घने बसे निर्मित क्षेत्र एवं सम्बद्ध भू–भाग आते हैं जबकि द्वितीय भाग के अन्तर्गत महायोजना में प्रस्तावित नगरीकरण योग्य क्षेत्र के शेष भाग आते हैं जो नगर के भावी विकास एवं विस्तार के साथ–साथ विविध प्रकार की सुविधाओं की कमियों को दूर करने के लिये आवश्यक हैं। निर्मित क्षेत्र में विभिन्न भू–उपयोगों का सम्मिश्रण है। प्रत्येक भू–उपयोग को पृथक रुप से महायोजना मानचित्र पर दर्शित किया जाना सम्भव नहीं है, अतः इस भाग को सामान्यतया वर्तमान निर्मित क्षेत्र के रूप में एक ही संकेत द्वारा दर्शाया गया है। इस भाग के लिए अलग से कोई प्रस्ताव नहीं किये गये हैं क्योंकि अधिकांश क्षेत्र अत्यन्त घना बसा, संकुचित पहुँच मार्ग एवं विकास हेतु उपयुक्त खुली भूमि से रहित हैं, जहां पर नये प्रस्ताव असंभव है। इस क्षेत्र की केन्द्रीय क्रियायें भविष्य में भी क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहेंगी। सुविधाओं की उपलब्धता की कमी एवं आवश्यक अतिरिक्त सुविधाओं हेतु पर्याप्त प्रस्ताव नये क्षेत्रों में किये गये हैं ताकि प्रथम भाग में विद्यमान अत्याधिक संकुचन की दर में कमी आ सकेगी। प्रस्तावित नगरीकरण क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता, उपयुक्तता एवं तकनीकी आर्थिक संभावनाओं के आधार पर आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, कार्यालय, सार्वजनिक सुविधायें, यातायात एवं परिवहन तथा पार्क एवं पहुँच मार्ग आदि के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक प्रस्ताव महायोजना–2031 में किये गये हैं। महायोजना प्रस्तावों के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित नीतियों का अनुसरण किया जाना उचित होगा।

1. बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय भूमि को महायोजना में अलग–अलग भू–उपयोगों में दर्शित किया जाना सम्भव नहीं है। अतः शासकीय प्राविधानों के अनुसार ऐसे समस्त भूखण्ड राजकीय कार्यालयों के प्रयोजनार्थ अनुमन्य रहेंगे।
2. बरेली महायोजना–2031 में राजस्व तालाबों/जलाशयों/वाटर बॉडीज को दर्शित किया गया है परन्तु बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित कोई राजस्व तालाब/जलाशय/वाटर बॉडी महायोजना–2031 में दर्शित न हो पाये तो ऐसे सभी तालाबों/जलाशयों/वाटर बॉडीज का भू–उपयोग राजस्व अभिलेखों के अनुसार यथावत रहेगा। कृषि भू–उपयोग में मानचित्र स्वीकृति के समय राजस्व अभिलेखो में दर्ज तालाब/जलाशय/वाटर बॉडी हेतु निर्धारित ग्रीन बेल्ट छोड़ते हुये निर्माण अनुमन्य किया जायेगा ऐसे ग्रीन बेल्ट का विकास ऐसे जलाशयों के संरक्षण के समय किया जायेगा।
3. महायोजना में सभी श्मशान/कब्रिस्तानों की भूमि को महायोजना–2031 में यथासंभव दर्शाया गया है परन्तु इनका भू–उपयोग राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार यथावत् रहेगा।
4. महायोजना एक "ब्राड लैंडयूज मैप" होने के कारण इसमें एक व्यावहारिक सीमा तक के क्षेत्र को ही विविध भू–उपयोगों के रूप में दर्शित किया जा सकता है। महायोजना में प्रत्येक छोटे–छोटे उपयोगों का अंकन व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है। अतः वर्तमान में विद्यमान अधिकृत क्रियायें/भू–उपयोग यथावत मानें जायेंगे। उदाहरणार्थ–विविध प्रकार की सुविधाओं से सम्बंधित क्रियायें/भू–उपयोग यथा–सड़कें, बस अड्डे, ओवर हेड टैंक, एम्यूजमेंट पार्क, विद्युत उपकेन्द्र, पार्क तथा खुले स्थल आदि।
5. सक्षम प्राधिकारी यथा–विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम आदि द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं से सम्बन्धित स्थलों का भू–उपयोग स्वीकृत ले–आउट, मानचित्रों के अनुसार ही माना जायेगा।

10.2.13.5 नगरीय प्रभार शुल्क

महायोजना–2021 में प्रस्तावित ऐसे भू–भाग जिनका भू–उपयोग महायोजना–2031 तैयार करते समय उच्चीकृत हो गया है एवं ऐसे क्षेत्रो में जो भवन अनाधिकृत रूप से निर्मित/निर्माणाधीन है तथा महायोजना–2031 में प्रस्तावित भू–उपयोग के अनुरूप हैं, को उ.प्र. नगर योजना एवं विकास (संशोधन) अध्यादेश–2023 दिनांक 10 जुलाई 2023 के प्रस्तर–8 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार नगरीय उपयोग प्रभार उद्ग्रहीत किये जाने के उपरान्त ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

10.2.14 आपदा प्रबंधन परियोजनाएं

रामगंगा नदी के शीर्ष पर कालागढ़ बांध बना हुआ है। वर्ष 2010 में इस बांध से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिसके फलस्वरूप मुरादाबाद, रामपुर एवं बरेली जनपदों में भयंकर बाढ़ आयी। रामगंगा नदी के डाउनस्ट्रीम में 2010 में 20 किलोमीटर की परिधि में बाढ़ की भीषणता अधिक रही। बरेली नगर में आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत बाढ़ एवं अतिवृष्टि कार्ययोजना एवं सूखा प्रबंधन कार्ययोजनायें बनायी गयी है जिनके अन्तर्गत बाढ़, एवं सूखा की स्थिति में जिलाधिकारी बरेली के निर्देशन में उपरोक्त कार्ययोजनाओं के अन्तर्गत वांछित कार्यवाही की जाती है।

10.2.15 वर्षा के पानी का निकास

बरेली विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार अल्प अवधि (2022–28) के लिए वर्षा निकासी हेतु वर्तमान में मुख्यः नालों, द्वितीय श्रेणी के नालों में सुधार, वर्षा जल से प्रभावित क्षेत्रों के लिये नये मुख्य ड्रेन, नाले, उपनाले, नालों की मिट्टी निकालना तथा सफाई कर उनकी क्षमता में वृद्धि करना एवं नालों की सफाई हेतु वांछित सफाई उपकरणों क्रय करने हेतु प्रस्ताव दिये गये है। उपरोक्त अवधि के लिये ये प्रस्ताव निम्नानुसार है।

तालिका–38

सफाई उपकरण क्रय करने हेतु प्रस्ताव

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अल्प अवधि (2022–28) राशि (करोड़ में)			
		कुल राशि	2022–24	2024–26	2026–28
1	मुख्य नालों का सुधार तथा पम्पिंग क्षमता में वृद्धि करना	99.26	—	49.63	49.63
2	उपनालों का सुधार तथा पम्पिंग क्षमता में वृद्धि करना	99.00	99.00	—	—
3	नये मुख्य नालों का निर्माण एवं बाढ़ प्रभावित/जल–भराव वाले क्षेत्रों में पम्पिंग स्टेशन के निर्माण का कार्य	397.00	—	198.50	198.50
4	वर्तमान प्रमुख तथा उपनालों डी–सिलटिंग सफाई का कार्य	33.00	—	33.00	—
5	अन्य नालों को गहरा करना व सफाई का कार्य	33.00	33.00	—	—
6	सफाई कार्य हेतु वांछित उपकरणों का क्रय करना	99.00	99.00	—	
	कुल योग	**760.26**	**231.00**	**281.13**	**248.13**

स्त्रोतः बरेली विजन डॉक्यूमेंट–2051

10.2.16 नदी केंद्रित विकास

नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने मई–2021 में वृहद् उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नगरीय नदी प्रबन्धन एवं नियोजन से नदियों के जल के संवर्धन एवं विकास हेतु विनियम तथा जोनिंग रेग्यूलेशन का निर्माण कर नगरीय नियोजन एवं विकास हेतु नीतियों का निर्माण किया गया। नदी के किनारों के विकास का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण के लिए आवास, कार्य एवं मनोरंजन गतिविधियां विकसित कर हरित क्षेत्रों का विकास नदी के किनारों पर करना है। नदी विनियमों के द्वारा पर्यावरण वन

एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने नदी विनियमन जोन (RRZ) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1984 अधिसूचित किये गये जिसके अन्तर्गत नदी के संवर्धन क्षेत्र (RRZ) जिन्हें उच्चतम बाढ़ क्षेत्र, सौ वर्षों की अवधि में बाढ़ के आँकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

नदी केन्द्रित नगर नियोजन दिशा–निर्देश आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा 18 मई 2019 को नदी केन्द्रित नगर नियोजन दिशा–निर्देश जारी किये गये है जिसमें इन दिशा–निर्देश को राज्य सरकारों को अंगीकृत करने हेतु भी आग्रह किया गया है। उक्त दिशा–निर्देशों की शुरूआत वर्ष 1986 में पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन भारत सरकार द्वारा रीवर रेगुलेशन जोन का प्रारूप जारी किया था। जिसके तहत नदी के किनारों से 5 किलोमीटर की दूरी तक विकास एवं औद्योगिक गतिविधियों को नियोजित किया जाना था। उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत नदी क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करना है। उक्त योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति वृद्धि, प्रदूषण को नियंत्रित करना, भूमि का उपयोग एवं प्रबंधन तथा पर्यावरण मैत्री विकास को बढ़ावा देना है। अतः नगर एवं नगरों में नदी के तटों का विकास उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाना प्रस्तावित है, तथा शासनादेशों के अन्तर्गत नगरीय सीमा में नदियों को दो भागों में बांटा गया है।

प्रथम श्रेणी में नगर का वह भाग सम्मिलित है जिसमें नदियां और उसकी सहायक नदियां, तटबंध अथवा तटबंध के बगैर जहां आधारभूत सुविधायें यथा सड़कें, भवन (आवासीय, व्यवसायिक, पार्क एवं खुले स्थल) मन्दिर एवं घाट आदि विद्यमान है।

द्वितीय श्रेणी में परिधि नगरीय क्षेत्र सम्मिलित है जिसमें नदियां और उसकी सहायक नदियां उपनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र, तटबंध अथवा तटबंध के बगैर, जहां आधारभूत विकास मध्यम श्रेणी का है तथा भूमि मुख्यतः प्राकृतिक, वनस्पति, वन ,कृषि, अथवा चारागाह के रूप में काम ली जा रही है।

उक्त दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत नदियों के सक्रिय बाढ़ क्षेत्र को उच्च बाढ़ रेखा से परिभाषित किया गया है जो नदी की धारा या दो तटबंधों के बीच या दो सड़कों के मध्य या जो नदी के दोनों ओर तटबंध की तरह काम करती है, को पिछले 100 वर्षों की बाढ़ रेखा के आधार पर उच्च बाढ़ रेखा/सक्रिय बाढ़ क्षेत्र से परिभाषित किया जायेगा।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों के तहत विकास एवं निर्माण निषिद्ध क्षेत्र को भी प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा दोनों तटों की ओर निर्धारित करना होगा, जो किसी भी सूरत में सक्रिय बाढ़ क्षेत्र से कम नहीं होगा। ये क्षेत्र उच्च और मध्यम प्रभाव के क्षेत्र हो सकते हैं। जो स्थानीय धरातलीय स्थितियों पर निर्भर करेंगा। मैदानी क्षेत्रों में यह प्रभाव क्षेत्र, नदी के चौड़ाई के आधार पर 1 से 3 किलोमीटर चौड़े हो सकते हैं।

निषिद्ध उपयोग एवं गतिविधियां

1. सक्रिय बाढ़ क्षेत्र एवं निश्चित विकास एवं निर्माण क्षेत्र में अस्पताल, नर्सिंग होम एवं आवासीय निर्माण जहां रहने वाले लोग बाढ़ की स्थिति में शीघ्रता से बाहर नहीं जा सकते हैं।
2. पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, वाहन एवं उपकरण, भण्डारण सुविधायें एवं आकस्मिक परिचालन केन्द्र जो बाढ़ के समय बाढ़ से पहले, बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के बाद उपयोग में लिये जाते हैं।
3. भवन या सुविधायें जिनका उपयोग या भण्डारण अति ज्वलनशील, विस्फोटक, विषाक्त एवं जल प्रतिक्रियाशील पदार्थ, ये निश्चित है।
4. गैर सरकारी संस्था, प्राइवेट एजेन्सी जो भू–जल का व्यापारिक प्रयोजनार्थ दोहन करते हैं निश्चित विकास एवं निर्माण क्षेत्र में अनुज्ञा नहीं है।

अनुमन्य उपयोग/गतिविधियां

इस क्षेत्र में पार्क, उद्यान, खेल के मैदान, खेल सुविधायें, श्मशान, कब्रिस्तान, अनुमन्य होंगे तथा इन सुविधाओं के लिए पार्किंग की सुविधा का प्राविधान महायोजना/भवन विनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार होगा। उक्त क्षेत्र में पक्के निर्माण अनुमन्य नहीं होंगे।

फुटपाथ व ट्रैक्स यथा संभव पर्मीएवल एवं सेमीपर्मीएवल परफोरेटेड ब्लॉक के प्रयोग से ही बनाया जाये।

विशेष परिस्थितियों में प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य उपयोग/गतिविधियां

निश्चित विकास एवं निर्माण क्षेत्र में विशेष परिस्थितियों में प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा खुला थियेटर, मनोरंजनात्मक उपयोग तथा इनके कर्मचारियों हेतु आवासीय सुविधा, खेल क्लब, फूल उत्पादक, सार्वजनिक शौचालय एवं जल पर्यटन विकास से सम्बन्धित परियोजनाएं अनुमन्य की जा सकती है। उपरोक्त नीति में दिये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों के समन्वय से एक नगरीय नदी प्रबन्ध योजना बनाया जाना उचित होगा।

10.2.17 हेरिटेज

बरेली शहर ब्रिटिश शासन के तहत एक छावनी था। शहर में कई औपनिवेशिक विरासतें मौजूद हैं। मुख्यतः सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित है। शहर का छावनी क्षेत्र औपनिवेशक इतिहास को प्रदर्शित करता है। बरेली नगर में वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारतें स्थित हैं। इनमें कुछ इमारतों को संग्रहालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है। बरेली नगर में प्रसिद्ध सात नाथ सम्प्रदाय के मन्दिर स्थित है जिनमें तपेश्वर नाथ मन्दिर, मढ़ीनाथ मन्दिर, अलखनाथ मन्दिर, त्रिवटीनाथ मन्दिर, वनखण्डी नाथ मन्दिर, पशुपति नाथ मन्दिर, धोपेश्वर नाथ है।

शहर में कई महत्वपूर्ण चर्च हैं जो वास्तुकला और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। ऐतिहासिक और वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण औपनिवेशिक स्थलों की पहचान और मानचित्रण-सेंट स्टीफ़न चर्च, फ्री विल बैपटिस्ट चर्च, बिशप कैंटोनमेंट चर्च, क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च, बरेली ट्रेल के निर्माण के लिए कॉलेज, धर्मशालाएं, उत्तरी भारतीय धार्मिक सेमिनरी, कब्रिस्तान आदि।

बरेली नगर में कई महत्वपूर्ण मस्जिद व ईदगाह स्थित है जिनमें आला हजरत दरगाह बहुत प्रसिद्ध है इसके अतिरिक्त दरगाह ए—शाहदाना वाली, खान ए—आलिया नियाजिया, किला जामा मस्जिद, बीवी जी की मस्जिद, आशिफी मस्जिद आदि प्रमुख है।

10.2.18 पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यकरण

बरेली में सावन के महीने में तथा महाशिवरात्रि के दौरान हजारों श्रद्धालु सात नाथ मन्दिरों की परिक्रमा करने के लिए आते है, विजन डॉक्यूमेंट बरेली में नाथ मन्दिर परिक्रमा हेतु सड़कों को चिन्हित किया जाकर उनके विकास हेतु जनसुविधाओं, सड़कों, पार्किंग, पैदल यात्रियों तथा ठेले वालों की व्यवस्था हेतु समस्याओं का चिन्हीकरण किया गया चूँकि शहर को नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है। अतः सात मार्गो के विकास हेतु बरेली को अन्य शहरों से जोड़ने हेतु यथा नैनीताल (त्रिवटीनाथ मन्दिर), दिल्ली (अलखनाथ मन्दिर), चन्दौसी (मढ़ीनाथ मन्दिर), बदायूँ (तपेश्वर नाथ मन्दिर), लखनऊ (धोपेश्वर नाथ मन्दिर), विलासपुर (पशुपतिनाथ मन्दिर) एवं पीलीभीत (वनखण्डीनाथ मन्दिर) को जोड़ने हेतु प्रस्ताव तैयार किये गये है।

नाथ परिक्रमा विकास हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वनखण्डी मन्दिर परिषद के एकीकृत विकास हेतु 1.917 करोड़ रू के अल्प अवधि के प्रस्ताव वर्ष 2024 तक तैयार किये गये है जिनका विस्तृत विवरण तालिका—39 में दिया गया है।

तालिका–39
नाथ परिक्रमा विकास हेतु प्रस्ताव

क्र. सं.	विवरण	लागत (लाख रू0 में)	स्त्रोत
1	(अ) नाथ मन्दिर परिक्रमा विकास	—	राज्य सरकार
2	(ब) पायलट प्रोजेक्ट– वनखण्डी नाथ मन्दिर परिसर	—	
3	प्रवेश द्वार	20.00	—
4	पाथ–वे विकास	57.00	—
5	मेला प्रवेश द्वारा	16.00	—
6	सेवायें एवं सुविधाओं का विकास	10.00	—
7	मेला स्थल का विकास	712.00	—
8	सैरगाह	61.00	—
9	आगंतुक पार्किंग	6.00	—
10	कियोस्क	961.00	—
11	साइनेज	3.00	—
12	विद्युतीकरण	62.00	—
13	स्ट्रीट फर्नीचर	9.00	—
	योग	**1917.00**	—

स्त्रोतः बरेली विजन डॉक्यूमेंट–2051

10.3 शासकीय नीतियों का अनुपालन

बरेली महायोजना–2031 के अनुपालन में क्रियान्वयन हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार अनुसरण करते हुये क्रियान्वयन की कार्यवाही की जायेगी। ये विभिन्न नीतियां संक्षिप्त में निम्नानुसार उल्लेखित की गई हैः–

10.3.1 आवास नीति, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति, हाईटेक टाउनशिप नीति, उ.प्र. टाउनशिप नीति

- प्रधानमंत्री आवास योजना एवं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु EWS/LIG/SC,ST/विधवा/ट्रांसजेंडर/वरिष्ठ

नागरिकों/दिव्यागों एवं समाज के बेघर लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु महायोजना मे आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्रों में समुचित भूमि चिन्हित कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर आवास सुविधा उपलब्ध कराने की क्रियान्चयन किया जाना प्रस्तावित हैं।

- उक्त के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 6 नियोजन खण्डों में विभाजित किया गया है एवं प्रत्येक नियोजन खण्ड में व्यवसायिक क्रियाओं, सामुदायिक सुविधाओं एवं सेवाओं को आवासीय उपयोग के साथ सम्बद्ध किया गया है।
- प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में आने वाली ग्रामीण आबादियों को उचित सम्पर्क मार्गों से आपस में सम्बद्ध किया गया है तथा प्रत्येक जोन का जोनल प्लान तैयार करते समय उक्त आबादियों हेतु आधारभूत स्थापना सम्बन्धी सुविधायें मुहैया कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- नगर की अनाधिकृत एवं अविकसित कॉलोनियों में भी नियमानुसार आधारभूत स्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने एवं उन्हें शासकीय प्राविधानों के अनुसार नियमित किये जाने का सुझाव है।

हाईटेक/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति

बरेली नगर में इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु कोई पंजीकरण नहीं हुये हैं। अतः बरेली नगर में निजी विकासकर्ताओं को बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रोत्साहित कर हाइटेक/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने हेतु महायोजना में नीति अनुसार समुचित भूमि चयनित कर प्रचार-प्रसार के माध्यम से आमंत्रित करना होगा।

उ0प्र0 टाउनशिप नीति

उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति, 2023 के अन्तर्गत 'टाउनशिप' का तात्पर्य ऐसी सुनियोजित एवं विकसित टाउनशिप से है, जिसके अन्तर्गत समस्त भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं सहित रहने, कार्य करने एवं मनोरंजन सुविधाओं का एकीकृत रूप से

प्राविधान हो। नीति के अन्तर्गत टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 02 लाख से कम आबादी के नगरों में 12.5 एकड़ व 02 लाख से अधिक आबादी के नगरों में 25 एकड़ होगा, परन्तु एन. सी.आर. के अन्तर्गत लाईसेन्स हेतु टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ ही होगा। नगर के आकार के प्रयोजनार्थ जनसंख्या का आधार वर्ष जनगणना, 2011 के अनुसार होगा। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति, 2023 के अन्तर्गत टाउनशिप के अधिकतम क्षेत्रफल पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

टाउनशिप के विकास के लिए न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग से सुगम पहुँच की सुविधा, नियमित जल आपूर्ति, स्टार्म वाटर ड्रेनेज का निस्तारण एवं ऊर्जा की उपलब्धता होना आवश्यक है। टाउनशिप का विकास सामान्यतः महायोजनाओं के शहरीकरण क्षेत्र के अन्तर्गत तथा प्रदेश के तीव्र गति से विकसित हो रहे अर्बन मास ट्रान्जिट कॉरीडोर्स के साथ एवं ऐसे क्षेत्रों, जहां विकास के नए ग्रोथ सेन्टर्स प्रकट हो रहे हैं, में प्रोत्साहित किया जाएगा।

10.3.2 उ0प्र0 पर्यटन नीति

उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997–98 में ही पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जा चुका हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के अनुसार पर्यटन इकाईयों एवं हेरिटेज होटलों की स्थापना हेतु भू–उपयोग परिवर्तन एवं विकास शुल्क में छूट का प्राविधान किया गया हैं। बरेली नगर नैनीताल, कालागढ़ एवं जिम कार्बेट नेशनल पार्क के समीप स्थित होने के फलस्वरूप इन नगरों को जाने वाले पर्यटकों का एक प्रमुख परागमन स्थल बन गया है। अतः नगर में पाँच सितारा होटल सहित गेस्ट हाउस, मॉल आदि के निर्माण हुये हैं तथा भविष्य के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि वाणिज्य एवं सामाजिक सुविधाओं में आरक्षित की गयी है, जहां पर पर्यटन इकाइयों की स्थापना की जा सकती हैं।

10.3.3 सौर ऊर्जा नीति

बरेली एक विश्वस्तरीय आध्यात्मिक केंद्र एवं वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और भविष्य में नगर में पर्यटक की संख्या में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की पूर्ण संभावनाएं है। इस उद्देश्य के परिपेक्ष में बरेली नगर को एनर्जी एफिफसिएंट

बनाये जाने हेतु सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। सम्बंधित विभाग द्वारा बरेली नगर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किये जाने हेतु डी0पी0आर0 बनाये जाना चाहिए।

10.3.4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग नीति

जीवन में पर्यावरण के अस्तित्व के लिये जल एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है परन्तु ग्राउण्ड वाटर स्त्रोत के अनियोजित ढंग से अत्यधिक मात्रा में दोहन के कारण ग्राउण्ड वाटर स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है तथा शहरों की बढ़ती आबादी को समुचित पेयजल की व्यवस्था प्रदान करना भविष्य में कठिन साबित हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि पेयजल के उपयोग एवं ग्राउण्ड वाटर के स्त्रोत के संरक्षण, मितव्ययता, जल प्रयोग तथा रिचार्जिंग में समुचित जल प्रबन्धन द्वारा संतुलन स्थापित नहीं किया गया तो निकट भविष्य में पेय जल का भारी संकट पैदा हो सकता है। इस ओर शासन द्वारा भी ध्यान आकर्षित किया गया है तथा समुचित व्यवस्था हेतु विभिन्न शासनादेश जारी किये गये है जिसके अन्तर्गत निम्नवत प्राविधान करने के निर्देश दिये गये हैं :—

1. नवीन योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का ज्यूलॉजिकल / हाइड्रोलॉजिकल / हाइड्रोजियोलॉजीकल सर्वेक्षण कराया जाये एवं भू—जल रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपरोक्त पद्धति को अपनाया जाए।
2. 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले—आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र हेतु प्रस्तावित भूमि के अन्तर्गत उपयुक्त स्थलों पर जलाशय/जलाशयों का निर्माण किया जाएगा, जिनका क्षेत्रफल कुल योजना क्षेत्रफल का न्यूनतम 01 प्रतिशत होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को. चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलाजिकल, टोपोग्राफी, लीथालॉजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के संभावित ठहराव (रिटेन्शन) व "स्टेगनेशन" का अध्ययन एवं तत्संबंधी फिजिबिलिटी का आंकलन किया जाए, और उसके अनुसार ही जलाशय का आकार एवं गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय

की अधिकतम गहराई 02 मीटर रखी जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के ''सरफेस–रन–आफ'' को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए, प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए।

3. पार्क व खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट बनाए जाएं। ऐसे रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट तथा जलाशय का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू–जल के ढलान की दिशा में भूगर्भ जल विभाग के परामर्श के अनुसार किया जाए।
4. पार्कों में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट सहित 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ एवं ट्रैक्स यथासम्भव 'परमीएबिल' या 'सेमी परिमीएबिल परफोरेटेड ब्लाक्स' के प्रयोग से ही बनाए जाएं। वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए।
5. सड़कों, पार्कों तथा खुले स्थान में ऐसे पेड़–पौधो का वृक्षारोपण किया जाएगा जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके ग्रीष्म ऋतु में भी हरे भरे रह सकें।
6. शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के ले–आउट प्लान्स में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग को छोड़कर स्थापना सुविधाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज के नेटवर्क के साथ–साथ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू–जल की सामूहिक रिचार्जिंग हेतु अन्य पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जाए, जिससे व्यक्तिगत भूखण्डों/भवनों हेतु रिचार्जिंग पिट से लेकर उपयुक्त स्थलों पर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स की व्यवस्था हो।
7. 300 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं हो तो भवन स्वामी को स्वयं ही इस पद्धति की स्थापना करना अनिवार्य होगा।

10.3.5 फिल्म नीति

बरेली नगर में कई छविगृह विद्यमान हैं। फिल्म नीति के अन्तर्गत निर्मित एवं विद्यमान सिनेमा हॉल/छविगृह को संरक्षित किये जानें का है। उक्त नीति के अनुसार विद्यमान सिनेमा

हॉल / छविगृहों को संरक्षित करतें हुए नये सिनेमा हॉल / छविगृहों व मल्टीप्लेक्स की स्थापना, महायोजना में प्रस्तावित व्यवसायिक भू–उपयोगों एवं अन्य भू–उपयोगों में जोनिंग रेगुलेशन का पालन करते हुए की जा सकेगी।

10.3.6 सूचना प्रौद्योगिकी नीति

रोजगार सृजन, उद्यमिता को प्रोत्साहन, नवप्रवर्तन तथा उत्कृष्ट जीवन शैली के प्रति ध्यान केन्द्रित करते हुए उत्तर प्रदेश के समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए एक साधन के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना है। बरेली नगर में सूचना प्रौद्योगिकी नीति के विकास का कोई पंजीकरण नहीं हुआ है और न ही अभी तक इसमें अभिरुचि दिखाई है, अर्थात भविष्य में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर–ईस्टर्न कॉरिडोर जो बरेली शहर से लगभग 135 किलोमीटर दूर भारत सरकार द्वारा बनाया जा रहा है जिसके तहत भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी नीति के विकास की सम्भावनाएँ बढ़ सकती है जिस कारण आने वाले समय में इस नीति का अनुपालन किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन

1. प्रति एकड़ भूमि, न्यूनतम 200 कर्मी रोजगार उपलब्ध कराने वाली सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र की इकाई को, प्रति कर्मी रू 15000 / – की दर से भूमि की लागत के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रदत्त रोजगार निरन्तर न्यूनतम एक वर्ष के लिए होना आवश्यक हैं यह प्रतिपूर्ति सरकारी अभिकरणों से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्सयम प्रचलित सेक्टर दरों पर प्रदान की जायेगी। इस छूट की प्रतिपूर्ति राजकीय बजट से की जायेगी।
2. फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर) : आईटी सिटी और आईटी पार्क सहित, सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा / बी.पी.एम. इकाईयों को न्यूनतम फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर) तीन तथा अतिरिक्त एक (क्रय करने योग्य, बिल्डिंग बाई लाज में तत्समय लागू नियमों के आधार पर) पर किया जाना अनुमन्य होगा।

3. ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी/बी.पी.ओ. ईकाइयाँ जिनमें कम से कम 20 तथा अधिकतम 50 व्यक्ति काम करते हों, मास्टर प्लान अथवा भू–उपयोग वर्गीकरण के बावजूद, सार्वजनिक, अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं, यातायात एवं परिवहन, पार्क एवं खुले क्षेत्र, हरित पट्टी तथा कृषि भू–उपयोग को छोड़कर, कहीं भी स्थापित की जा सकेंगी।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा इकाईयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन

1. राज्य में स्थापित एवं आईटी सिटी/आईटी पार्क अथवा अन्य अधिसूचित स्थान में पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान से परिचालनरत एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योगों को व्यवसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक रू 10 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा सहित, लीज/रेन्टल चार्जेस की 25 प्रतिशत की समतुल्य की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।
2. एम.एस.एम.ई. सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा ईकाइयाँ, व्यवसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक विद्युत बिलों में 25 प्रतिशत उपादान, जिसकी अधिकतम सीमा रू 30 लाख होगी, की प्राप्ति हेतु पात्र होंगी।

10.3.7 आपदा प्रबंधन नीति

1 बरेली शहर भूकम्पीय क्षेत्र–3 में आता है, जिसमें रिक्टर स्केल के अनुसार 5 या 5 से अधिक तीव्रता की भूगर्भीय गतिविधि होने से अत्यधिक क्षति संभावित है। इस संबंध में देश में समय–समय पर आये भूकम्पों की त्रासदी को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा समय–समय पर जारी भूकम्परोधी शासनादेशों एवं सुरक्षात्मक प्राविधानों को शत–प्रतिशत अनुपालन किये जाने का प्रस्ताव है। अतः इस शहर में भूकम्परोधी भवनों के निर्माण हेतु प्राधिकरण, नगर निगम तथा आपदा प्रबन्धन विभागों को इस सम्बन्ध में सतत् प्रचार–प्रसार करना चाहिए ताकि जान–माल की कम से कम क्षति हो। भूकम्प से सुरक्षा हेतु सभी प्राविधानों के अनुपालन उपरान्त ही किसी भी प्रकार

का निर्माण अनुमन्य होगा तथा उसके अनुरूप स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार किये जाने का प्राविधान है।

2 अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं से सम्बन्धित शासन द्वारा जारी एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अपेक्षित प्राविधानों की व्यवस्था सभी भवन निर्माण की स्वीकृति के समय सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी भवन, जो पूर्व में बन चुके हैं निर्माणाधीन हैं, मानचित्र स्वीकृत हैं परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, परन्तु वर्तमान में वह अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करते हैं, में भी उपयुक्त प्राविधान सुनिश्चित कराया जाना प्रस्तावित है।

3 बरेली शहर में बहने वाली प्रमुख नदी रामगंगा है जिसके ऊपर कालागढ़ एवं तुमडिया बांध बन जाने से बाढ़ की विभीषिका में कुछ कमी आयी है। परन्तु अधिक वर्षा होने पर इस बांध से पानी छोड़ा जाता है जिससे कई बार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार बरेली शहर में बाढ़ से बचाव हेतु रामगंगा नदी के तटबन्ध का निर्माण प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त भी इस नदी पर जहां भी तट/बन्ध क्षतिगत होने की संभावना हो वहां पर आपदा प्रबन्धन के साथ एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा समुचित कार्यवाही निश्चय समयान्तर्गत की जानी अपेक्षित है। साथ ही शहर के अन्य नालों की सफाई भी नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार करनी चाहिए ताकि बरसात के मौसम में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो।

10.3.8 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017, उत्तर प्रदेश लघु एवं मध्यम औद्योगिक नीति 2017, उत्तर प्रदेश निजी औद्योगिक पार्क योजना 2017, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति, उत्तर प्रदेश भंडारण एवं लॉजिस्टिक नीति 2018 तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण मोबिलिटी नीति 2019 प्रमुख हैं। उपरोक्त नीतियों के अन्तर्गत महायोजना में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित 2147.98 हेक्टेयर भूमि में से तत्सम्बन्धित औद्योगिक विकास हेतु समुचित भूमि का चयन कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

10.3.9 अन्य

1. ऐसे प्रकरण जिनका भू–उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित है परन्तु शासन द्वारा अन्तिम आदेश निर्गत नहीं हो सके हैं, ऐसे प्रकरणों के भू–उपयोग बोर्ड द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुरूप महायोजना प्रस्ताव में सम्मिलित किये गये हैं। ऐसे प्रकरणों पर शासन द्वारा निर्धारित भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की देयता रहेगी।
2. सक्षम स्तर से स्वीकृत ले–आउट/तलपट मानचित्रों पर महायोजना के प्रस्ताव एवं जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधान लागू नहीं होंगे।
3. विकास क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व अभिलेखों के अनुसार समस्त तालाब/पोखर, नदी/नालों तथा प्राकृतिक जलस्त्रोत को यथावत संरक्षित रखने के उल्लेख के साथ इनके उपयोग का अंकन प्रतिवेदन पुस्तिका में कर दिया गया है। यदि महायोजना में दर्शित भू–उपयोग एवं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वाटर बॉडीज के क्षेत्र में कोई भिन्नता प्रतीत होती है तो राजस्व अभिलेखों के अनुसार ही वाटर बॉडीज का भू–उपयोग मान्य होगा।
4. कैटल कॉलोनी हेतु महायोजना में अनुमानित स्थल दर्शित किए गए हैं। प्रस्तावित स्थल के समीप उपलब्ध सरकारी भूमि पर कैटल कॉलोनी विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
5. बरेली महायोजना–2031 में नदी किनारे प्रस्तावित हरित पट्टिका में नदी की आनुषांगिक क्रिया (तटबन्ध) के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

10.3.9.1 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति के अनुसार बरेली शहर में स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए शहर में स्वच्छता के लिए उच्च मानकों को अंग्रीकृत करना होगा। उक्त नीति के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:–

1 अपशिष्ट को कम करने तथा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर इसके कुप्रभाव को न्यूनतम करने हेतु प्रभावशाली प्रणाली अपनाना।

2 ठोस अपशिष्ट शुल्क, पुनः प्राप्त अपशिष्ट से खाद, दहनशील सामग्री का विक्रय या पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करना।

3 अपशिष्ट रोकथाम, पुनः नवीनीकरण को नियंत्रित करने हेतु व्यापक एवं विश्वसनीय व्यवस्था अपनाना।

4 हितधारकों, संस्थानों और संगठनों को अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली के विकास एवं संचालन में इनकी भूमिका, कर्तव्यों/जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में जागरूक करना।

5 डोर टू डोर संग्रहण, पृथक्करण, अपशिष्ट शुल्क का 100 प्रतिशत संग्रहण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की निगरानी में ई–गर्वनेन्स उपकरण को प्रोत्साहित करना, सफाई संचालन की उपस्थिति, भू–टैगिंग युक्त परिवहन व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति के प्रमुख अवयव है।

6 बरेली शहर में एक अपशिष्ट केन्द्र ग्राम–जसौली मुस्तकिल में कार्यरत है जिसमें उपरोक्त नीति के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है। ग्राम–सथरापुर में उपरोक्त नीति के अनुसार अन्य अपशिष्ट केन्द्र निर्माणाधीन है। उपरोक्त नीति के अनुरूप ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन विधि को अपनाकर बरेली शहर में स्वच्छता के वांछित मानकों को प्राप्त किया जा सकता है।

10.3.9.2 ट्रांजिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट (टी.ओ.डी.) नीति

उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट (टी.ओ.डी.) नीति, 2022 के अन्तर्गत एक आदर्श नियोजन है, जिसका उद्देश्य ट्रांजिट नोड्स के आस–पास अत्यधिक घन मिश्रित भू उपयोग के साथ पैदल चलने तथा आवासन हेतु उपयुक्त नियोजित सत्त शहरी विकास केन्द्रों को विकसित करके भू–उपयोग एवं परिवहन को एकीकृत करना है, पैदल चलने वालों और गैर–मोटर चालित परिवहन (एन.एम.टी.) के अनुकूल अवस्थापना का सृजन करके टी.ओ.डी. ट्रांजिट की पहुँच को बढ़ाता है, जो बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित करता है, जिसके फलस्वरूप ट्रांजिट परियोजना की सवारियों में वृद्धि होती है और इस प्रणाली के आर्थिक

और वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार होता है। टी.ओ.डी. जोन उत्तर प्रदेश योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 9 के तहत जोनल डवलपमेंट प्लान है। बरेली महायोजना के अन्तर्गत भविष्य में आवश्यकतानुसार टी.ओ.डी. योजना तैयार की जा सकेगी।

10.3.9.3 हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा (टी.डी.आर.) नीति, 2022

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2119/आठ/3–22–10 विविध–2019 लखनऊ, 23 अगस्त, 2022 के द्वारा (हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा), उपविधि, 2022 को अधिसूचित किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

1. टी0डी0आर0 नीति–2022 द्वारा निम्नलिखित पात्रता अंकित की गयी है:–
   टी.डी.आर के द्वारा भूमि के ऐसे स्थान सरकार द्वारा संरक्षित होते है, जिससे इस भूमि पर होने वाले विकास को पुनः निर्देशित किया जाता है। टी.डी.आर. उन भू–स्वामियों को वित्तीय मुआवजा प्रदान करते है जो अपनी भूमि का एक हिस्सा या पूरी भूमि विकसित नहीं करने का विकल्प चुनते है। ऐसे भू–स्वामियों को उचित मुआवजे के बदले में प्राधिकरण जोनिंग के तहत कानूनी रूप से अपने विकास को समाप्त करने का विकल्प प्रदान किया जाता है। भूमि मालिक अपने अधिकार रियल एस्टेट डेवलपर्स या अन्य भू–स्वामियों को भी बेच सकते है।
2. जब कभी प्राधिकरण के विचार से योजना में चिन्हित किसी सुविधा (सुविधा के अन्तर्गत सड़क, पार्क और खुला स्थान, हरित पट्टी और या योजना में यथा अभिहित सुविधाओं सेवाओं, उपयोगिताओं और सुख–साधनों सहित कोई अन्य सार्वजनिक कार्य अथवा जिसे सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा इस उपविधि के प्रयोजनार्थ सुविधा निर्दिष्ट किया जाए, सम्मिलित है), का विकास करना समीचीन हो तो प्राधिकरण ऐसी भूमि के स्वामियों को ऐसे प्रपत्र में एवं ऐसी रीति से जैसा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, एक नोटिस देगा। शासनादेश में नियमावली विस्तृत रूप से उल्लेखित है।

(एक) जहाँ कोई भूमि, योजना में किसी सुविधा के लिये आरक्षित है. ऐसी भूमि का स्वामी टी.डी.आर. प्राप्त करने के लिये पात्र होगा बशर्ते ऐसी भूमि उसके द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क एवं भारमुक्त अभ्यर्पित कर दी जाए। परन्तु यह कि टी.डी.आर. के प्रयोजननार्थ तल क्षेत्रफल (एफ.ए.आर.क्रेडिट) निम्नलिखित के बराबर होगा:– अभ्यर्पित भूमि का क्षेत्रफल x 2 x गुणन फैक्टर

स्पष्टीकरण: गुणन फैक्टर की गणना अभ्यर्पित भूमि के वर्तमान सर्किल रेट को टी. डी.आर. के उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि के वर्तमान सर्किल रेट से विभाजित कर की जाएगी।

(दो) प्राधिकरण के पक्ष में भूमि का निःशुल्क हस्तान्तरण करने हेतु अधिकार अभिलेख को संशोधित किया जायेगा, जिस हेतु स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट होगी।

(तीन) टी.डी.आर. को प्रदान करने से आवेदक डी.आर.सी. के रूप में अतिरिक्त तल क्षेत्रफल के लिए अधिकृत हो जायेगा, जिसका उपयोग वह स्वयं कर सकेगा अथवा इस उपविधि के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरणीय कर सकेगा।

(चार) टी.डी.आर. की अनुमति उपाध्यक्ष द्वारा स्थानीय स्थितियों या आवश्यकताओं का आंकलन करने के पश्चात् ही दी जाएगी। उपरोक्त खण्ड (एक) में वर्णित स्थितियों में आवेदक को यह अधिकार स्वरूप उपलब्ध नहीं होगा। परन्तु यह कि टी.डी.आर. को अस्वीकार करने की दशा में उपाध्यक्ष आवेदन प्राप्त करने के तीस दिन के भीतर आवेदक को टी.डी.आर. स्वीकार न करने के कारणों से सूचित करेगा।

(पाँच) किसी न्यायालय के आदेश द्वारा निषिद्ध या किसी भी प्रकार से न्यायाधीन कोई भूमि या भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदाता अधिकार अधिनियम, 2013 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अर्जन के अन्तर्गत विवादित कोई भूमि टी.डी.आर. की अनुमति के लिये अर्ह नहीं होगी। टी0डी0आर0 का उपयोग आवासीय (ग्रुप हाउसिंग), व्यवसायिक, मिश्रित, कार्यालय, संस्थागत और सामुदायिक भू–उपयोग में रिसीविंग भू–उपयोग के लिये शासनादेश में विहित गुणांक के क्रम में किया जा सकेगा।

परन्तु यह कि डी0आर0सी0 को कृषि, मनोरंजन, भूखण्डीय विकास अथवा रो–हाउसिंग और औद्योगिक भू–उपयोग के लिये योजना में चिन्हित भूमि पर उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। परन्तु प्राधिकरण द्वारा अपने बोर्ड के अनुमोदन से योजना में टी0डी0आर0 'सेन्डिग' एवं 'रिसीविंग' जोन्स का चिन्हीकरण किया जा सकेगा।

महायोजना के अन्तर्गत सेडिंग जोन – ग्रीन, पार्क, पार्किंग व महायोजना मार्ग होंगे।

महायोजना के अन्तर्गत रिसीविंग जोन –विकसित व अविकसित क्षेत्र में 30.00 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्ग पर एवं न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर (निर्मित एवं कृषि भू–उपयोग को छोड़कर)। अवैध भवनों या संरचनाओं या निर्माण या भूमि के अवैध उपविभाजन से आच्छादित भूखण्डों में टी0डी0आर0 के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

टिप्पणी:–टी0डी0आर0 से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों पर अधिसूचना संख्या 2119/आठ/3–22–10 विविध–2019 लखनऊ, 23 अगस्त, 2022 के द्वारा (हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा), उपविधि, 2022 के अनुरूप की जायेगी।

10.3.9.4 बाजार स्ट्रीट

1. बाजार स्ट्रीट की अवधारणा को केवल निर्मित क्षेत्र एवं आवासीय भू–उपयोग में लागू किया गया है। वर्तमान में लागू महायोजना निर्मित क्षेत्र में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट एवं प्रारूप महायोजना–2031 के अन्तर्गत निर्मित क्षेत्र से प्रस्तावित की जाने वाली बाजार स्ट्रीट हेतु मार्ग की प्रस्तावित/विद्यमान चौड़ाई के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत मार्ग के किनारे से अधिकतम 15 मी0 निर्धारित की गई हैं।
2. अन्य क्षेत्रों (निर्मित क्षेत्र को छोड़कर) में 24 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े प्रस्तावित/विद्यमान मार्गों पर इस शर्त के साथ बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित की गई है कि 30 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण के समय सर्विस लेन अनिवार्य रूप से बनायी जाये।

3. प्रारूप महायोजना के प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट से सम्बद्ध भूखण्ड पर क्रियाओं की अनुमति जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार इस शर्त के साथ अनुमन्य किया गया है कि महायोजना प्रवृत्त होने की तिथि तक भूस्वामी के स्वामित्व में आने वाले भूखण्ड की सम्पूर्ण गहराई जो कि प्रश्नगत बाजार मार्ग से सीधे सम्बद्ध हो, पर बाजार स्ट्रीट भू–उपयोग अनुमन्य किया गया हैं।
4. प्राधिकरण की योजनाओं/स्वीकृत ले–आउट में महायोजना प्रस्तावों के अन्तर्गत बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित होने की दशा में नियमानुसार ले–आउट में परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही बाजार स्ट्रीट के प्रस्ताव प्रभावी होंगे।

10.3.9.5 हाईवे फैसेलिटी जोन

1. हाईवे फैसेलिटी जोन की श्रेणी को कृषि भू–उपयोग का ही भाग माना जायेगा।
2. हाईवे फैसेलिटी जोन में कोई भूखण्ड/भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग एवं बाईपास से सम्बद्ध होने के साथ–साथ यदि चक मार्ग से भी सम्बद्ध है तो उक्त चक मार्ग के मध्य से न्यूनतम 12 मीटर का मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
3. उपरोक्त जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार प्रस्तावित हाईवे फैसेलिटी जोन के अन्तर्गत स्थित भूखण्डों पर प्रस्तावित किये जाने वाली क्रियाओं हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकतम भू–आच्छादन, तल क्षेत्रानुपात (FAR), आदि के प्राविधानों को लागू किया जायेगा।

10.4 नियोजन खण्ड

बरेली विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु इसे 6 नियोजन खण्डों में विभक्त किया गया है, जिसे तालिका संख्या–40 में दर्शाया गया है।

तालिका–40
बरेली नियोजन खण्ड एवं क्षेत्रफल

नियोजन खण्ड	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2283.73
2	13225.80
3	5494.42
4	12115.80
5	9206.12
6	7816.13
योग	**50172.20**

10.5 चरणबद्ध विकास

नियोजन खण्डों को सामान्यतः समरूप क्षेत्र की मुख्य मार्गों की सीमा से सीमित किया गया है। इन नियोजन खण्डों की विस्तृत योजनाएँ महायोजना प्रस्तावों के अनुरूप तैयार की जानी प्रस्तावित है।

बरेली महायोजना का जोनवार विवरण

बरेली नगर के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नगर का वर्तमान निर्मित क्षेत्र काफी सघन बसा है एवं मार्गो पर यातायात का भार अधिक रहता है। नगर की अधिकांश मुख्य सुविधाएँ इसी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित हैं जो कि नगरीय आवश्यकताओं की पूर्ति का केन्द्र बिन्दु हैं तथा जिनके कारण यातायात पर निरन्तर दबाव बना रहता है। बरेली विकास क्षेत्र को 6 नियोजन खण्डों में विभक्त किया गया है जो कि निम्न प्रकार है।

1. **निर्मित क्षेत्र** : निर्मित क्षेत्र जोन एक के अन्तर्गत नगर की पुरानी आबादी तथा मुख्य व्यवसायिक एवं नागरिक सुविधाएँ स्थापित हैं। यह नगर का सघन क्षेत्र है जिसके अन्तर्गत बिहारीपुर, साहूकारा, कोहाड़ापीर, कुतुबखाना, आलमगीरीगंज, शाहबाद, गुलाब नगर, शाहमतगंज, शाहदाना, मढ़ीनाथ का पूर्व निर्मित क्षेत्र एवं सुभाष नगर आदि मोहल्ले एवं बाजार आते हैं।

2. **लखनऊ मार्ग से पीलीभीत बाईपास मार्ग के मध्य का क्षेत्र** : इस क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य रूप से एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, महानगर कॉलोनी, पी.ए.सी. कार्यालय तथा बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित रामगंगा नगर आवासीय कॉलोनी का क्षेत्र आता है तथा साथ ही छावनी क्षेत्र का कुछ भाग भी सम्मिलित है।
3. **पीलीभीत बाईपास मार्ग से काठगोदाम मार्ग के मध्य का क्षेत्र** : इस क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य रूप से दीनदयाल पुरम, राजेन्द्र नगर, एकता नगर, आवासीय क्षेत्र, रेलवे स्टेशन इज्जतनगर, आई.वी.आर.आई., नवीन मण्डी स्थल, हवाई अड्डा एवं स्टेडियम क्षेत्र सम्मिलित हैं।
4. **काठगोदाम मार्ग से दिल्ली मार्ग के मध्य का क्षेत्र** : इस क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य रूप से केन्द्रीय कारागार, गाँधीनगर, हार्टमैन कॉलेज, कर्मचारी नगर, रेलवे कॉलोनी, परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र सम्मिलित हैं।
5. **दिल्ली मार्ग से बदायूँ मार्ग के मध्य का क्षेत्र** : इस क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य रूप से तकनीकी कॉलेज, रामगंगा नदी एवं अन्य नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तथा रेलवे स्टेशन परसाखेड़ा तथा रेलवे स्टेशन सी.बी.गंज सम्मिलित हैं।

बदायूँ मार्ग से लखनऊ मार्ग के मध्य का क्षेत्र : इस क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य रूप से बी.डी.ए. आवासीय कॉलोनी, सुभाषनगर, जिलाधिकारी कार्यालय, जनपद न्यायालय, मण्डल आयुक्त कार्यालय, संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, सेवायोजन कार्यालय, जिलाधिकारी आवास, पुलिस लाइन, पी.डब्लू.डी. कार्यालय, आयकर विभाग, विद्युत विभाग, मिशन अस्पताल, बटलर प्लाजा व्यवसायिक केन्द्र, चौकी चौराहा क्षेत्र तथा रामपुर बाग आदि क्षेत्र सम्मिलित है। इसके साथ ही बरेली छावनी क्षेत्र भी सम्मिलित है।

10.6 स्ट्रैटेजिक प्लान एवं वित्त पोषण

महायोजना के विभिन्न कार्यांशों का परस्पर एवं वित्त पोषण से 'इन्टीग्रेशन' तथा महायोजना मार्गो एवं नगर स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना एवं 'फाइनेन्सिंग प्लान'

इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा सिटी डेवलपमेंट प्लान–2051 तैयार कराने हेतु अनुबंधित कन्सलटेंट मैसर्स MEINHARDT Pvt. Ltd. द्वारा उपलब्ध कराये गये विजन डाक्यूमेंट–2051 में निम्न कार्ययोजनाओं को महायोजना अवधि में कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

तालिका–41
विजन डॉक्यूमेंट की अल्पवधि परियोजनाएं

Bareilly Vision Plan 2051

Project list

Sr. No.	Project List under Bareilly City Vision Plan 2051	Domain	Nodal Department	Total cost in INR Lakhs
1	Residential Housing Node a) Greater Bareilly- b) Sri Janki Puram- c). Nekpur (Phase 1) & Gangora Pikariyam, d) Kargaina, e) Tehtajpur	Urban Planning	BDA / Awas vikas / Private Builder	1,85,822.96
2	Industrial Growth Center a) Rajau Paraspur Phase 1 b) PalNRakheda c) Kurtara		BDA / UPSIDC / Private BuildeINR	59,280.00
3	Integrated Freight Center cum Logistic Hub, Faridpur		BDA / Private BuildeINR	6,918.95
4	Access to Ganga Expressway through Radial Road and Outer Ring Road	Transportation	NHAI / PWD	53,555.61
5	Bareilly Lite Metro facility		BDA	17,35,374.90
6	Proposed Bridges, FoBs, Footpaths, Cycle Track		Nagar Nagam	18,000.00
7	Junction Improvement Plan		Nagar Nagam/ PWD/ BDA	4,000.00

8	Missing Links		PWD/BDA/ UP Bridge Corporation	12,000.00
9	Ahichchhatra Tourism Infrastructure upgradation		Tourism Department	2,800.00
10	Fist War of Independence (1857) museum: a) Bareilly College Campus		Tourism Department	4,400.00
11	Urban Renewal of Nath Temple circuit & Infrastructure improvement of all Seven Nath Temples		Tourism Department	3,666.85
12	River front development (Ramganga & Nakatiya)		PWD/ Irrigation /BDA	1,421.74
13	Aerocity integrated office complex near Airport development: Area		BDA / Private Builder	1,76,070.00
14	Development of new solid waste treatment plant for 2041	Infrastructure	Nagar Nigam	9,000.00
15	City Plan for Water Logging / stagnant spots and flood prone areas		Jal Nigam / Nagar Nigam	9,000.00
16	Development of new Tertiary Sewage Treatment Plant (STP): Near Industrial Area.		Jal Nigam / Nagar Nigam	1,68,000.00
17	"Medicity" – designated area with multiple health business and activities	Economy	BDA / Nagar Nigam	35,132.50
18	Development of Handicraft Cluster/ Common Facility Centre (CFC) – Zari & Bamboo		BDA / Nagar Nigam	7.59
19	Demonstration of Solar Energy for streets and Gov. buildings.	Solar	UPNEDA	15.40
	Total Project Cost in Lakhs			**24,84,446.5**
	Total Project Cost in Cr.			**24,844.6**

स्त्रोत : विजन डॉक्यूमेंट–2051

नोटः– उपरोक्त गणना अनुमानित आधार पर की गयी है। परियोजना विशेष की आवश्यकता एवं वित्तीय स्त्रोत की उपलब्धता के आधार पर परियोजनाओं की प्राथमिकता में युक्तियुक्त परिवर्तन / परिवर्धन किया जा सकेगा।

नाथ कॉरिडोर

बरेली शहर, सात नाथ मंदिरों के कारण नाथ नगरी के रूप में जाना जाता है। शहर में बहुत गहरी आध्यात्मिक विरासत है, जो कई अन्य शहरों से पर्यटकों को नाथ मंदिरों की ओर आकर्षित करती है। सावन माह और महाशिवरात्रि पर इन नाथ मंदिरों में लोगों की सबसे अधिक भीड़ देखी जाती है। सात नाथ मंदिरों की परिक्रमा के लिए हजारों तीर्थयात्री भी शहर की यात्रा करते हैं, जो शहर की धार्मिक विशिष्टता में योगदान देता है। बरेली शहर में नाथ कॉरिडोर की कुल लंबाई 32.5 किमी है जहां सभी सात मंदिर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रथम चरण में शाहजहाँपुर रोड, बदायूँ रोड एवं पीलीभीत रोड 6 लेन तथा बीसलपुर रोड, रामपुर रोड एवं डोहरा रोड का 4 लेन चौड़ीकरण, डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट आदि लगाने का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रथम चरण में नाथ कॉरिडोर से संबंधित विभिन्न प्रकार के साइनेज लगाने का कार्य भी प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित है। पहले चरण में ही प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन प्रवेश द्वारों के आसपास लैंडस्केपिंग कर स्थल को भव्य रूप से विकसित किया जाएगा और भगवान शिव से जुड़े प्रतीक स्थापित किए जाएंगे, जिससे नाथ नगरी बरेली में प्रवेश करने वाले लोगों को शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

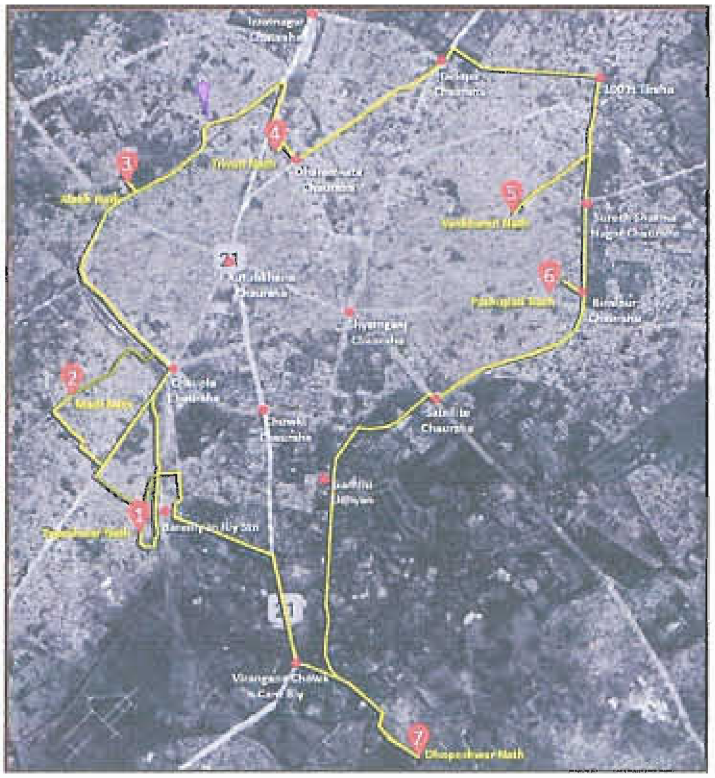

Location	Distance
Tapeshwarnath to Madinath	2.50
Madinath to Alakhnath	3.70
Alakhnath to Trivatinath	3.40
Trivatinath to Vankhandinath	6.50
Vankhandinath to Pashupatinath	3.10
Pashupatinath to Dhopeshwarnath	7.50
Dhopeshwarnath to Tapeshwarnath	5.80
Total Stretch in Km	**32.50**

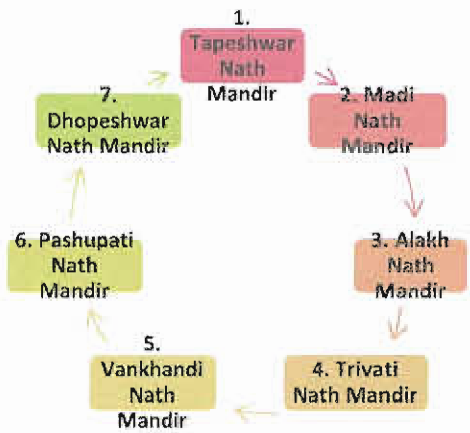

अध्याय–11
जोनिंग रेगुलेशन्स

11.1 परिचय

11.1.1 जोनिंग के उद्देश्य

महायोजना में सामान्यतः प्रमुख भू–उपयोगों यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधायें, पार्क एवं खुले स्थल, कृषि आदि को ही दर्शाया गया है। प्रमुख भू–उपयोगों के अन्तर्गत अनुमन्य अनुषांगिक क्रियाएँ जिन्हें महायोजना मानचित्र पर अलग से दर्शाया जाना सम्भव नहीं है, की अनुज्ञा जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर प्रदान की जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई योजनाओं में भी विविध अनुषांगिक क्रियाओं/उपयोगों का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन्स तथा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ताकि जन–स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

11.1.2 जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएं

नगरों के परिवर्तनशील भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। प्रस्तुत जोनिंग रेगुलेशन्स में प्रमुख भू–उपयोग जोन्स के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता को समय के परिप्रेक्ष्य में अनुक्रियाशील बनाने तथा अनुज्ञा की प्रक्रिया को सरलीकृत किए जाने के उद्देश्य से समुचित प्राविधान किए गये हैं। जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार है :–

1. परम्परागत जोनिंग रेगुलेशन्स में व्याप्त जटिलताओं को समाप्त कर सरल बनाया गया है। इस हेतु प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता को ग्राफिक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सर्वग्राही एवं यूजर फ्रेन्डली बनाया गया है।

2. विद्यमान महायोजनाओं में अपनाई गई परम्परागत "रीजीमेटिड" भू–उपयोग पद्धति के स्थान पर "फ्लैक्सेबल" एवं "मिश्रित भू–उपयोग" कान्सेप्ट को अपनाया गया है जो नगरों के गतिशील विकास में प्रोत्साहन स्वरूप होगा।
3. जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं हेतु प्रभाव शुल्क लिए जाने की व्यवस्था की गई है जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण/परिषद को अवस्थापना विकास कार्य हेतु अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे।
4. प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने वाले उपयोगों के परीक्षण एवं विकास प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति करने के लिये एक समिति के गठन की व्यवस्था की गयी है।

11.1.3 विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणियाँ

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू–उपयोग जोन्स के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की निम्न अनुज्ञा श्रेणियाँ होंगी :–

(क) अनुमन्य उपयोग :

वह क्रियाएँ/उपयोग जो सम्बन्धित प्रमुख भू–उपयोगों के अनुषांगिक होंगे तथा सामान्यतः अनुमन्य होंगे।

(ख) सशर्त अनुमन्य उपयोग :

वह क्रियाएँ/उपयोग जो कार्यपूर्ति के आधार पर सम्बन्धित प्रमुख भू–उपयोगों में अनिवार्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य होंगे। अनिवार्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध भाग–3 में दिये गये हैं।

(ग) सक्षम प्राधिकारी की विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोगः

वह क्रियाएँ/उपयोग जो आवेदन किए जाने पर निर्माण के प्रकार के संदर्भ में अवस्थापनाओं की संरचना तथा आस–पास के क्षेत्र पर पड़ने वाले पर्यावरण प्रभाव, आदि अर्थात गुण–दोष को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अनुमन्य होंगे। विकास क्षेत्र/विशेष विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू–उपयोग जोन में सक्षम

प्राधिकारी द्वारा अन्य क्रियाओं की विशेष अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में एक समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा तथा समिति की संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। उक्त समिति में निम्न सदस्य होंगे :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि।
2. विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।
3. अध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर–सरकारी सदस्य।

विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु अपेक्षाएँ भाग–4 में दी गई है।

(घ) निषिद्ध उपयोग

वह क्रियाएँ/उपयोग जो सम्बन्धित प्रमुख भू–उपयोग जोन में अनुमन्य नहीं होंगे। निषिद्ध क्रियाओं के अन्तर्गत सूचीबद्ध क्रियाओं के अतिरिक्त ऐसी सभी क्रियाएँ तथा विकास/निर्माण कार्य जो प्रमुख उपयोग के अनुषांगिक नहीं हैं अथवा उपरोक्त (क), (ख) व (ग) श्रेणी के अनुमन्य क्रियाओं की सूची में शामिल नहीं है, की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11.1.4 फ्लोटिंग उपयोग

महायोजना लागू होने के उपरान्त प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में कतिपय क्रियाएँ/उपयोग नगरों के परिवर्तनशील भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तथा राजनैतिक परिवेश में आवश्यकतानुसार प्रस्तावित किये जाते हैं जो समय की माँग के अनुसार व्यवहारिक होते हैं, परन्तु महायोजना अथवा जोनिंग रेगुलेशन्स में परिकल्पित नहीं हैं। इस प्रकार के उपयोगों में बस/ट्रक/रेल/हवाई टर्मिनल, थोक मार्केट कॉम्पलेक्स, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ यथा विद्युत सब–स्टेशन, ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स इत्यादि शामिल हो सकते हैं। ऐसी क्रियाओं को अनुमन्य किए जाने हेतु कई बार अधिनियम के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाया जाना अपरिहार्य हो जाता है जो अन्यथा प्रत्येक मामले में औचित्यपूर्ण न हो। अतः आवश्यकतानुसार ऐसी क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता हेतु "फ्लोटिंग उपयोग" कान्सेप्ट अपनाया है।

11.1.5 प्रभाव शुल्क

विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जहाँ नियोजन मानकों के अनुसार अनुषांगिक क्रियाओं का प्राविधान किया जा चुका है, के अन्तर्गत, वर्तमान अथवा भविष्य में कतिपय अन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त हो सकते हैं/होंगे। ऐसे आवेदनों पर जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विचार नहीं किया जायेगा क्योंकि स्वीकृत परिक्षेत्रीय योजना/विन्यास मानचित्र में भूखण्ड का भू-उपयोग निर्दिष्ट किया जा चुका है किन्तु इन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विचार किया जायेगा। यदि निम्न भू-उपयोग जोन में उच्च उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इसके फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र में यातायात, अवस्थापनाओं तथा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, अतः ऐसी अनुज्ञा के समय आवेदक द्वारा "प्रभाव शुल्क" (Impact Fee) देय होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन भू-उपयोग परिवर्तन निहित हो, में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा जबकि जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु केवल प्रभाव शुल्क देय होगा। प्रभाव शुल्क महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च उपयोग में परिवर्तन शुल्क से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 3712/9-आ-3-2000-26 एल0यू0सी0/91 दिनांक 21.08.2001 एवं तत्सम्बन्धित प्रभावी अन्य शासनादेशों में निहित व्यवस्था को आधार मानकर वसूल किया जाएगा। प्रभाव शुल्क की राशि सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु उक्त शासनादेश में निर्धारित शुल्क की 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु 50 प्रतिशत होगी। प्रभावी शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू-उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जायेगा।

प्रभाव शुल्क निम्न परिस्थितियों में देय नहीं होगा–

1. निर्मित क्षेत्र में ''सामान्यतः अनुमन्य'' क्रियाओं/उपयोगों हेतु,

2. आवासीय भू–उपयोग जोन में शासकीय एवं अर्द्ध–शासकीय अभिकरणों द्वारा विकसित की जाने वाली सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं/क्रियाओं हेतु,

3. विभिन्न प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में अस्थायी रूप से (अधिकतम समय सीमा एक सप्ताह) अनुमन्य की जाने वाली क्रियाओं/उपयोगों हेतु,

4. राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न नीतियाँ–पर्यटन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, फिल्म नीति, आदि के अधीन जिन क्रियाओं/उपयोगों को शासकीय आदेशों के अनुसार कतिपय भू–उपयोग जोन्स में अनुमन्य किया गया है, हेतु प्रभाव शुल्क देय नहीं होगा यथा आवासीय क्षेत्र में तीन स्टार तक के होटल तथा पाँच के0वी0ए0 क्षमता तक की सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयाँ/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क।

11.1.6 अनुज्ञा की प्रक्रिया

प्रमुख भू–उपयोग जोन के अन्तर्गत मूल भू–उपयोग से इतर क्रिया/उपयोग (भले ही जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार ऐसी क्रिया/उपयोग सामान्यतः अनुमन्य/सशर्त अनुमन्य/विशेष अनुमति से अनुमन्य हो) अनुमन्य किए जाने हेतु न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जायेंगे एवं इन आपत्तियों/सुझावों के निस्तारण के उपरांत ही स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जाएगा।

विकास क्षेत्र/विशेष विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू–उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य क्रियाओं की विशेष अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में एक समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा तथा समिति की संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उक्त समिति में निम्न सदस्य होंगेः–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि

2. विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी

3. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर–सरकारी सदस्य। विनियमित क्षेत्र में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों के सम्बन्ध में नियन्त्रक प्राधिकारिणी द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाएगा ।

जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन आवेदक द्वारा किसी क्रिया अथवा उपयोग की अनुज्ञा अधिकार स्वरूप प्राप्त नहीं की जा सकेगी ।

11.1.7 अन्य अपेक्षाएं

11.1.7.1 महायोजना में चिन्हित प्रमुख भू–उपयोग जोन्स के अन्तर्गत किसी क्रिया या विशिष्ट उपयोग हेतु प्रस्तावित स्थल पर विकास/निर्माण उस क्रिया या विशिष्ट उपयोग की अनुषांगिकता के अनुसार ही अनुमन्य होगा। उदाहरणार्थ, सामुदायिक सुविधाओं में अस्पताल उपयोग के अन्तर्गत केवल अस्पताल तथा उसकी अनुषांगिक क्रियायें ही अनुमन्य होगी।

11.1.7.2 महायोजना में प्रस्तावित किसी भू–उपयोग जोन के अन्तर्गत वर्तमान वन क्षेत्र या सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं से सम्बन्धित स्थल, जैसे–पार्क, क्रीड़ा स्थल तथा सड़क आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग वही रहेगा भले ही महायोजना में उन स्थलों का प्रमुख भू–उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो।

11.1.7.3 यदि अधिनियम को अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले–आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/भूखण्ड का अनुमन्य भू–उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार ही होगा। इन क्षेत्रों में जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विचार नहीं किया जायेगा। जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विभिन्न अभिकरणों द्वारा तैयार की जाने वाली परिक्षेत्रीय विकास योजनाओं/विन्यास मानचित्र/पुर्नविकास योजना के लिए तथा ऐसे क्षेत्र जिनकी परिक्षेत्रीय विकास योजना/विन्यास मानचित्र अभी तक तैयार नहीं किये जा सके हैं, हेतु ही कार्यवाही की जायेगी।

11.1.7.4 प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सभी भू–उपयोग श्रेणियों (अनुमन्य, सशर्त अनुमन्य, विशेष अनुमति से अनुमन्य) में विकास एवं निर्माण कार्य भवन उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किया जायेगा।

11.1.8 परिभाषाएं

11.1.8.1 इन रेगुलेशन्स हेतु 'सक्षम प्राधिकारी' का तात्पर्य उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत घोषित विकास प्राधिकरण बोर्ड से है।

11.1.8.2 'निर्मित क्षेत्र' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो महायोजना में इस रूप में परिभाषित किया गया है।

11.1.8.3 विकासशील/अविकसित क्षेत्र का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो निर्मित क्षेत्र के बाहर, परन्तु विकास क्षेत्र के अन्तर्गत है।

11.2 भू–उपयोग परिसरों /क्रियाओं की परिभाषाएं

उपरोक्त से सम्बंधित विविध परिभाषाएँ शासनादेश संख्या–958/9–आ–3–2001 लखनऊ, दिनांक 12 मार्च, 2001 द्वारा जारी जोनिंग रेगुलेशन्स में यथा स्थान वर्णित हैं।

11.2.1 आवासीय

1	**एकल आवास/ भूखण्डीय आवास**	वह परिसर, जिसमें स्वतंत्र आवासीय इकाई (भूखण्डीय आवास) हो।
2	**समूह आवास (ग्रुप हाऊसिंग)**	वह परिसर, जिसमें दो या इससे अधिक मंजिल का भवन होगा एवं प्रत्येक तल पर स्वतंत्र आवासीय इकाईयाँ होंगी तथा जिसमें भूमि एवं सेवाओं, खुले स्थलों व आवागमन के रास्ते की भागीदारी एवं सह–स्वामित्व होगा।
3	**आनुषांगिक कर्मचारी आवास**	वह परिसर जिसमें किसी प्रमुख भू–उपयोग कार्यरत कर्मचारियों हेतु उसी उपयोग में आवासीय इकाइयों का प्राविधान एकल अथवा समूह आवास के रूप में किया गया हो।
4	**चौकीदार/संतरी आवास**	वह परिसर, जिसमें उस उप–उपयोग की सुरक्षा एवं रख–रखाव से सम्बद्ध व्यक्तयों हेतु आवासीय व्यवस्था की गई हो।

11.2.2 व्यवसायिक

1	**फुटकर दुकानें**	वह परिसर, जहाँ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री सीधे उपभोक्ता को की जाती हों।

2	दैनिक उपयोग की दुकानें	अधिकतम आच्छादन 15 वर्ग मीटर एवं अनुलग्नक 1–क के अनुसार।
3	शो–रूम	वह परिसर जहाँ वस्तुओं की बिक्री एवं उनका संग्रह, उपभोक्ताओं को प्रदर्शित करने की व्यवस्था के साथ की जाती है।
4	मोटर वाहनों के शोरूम	वह परिसर जिसमें वाहन का क्रय–विक्रय, वाहनों का शो–रूम, आटोमोबाइल्स की सर्विसिंग और मरम्मत की जाती है।
5	मोटर वाहनों के स्पे. पार्टस की बिक्री हेतु दुकाने	वह परिसर जहाँ मोटर वाहनों के स्पेयर पार्टस का विक्रय किया जाता है।
6	आटा चक्की	वह परिसर, जहाँ गेहूँ, मसालों, इत्यादि सूखे भोजन पदार्थो को पीस कर दैनिक प्रयोग हेतु तैयार किया जाता हो।
7	थोक मण्डी / व्यापार	वह परिसर, जहाँ माल और वस्तुए थोक व्यापारियों को बेची और सुपुर्द की जाती है। परिसर में भण्डारण व गोदाम और माल चढाने एवं उतारने की सुविधाएं भी शामिल है।
8	नीलामी बाजार	ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नीलामी के माध्यम से केवल खरीदने व बेचने के लिए लायी जाती है। ऐसे स्थान पर किसी भी प्रकार का भण्डारण अनुमन्य नहीं होता तथा यह स्थान पूर्णतया खुले रूप में होता है जिसमें केवल एक संचालन कक्ष हो सकता है
9	कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)	वह परिसर जहाँ आवश्यक तापमान आदि बनाए रखने के लिए यान्त्रिक और विद्युत साधनों का प्रयोग करके आवृत्त स्थान में नाशवान वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।
10	होटल	वह परिसर, जिसका उपयोग ठहरने के लिए खाने सहित या खाने रहित अदायगी करने पर किया जाता है।
11	मोटल	यह परिसर, मुख्य मार्ग के किनारे स्थित हो और जहाँ यात्रियों की सुविधाओं के लिए ठहरने सहित खान–पान का प्रबन्ध तथा वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो।
12	रिजार्ट	प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से निर्मित ऐसा स्थान जो अल्प / लघु अवधि के लिए मनोरंजनात्मक रूप से उपयोग किया जाता है ऐसे परिसर में रात्रि विश्राम के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक सुविधायें भी रहती है।
13	कैन्टीन	वह परिसर जिसे संस्था के कर्मचारियों के लिए कुकिंग सुविधाओं सहित खाद्य पदार्थो की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें बैठने का स्थान हो सकता है।
14	भोजनालय / जलपान गृह / रेस्टोरेन्ट	वह परिसर जिसे कुकिंग सुविधाओं सहित व्यवसायिक आधार पर खाद्य पदार्थो की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता हो। इसमें बैठने का स्थान आवृत्त या खुला अथवा दोनों प्रकार का हो सकता है।
15	थ्सनेमा	वह परिसर जिसमें दर्शकों के बैठने के लिए आवृत स्थान सहित चलचित्र के प्रक्षेपण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
16	मल्टीप्लेक्स (बहुसामुच्य)	वह परिसर जिसमें फिल्म प्रदर्शन की नवीनतम तकनीकी सहित अन्य मनोरंजन सुविधाओं तथा अनुषांगिक व्यवसायिक क्रियाओं की व्यवस्था एक काम्पलेक्स में हो।
17	पी.सी.ओ. / सेल्यूलर मोबाइल सर्विस	वह परिसर जहाँ से स्थानीय, अन्तर्राज्यीय, देश–विदेश, इत्यादि में दूरभाष अथवा सेल्यूयर पर शुल्क अदा करके बातचीत किए जाने की व्यवस्था हो।
18	पेट्रोल / डीजल / सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन	स्टशेन उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद बेचने का परिसर जिसमें ओटोमोबाइल्स की सर्विसिंग भी शामिल हो सकती है।
19	गैस गोदाम	वह परिसर जहाँ कुकिंग गैस या गैस सिलिन्डरों का भण्डारण किया जाता हो।
20	गैस अधिष्ठान	वह परिसर जहाँ रसोई गैस की केवल बुकिंग की जाती है।

21	जंकयार्ड / कबाड़खाना	वह परिसर जहाँ निष्प्रयोज्य माल, वस्तुओं और सामग्री की बिक्री और खरीद सहित आवृत्त अथवा अर्द्ध–आवृत्त अथवा खुला भण्डारण किया जाता हो।
22	भण्डारण गोदाम, वेयर–हाउसिंग	वह परिसर जिसे सम्बन्धित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार माल और वस्तुओं के केवल भण्डारण के लिए उपयोग किया जाता हो। ऐसे परिसर में सड़क परिवहन या रेल परिवहन, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा माल चढ़ाने और उतारने की सुविधाएं शामिल है।
23	तेल डिपो	वह परिसर जहाँ सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित पेट्रोलियम उत्पाद का भण्डार किया जाता हो।

11.2.3 औद्योगिक

1	लघु उद्योग	उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार लघु उद्योग की श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
2	मध्यम उद्योग	उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार मध्यम उद्योग की श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग
3	वृहद् उद्योग	उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार वृहद् उद्योग की श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग
4	सेवा / कुटीर उद्योग	ऐसे उद्योग सम्मिलित है जो मुख्य रूप से उत्पाद और सेवा प्रदान करते है।
5	खनन सम्बन्धी	वह परिसर जिसमें पत्थर एंव अन्य भूमिगत सामग्रियों को खोद कर निकालने एवं प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता हो।
6	सॉफ्टवेयर / सूचना प्रौद्योगिकी पार्क	वह परिसर जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयोग होने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर इस क्षेत्र के अद्यतन प्रोद्योगिकी के अन्य साफ्टवेयर इत्यादि का निर्माण किया जाता हो।
7	लॉजिस्टिक पार्क / वेयर हाउसिंग	जहाँ वस्तुओं के स्टोरेज / कोल्ड स्टोरेज एवं परिवहन सुविधा उपलब्ध होती है।

11.2.4 कार्यालय

1	राजकीय कार्यालय	वह परिसर जिसका उपयोग केन्द्रीय / राज्य सरकार के कार्यालय के लिए किया जाता हो।
2	स्थानीय निकाय कार्यालय	वह परिसर जिसका उपयोग स्थानीय निकायों के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
3	अर्द्ध–राजकीय कार्यालय	वह परिसर जिसका उपयोग किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अभिकरण, निकाय, परिषद, आदि के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
4	निजी कार्यालय	वह परिसर जिसमें किसी एक या छोटे ग्रुप द्वारा व्यवसायिक कार्यो हेतु कन्सल्टेन्टी / सर्विसिंग प्रदान की जाती हो जैसे चार्टड एकाउन्टेण्ट, अधिवक्ता, चिकित्सक, वास्तुविद, डिजाईनर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, टूर एवं ट्रेवेल एजेन्ट, इत्यादि।
5	साइबर कैफे	वह केन्द्र या स्थान जहाँ शुल्क अदा करके नागरिकों द्वारा इन्टरनेट की सुविधा का उपयोग किया जाता है
6	बिजनेस पार्क	नगर का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अनेक कार्यालय भवन स्थापित हो, जो केवल व्यवसायिक गतिविधियों / कार्यकलापों के उपयोग में लिये जाते है।
7	डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर	ऐसा सेन्टर जहाँ कम्प्यूटर प्रौद्यागिकी से संबंधी सूचना (डाटा) के विश्लेषण इत्यादि की प्रोसेसिंग की जाती है, ऐसे केन्दों में कम्प्यूटर्स, सर्वर, इंटरनेट

		सर्वर स्थापित किये जाते है तथा इनका संचालन सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर इन्जीनियर्स द्वारा किया जाता है।
8	कॉल सेन्टर	ऐसा केन्द्र जहॉ विभिन्न उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत सूचनाएं, व्यवसायिक गतिविधियों संबंधी सूचनाएं तथा मार्गनिर्देशन ई–कम्यूकेशन के माध्यम से किया जाता है।
9	बैंक	वह परिसर जिसमें बैंकों के कार्य और प्रचालन को पूरा करने के लिए व्यवस्था हो।
10	वाणिज्यिक / व्यवसायिक कार्यालय	वह परिसर जो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कार्यालयों के लिए उपयोग किया जाता हो।
11	श्रमिक कल्याण केन्द्र	वह परिसर जहॉ श्रमिकों के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
12	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र / शोध केन्द्र	वह परिसर जहॉ सामान्य जनता एवं श्रेणी विशेष के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
13	मौसम अनुसंन्धान केन्द्र	वह परिसर जहॉ मौसम और उससे सम्बन्धित ऑकड़ों के अध्ययन / अनुसंधान और विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।

11.2.5 सामुदायिक सुविधाऐं, उपयोगितायें एवं सेवायें

1	अतिथिगृह / निरीक्षणगृह	वह परिसर जहॉ सरकारी / अर्द्ध–सरकारी, उपक्रम कम्पनी के स्टाफ तथा अन्य व्यक्तियों को लघु अवधि के लिए ठहराया जाता है।
2	धर्मशाला	वह परिसर जिसमें लाभरहित आधार पर लघु अवधि के अस्थायी आवास की व्यवस्था होती है।
3	बोर्डिंग / लॉजिंग हाऊस	वह परिसर जिसके कमरे आवासीय सुविधा हेतु दीर्घावधि हेतु किराए पर दिए जाते है।
4	छात्रावास	ऐसा भवन जिसमें छात्र शिक्षा की अवधि तक के लिए निर्धारित शुल्क अदा करके निवास करते है। इसमें छात्रों के रिहायशी कमरों के अतिरिक्त छात्रों हेतु खान–पान, कैन्टीन, शौचालय, इन्डोर गेम्स्, वार्डन हाउस, इत्यादि भी सम्मिलित हो सकते है।
5	अनाथालय	वह परिसर जहॉ अनाथ बच्चों के रहने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें शैक्षिक सुविधाओं की भी व्यवस्था हो सकती है।
6	रैन–बसेरा	वह परिसर जिसमें बिना शुल्क या नाम मात्र के शुल्क से रात्रि के समय रहने की व्यवस्था होती है।
7	सुधारालय	वह परिसर जहॉ अपराधियों को रखने और उनका सुधार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
8	हैण्डीकैप्ड चिल्ड्रेन हाउस	वह परिसर जहॉ अपाहिज तथा मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के सुधार तथा चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसका प्रबन्ध व्यवसायिक अथवा गैर–व्यवसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
9	शिशुगृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र	वह परिसर जहॉ दिन के समय शिशुओं के लिए नर्सरी सुविधाओं की व्यवस्था हो। केन्द्र का प्रबन्ध व्यवसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा किया जा सकता है।
10	वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र	वह परिसर जहॉ पर सामान्यतः वृद्ध अवस्था के व्यक्तियों के लिए लघु अथवा दीर्घकालिक रहने की व्यवसायिक अथवा गैर–व्यवसायिक व्यवस्था हो। इसमें वृद्धों के मनोंरजन, सामान्य स्वास्थ्य, खान–पान इत्यादि की भी व्यवस्था हो

		सकती है जिसका प्रबन्ध किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
11	उच्च माध्यमिक/इण्टर विद्यालय	वह परिसर जहाँ 10वीं/12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण एवं खेल–कूद सुविधाओं की व्यवस्था हो।
12	महाविद्यालय	वह परिसर जहाँ किसी महाविद्यालय के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण एवं खेल–कूद तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
13	विश्वविद्यालय	वह परिसर जहाँ किसी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण एवं खेल–कूद तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
14	पॉलीटेक्निक	वह परिसर जहाँ तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तर तक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें तकनीकी स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल होंगे।
15	मेडिकल/डेन्टल कॉलेज	वह परिसर जहाँ मानव विज्ञान के अन्तर्गत रोगों का उपचार हेतु शिक्षण डेण्टल, ऑपरेशन, इत्यादि तथा उपचार एंव शोध कार्य किया जाता हो।
16	उच्च तकनीकी संस्थान	वह परिसर जहाँ तकनीकी क्षेत्र में स्नातक या स्नातकोत्तर तक की शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
17	कुटीर उद्योग प्रशिक्षण	वह परिसर जहाँ घरेलू/लघु/सेवा उद्योग जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई पेण्टिंग, कम्प्यूटर, टूर एवं ट्रेवेल्स, इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता हो।
18	प्रबन्धन संस्थान	वह परिसर जहाँ प्रबन्धन क्षेत्र में शिक्षण/प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
19	सामान्य शैक्षिक संस्थान	वह परिसंर जहाँ गैर–तकनीकी शिक्षा दी जाती हो।
20	डाकघर	वह परिसर जहाँ जनता के उपयोगार्थ डाक प्रेषण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
21	डाक एवं तारघर	वह परिसर जहाँ जनता के उपयोगार्थ डाक एवं दूरसंचार सुविधाओं की व्यवस्था हो।
22	टेलीफोन कार्यालय/केन्द्र	वह परिसर जहाँ सम्बन्धित क्षेत्र के लिए टेलीफोन पद्धति के केन्द्रीय प्रचालन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
23	रेड़ियों व टेलीविजन केन्द्र	वह परिसर जहाँ सम्बन्धित माध्यम द्वारा खबरें और अन्य कार्यक्रम रिकार्ड करने तथा प्रसारित करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
24	कारागार	वह परिसर जहाँ विधि के अन्तर्गत अपराधियों को नजरबन्द करने, कैद करने और उन्हें सुधारने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
25	पुलिस स्टेशन	वह परिसरं जहाँ स्थानीय पुलिस कार्यालय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
26	नर्सिंग होम	वह परिसर जहाँ 30 शैय्याओं तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा इसका प्रबन्धन व्यवसायिक आधार पर किया जाता हो।
27	अस्पताल	वह परिसर जहाँ अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सामान्य या विशेषीकृत प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो।
28	क्लीनिक/पॉलीक्लीनिक	वह परिसर जहाँ बहिरंग रोगियों के इलाज के लिए सुविधाओं की व्यवस्था किसी डाक्टर/डाक्टरों के समूह द्वारा की जाती है।
29	स्वास्थ्य केन्द्र/परिवार कल्याण केन्द्र/हेल्थ सेन्टर	वह परिसर जहाँ 30 शैयाओं तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबन्ध गैर–व्यवसायिक आधार पर सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा किया जा सकता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र शामिल है।
30	डिस्पेन्सरी	वह परिसर जहाँ चिकित्सा परामर्श की सुविधाओं और दवाइयों की भी व्यवस्था हो और जिसका प्रबन्ध सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता हो।
31	नैदानिक/ पैथोलॉजीकल प्रयोगशाला	वह परिसर जहाँ बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की जॉच करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।

32	सभा भवन, सामुदायिक भवन	वह परिसर जहाँ सभा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए व्यवस्था हो।
33	योग, मनन, आध्यात्मिक, धार्मिक प्रवचन केन्द्र/सत्संग भवन	वह परिसर जहाँ स्वयं सिद्धि, बुद्धि और शरीर के उच्च गुणों की उपलब्धि, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवचन आदि से सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
34	धार्मिक भवन	वह परिसर जिसका उपयोग उपासना तथा अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता हो।
35	सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान/भवन	वह परिसर जहाँ मुख्य रूप से गैर–व्यवसायिक आधार पर जनता या स्वैच्छिक रूप से किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
36	सांस्कृतिक केन्द्र	वह परिसर जहाँ किसी संस्था, राज्य और देश के लिए सांस्कृतिक सेवाओं हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
37	बरातघर/बैक्वेंट हाल	वह परिसर जिसका उपयोग वैवाहिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक समारोहों के लिए किया जाता है।
38	ऑडिटोरियम	वह परिसर जहाँ संगीत सभा, नाटक, संगीत प्रस्तुतीकरण, समारोह आदि जैसे विभिन्न प्रदर्शनों के लिए मंच और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो
39	खुली नाट्यशाला	वह परिसर जहाँ खुले में दर्शकों के बैठने और प्रदर्शन के लिए मंच की सुविधाओं, आदि की व्यवस्था हो।
40	थिएटर/नाट्यशाला	वह परिसर जहाँ दर्शकों के बैठने और प्रदर्शन के लिए सुविधाओं आदि की व्यवस्था हो।
41	म्यूजियम/अजायबघर	वह परिसर जहाँ पुरावशेषों, प्राकृतिक इतिहास, कला, आदि के उदाहरण देने के लिए वस्तुओं का संग्रह एवं प्रदर्शन करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
42	आर्ट गैलेरी/प्रदर्शनी केन्द्र	वह परिसर जहाँ चित्रकार, फोटोग्राफी, मूर्तिकला, भित्ति चित्रों हस्तशिल्प या किसी विशेष वर्ग के उत्पदों की प्रदर्शनी और सजावट के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो
43	संगीत/नृत्य, नाट्य प्रशिक्षण/कला केन्द्र	वह परिसर जहाँ संगीत, नृत्य तथा नाट्य कला का प्रशिक्षण देने और सिखाने की व्यवस्था हो।
44	पुस्तकालय/लाइब्रेरी	वह परिसर जहाँ सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए पढ़ने और संदर्भ के लिए पुस्तकों के संग्रहण की व्यवस्था हो।
45	वाचनालय	वह परिसर जहाँ सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, आदि पढ़ने की व्यवस्था हो।
46	सूचना केन्द्र	वह परिसर जहाँ राज्य तथा देश की विभिन्न गतिविधियों की सूचनाओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
47	हेल्थ क्लब/जिम्नेजियम	वह भवन जिसमें प्राकृतिक रूप से अथवा मशीनी उपकरणों के सहयोग से मानव शरीर को सुदृढ़ करने की व्यवस्था होती है।
48	अग्निशमन केन्द्र	वह परिसर जहाँ उससे सम्बद्ध क्षेत्र के लिए आग बुझाने की सुविधाओं की व्यवस्था हो।
49	समाज कल्याण केन्द्र	वह परिसर जहाँ समाज के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा यह सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा चलाया जाता हो।
50	विद्युत शवदाह गृह	वह परिसर जहाँ शवों को विद्युत दाहक जलाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
51	श्मशान	वह परिसर जहाँ शवों को जलाकर अन्तिम धार्मिक कृत्य को पूरा करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
52	कब्रिस्तान	वह परिसर जहाँ शवों को दफनाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
53	मेला स्थल	वह परिसर जहाँ सहभागियों के समूह क लिए प्रदर्शनी और सजावट तथा अन्य सांस्कृतिक/धार्मिक गतिविधियों हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।

54	माइक्रोवेव तथा वायरलैस केन्द्र	वह परिसर जिसका उपयोग संचार उद्देश्यों के लिए किया जाता हो, जिसमें टावर भी सम्मिलित है।
55	डम्पिंग ग्राउण्ड	वह परिसर जहाँ नगर के विभिन्न क्षेत्रों से कूड़ा (सालिड वेस्ट) इकट्ठा करके अन्तिम उपचार होने तक जमा किया जाता हो।
56	सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट	वह परिसर जहाँ ठोस एवं तरल अपशिष्टों को तकनीकी रासायनिक क्रिया द्वारा हानि रहित बनाया जाता हो।
57	सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं सेवाओं से सम्बन्धित भवन/प्रतिष्ठान	वह परिसर जहाँ सार्वजनिक उपयोग के लिए जल भण्डारण तथा उसकी आपूर्ति हेतु ओवरहेड/भूमिगत टैंक, पम्प–हाउस, आदि सीवरेज से सम्बन्धित आक्सीकरण तालाब, सेप्टिक टैंक, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, आदि हो। इसमें सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय व कूड़ादान भी शामिल है।
58	कम्पोस्ट प्लाण्ट	वह परिसर जहाँ नगर क विभिन्न क्षेत्रों से ठोस कूड़े एवं अपशिष्ट पदार्थो को मैकेनिकल क्रिया द्वारा उपचार के अन्तर्गत उर्वरक में परिवर्तित किया जाता हो।
59	विद्युत केन्द्र/सब–स्टेशन	वह परिसर जहाँ बिजली के वितरण के लिए विद्युत संस्थापन, आदि लगे हो।
60	वाटर वर्क्स	वह परिसर जिसमें जलापूर्ति हेतू ट्यूबवेल, ओवर हेड/भूमिगत रिजरवार्य, संबंधित कर्मचारिों के आवास, संबंधित उपकरणों के रख–रखाव इत्यादि की व्यवस्था होती है।
61	कूड़ा एकत्रीकरण स्थल	वह स्थल जहाँ पर घरेलू कूड़ा/कचरा अल्पावधि के लिए एकत्र किया जाता है।
62	सामुदायिक मार्ग निर्देशन केन्द्र	ऐसा केन्द्र जहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए मार्गो से संबंधित जानकारी (road condition & direction) अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
63	जन सुविधा केन्द्र	वह केन्द्र जहाँ जनसाधारण अपनी विभिन्न प्रकार की समस्यायों के समाधान हेतु आग्रह कर सकें तथा विभिन्न राजकीय अभिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही कर सकते है।
64	ए.टी.एम. कक्ष	वह स्थान/कक्ष जहाँ पर बैकों द्वारा नागरिकों की सुविधा हेतु ए.टी.एम. स्थापित किया जाता है।
65	सार्वजनिक शौचालय	वह शौचालय जो जनसाधारण के प्रयोगार्थ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।
66	नॉलेज पार्क	वह परिसर जहाँ विभिन्न शैक्षिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में अनुसंधान/विकास/क्रियान्वयन से सम्बन्धित इंजीनियरिंग एवं तकनीकी कॉलेज, स्कूल, क्लब, स्टाफ, आवास के अतिरिक्त आवश्यक, स्थानीय व्यवसायिक दुकानें, शासकीय एवं अर्द्ध–शासकीय सुविधायें, कार्यालय तथा बैंक की सुविधाओं की व्यवस्था हो।
67	एम्यूजमेंट पार्क	एम्यूजमेंट पार्क एक ऐसा पार्क है जिसमें विभिन्न आकर्षण जैसे सवारी और खेल के साथ–साथ मनोरंजन प्रयोजनों के लिए अन्य कार्यक्रम भी होते हैं। थीम पार्क एक प्रकार का मनोरंजन पार्क है जो अपनी संरचनाओं और आकर्षणों को एक केंद्रीय थीम पर आधारित करता है, जिसमें अक्सर अलग–अलग थीम वाले कई क्षेत्र शामिल होते हैं।
68	मेडिसिटी	वह परिसर जहाँ मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पीटल (विशेष सुविधाओं सहित) चिकित्सा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य आवश्यक क्रियायें यथा स्नातकोत्तर/उच्च स्तर की चिकित्सा, शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी कॉलेज, प्रबंधन/विशिष्ट संस्थान, प्रदर्शनी, आवासीय, स्थानीय व्यवसायिक दुकानें, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, बैंक, शासकीय एवं अर्द्ध–शासकीय सुविधायें, धार्मिक स्थल एवं क्लब की सुविधाओं की व्यवस्था हों।

11.2.6 यातायात एवं परिवहन

1	**पार्किंग स्थल**	वह परिसर जिसका उपयोग गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता हो।
2	**बस स्टाप**	वह परिसर जिसका उपयोग जनसुविधा एवं सेवा के लिए लद्यु अवधि हेतु बसें खड़ी करने के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी अथवा किसी संस्था द्वारा किया जाता हो।
3	**टैक्सी/टैम्पों/रिक्शा स्टैण्ड**	वह परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक/गैर व्यवसायिक आधार पर चलने वाली मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता हो।
4	**मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र**	वह परिसर जहॉ आटोमोबाइल्स ड्राईविंग के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
5	**ट्रान्सपोर्ट नगर**	वह परिसर जिसका उपयोग ट्रकों के लिए लघु अथवा दीर्घावधि हेतु खड़ी करने के लिए किया जाता हो। इसमें ट्रक एजेन्सी के कार्यालय, गाड़ियों की मरम्मत एवं सर्विसिंग, ढाबे, स्पेयर पार्ट शॉप्स, पेट्रोल पम्प तथा गोदाम आदि भी हो सकते है।
6	**धर्मकॉटा**	वह परिसर जहॉ भरे हुए अथवा खाली वाहनों का वजन किया जाता हो।
7	**बस डिपो**	वह परिसर जिसका उपयोग बसों की पार्किंग, रख–रखाव और मरम्मत के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी या इसी प्रकार किसी अन्य एजेन्सी द्वारा किया जाता हो। इसमें वर्कशाप भी हो सकता है।
8	**बस टर्मिनल**	वह स्थान जहॉ से सार्वजनिक सेवा की बसे अपने पूर्व निर्धारित मार्ग हेतु प्रारम्भ तथा समाप्त होती है। यहॉ यात्रियों के बस में चढ़ने व उतरने की सुविधा रहती है। यह स्थान मात्र एक बस प्लेटफार्म से लेकर पूर्ण सुविधा सम्पन्न केन्द्र भी हो सकता है जिसमें यात्री विश्राम स्थल, बस सेवा कार्यालय, टिकट काउन्टर, खान पान सेवा, सार्वजनिक शौचालय इत्यादि सम्मिलित है।
9	**मोटर गैराज सर्विस गैराज तथा वर्कशाप**	ऐसे स्थान जहॉ मोटर वाहनों की सर्विसिंग, रिपेयर कार्य, डेन्टिंग, पेन्टिंग, इत्यादि कार्य किये जाते है। ऐसे स्थानों में उपरोक्त कार्यो हेतु वाहनों को परिसर में ही खड़ा किया जाता है।
10	**हेलीपैड**	वह स्थान जहॉ यात्री हेलीकाप्टर द्वारा लैन्डिंग व टेक–आफ किया जाता है। इस स्थान के किनारे उपयुक्त दूरी पर केवल एक कन्ट्रोल/निरीक्षण कक्ष निर्मित किया जा सकता है।

11.2.7 पार्क, क्रीड़ा/खुले स्थल

1	**पार्क**	वह परिसर जिसमें मनोरंजनात्मक गतिविधियों के लिए लान, खुले स्थल, हरियाली आदि समानार्थी व्यवस्थाएं हों। इसमें भू–दृश्य, पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, फेन्सिंग, आदि सम्बन्धित आवश्यकताओं की व्यवस्था हो सकती है।
2	**क्लब**	सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित वह परिसर जिसका उपयोग सामाजिक और मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के लिए लोगों के समूह द्वारा किया जाता हो।
3	**क्रीड़ा–स्थल/खेल का मैदान**	आउटडोर खेलों के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर जिसमें पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, आदि की व्यवस्था हो।
4	**स्टेडियम**	वह परिसर जिसमें खिलाड़ियों के लिए सम्बन्धित सुविधाओं सहित दर्शकों के बैठने के स्थान के लिए मण्डप भवन और स्टेडियम की व्यवस्था हो।
5	**ट्रैफिक पार्क**	पार्क के रूप में वह परिसर जहॉ यातायात और संकेतन के सम्बन्ध में बच्चों को जानकारी और शिक्षा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
6	**स्वीमिंग पूल (तरण–ताल)**	वह परिसर जिसमें तैरने, दर्शकों के बैठने तथा अनुषांगिक सुविधाओं जैसे ड्रेसिंग–रूम, शौचालय, आदि की व्यवस्था हो।

7	पिकनिक स्थल / शिविर स्थल	पर्यटक / मनोरंजनात्मक केन्द्र के अन्दर स्थित परिसर जिसका उपयोग मनोरंजनात्मक या अवकाश उद्देश्य के लिए थोड़ी अवधि तक ठहरने के लिये किया जाता है।
8	फ्लाइंग क्लब	वह परिसर जिसका उपयोग ग्लाइडरों और अन्य छोटे वायुयानो पर प्रशिक्षण प्राप्त करने और फन–राइडिंग के लिए किया जाता हो।
9	शूटिंग रेन्ज	वह परिसर जो विभिन्न प्रकार की पिस्टल्स / बन्दूकों को चलाने, निशाना साधने, इत्यादि के प्रशिक्षण / प्रेक्टिस के प्रयोग में लाया जाता हो।
10	कारवां पार्क	ऐसा स्थान जहाँ समूह में यात्रा करने वाले लघु अवधि के लिए कैम्पिंग के रूप में विश्राम करते है। ऐसा यात्री समूह पैदल यात्रियों का होने के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का समूह भी हो सकता है। कैम्पिंग स्थल में सार्वजनिक शौचालय के अतिरिक्त आवश्यक सुविधाएं जैसे–यात्री टेन्ट, खान–पान स्थल, इत्यादि पूर्णतया अस्थायी होती है।
11	स्मारक	दर्शकों के लिए सभी सुविधाओं सहित वह परिसर जहाँ भूतकाल से सम्बन्धित संरचनाएं या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की याद में मकबरा, समाधि या स्मारक बना हुआ हो।
12	चिड़ियाघर / अजायबघर	वह परिसर जिसका उपयोग सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित प्रदर्शनी तथा अध्ययन के लिए जानवरों, जीव–जन्तुओं और पक्षिओं के समूह सहित उद्यान / पार्क / जल–जीवशाला के रूप में किया जाता हो।

11.2.8 कृषि / अन्य

1	नर्सरी / पौधशाला	वह परिसर जहाँ छोटे पौधों को उगाने और बिक्री के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2	दुग्धशाला / डेयरी फार्म	वह परिसर जहाँ डेयरी–उत्पाद बनाने और तैयार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें पशुओं के शैडो के लिए अस्थायी ढाँचा हो सकता है।
3	कुक्कटशाला (पोल्ट्री फार्म)	वह परिसर जहाँ मुर्गी, बतख आदि पक्षिओं के अण्डे, मांस, आदि उत्पादों के व्यवसाय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें पक्षियों के शेड हो सकते है।
4	फार्म हाउस	वह परिसर जहाँ फार्म के स्वामी के उपयोग हेतु उसी कृषि भूमि पर आवासीय भवन हो।
5	उद्यान	वह परिसर जिसे फूलों / फलों के प्रयोजनार्थ पेड़–पौधे लगाने हेतु उपयोग किया जाता हो।
6	वन	वह परिसर जिसमें प्राकृतिक अथवा मनुष्य द्वारा लगाए गए, पेड़–पौधे हो। इसमें नगर वन भी शामिल होंगे।
7	कृषि उपकरणों की मरम्मत एवं सर्विसिंग	वह परिसर जहाँ कृषि में प्रयोग होने वाले मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे ट्रैक्टर, ट्राली, हारवेस्टर, इत्यादि की सर्विसिंग की जाती हो।
8	धोबी घाट	वह परिसर जिसका उपयोग धोबियों द्वारा कपड़े धोने और सुखाने हेतु किया जाता हो।
9	कैटल कॉलोनी	ऐसा परिसर जहाँ मवेशियों के पालन पोषण, दुग्ध संग्रहण व ट्रीटमेन्ट इत्यादि किया जाता है। ऐसे स्थान पर मवेशी उपचार केन्द्र, कर्मचारियों के आवास व अन्य अनुषांगिक लघु क्रियायें जैसे दैनिक उपयोग की दुकानें, कम्यूनिटी सेन्टर इत्यादि भी निर्मित किये जा सकते है।
10	पशु संवर्धन केन्द्र	ऐसा स्थान जहाँ केवल मांसाहारी भोजन के उपयोगार्थ पशुओं का वध किया जाता है।
11	हाईवे फैसेलिटी जोन	वह क्षेत्र जहां पर कृषि उपयोग से सम्बन्धित गतिविधियों को हाईवे के किनारे नियमित विकास के रूप में संचालित किया सकेगा।
12	निषिद्ध	निषिद्ध क्रियाओं के अन्तर्गत ऐसी सभी क्रियायें तथा विकास / निर्माण कार्य जो प्रमुख भू–उपयोग के आनुशांगिक नहीं है, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13	बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र	वह क्षेत्र जहाँ नदी का जल अपनी मुख्य धारा से हटकर आस–पास के क्षेत्र में फैल जाता है जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है।
14	दुग्ध संग्रह केन्द्र	वह परिसर जहाँ सम्बद्ध क्षेत्र से किसी डेयरी हेतु दूध का संग्रहण किया जाता हो।

11.2.9 अस्थायी क्रियाएं

1	वेन्डिग जोन	वह क्षेत्र जहाँ पर बिना पूर्व निर्धारित व नियमित लघु अवधि के लिए अस्थाई रूप से लघु व फुटकर सामान/पदार्थो के विक्रय सामग्री व्यवसायिक गतिविधियाँ वेन्डर द्वारा की जाती है।

11.3 प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबंध

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 के अन्तर्गत प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता से सम्बन्धित ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (मैट्रिक्स) में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु कोड संख्या अंकित की गई है।

विभिन्न भू–उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु कोड संख्या के अनुसार अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्न प्रकार हैं:–

कोड संख्या	अनुमन्यता की अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध
1	भूतल पर चौकीदार/संतरी आवास
2	भूतल छोड़कर ऊपरी तलों पर आवास
3	योजना के कुल क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत तक
4	योजना के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 0.4 हेक्टेयर अथवा कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत, दोनों में जो भी कम हो।
5	भू–तल को छोड़कर अनुवर्ती तलों के तल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा भू–विन्यास मानचित्र का 10 प्रतिशत केवल सम्बन्धित कर्मचारियों हेतु।
6	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर।
7	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर।
8	न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर।
9	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 20 शैय्याओं तक।
10	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 50 शैय्याओं तक।
11	केवल महायोजना में चिन्हित थोक वाणिज्यिक केन्द्र/स्थलों के अन्तर्गत।
12	केवल दुर्बल/अल्प आय वर्ग की योजनाओं में (अनुलग्नक–2 के अनुसार)।
13	ज्वलनशील, नाशवान एवं आपात वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं का भण्डारण।
14	केवल नगर की विकसित आबादी के बाहर।

15	5 हार्स पावर तक (अनुलग्नक–2 के अनुसार)।
16	राईट–ऑफ–वे के बाहर।
17	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 5 हार्स पावर तक।
18	ग्रामीण आबादी के अन्तर्गत।
19	अनुमन्य एफ.ए.आर. का 25 प्रतिशत अथवा 100 वर्गमीटर दोनों में जो भी कम हो।
20	केवल अनुषांगिक उपयोग हेतु।
21	केवल खुले रूप में एवं अस्थायी।
22	केवल संक्रामक रोगों से सम्बन्धित।
23	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर, केवल तीन स्टार तक।
24	न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर।
25	10 हार्स पावर तक (अनुलग्नक–3 के अनुसार)।
26	द्वितीय तल एवं उसके ऊपरी तलों पर
27	तलपट मानचित्र के अनुसार एवं भू–खण्ड पर अनुमन्य अधिकतम आच्छादन का 10 प्रतिशत
28	न्यूनतम 24 मी0 चोड़े मार्ग पर एवं अधिकतम अनुमन्य कुल आच्छादन का 30 प्रतिशत
29	भू–खण्ड के कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत सक्षम अधिकारी से स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार
30	नगर के प्रस्तावित मुख्य मार्गों, ग्रामीण आबादी एवं नगरीय सीमा से न्यूतनम 300 मी0 की दूरी पर।
31	केवल सम्बन्धित सुविधा के उपयोगार्थ एवं परिसर के अन्दर भू–आच्छादन का अधिकतम 01 प्रतिशत।
32	भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 02 प्रतिशत सक्षम अधिकारी से स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार।

- निर्मित क्षेत्रों में व्यवसायिक क्रियाओं/उपयोगों की अनुमति आस--पास के विद्यमान प्रधान भू–उपयोग के दृष्टिगत प्रदान की जाएगी।

विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (Activities) हेतु अपेक्षाएँ

प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न परिस्थितियों तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दी जायेगी:

(1) विकास क्षेत्र/विशेष विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू–उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अन्य क्रियाओं की अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में निम्न समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा जिसकी संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही अनुज्ञा प्रदान की जाएगी :–

- विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी
- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उ०प्र० अथवा उनके प्रतिनिधि
- अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर–सरकारी सदस्य
- विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु प्रत्येक प्रकरण में गुण–अवगुण के आधार पर उपरोक्त समिति द्वारा निम्न व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जायेंगी :–

1. प्रमुख भू–उपयोग जोन की आधारभूत अवस्थापनाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत आपूर्ति, खुले स्थल तथा यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
2. प्रस्तावित क्रिया के कारण अगल–बगल के भूखंडों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संवातन तथा प्राइवेसी भंग न हो।
3. प्रस्तावित क्रिया के कारण प्रमुख भू–उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि/धुआँ/दुर्गन्ध इत्यादि के प्रदूषण की संभावना न हो।
4. प्रस्तावित क्रिया यथा सम्भव मुख्य भू–उपयोग के बाहरी क्षेत्र/किनारों पर मुख्य मार्ग पर अथवा पृथकीकृत रूप में स्थित हो।
5. प्रस्तावित क्रिया की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि भवन का अधिकतम एफ०ए०आर० एवं ऊँचाई प्रमुख भू–उपयोग के प्राविधानों के अन्तर्गत है।

विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं के सम्बंध में उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये नियंत्रक प्राधिकारिणी द्वारा प्रत्येक प्रकरण में गुण–अवगुण के आधार पर स्वयं निर्णय लिया जायेगा।

(2) किसी भी प्रमुख भू–उपयोग जोन में विशेष अनुमति से किसी क्रिया को अनुमन्य किये जाने की दशा में पार्किंग/सैट बैक इत्यादि में दर्शायी गयी भूमि भविष्य

में मार्ग विस्तार/सार्वजनिक पार्किंग इत्यादि हेतु आवश्यकता पड़ने पर आवेदक द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।

(3) महायोजना में अथवा प्राधिकरण द्वारा चिन्हित हैरिटेज जोन खान–पान से सम्बंधित दुकानें, रेस्टोरेन्ट, फोटोग्राफर रेल/वायु/टैक्सी इत्यादि के बुकिंग आफिस, गाईड कार्यालय, पर्यटन से सम्बंधित कार्यालय तथा अन्य आवश्यक क्रियाओं यथा अस्थायी मेला/प्रदर्शनी स्थल इत्यादि की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभावी भवन उपविधियों के अधीन प्रदान की जायेगी।

(4) जोनिंग रेगुलेशन में दर्शायी गई क्रियाओं के अतिरिक्त प्रमुख भू–उपयोग के अनुषांगिक अन्य क्रियाएँ जिनका उल्लेख नहीं है, पर भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति के गुण–अवगुण के आधार पर अनुमन्य की जा सकती है।

टिप्पणी :

(1) जोनिंग रेगुलेशन्स में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य किये जाने की दशा में समस्त क्रियाओं/उपयोगों के मानचित्र, प्रभारी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किये जायेंगे, जिन क्रियाओं/उपयोगों हेतु भवन उपविधि में भू–आच्छादन, एफ०ए०आर०, सैटबैक, पार्किंग आदि के बारे में प्राविधान नहीं हैं, के सम्बंध में क्रिया विशेष की प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुये उक्त समिति द्वारा प्राधिकरण बोर्ड को संस्तुति प्रस्तुत की जायेगी।

(2) विशेष अनुमति से किसी उपयोग/क्रिया की अनुमन्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी बाध्य नहीं होंगे तथा आवेदक अधिकार के रूप में इसका उपयोग नहीं कर सकेगा।

प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता

संकेताक्षर

⊖	नि0 क्षेत्र	निर्मित क्षेत्र	⊖	कार्या0	कार्यालय	⊖	पा0 स्थल0	पार्किंग स्थल
⊖	आ0	आवासीय	⊖	सा0सु0उ0	सामुदायिक / सांस्कृतिक सुविधायें एवं उपयोगितायें	⊖	निषि0 क्षेत्र	निषिद्ध क्षेत्र
⊖	व्याव0 1	नगर केन्द्र / केन्द्रीय वाणिज्यिक / उप नगर केन्द्र / उप केन्द्रीय वाणिज्यिक	⊖	पार्क 1	मनोरंजन पार्क / जोनल पार्क	⊖	ग्रा0 आ0	ग्रामीण आबादी
⊖	व्याव0 2	थोक व्यापारिक / भण्डार	⊖	पार्क 2	पार्क / डिस्ट्रिक्ट पार्क / प्रदर्शनी, मेला एवं रैली स्थल	⊖	कृ0 1	कृषि
⊖	व्याव0 3	कॉरीडोर मार्ग	⊖	पार्क 3	ग्रीन बेल्ट	⊖	कृ0 2	हाईवे फैसिलिटी जोन
⊖	ल0उ0	लघु उद्योग	⊖	या0 परि0 1	बस / ट्रक अड्डा	⊖	बा0ग्र0क्षे0	बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र
⊖	वृ0उ0	वृहद उद्योग	⊖	या0 परि0 2	मार्ग			

संकेत

अनुमन्य उपयोग	(हरा)
सशर्त अनुमन्य उपयोग	(नीला)
विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग	(पीला)
निषिद्ध उपयोग	(लाल)

भू–उपयोग जोन्स

	Activities	नि0क्षेत्र	आ0	व्याव0 1	व्याव0 2	व्याव0 3	ल0उ0	वृ0उ0	कार्या0	सा0सु0उ0प्र0	पार्क 1	पार्क 2	पार्क 3	या0 परि0 1	या0परि0 2	पा0 स्थ0	निषि0 क्षेत्र	ग्रा0 आ0	कृ01	बा0ग्र0 क्षे0	कृ02
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	आवासीय																				
1.1	एकल आवास									27				28							
1.2	समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग)	6	6			26	27		27	27											
1.3	सम्बन्धित कर्मचारी / चौकीदार / संतरी आवास			2	2	1	4	4	5	27				1		2					
2	व्यावसायिक																				
2.1	फुटकर दुकानें	6	7				27	27		31				32				6			
2.2	बेकरी एवं कान्फेक्शनरी, आटा चक्की (10 हार्स पावर तक)	7	8															6			
2.3	दैनिक उपयोग की दुकानें (अनुलग्नक–1क के अनुसार)	7	7															6			
2.4	शोरूम (मोटर वाहनों के अतिरिक्त), डिपार्टमेन्टल स्टोर	7	28				27	27													
2.5	मोटर वाहनों के शोरूम			24		6															
2.6	मोटर वाहनों के स्पे. पार्टस की बिक्री हेतु दुकानें			7	7																
2.7	साप्ताहिक																				
2.8	थोक मण्डी / थोक व्यापार																				
2.9	नीलामी बाजार			7																	
2.10	कोयला तथा लकड़ी की टाल	7	7															6			
2.11	कृषि सामग्री के विक्रय केन्द्र																				
2.12	शीत गृह																				
2.13	रिसॉर्ट			8						8								8			
2.14	होटल					6															
2.15	मोटल वे–साईड रेस्तरां (ढाबा)						8	8						8							
2.16	भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन	7	7						31	31		21	21	27							
2.17	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स		8	8	6	6	8														
2.18	पी.सी.ओ. / सेल्युलर मोबाइल सर्विस																				

	Activities	भू–उपयोग जोन्स																			
		नि0क्षेत्र	आ0	व्या0 1	व्या0 2	व्या0 3	ल0उ0	वृ0उ0	कार्या0	सा0सु0उ0प्र0	पार्क 1	पार्क 2	पार्क 3	या0 परि0 1	या0परि0 2	पा0 स्था0	निषि0 क्षेत्र	ग्रा0 आ0	कृ01	बा0ग्र0 क्षेत्र0	कृ02
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.19	पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन/सी.एन.जी फिलिंग स्टेशन/सी.बी.जी./ई–चार्जिंग	7	8	8			7	7	8	7											
2.20	भण्डार, गोदाम/वेयर हाउस,* संग्रह केन्द्र, जंकयार्ड, कबाड़			13			13												30		
2.21	गैस गोदाम/ज्वलन नाशक एवं आपात वस्तुओं के भण्डार																		30		
2.22	सर्विस अपार्टमेण्ट																				
3	औद्योगिक																				
3.1	सेवा/कुटीर उद्योग	15	7	15		15												15			
3.2	सूचना प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क	7																			
3.3	लघु उद्योग			25																	
3.4	वृहद उद्योग, शुगर मिल, राइस सेलर, फ्लोर मिल																				
3.5	संकटपूर्ण/खतरनाक/प्रदूषण कारक उद्योग																				
3.6	खनन, ईंट/चूने का भट्ठा, क्रेशर																				
3.7	तेल डिपो/एल0पी0जी0 रीफिलिंग प्लान्ट																				
3.8	पाश्चराइजिंग प्लान्ट/दुग्ध संग्रहण केन्द्र																				
3.9	विद्युत उत्पादन संयंत्र																				
3.10	लॉजिस्टक पार्क/वेयर हाउसिंग **				24		24														
4	कार्यालय																				
4.1	राज्य, अर्द्ध राजकीय, स्था0 निकाय कार्यालय इत्यादि	7	7		20		20	20		20				20							
4.2	निजी कार्यालय, एजेन्ट कार्यालय इत्यादि.	7	20		20					20				20							
4.3	बैंक	7	6															6			
4.4	वाणिज्यिक/व्यापारिक कार्यालय	7			20																
4.5	श्रमिक कल्याण केन्द्र																				
4.6	पी.ए.सी./पुलिस लाइन																				
4.7	साइबर कैफे	6	7																		
4.8	बायोटेक पार्क																				
4.9	बिजनेस पार्क																				
4.10	डेटा प्रोसेसिंग सेन्टर																				
4.11	कॉल सेन्टर																				
4.12	बी.पी.ओ																				
4.13	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, शोध केन्द्र					8	20														
4.14	मौसम अनुसंधान केन्द्र																				
5	सामुदायिक सुविधाएँ, उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ																				
5.1	अतिथि गृह, निरीक्षण गृह				20																
5.2	धर्मशाला, रैन–बसेरा, लॉजिंग/बोर्डिंग हाउस	7	7															6			
5.3	छात्रावास	7	7															6			
5.4	अनाथालय, सुधारालय																				
5.5	कारागार																				
5.6	हैण्डीकैप्ड, चिल्ड्रन हाउस	7	7																		
5.7	शिशुगृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र		7																		
5.8	वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र																				

Activities	भू–उपयोग जोन्स																			
	नि0क्षेत्र	आ0	व्याव0 1	व्याव0 2	व्याव0 3	ल0उ0	वृ0उ0	कार्या0	सा0सु0उ0प्र0	पार्क 1	पार्क 2	पार्क 3	या0 परि0 1	या0परि0 2	पा0 स्था0	निषि0 क्षेत्र	ग्रा0 आ0	कृ01	बा0उ0 क्षेत्र	कृ02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.9 प्राथमिक शैक्षिक संस्थान	8	8																		
5.10 उच्च माध्यमिक / इण्टर विद्यालय	8	7			8															
5.11 महाविद्यालय																				
5.12 विश्वविद्यालय																				
5.13 पॉलिटेक्निक / इंजी0 / मेडिकल / डेण्टल कालेज / पैरामेडीकल कालेज																				
5.14 प्रबन्ध संस्थान / विशिष्ट शैक्षिक संस्थान																				
5.15 डाकघर, तारघर																				
5.16 पुलिस स्टेशन / चौकी, अग्निशमन केन्द्र		8																		
5.17 पुस्तकालय / शिक्षालय / वाचनालय		7										27								
5.18 स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार कल्याण केन्द्र, डिस्पेन्सरी	9	9																		
5.19 अस्पताल		9				10	10	10										22		
5.20 नर्सिंग होम	10	9	7		7	10	10	10												
5.21 नैदानिक प्रयोगशाला		7			7													24		
5.22 हेल्थ क्लब / जिमनेजियम	7	8																		
5.23 विद्युत शवदाह गृह / श्मशान / कब्रिस्तान																				
5.24 संगीत / नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कला केन्द्र	7	7			8												8			
5.25 सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेन्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र		8			8															
5.26 ऑडिटोरियम, नाट्यशाला, थिएटर					8	8														21
5.27 योग, मनन / विपश्यना केन्द्र / धार्मिक प्रवचन केन्द्र / सत्संग भवन	7	7			8															21
5.28 धार्मिक भवन	7	7		7																
5.29 सामुदायिक केन्द्र, सांस्कृतिक केन्द्र	7	24	7	7																
5.30 बारातघर, बैंकट हाल	8	24	8																	
5.31 कॉन्फ्रेंस / मीटिंग हाल	7	24		24																
5.32 अजायबघर																				
5.33 आर्ट गैलरी, प्रदर्शनी स्थल	21					21					21									
5.34 टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन कार्यालय / केन्द्र																				
5.35 अनुसन्धान एवं विकास केन्द्र, शोध केन्द्र				20		20														
5.36 समाज कल्याण केन्द्र																				
5.37 चौपाल पार्क																				
5.38 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट									14									14		
5.39 कूड़ा ग्राउण्ड इत्यादि									14									14		
5.40 ट्यूबवेल, ओवर हेड रिजर्व, विद्युत के0 / सब स्टेशन,										3	3									
5.41 डस्टबिन / कूड़ा एकत्रीकरण स्थल																				

	Activities	भू–उपयोग जोन्स																			
		नि०क्षेत्र	आ०	व्याव० 1	व्याव० 2	व्याव० 3	ल०उ०	वृ०उ०	कार्या०	सा०सु०उ०प्र०	पार्क 1	पार्क 2	पार्क 3	या०परि 1	या०वरि० 2	पा० स्थ०	निषि० क्षेत्र	ग्रा० आ०	कृ01	बा०ग्रा० क्षेत्र०	कृ02
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.42	सार्वजनिक शौचालय																				
5.43	ए.टी.एम.																				
5.44	जन सुविधा केन्द्र	6	6																		
5.45	वाटर वर्क्स																				
5.46	माइक्रोवेव केन्द्र										3	3									
5.47	कम्पोस्ट प्लांट									14											
5.48	पशुवध शाला									14									14		
5.49	रिसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट									14											
5.49	मोबाईल टावर																				
6	**यातायात एवं परिवहन**																				
6.1	पार्किंग स्थल										21	21									
6.2	टैक्सी, रिक्शा, टैम्पो आदि के स्टैण्ड										21	21									
6.3	ट्रान्सपोर्ट नगर, बस डिपो																				
6.4	बस स्टैण्ड, बस स्टाप	7	7	8	8		7	7		7								7			
6.5	बस टर्मिनल			24																	
6.6	मोटर गैराज, सर्विस गैराज तथा वर्कशाप																	7			
6.7	मोटर संचालन प्रशिक्षण केन्द्र																				
6.8	लोडिंग–अनलोडिंग सम्बन्धी सुविधाएँ																				
6.9	रेलवे गोदान, रेलवे यार्ड / साइडिंग / टर्मिनल																				
6.10	धर्मकांटा			8	8		7														
6.11	एयरपोर्ट																				
7	**पार्क, क्रीडा / खुले स्थल**																				
7.1	पार्क																				
7.2	बहुउद्देशीय खुले स्थल	7	7															7			
7.3	गोल्फ / रेस कोर्स																				
7.4	स्टेडियम / खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र / क्रीड़ा स्थल / खेल का मैदान											3									
7.5	कारवाँ पार्क, पिकनिक स्थल / शिविर स्थल										21	21							21		
7.8	ट्रैफिक पार्क																				
7.9	मनोरंजन पार्क	7	7									21									
7.10	क्लब, स्विमिंग पूल	7	7	7	7																
7.11	चिड़िया / जलजीव शाला / वन्य जीव / पक्षी स्थल																				
7.12	फ्लाईंग क्लब / हैलीपैड																				
7.13	शूटिंग रेंज																				
7.14	जंगलात / बाग बगीचे																				

Activities		भू–उपयोग जोन्स																		
		नि0क्षेत्र	आ0	व्याव0 1	व्याव0 2	व्याव0 3	ल0उ0	वृ0उ0	कार्या0	सा0सु0उ0पा0	पार्क 1	पार्क 2	पार्क 3	या0 परि0 1	या0परि0 2	पा0 स्था0	निषि0 क्षेत्र	ग्रा0 आ0	कृ01	पा0वा0 क्षेत्र0	कृ02
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	कृषि																				
8.1	बागवानी, पौधशाला																				
8.2	फार्म हाउस																				
8.3	चारागाह, दुग्धशाला (डेरी फार्म), कैटिल कॉलोनी																		14		
8.4	धोबी घाट																				
8.5	सूअर / मत्स्य / कुक्कुट / मधुमक्खी पालन, पशु सम्बन्धी केन्द्र																				
8.6	कृषि उपकरणों की मरम्मत / सर्विसिंग वर्कशाप																	6			
8.7	वन उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन																				
9	फ्लोटिंग उपयोग																				
9.1	सार्वजनिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएँ																				
9.2	थोक व्यावसायिक																				
9.3	यातायात एवं परिवहन																				
9.4	सेवा / कुटीर उद्योग	15	7	15																	
9.5	विशेष उद्योग (संकटपूर्ण / खतरनाक / प्रदूषण कारक, ज्वलनशील)																				
10	अस्थायी क्रियाएँ																				
10.1	वेन्डिंग जोन	7	8	8									21								
10.2	अस्थाई सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनी, मेला स्थल, सभा स्थल	7	8	8			8	8		8											

नोटः– 1. विद्यमान सामुदायिक सुविधायें / उपयोगितायें / सेवायें यथा सामान्य शैक्षिक संस्थायें, तकनीकी शैक्षिक संस्थायें, चिकित्सालय, जलकल, दूरदर्शन / रेडियों, पशुवधशाला, एस.टी.पी., विद्युत स्टेशन, कब्रिस्तान / श्मशान घाट के परिसरों में आनुषांगिक उपयोगों को ही अनुमन्य किया जायेगा। प्रस्तावित क्षेत्रों में अनुमन्य विभिन्न क्रियायें इस तालिका के अनुसार होंगी।

2. उपरोक्त तालिका में वर्णित विभिन्न क्रियाओं के लिये मार्गों की चौड़ाई सम्बन्धी मानक समय–समय पर लागू किये जाने वाले भवन उपविधि के प्राविधानों से भी आच्छादित होंगे।

3. अस्थायी क्रियाएं– ऐसी क्रियाएं जिसमें किसी विशेष प्रयोजन हेतु जनसामान्य एकत्र होते हो तथा जो पूर्णतः अस्थायी रूप से अल्प अवधि के लिये स्थापित होती है। ऐसी क्रियाओं की अनुमन्यता सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने–अपने तद्समय प्रचलित नियमों / अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी। अस्थायी क्रियाओं की अनुमन्यता में जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर–3 " प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं / उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्ते एवं प्रतिबंध" की शर्त कोड–21 भी लागू होंगी।

* ऐसे वेयर हाउसिंग जो औद्योगिक विकास की नीति से आच्छादित न हों।

** ऐसे वेयर हाउसिंग जो औद्योगिक विकास की नीति से आच्छादित हों।

भू–उपयोग जोन्स में निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क का (Impact Fee) निर्धारण

प्रभाव शुल्क में छूट	
गैर–व्यावसायिक एवं चैरिटेबल क्रियाएँ/उपयोग	1
सेवा एवं कुटीर उद्योग	2
सम्बन्धित उपयोग के प्रयोजनार्थ समूह आवास	3

संकेत	
प्रभाव शुल्क लागू नहीं	
प्रभाव शुल्क देय नहीं	
प्रभाव शुल्क देय	

	क्रियाएँ (activities) उपयोग श्रेणी (निम्न से उच्च क्रम में)	निर्मित क्षेत्र	विकासशील/अविकसित क्षेत्र (निम्न से उच्च क्रम में)						
			कृषि हरित पट्टी, पार्क क्रीड़ा स्थल	सार्वजनिक सुविधायें	यातायात एवं परिवहन	औद्योगिक	आवासीय (ग्रामीण आबादी सहित)	कार्यालय	व्यावसायिक
			1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि हरित पट्टिका (ग्रीन बेल्ट) पार्क, क्रीड़ा स्थल	देय नहीं							
2	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधायें	देय नहीं	0.25 (1)				0.25 (1)		
3	यातायात एवं परिवहन	देय नहीं	0.30	0.10					
4	औद्योगिक	देय नहीं	0.40 (2)	0.25 (2)	0.25 (2)				
5	आवासीय	देय नहीं	0.50	0.40	0.40	0.25 (3)			
6	कार्यालय	देय नहीं	1.00	0.75	0.75	0.75	0.50		
7	व्यावसायिक	देय नहीं	1.50	1.25	1.25	1.00	1.00	0.50	

1. विभिन्न भू–उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु निर्धारित "प्रभाव शुल्क गुणांक" की वैल्यू उन प्रकोष्ठों में दी गयी है जहां प्रभाव शुल्क देय है।
2. सामन्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु प्रभाव शुल्क 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु 50 प्रतिशत देय होगा तथा प्रभाव शुल्क का आंकलन सम्बन्धित भू–उपयोग जोन हेतु निर्धारित "प्रभाव शुल्क गुणांक" की वैल्यू के आधार पर निम्न फार्मूला के अनुसार किया जाएगा:–

2.1 सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु :– भूखण्ड का क्षेत्रफल x सर्किल रेट x "प्रभाव शुल्क गुणांक" x 0.25

2.2 विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु :– भूखण्ड का क्षेत्रफल x सर्किल रेट x "प्रभाव शुल्क गुणांक" x 0.50

3. प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर एवं प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू–उपयोग के लिये जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा।

उदाहरण–1	उदाहरण – 2
विभिन्न आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम की अनुज्ञा हेतु :–	कृषि भू–उपयोग जोन में विशेष अनुमति से पेट्रोल पम्प की अनुज्ञा हेतु :
भूखण्ड का क्षेत्रफल = 350 वर्ग मीटर	भूखण्ड का क्षेत्रफल = 500 वर्ग मीटर
प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर = रू. 2000 प्रति वर्ग मीटर	कृषि भूमि का सर्किल रेट = रू. 200 प्रति वर्ग मीटर
देय प्रभाव शुल्क = भूखण्ड का क्षेत्रफल X सेक्टर रेट X "प्रभाव शुल्क गुणांक" X 0.25	देय प्रभाव शुल्क = 500 X 200 X 1.5 X 0.5 = रू. 75000
अर्थात 350 X 2000 X 0.25 X 0.25 = रू. 43750	

अनुलग्नक–1

दैनिक उपयोग (फुटकर दुकानें) की अनुमन्य दुकानों की सूची

1. जनरल प्रोविजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुएँ यथा दूध, ब्रेड, मक्खन, अण्डा आदि
3. सब्जी एवं फल
4. फलों के जूस
5. मिठाई एवं पेय पदार्थ
6. पान, बीड़ी, सिगरेट
7. मेडिकल स्टोर/क्लीनिक
8. स्टेशनरी
9. टाइपिंग, फोटोस्टेट, फैक्स आदि
10. किताबें/मैगजीन/अखबार इत्यादि
11. खेल का सामान
12. टेलीफोन बूथ, पी. सी. ओ.
13. रेडीमेड गारमेंट
14. ब्यूटी पार्लर
15. सौन्दर्य प्रसाधन
16. हेयर ड्रेसिंग
17. टेलरिंग
18. घड़ी मरम्मत
19. कढ़ाई–बुनाई एवं पेन्टिंग
20. केबल टी०वी० संचालन, वीडियो पार्लर
21. प्लम्बर शाप
22. विद्युत उपकरण
23. हार्डवेयर
24. टायर पंचर की दुकानें
25. कपड़े इस्तरी करना
26. समरूप दैनिक उपयोगिताओं की अन्य दुकानें

अनुलग्नक–1क

दैनिक उपयोग के दुकानों की सूची

1. जनरल प्रोविजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुएं यथा दूध, ब्रेड, मक्खन, अण्डा आदि
3. सब्जी एवं फूल
4. फलों के जूस
5. पान, बीडी, सिगरेट
6. मेडिकल स्टोर/क्लीनिक
7. ब्यूटी पार्लर
8. हेयर ड्रेसिंग
9. कपडे इस्तरी करना

नोटः—मूल क्रिया के भवन हेतु निर्धारित अग्र सेट—बैक को छोड़ने के उपरान्त ही उपरोक्त वर्णित दैनिक उपयोग की दुकानें निर्मित की जा सकेगीं

अनुलग्नक–2

मिश्रित/आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची

1. लाण्ड्री, ड्राई–क्लीनिंग
2. टी०वी०, रेडियो, आदि की सर्विसिंग तथा मरम्मत
3. दुग्ध उत्पाद, घी, मक्खन बनाना
4. साइकिल की सर्विसिंग एवं मरम्मत
5. प्रिन्टिंग प्रेस तथा बुक बाइंडिंग
6. सोना तथा चाँदी का कार्य
7. कढ़ाई एवं बुनाई
8. जूते का फीता तैयार करना
9. टेलरिंग व बुटीक
10. बढ़ई कार्य, लोहार कार्य
11. घड़ी, पेन, चश्में की मरम्मत
12. साइन बोर्ड बनाना (लोहे के बोर्ड को छोड़कर)
13. फोटो फ्रेमिंग
14. जूता मरम्मत
15. विद्युत उपकरणों की मरम्मत
16. बेकरी, कन्फेक्शनरी
17. आटा चक्की (10 अश्व शक्ति तक)
18. फर्नीचर
19. समरूप सेवा उद्योग
20. साईबर कैफे

अनुलग्नक–3

व्यवसायिक क्षेत्र में अनुमन्य प्रदूषणमुक्त लघु उद्योगों की सूची (10 हार्स पावर तक)

1. आटा चक्की
2. मूँगफली सुखाना
3. चिलिंग
4. सिलाई
5. सूती एवं ऊनी बुने वस्त्र
6. सिले वस्त्रों का उद्योग
7. हथकरघा
8. जूते का फीता तैयार करना
9. सोना तथा चाँदी / तार एवं जरी का काम
10. चमड़े के जूते तथा अन्य चर्म उत्पाद जिसमें चर्म शोधन सम्मिलित न हो
11. शीशे की शीट से दर्पण तथा फोटो तैयार करना
12. संगीत वाद्य यन्त्र तैयार करना
13. खेलों का सामान
14. बांस एवं बेंत उत्पाद
15. कार्ड बोर्ड एवं कागज उत्पाद
16. इन्सुलेशन एवं अन्य कोटेड पेपर
17. विज्ञान एवं गणित से सम्बन्धित यंत्र
18. घरेलू विद्युत उपकरणों को तैयार करना
19. रेडियो, टी०वी० बनाना
20. पेन, घड़ी, चश्में की मरम्मत
21. सर्जिकल पट्टियाँ
22. सूत कताई व बुनाई
23. रस्सियाँ बनाना
24. दरियाँ बनाना
25. कूलर तैयार करना
26. साइकिल एवं अन्य बिना इंजन चालित वाहनों की एसेम्बलिंग
27. इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण तैयार करना
28. खिलौने बनाना
29. मोमबत्ती बनाना
30. आरा मशीन के अतिरिक्त बढ़ई का कार्य
31. तेल निकालने का कार्य (शोधन को छोड़कर)
32. आइसक्रीम बनाना
33. मिनरल वाटर
34. जॉबिंग एवं मशीनिंग
35. लोहे के संदूक तथा सूटकेस

36. पेपर पिन तथा यू क्लिप
37. छपाई हेतु ब्लॉक तैयार करना
38. चश्में के फ्रेम
39. समरूप प्रदूषण रहित उद्योग

अनुलग्नक–4

प्रमुख भू उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता ज्ञात करने हेतु ग्राफिक प्रस्तुतिकरण के (मेट्रिक्स) उपयोग की विधि

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता जोनिंग रेगुलेशन्स के माध्यम से निर्धारित की जाती है। यदि आवेदक द्वारा किसी भू–उपयोग जोन के अन्तर्गत क्रिया विशेष की निर्माण अनुज्ञा से सम्बंधित मानचित्र विकास प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर ही यह तय किया जा सकेगा कि प्रश्नगत निर्माण उस भू उपयोग जोन में अनुमन्य है अथवा नहीं। महायोजना के प्रमुख भू उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता से सम्बंधित विवरण जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 में मेट्रिक्स के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें क्षैतिज रेखा पर कॉलम–2 से 21 में महायोजना के प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में दर्शाये गये हैं जब कि इन जोन्स के अन्तर्गत अनुमन्य क्रियाएँ/उपयोग उर्ध्वाधर रेखा पर दर्शाये गये हैं। किसी प्रमुख भू–उपयोग जोन में किसी क्रिया/उपयोग की अनुमन्यता ज्ञात करने के लिये क्षैतिज रेखा पर दर्शायी गई उस क्रिया के सम्मुख उर्ध्वाधर रेखा पर दर्शाये गये भू–उपयोग जोन्स के कॉलम में दिये गये संकेत के आधार पर अनुमन्यता ज्ञात की जा सकती है। ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (मेट्रिक्स) को निम्न प्रकार चार संकेतों का उपयोग करते हुये दर्शित किया गया है।

1	अ	अनुमन्य उपयोग : जो सामानयतः अनुमन्य हैं।
2	स	सशर्त अनुमन्य उपयोग : जो जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–4 में कोड संख्या–1 से 32 तक निर्दिष्ट शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य है।
3	वि	विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग : जो जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–4 में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य है। "सक्षम प्राधिकारी" की परिभाषा जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–1 में क्रमांक– 11.1.8.1 पर दी गई है।
4	नि	निषिद्ध उपयोग : जो अनुमन्य नहीं हैं।

उपरोक्त चारों संकेतों के आधार पर महायोजना के प्रमुख भू उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता से सम्बंधित उदाहरण निम्न प्रकार हैं:–

उदाहरण 1

कोई व्यक्ति यह ज्ञात करना चाहता है कि " होटल " व्यवसायिक भू–उपयोग (नगर केन्द्र/केन्द्रीय वाणिज्यिक/उप नगर केन्द्र/उप केन्द्रीय वाणिज्यिक) जोन में अनुमन्य है अथवा नहीं?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 में ग्राफिक प्रस्तुतिकरण (मेट्रिक्स) के अन्तर्गत वाई एक्सिज पर क्रियाएँ के नीचे क्रमांक–5.20 पर होटल के सम्मुख एक्स एक्सिज पर व्यवसायिक भू–उपयोग जोन के कॉलम 4 में संकेत ' अ ' दिया है जिसका अर्थ है कि व्यवसायिक भू–उपयोग जोन में नर्सिंग होम अनुमन्य है।

उदाहरण 2

निर्मित क्षेत्र में "शोरूम" (स्वचालित वाहनों के अतिरिक्त) अनुमन्य है अथवा नहीं?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 में ग्राफिक प्रस्तुतिकरण (मेट्रिक्स) के अन्तर्गत वाई–एक्सिज पर क्रियायें के नीचे क्रमांक 2.4 पर शोरूम के सम्मुख एक्स–एक्सिज पर "निर्मित क्षेत्र" के कॉलम–2 में संकेत स–7 (सशर्त अनुमन्य) दिया गया है, अर्थात जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–4 में निर्दिष्ट कोड संख्या–7 के अनुसार निर्मित क्षेत्र में शोरूम न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर अनुमन्य है।

उदाहरण 3

कृषि भू–उपयोग जोन में "रिर्सोट" अनुमन्य है अथवा नहीं?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 में ग्रॉफिक प्रस्तुतीकरण (मेट्रिक्स) के अन्तर्गत एक्स–एक्सिज पर क्रियायें के नीचे क्रमांक 2.13 पर रिजार्ट के सम्मुख एक्स–एक्सिज पर कृषि "कृषि" के कॉलम–19 में संकेत 'वि' (विशेष अनुमति से अनुमन्य) दिया गया है, अर्थात कृषि भू उपयोग जोन में रिजार्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से अनुमन्य है।

उदाहरण 4

पार्क एवं खुले स्थल जोन में "बारातघर" अनुमन्य है अथवा नहीं?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 में ग्रॉफिक प्रस्तुतिकरण (मेट्रिक्स) के अन्तर्गत वाई–एक्सिज पर क्रियायें के नीचे क्रमांक 5.30 पर बारातघर के सम्मुख एक्स–एक्सिज पर "पार्क एवं खुले स्थल" के कॉलम–12 में संकेत 'नि' (निषिद्ध) दिया गया है, अर्थात उक्त भू–उपयोग में बारातघर अनुमन्य नहीं है।

टिप्पणी:–

विभिन्न क्रियाओं/उपयोग परिसरों की परिभाषायें जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–2 में दी गई है।

अनुलग्नक–5

नगर में स्थित अवर जलाशयों तथा उनसे जुड़े नलकूपों का विवरण

क्र.स.	अवर जलाशय	अवर जलाशय की क्षमता कि.ली. में	लाभान्वित क्षेत्र	क्र.स.	अवर जलाशन से जुडे नलकूप का नाम	क्षमता एल.पी. एम.
1 2	सिविल लाईन्स न.1 सिविल लाईन्स न.2	1000 340	सिविल लाईन्स, जंक्शन रोड, कचहरी, गांधी उद्यान, सर्किट हाउस कॉलोनी, आवास विकास सिविल लाईन्स, सालवेशन आमी।	1	सिविल लाईन्स–5	3000
				2	सिविल लाईन्स–6	2000
				3	सिविल लाईन्स–7	2000
3 4	जुबली पार्क न.1 जुबली पार्क न.2	1575 340	रामपुर बाग, विकास भवन, कालीबाडी, सिकलापुर, फाल्तूनगंज, सेमलखेडा, अयुब खां चौराहा, नौमहला, मिशन कम्पाउण्ड, आजमनगर आदि।	4	जुबली पार्क–2	2000
				5	जुबली पार्क–8	2500
				6	जुबली पार्क–9	3000
5	घेर जाफर खां	340	पुंराना शहर, सूफी टोला, कटराचांद खांन, रबडी टोला, काजी टोला, कांकर टोला आदि।	7	घेर जाफर खां	2500
6	जगतपुर	2000	जगतपुर, गौटिया एजाजनगर, आकाशपुरम, पनवडिया आदि।	8	जगतपुर नं0–1	3500
				9	जगतपुर नं0–2	2500
7 8	रा.इ.का. 1 रा.इ.का. 2	1510 340	कहरवान, कसगरान, मेमारान, बिहारीपुर सि.ल. सौदागारान, सरायखाम, आजमनगर, नौमहला, कुतुबखाना आदि।	10	राजकीय इण्टर कॉलेज	1500
				11	इन्दिरा मार्केट	2500
				12	मोती पार्क	3000
				13	किशोर बाजार	3000
9 10	सी.आई. पार्क–1 सी.आई. पार्क–2	340 910	प्रेमनगर, कानूनगायान, भूड, टिबरीनाथ, नेहरूपार्क, कालोनी, शाहबाद, बानखाना, कोहाडापीर आदि।	14	सी0आई पार्क–3	3000
				15	हरिजन पार्क	2000
				16	सी0आई पार्क–8	3000
11	सी.आई. पार्क–3	2250		17	सी0आई पार्क–8	3000
				18	ब्रहमपुरा	2500

12 13	माडल टाउन–1 माडल टाउन–1	2000 1250	माडल टाउन, शाहदाना कॉलोनी, माधोबाडी संजयनगर, गोपालनगर, आदि।	19	माडल टाउन–1	2000
				20	स्टेडियम	3000
14	दीन दयालपुरम	1250	दीनदयालपुरम, एकतानगर, सैन्ट फ्रांसिस स्कूल के पास, आदि।	21	दीनदयालपुरम–1	2000
				22	दीनदयालपुरम–2	1500
15	पटेलनगर	450	रतननगर, पटेल नगर, पीडब्लूडी कॉलोनी आदि।	23	पटेलनगर–1	3000
				24	पी0डब्लू0डी कॉलोनी	3000
16	फतेहबगिया	910	राजेन्द्रनगर, इन्द्रानगर, आदि।	25	बांकेबिहारी मन्दिर	3000
				26	जनकपुरी	2500
				27	इन्द्रानगर	2000
17	हार्टमेन	2000	शास्त्रीनगर सैदपुर हाकिंस, एसबीआई कॉलोनी, रामलीला ग्राउण्ड आदि।	28	हार्टमेन	3000
	हार्टमैन –2	1200		29	हार्टमैन रामलीला ग्राउन्ड	3000
				30	हार्टमैन त्रिलोक बिहार	3000
18	बाकरगंज	910	बाकरगंज, कटघर, स्वालेनगर किला साहूकारा, हुसैनबाग आदि।	31	बकरगंज–1	3000
				32	बकरगंज–2	2500
19	सुभाषनगर	350	सुभाषनगर, शान्ति बिहार, रविन्द्र नगर, गणेश नगर, अनुपम नगर, बदायूँ रोड आदि।	33	सुभाषनगर–1	3000
20	विश्वनाथपुरम	1200	गंगानगर, विश्वनाथपुरम, शिवधाम कॉलोनी आदि।	34	सुभाषनगर–2	3000
21	सी.बी. गंज	1210	सी.बी. गंज खलीलपुर स्लीपर रोड आदि।	35	सी0बी0गंज–1	2500
				36	सी0बी0गंज–2	2500
22	सुरेश शर्मा नगर	1500	सुरेश शर्मा नगर आदि।	37	सुरेशशर्मानगर नलकूप–1	2500
				38	सुरेशशर्मानगर नलकूप–2	2500

23	आवास विकास	350	आवास विकास कॉलोनी।	39	आवास विकास	1500
24	सिठौरा	2100	सिठौरा, सनैया घन सिंह, शान्ति बिहार आदि।	40	सिठौरा नं0–1	3000
				41	सिठौरा नं0–2	3000
				42	सिठौरा नं0–3	3000
25	कर्मचारी नगर	400	कर्मचारी नगर, अम्बिका आवास आदि।	43	कर्मचारी नगर	3000
26	वीरभटट	1050	वीरभटटी।	44	वीरभट्टी नं–1	2000
				45	वीरभट्टी नं–2	2000
27	वनखण्डीनाथ	1500	जोगीनवादा, तुलसीनगर आदि क्षेत्र।	46	वनखण्डीनाथ नलकूप सं0–1	3000
				47	वनखण्डीनाथ नलकूप सं0–2	3000
28	वीरसावरकर नगर	750	वीरसावरकर नगर, बन्नूवाल नगर आदि क्षेत्र।	48	वीरसावरकर नगर	3000
29	संजय नगर	1750	संजयनगर, सैनिक कॉलोनी आदि क्षेत्र।	49	संजयनगर नं0–1	3000
				50	संजयनगर नं0–2	3000
30	सनौआ	150	सनौआ क्षेत्र।	51	सनौआ	750
31	रामगंगा नगर	350	रामगंगा नगर कॉलोनी।	52	रामगंगा नगर नं0–1	2000
				53	रामगंगा नगर नं0–2	2000
32	लेहिया	350	लोहिया बिहार कॉलोनी।	54	लोहिया बिहार	2000
34	शिव गार्डन	950	शिव गार्डन कॉलोनी, मनोकामना मन्दिर के निकट का क्षेत्र।	55	शिव गार्डन	3000
35	हरूनगला	1700	हरूनगला, पवन बिहार, पीलीभीत बाईपास रोड आदि क्षेत्र।	56	हरुनगला–1	2500
				57	हरुनगला–2	2500
36	रहपुरा चौधरी	1500	रहपुरा चौधरी, मिनी बाईपास आदि क्षेत्र।	58	रहपुरा चौधरी–1	3000
				59	रहपुरा चौधरी–2	3000
37	मुंशीनगर	1000	मुंशीनगर, बिहार मान नगला आदि क्षेत्र।	60	मुंशीनगर	3000
38	पवन बिहार	1600	पवन बिहार, फाइक इन्कलेव, आकाशपुरम पंचशील नगर, ग्रेटर पवन बिहार, आदि क्षेत्र।	61	पवन बिहार	3000
39	मढीनाथ	1150	मढीनाथ, नकपुर, शान्ति बिहार, आशिक क्षेत्र।	62	मढ़ीनाथ	3000
40	स्वालेनगर	1500	स्वालेनगर, कटघर, रजा कॉलोनी आदि क्षेत्र।	63	स्वालेनगर–1	3000

				64	स्वालेनगर–2	3000
41	पटेल बिहार	1950	पटेल बिहार, बदायूँ रोड, गणेश नगर आदि क्षेत्र।	65	पटेल बिहार–1	3000
				66	पटेल बिहार–2	3000
42	बन्डिया मथुरापुर	900	बन्डिया, मथुरापुर आदि।	67	बन्डिया–1	3000
				68	बन्डिया–2	3000

स्त्रोत–नगर निगम, बरेली

अनुलग्नक–6

बरेली विकास क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों की सूची

क्र.म.	कॉलोनी	स्थल
1	आनन्द विहार	नवादा शेखान बरेली।
2	माँ वैष्णोपुरम	जगतपुर लाला बेगम हरूनगला पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली।
3	सतीपुर रोड नई आबादी	सतीपुर रोड, बरेली।
4	नवादा शेखान नई आबादी	नवादा शेखान।
5	आजाद नगर	रोडवेज वर्कशॉप के पीछे, बरेली।
6	एम0ई0एस0 सोसायटी	नवादा शेखान, बरेली।
7	सनराइज एन्कलेव	डोहरा रोड, बरेली।
8	पवन विहार	जगतपुर लाला बेगम हरूनगला पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली।
9	खुशबू इन्केलव	बाईपास रोड नवादा शेखान, बरेली।
10	गणेशपुरम	हरूनगला वीसलपुर रोड, बरेली।
11	फाईक इन्केलव	बाईपास रोड नवादा शेखान, बरेली।
12	संसार इन्केलव	हरूनगला पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली।
13	पंचशील कॉलोनी	बाईपास रोड नवादा शेखान, बरेली।
14	पुष्पांजलि	शाहजहांपुर रोड, बरेली।
15	चेतना एन्केलव	शाहजहांपुर रोड, बरेली।
16	पशुपति विहार	जगतपुर लाला बेगम, बरेली।
17	नूर नगर	तुलसीनगर के पीछे नवादा जोगियान बरेली।
18	दशरथ नगर	शक्तिनगर के पीछे नवादा जोगियान बरेली।
19	अशोक नगर	शक्तिनगर के पीछे नवादा जोगियान बरेली।
20	तुलसी नगर विस्तार	अवैध नवादा जोगियान पीलीभीत रोड जैन की जमीन के पास बरेली।
21	मिथलापुरी फेस 1 (नियमित)	विहारमान नगला, पीलीभीत रोड व पीलीभीत बाईपास के बीच क्षेत्र।
22	आशुतोष सिटी	पीलीभीत बाईपास, बरेली।
23	अवध विहार	विहारमान नगला, पीलीभीत रोड व पीलीभीत बाईपास के बीच क्षेत्र।
24	सिद्दीकी कुंज	विहारमान नगला, पीलीभीत रोड व पीलीभीत बाईपास के बीच क्षेत्र।
25	कैलाशपुरम	विहारमान नगला, पीलीभीत रोड व पीलीभीत बाईपास के बीच क्षेत्र।
26	अष्टभुजी	विहारमान नगला, पीलीभीत रोड व पीलीभीत बाईपास के बीच क्षेत्र।
27	पंचाल नगरी	विहारमान नगला, पीलीभीत रोड व पीलीभीत बाईपास के बीच क्षेत्र।
28	सैनिक कॉलोनी	विहारमान नगला, पीलीभीत रोड व पीलीभीत बाईपास के बीच क्षेत्र।
29	परवाना नगर	विहारमान नगला, पीलीभीत रोड व पीलीभीत बाईपास के बीच क्षेत्र।
30	एफ0सी0आई0 कॉलोनी	विहारमान नगला, पीलीभीत रोड व पीलीभीत बाईपास के बीच क्षेत्र।
31	मुंशी नगर	विहारमान नगला, पीलीभीत रोड व पीलीभीत बाईपास के बीच क्षेत्र।
32	गगन विहार	विहारमान नगला, पीलीभीत रोड व पीलीभीत बाईपास के बीच क्षेत्र
33	अशोक विहार	तुलापुर, शेरपुर, पीलीभीत बाईपास व रोड के बीच, बरेली।
34	दुर्गा नगर	तुलापुर, शेरपुर, पीलीभीत बाईपास व रोड के बीच, बरेली।
35	लक्ष्मी नगर	तुलापुर, शेरपुर, पीलीभीत बाईपास व रोड के बीच, बरेली।
36	वन्नू वाल नगर	विहारमान नगला, शेरपुर, बरेली।
37	संजय नगर	ब्रहमपुरा, शेरपुर, तुलापुर, बरेली।

38	गोपाल नगर	ब्रहमपुरा, शेरपुर, तुलापुर, बरेली।
39	आशापुरम	ब्रहमपुरा, शेरपुर, तुलापुर, बरेली।
40	चन्द्रमणी विहार	विहारमान नगला, केवल मार्बल के पीछे, बरेली।
41	सूर्यनगर	संजय नगर से लगा क्षेत्र विहारमान नगला, बरेली।
42	श्री रामविहार	बिहारमान नगला, बरेली।
43	शिव विहार	बिहारमान नगला, बरेली।
44	कृपाल नगर	बिहारमान नगला, बरेली।
45	रेवती रमण गोकुल धाम	तुलाशेरपुर बरेली।
46	द्वारिकापुरम	संजय नगर रोड, बरेली।
47	लक्ष्मीपुर	वन्नूवाल नगर के पास विहार/तुलाशेरपुर, बरेली।
48	चकमहमूद	नई आबादी चकमहमूद, बरेली।
49	एजाजनगर	जगतपुर, लाला बेगम, बरेली।
50	सरस्वती विहार	(वसेरा डवलपर) विहारमान नगला, बरेली।
51	वैभवनगर	नवादा जोगियान, बरेली।
52	बजरंग इन्कलेव	हरूनगला वीसलपुर रोड, बरेली।
53	बालाजी पूरम	हरूनगला वीसलपुर रोड, बरेली।
54	आशुतोष नगर	विहारमान नगला, पीलीभीत रोड व पीलीभीत बाईपास के बीच क्षेत्र।
55	सनराईज इन्कलेव	डोहरा रोड, बरेली।
56	कुसुम सह0आ0समिति	विश्वविद्यालय के पीछे, बरेली।
57	सरस्वती विहार	(वसेरा डवलपर) विहारमान नगला, बरेली।
58	सुरेश शर्मा नगर एक्सटेंशन	नवादा जोगियान, बरेली।
59	आजाद सहकारी आ0स0	पीलीभीत बाईपास, बरेली।
60	कृष्णा सहकारी आ0स0सं05	नवादा शेखान, बरेली।
61	वीर सावरकर नगर विस्तार	विहारमान नगला।
62	हजियापुर अम्बेडकर नगर	स्टेडियम रोड, बरेली।
63	आदर्श कॉलोनी	विहारमान नगला, बरेली।
64	गोकुल नगर	विहारमान नगला, बरेली।
65	सिद्वार्थ कुंज	डेलापीर लिंक रोड।
66	सुमन विहार	डेलापीर लिंक रोड।
67	शान्ति पुरम	निकट संजयनगर लिंक रोड, बरेली।
68	आदर्श नगर	पुराना शहर, बरेली।
69	कामरेड नगर	पुराना शहर, बरेली।
70	वी. आई. पी. एन्कलेव	शाहजहाँपुर रोड, बरेली।
71	ख्वाजा नगर	शाहजहाँपुर रोड, बरेली।
72	हिमालय एन्कलेव	शाहजहाँपुर रोड, बरेली।
73	डिफेन्स कॉलोनी	शाहजहाँपुर रोड, बरेली।
74	कृष्णावती आवास/कृष्णांचल(नियमित)	उदयपुर खास भुतहा कोठी बरेली।
75	चन्द्रपुरी	उदयपुर खास, बरेली।
76	न्यूप्रभात नगर (नियमित)	रामजानकी मंदिर के पीछे उदयपुर खास, बरेली।
77	कुर्मान्चल नगर (नियमित)	परतापुरम जीवन सहाय, बरेली।
78	डिफेन्स कॉलोनी	नगरिया परीक्षित, बरेली।
79	आलोक नगर	नगरिया परीक्षित, बरेली।
80	संत नगर	नगरिया परीक्षित, बरेली।

81	शिव नगर (नियमित)	नगरिया परीक्षित, बरेली।
82	शिव नगर एक्सटेंशन	आई0वी0आर0आई0, उदयपुर खास, बरेली।
83	विष्णुपुरी	प्रेमनगर लाइन पार।
84	चन्द्रपुरी	प्रेमनगर लाइन पार।
85	प्रेमनगर लाइनपार	प्रेमनगर लाइन पार।
86	शुभम इन्कलेव	प्रेमनगर हरिजन छात्रावास।
87	फकरूद्दीन अली अहमद नगर	नगरिया परीक्षित, बरेली।
88	जयन्त इन्कलेव	शाहजहाँपुर रोड, बरेली।
89	आशियाना विल्डर्स	शाहजहाँपुर रोड, बरेली।
90	मलिक इन्कलेव	शाहजहाँपुर रोड, बरेली।
91	राधेश्याम एन्कलेव (नियमित)	सिविल लाईन्स, मकरन्दपुर सरकार, बरेली।
92	रहीम पैलेस	मधुवन सिनेमा के पास शाहजहाँपुर रोड।
93	डी0आई0सी0 के पीछे	पुराना आर0टी0ओ0 के पीछे, सिविल लाइन, बरेली।
94	भारत मोटर ट्रेनिंग कॉलेज के पीछे	166 सिविल लाईन्स, बरेली।
95	शिव शक्ति एस्टेट	प्रेमनगर भूड़, बरेली।
96	सेमलखेड़ा	सिविल लाईन्स, बरेली।
97	जोगेन्द्रपुरम	सुभाष नगर बदायूँ रोड, बरेली।
98	सरस्वती नगर	बदायूँ रोड, बरेली।
99	मढ़ीनाथ नई बस्ती	मढ़ीनाथ।
100	न्यू कटघर	लाइन पार, बरेली।
101	सर्वोदय नगर	बदायूँ रोड, बरेली।
102	करगैना कॉलोनी	करगैना बदायूँ रोड, बरेली।
103	तिरूपति धाम	बदायूँ रोड इटौआ की ओर जाने वाली सड़क पर।
104	विरूपति श्रृंगार	बदायूँ रोड इटौआ की ओर जाने वाली सड़क पर।
105	वैष्णो धाम	करगैना बदायूँ रोड, बरेली।
106	प्रगति नगर	करगैना बदायूँ रोड, बरेली।
107	इन्द्रापुरम से लगा क्षेत्र	करगैना बदायूँ रोड, बरेली।
108	हुसैन बाग कॉलोनी	कटघर बरेली।
109	जागृति नगर	बदायूँ रोड, बरेली।
110	अनुपम नगर	बदायूँ रोड, बरेली।
111	इफ्को कॉलोनी	बदायूँ रोड इटौआ की ओर जाने वाली सड़क पर।
112	मनकारा नगर	बी. डी. ए. कॉलोनी करगैना के पास।
113	नेकपुर चीनी मिल के सामने	नेकपुर के सामने बदायूँ रोड, बरेली।
114	शिवधाम कॉलोनी	पानी टंकी के पास बदायूँ रोड, बरेली।
115	राजीव नगर	सुभाष नगर, बदायूँ रोड, बरेली।
116	विश्वनाथ पुरम	गंगानगर के बगल में बदायूँ रोड, बरेली।
117	गंगानगर एक्सटेंशन	बदायूँ रोड, बरेली।
118	रवीन्द्र नगर	बदायूँ रोड, बरेली।
119	इन्द्रापुरम	बी.डी.ए. कॉलोनी करगैना के पास।
120	गणेश नगर	बदायूँ रोड, बरेली।
121	शांति विहार	सिठौरा रोड, बरेली।

122	राजीव गाँधी नगर	वंशी नगला, बरेली।
123	अशोक नगर (नियमित)	वंशी नगला, बरेली।
124	करगैना से लगा क्षेत्र	बदायूँ रोड, बरेली।
125	संतोषी माता मंदिर के पास	मढ़ीनाथ सिठौरा मार्ग पर।
126	बुखारपुरा एन्कलेव	बुखार बदायूँ रोड, बरेली।
127	इटौवा सुखदेवपुर रोड	बदायूँ रोड, बरेली।
128	वंशी नगला	निकट मढ़ीनाथ, बरेली।
129	नेकपुर बाग	मढ़ीनाथ के पास।
130	रामाचन्द्र पुरम	इटौआ सुखदेवपुर रोड, बरेली।
131	अटलपुरम	इटौआ सुखदेवपुर रोड, बरेली।
132	जागृति नगर एक्सटेंशन	बदायूँ रोड।
133	जागृति नगर के पीछे	बदायूँ रोड।
134	दुर्गा इन्कलेव	बदायूँ रोड, बरेली।
135	सनराइज ग्रीनवेली	इटौआ रोड, मढ़ीनाथ नेकपुर, बदायूँ रोड।
136	विवेक विहार	इटौआ रोड, मढ़ीनाथ नेकपुर, बदायूँ रोड।
137	राजीव नगर	सुभाष नगर बदायूँ रोड, बरेली।
138	हरगोविन्द नगर	सुभाष नगर बदायूँ रोड, बरेली।
139	बुद्ध विहार	सुभाष नगर बदायूँ रोड, बरेली।
140	शंकर नगर	सुभाष नगर बदायूँ रोड, बरेली।
141	किला छावनी	किला बरेली।
142	फतेहगंज पश्चिमी	रामपुर रोड, फतेहगंज पश्चिमी।
143	आधारशिला सेंटर फतेहगंज प0	फतेजगंज प0 बरेली।
144	कहकशां इन्केलव	रामपुर रोड, यूनाइटेड धर्मकांटे के पास बरेली।
145	कृष्णा सहकारी आवास समिति	गुप्ता नर्सरी के पीछे सैदपुर हॉकिन्स, बरेली।
146	आनन्द विहार के कोने पर	रामपुर रोड स्वाले नगर, बरेली।
147	रजा कॉलोनी	रामपुर रोड स्वाले नगर, बरेली।
148	आनन्द विहार	रामपुर रोड स्वाले नगर, बरेली।
149	चौधरी तालाब	सुर्खा छावनी, बरेली।
150	शास्त्री नगर से लगा क्षेत्र	सुर्खा छावनी, बरेली।
151	सिद्धार्थ नगर	सुर्खा छावनी, बरेली।
152	जगदीश पुरम	सुर्खा छावनी, बरेली।
153	गांधी पुरम व गांधी पुरम विस्तार	सुर्खा छावनी, बरेली।
154	बसन्त विहार	सेन्ट्रल जेल के पीछे।
155	बसंत विहार एक्सटेंशन	सेन्ट्रल जेल के पीछे।
156	शिवाजी नगर	सेन्ट्रल जेल के पीछे।
157	विकास पुरम	रहपुरा रोड, सुर्खा छावनी, बरेली।
158	आजाद पुरम	सुर्खा छावनी, बरेली।
159	आजाद पुरम विस्तार	सुर्खा छावनी, बरेली।
160	गंगवार इन्कलेव	सुर्खा छावनी, बरेली।
161	सेवा धाम	सैदपुर हाकिन्स, बरेली।
162	बालाजी विहार	कर्मचारी नगर रोड, सैदपुर हाकिन्स, बरेली।

B D A

163	दूरसंचार कॉलोनी	रहपुरा चौधरी, बरेली/ मठ कमल नैनपुर बरेली।
164	त्रिलोक विहारी	सुर्खा छावनी, बरेली/ सुर्खा छावनी गुलाब राय स्कूल की फील्ड के पास, बरेली।
165	गणेश विहार	रामपुर रोड, बरेली।
166	गौरव नगर	—
167	रामायण इन्कलेव	सुर्खा छावनी, बरेली।
168	शिव नगर एवं शिव नगर एक्स0	—
169	निशा एन्कलेव	नवादा शेखान, पीलीभीत बाईपास रोड।
170	आकाश गंगा	नवादा शेखान, पीलीभीत बाईपास रोड।
171	नशेमन कॉलोनी	नवादा शेखान, पीलीभीत बाईपास रोड।
172	कृष्णा नगर	नवादा शेखान, पीलीभीत बाईपास रोड।
173	महेन्द्र नगर	डोहरा लालपुर रोड।
174	हरिनगर	डोहरिया कंथरी, बीसलपुर रोड।
175	अभिषेक नगर	हरूनगला बीसलपुर रोड।
176	कृष्णा नगर	हरूनगला बीसलपुर रोड।
177	वारिस इन्कलेव	डोहरिया कंथरी, बीसलपुर रोड।
178	खजुरिया घाट	खजुरिया घाट।
179	इज्जतनगर पुलिस चौकी के सामने पीलीभीत रोड	पीर बहोड़ा पीलीभीत रोड।
180	एकता आवास कॉलोनी	केशलता हॉस्पिटल के पीछे, डेलापीर गोटिया।
181	विनायका स्टेट	परवाना नगर के पास, विहारमान नगला।
182	रजत विहार	डेलापीर लिंक रोड, शेरपुर।
183	जनकल्याण सहकारी आवास समिति	पीलीभीत बाईपास खण्डेलवाल नगर के पास।
184	रामेश्वर धाम	लाल फाटक के आगे बदायूँ रोड।
185	राधा विहार	लाल फाटक के आगे बदायूँ रोड।
186	बालाजी धाम	लाल फाटक के आगे बदायूँ रोड।
187	सावित्री नगर	सुभाष नगर से आगे बदायूँ रोड।
188	पटेल नगर	सुभाष नगर से आगे बदायूँ रोड।
189	इंदिरापुरम एक्सटेंशन	सुभाष नगर से आगे बदायूँ रोड।
190	शिवाजी नगर	इटौआ रोड, बदायूँ रोड।
191	वृन्दावन गार्डन	बदायूँ रोड।
192	महावीर सिटी	बदायूँ रोड।
193	ग्रेटर कैलाश	बदायूँ रोड।
194	पंजाबी बाग	बदायूँ रोड।
195	केसरबाग	बदायूँ रोड।
196	तिरूपति स्टेट	बदायूँ रोड।
197	अवध धाम	मठ कमल नैनपुर, मिनी बाईपास रहपुरा चौधरी रोड।

स्रोतः बरेली विकास प्राधिकरण

अनुलग्नक–7

बरेली विकास क्षेत्र में ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्रामों के नाम	क्र.सं.	ग्रामों के नाम
1	बिहारीपुर पट्टी	128	इटौआ सुखदेवपुर
2	देभौरा खंजनपुर	129	बिरिया नरायनपुर
3	बुझिया जनूबी उत्तरी	130	महगवाँ उर्फ ऊँचा ऊँचा गांव
4	बुझिया जनूबी दक्षिणी	131	सराय तल्फी स्थाई नगर निगम
5	भोजीपुरा	132	सराय तल्फी अस्थाई
6	रायपुर	133	भगवंतापुर मकरूका नगर निगम
7	इटौआ केदारनाथ	134	बहजुइया जागीर
8	पचदेवरिया खुर्द	135	चन्दपुर जोगियान
9	मकरन्दापुर पीतमराम	136	आईना
10	हरबंशपुर उर्फ लक्ष्मीपुर	137	जोगीठेर
11	पीपल साना चौधरी	138	चन्दपुर काजियान
12	मझौआ गंगापुर	139	बादशाह नगर
13	सागलपुर	140	बल्ला कोठा
14	अभयपुर कैशोपुर	141	ठिरिया ठाकुरान
15	रम्पुरा माफी	142	रफियाबाद
16	वैकुन्ठापुर	143	करीम नगर
17	प्रहलादपुर	144	टीहर खेड़ा
18	घंघोरा–घंघोरी	145	पनबड़िया अस्थाई
19	घंघोरी पिपरिया	146	पनबड़िया स्थाई
20	आसपुर पीतमराय	147	मीरापुर
21	करमपुर ठाकुरान	148	खिलची स्थाई
22	लालपुरी	149	खिलची अस्थाई
23	दोहना पीतमराय	150	भगवन्तापुर
24	मनेहरा	151	चक महमूद नगर निगम
25	सिघाई कायस्थान	152	पीर वहोड़ नगर निगम
26	रिठौरा	153	परतापुर जीवन सहाय नगर निगम
27	कलापुर	154	कन्जादासपुर नगर निगम
28	नौगवां जागीर	155	नगरिया परीक्षित नगर निगम
29	बरकापुर	156	वड़िया नगर निगम
30	अड़ूपुरा जागीर	157	टियूलिया नगर निगम
31	आसपुर खूबचन्द	158	गरगईया उर्फ गोकुलपुर नगर निगम
32	नवदिया इलका सिंघाई	159	मथुरापुर नगर निगम
33	मुड़िया अहमद नगर	160	सनईया रानी मेवा कुँवर नगर निगम

34	सैदपुर चुन्नीलाल	161	बाकर नगर सुन्दरासी नगर निगम
35	दीदार पट्टी	162	शिकारपुर चौधरी नगर निगम
36	विल्वा	163	महलऊ नगर निगम
37	भूड़ा	164	फरीदपुर चौधरी नगर निगम
38	अटा कायस्थान	165	बिहार मान नगला नगर निगम
39	विवियापुर चौधरी	166	नवादा जोगियान नगर निगम
40	वीरपुर कासिम नगर	167	तुलापुर नगर निगम
41	बोहित	168	शेरपुर नगर निगम
42	मवई	169	मिंजई बाग नगर निगम
43	मिलक इमामगंज	170	जगतपुर लाला बेगम नगर निगम
44	मढौली	171	हरूनगला नगर निगम
45	अगरास	172	नवादा शेखान नगर निगम
46	खरसैनी	173	सनैइया धानसिंह नगर निगम
47	बकैनिया चम्पतपुर	174	सिठौरा नगर निगम
48	औंध	175	बेनीपुर चौधरी नगर निगम
49	सतुइया पट्टी	176	रोठा स्थाई नगर निगम
50	सतुइया खास	177	रोठा अस्थाई नगर निगम
51	पटवइया	178	महेशपुर अटरिया नगर निगम
52	कुरतरा	179	सैदपुर हाकिन्स नगर निगम
53	बल्लिया	180	उदयपुर खास नगर निगम
54	फरीदपुर रामचरन	181	परतापुर चौधरी नगर निगम
55	हमीरपुर	182	रहपुरा चौधरी नगर निगम
56	परधौली	183	मठ लक्ष्मीपुर नगर निगम
57	कासमपुर	184	मठ कमल नैनपुर नगर निगम
58	करमपुर चौधरी	185	गोविन्दापुर नगर निगम
59	नगरिया कलाँ	186	मैदापुर नगर निगम
60	हाजीपुर ब्रजलाल	187	सनौआ नगर निगम
61	चॉवर	188	बिधौलिया नगर निगम
62	रजपुरा माफी	189	जौहरपुर नगर निगम
63	कुम्हरा	190	खलीलपुर नगर निगम
64	खजुरिया जुलफिकार	191	हैदराबाद उर्फ खड़ौआ नगर निगम
65	गिरधारीपुर तातरपुर नगर निगम	192	सरनिया नगर निगम
66	खतौला गनपतराय	193	नदौसी नगर निगम
67	घुन्सा	194	सुर्खा छावनी नगर निगम
68	तिलियापुर	195	नेकपुर नगर निगम
69	धन्तिया	196	कन्थरी नगर निगम
70	केशवपुर	197	गुलड़िया रानी मेवा कुंवर
71	माधोपुर माफी	198	जसौली स्थाई नगर निगम
72	भिटौरा नौगवां उर्फ फतेहगंज पश्चिमी	199	भन्डसर
73	खरगपुर	200	चैनामुरारपुर

74	मकरन्दपुर ठाकुरान	201	मोहरनिया
75	पिपरिया अस्थाई	202	हरहरपुर
76	पिपरिया स्थाई	203	नवदिया कुर्मियान
77	जगतपुर काशीराम	204	अहिलादपुर
78	खिरका	205	मोहन उर्फ रामनगर
79	साहब नगर	206	इटौवा वेनीराम
80	ठिरिया खेतल	207	क्लारी
81	उनासी	208	लालपुर
82	चिटौली	209	रूपापुर बढ़ेपुर
83	रहपुरा जागीर	210	भगवन्तापुर घिमरी
84	रसूला चौधरी	211	अधलखिया
85	रूकमपुर	212	गुलडिया रजकुलनिशा
86	परसा खेड़ा नगर निगम	213	बैशपुर
87	धौरेहरा माफी	214	महेशपुर शाह इमामउद्दीन
88	अब्दुल्लापुर माफी	215	नौगवा हरसा पट्टी
89	पहाड़गंज	216	नवदिया हरकिशन
90	चंदपुर बिचपुरी	217	कचौली
91	डोहरा	218	ऊगनपुर
92	डोहरिया	219	म्यूडी रानी मेवा कुंवर
93	अहिरौला	220	मल्हपुर
94	सिमरा अजूवा बेगम	221	डंडिया
95	खजुरिया ब्रहमनान	222	वीरपुर रानी मेवा कुंवर
96	भरतौल	223	तिगरा
97	सैदपुर खजुरिया	224	पुरनापुर
98	मोहनपुर	225	कुंआ डांडा कुर्मियान
99	नरियावल	226	तैयतपुर
100	ठिरिया निजावत खां	227	जगन्नाथपुर
101	पदारथपुर	228	लोधीपुर
102	भेडरिया	229	सारीपुर
103	परसौना	230	लिलौरी
104	परतासपुर	231	बेनीपुर सादात
105	चनेटा	232	आलमपुर
106	परगवां	233	गजरौला
107	चनहेटी	234	धारूपुर मोहम्मद अकबर
108	काँधरपुर	235	टाहताजपुर
109	उमरसिया	236	उड़ला जागीर
110	बारी नगला	237	फरिदापुर इनायत खां
111	अभयपुर कैम्प	238	मुस्तफाबाद
112	करगैना	239	बिथरी चैनपुर
113	महेशपुर ठाकुरान	240	नवादा जोधा
114	करेली	241	बालपुर अहमदपुर

115	बुखारा	242	उदयपुर जसरथपुर
116	चौबारी स्थाई	243	गोपालपुर नगरिया अनूप
117	चौबारी अस्थाई	244	सुन्दरपुर
118	भगवानपुर ठाकुरान अस्थाई	245	मनपुरिया दलेल
119	भगवानपुर ठाकुरान स्थाई	246	लरचौरा
120	अंगूरी	247	दुबारी
121	फरीदापुर ठाकुरान	248	पालपुर कमालपुर
122	रौंधी मुहाल स्थाई	249	धारूपुर ठाकुरान
123	रौंधी मुहाल अस्थाई	250	सैदपुर लश्करी
124	फतेहपुर ठाकुरान	251	मानपुर ओलापुर
125	सिंगठौरा	252	फरीदापुर बरकली साहब
126	कुंडरा मुस्तकिल		
127	बेहटी देह जागीर		
फरीदपुर तहसील			
253	मेहतरपुर करोड़	259	हृदयपुर उर्फ अंधरपुर
254	भगौतीपुर राजाराम	260	केशरपुर
255	बहादुरपुर करोड़	261	करनपुर इलाका शंकरपुर
256	फतेहपुर	262	करनपुर इलाका जेड़
257	शंकरपुर	263	सथरापुर
258	रजऊपरसपुर	264	मगनपुर

स्त्रोतः बरेली विकास प्राधिकरण

अनुलग्नक–8

नगर निगम बरेली के पार्कों की सूची वर्ष–2018

क्र.सं	पार्कों के नाम	पता
1	जाटव पुरा	बाबू जगजीवन राम पार्क
2	मधोवरी	वाल्मीकि पार्क
3	जाटव पुरा	वाल्मीकि पार्क
4	मदीनाथ	सुदमा नगरी
5	मदीनाथ	अम्बेड़कर पार्क
6	चोटी विहार	अम्बेड़कर पार्क
7	आकांक्षा एंन्कलेव	टंकी वाला पार्क
8	आकांक्षा एंन्कलेव	सेटं जेवियर स्कूल के पास
9	आकांक्षा एंन्कलेव	मैन रोड पार्क
10	आकांक्षा एंन्कलेव	क्रिस्टल किडर गार्डन स्कूल
11	पीलीभीत बाई पास रोड	दैनिक जागरण के सामने
12	हरूनगला	नरेश शर्मा के घर के पास
13	हरूनगला	सरकारी अस्पताल के सामने
14	राजेन्द्र नगर सी ब्लॉक	श्री भण्डारी भवन के सामने
15	राजेन्द्र नगर सी ब्लॉक	श्री रिशिपाल सिंह के घर के सामने
16	राजेन्द्र नगर सी ब्लॉक	बालाजी मन्दिर के सामने
17	राजेन्द्र नगर सी ब्लॉक	हाउस नं–सी655 के पीछे
18	पटेल नगर सी ब्लॉक	आर.के.सक्सेना के घर के पास
19	राजेन्द्र नगर सी ब्लॉक	जगदीश खण्डेलवाल के घर के पास
20	देलापीर पेट्रोल पम्प	अवन्तीबाई पार्क
21	राजेन्द्र नगर ई ब्लॉक	शशिवाल सक्सेना के घर के सामने
22	राजेन्द्र नगर ई ब्लॉक	विधायक वीरेन्द्र गंगवार के घर के सामने
23	राजेन्द्र नगर ई ब्लॉक	श्री जोशी हाउस के सामने
24	राजेन्द्र नगर ई ब्लॉक	प्रदूषण ऑफिस के सामने
25	राजेन्द्र नगर	रिशिपाल हाउस के सामने
26	राजेन्द्र नगर सी ब्लॉक	हरीओम गंगवार के घर के पास
27	राजेन्द्र नगर	शवाले मन्दिर पार्क
28	राजेन्द्र नगर	परवेटिव सोशियल ऑफिस के सामने
29	राजेन्द्र नगर	राकेश हाउस के सामने
30	राजेन्द्र नगर सी ब्लॉक	गुलशन हाउस के सामने

31	राजेन्द्र नगर सी ब्लॉक	बोडरू स्कूल के सामने
32	राजेन्द्र नगर सी ब्लॉक	टैगोर पार्क
33	राजेन्द्र नगर सी ब्लॉक	पी.डब्ल्यू.डी. पार्क
34	राजेन्द्र नगर	शहीद पंकज अरोरा पार्क
35	राजेन्द्र नगर सी ब्लॉक	वाटर टैंक पार्क में
36	राजेन्द्र नगर	रवि शर्मा के घर के सामने
37	राजेन्द्र नगर	श्री राम पूजा के घर के सामने
38	राजेन्द्र नगर सी ब्लॉक	राधा कृष्ण वाटिका
39	राजेन्द्र नगर सी ब्लॉक	श्री ललता प्रसाद के घर के सामने
40	राजेन्द्र नगर बी ब्लॉक	बी.एन.दीक्षित के घर के सामने
41	राजेन्द्र नगर बी ब्लॉक	श्री मिश्रा हाउस के सामने
42	राजेन्द्र नगर बी ब्लॉक	श्याम लाल, हाउस.न--164 के सामने
43	राजेन्द्र नगर सी ब्लॉक	श्री अनुराधा शर्मा के घर के सामने
44	राजेन्द्र नगर सी ब्लॉक	सरकारी नियत्रंण हाउस.न–655 के सामने
45	राजेन्द्र नगर सी ब्लॉक	गुलशन वाटिका पार्क
46	राजेन्द्र नगर सी ब्लॉक	सुरेश चन्द के घर के पास
47	पटेल नगर ई ब्लॉक	एस.एस.गुप्ता के घर के सामने
48	परसाखेड़ा	महर्षि कश्यप पार्क
49	हैदराबाद	खड़ौआ पार्क
50	प्रेमनगर	सी.आई.पार्क
51	दीनदयाल	डी.डी. पुरम पार्क
52	मॉडल टाउन	एकतानगर पार्क
53	मॉडल टाउन एकतानगर	डालचन्द हाउस के सामने
54	मॉडल टाउन एकतानगर	हरनामसिंह हाउस के सामने
55	मॉडल टाउन एकतानगर	चाचा नेहरू पार्क
56	मॉडल टाउन	इंदिरा पार्क
57	मॉडल टाउन	दशहरा ग्राउण्ड टिकाने पार्क के सामने
58	प्रभातनगर	आमेर सिंह कातिब हाउस के सामने
59	प्रभातनगर	मन्दिर पार्क
60	ब्राग ब्रिगटॉन	अम्बेड़कर पार्क
61	कुतुबखाना	घन्टाघर पार्क
62	कुतुबखाना	मोती पार्क
63	परतापुर	परतापुर चौधरी पार्क में
64	परतापुर चौधरी	महिला पार्क
65	कठघर	अम्बेडकर पार्क

66	कठघर	तिलक ग्राउण्ड पार्क
67	सी.बी. गंज	लेबर कॉलोनी पार्क में
68	राजेन्द्र नगर ए ब्लॉक	दिनेश अरोरा हाउस, तुबली पार्क के सामने
69	राजेन्द्र नगर ए ब्लॉक	शिल्पी ब्यूटी पॉर्लर के सामने
70	राजेन्द्र नगर ए ब्लॉक	मोर सिंह यादव के घर के सामने
71	राजेन्द्र नगर ए ब्लॉक	विजय पान भण्डार के सामने
72	राजेन्द्र नगर ए ब्लॉक	सतीश कातिब हाउस के सामने
73	राजेन्द्र नगर ए ब्लॉक	अशोक कम्प्यूटर के सामने
74	राजेन्द्र नगर ए ब्लॉक	विजय शर्मा के घर के सामने
75	राजेन्द्र नगर ए ब्लॉक	ए.के.सक्सेना के घर के सामने
76	इंद्र नगर मण्डल विहार	के.के.तलवार हाउस के सामने
77	इंद्र नगर मण्डल विहार	एच.एस. शर्मा के घर के सामने
78	चवकी चौर्य	गाँधी मूर्ति पार्क
79	रामपुर गॉर्डन	हेमु कल्याणी पार्क
80	रामपुर गॉर्डन	पटेल चौक
81	नुमाला सिविल लाईन्स	विवेकान्द पार्क
82	मकरम्पुर सरकार सिविल लाईन्स	नगर निगम 3 पार्क
83	रामपुर गॉर्डन	अग्रसेन पार्क
84	परवेज कॉलोनी	मंयक पार्क
85	कुबुरपुर	बाबू हाउस, शिवपुरी पार्क के सामने
86	रामपुर गॉर्डन	सेठ दामोदर पार्क
87	रामपुर गॉर्डन	चौधरी चरण सिंह पार्क
88	रामपुर गॉर्डन	गाँधी उद्यान पार्क
89	रामपुर गॉर्डन	गौतम बुद्ध पार्क
90	सिविल लाईन्स	तुलसी पार्क
91	सिविल लाईन्स	राजेश अग्रवाल हाउस, पार्क 2 के सामने
92	रामपुर गॉर्डन	टॉकोनी रोट्री क्लब पार्क
93	रामपुर गॉर्डन	गोविन्द वल्लभ पन्त पार्क
94	रामपुर गॉर्डन	लोहिया पार्क
95	रामपुर गॉर्डन	अक्षर विहार पार्क
96	रामपुर गॉर्डन	स्टेशन गौल पार्क
97	सैइदपुर हाकिन्स	सत्यप्रकाश अग्रवाल पार्क, रामपुर रोड
98	कर्मचारी नगर	ऑफिसर्स इक्लेव पार्क
99	शास्त्री नगर	धीरज सक्सेना हाउस के सामने

100	जनकपुरी	रानी लक्ष्मी बाई पार्क
101	जनकपुरी	आचार्य नरेन्द्र देव पार्क
102	जनकपुरी	नेहरू पार्क
103	जनकपुरी	जवाहर पार्क
104	जनकपुरी	अशोक नगर कॉलोनी पार्क
105	जनकपुरी	गाँधी नगर कॉलोनी पार्क
106	जनकपुरी	ट्यूबेल पार्क, कैलाश हॉस्पिटल के सामने
107	जनकपुरी	शिवाजी पार्क
108	जनकपुरी	निलिमा बूटिक के सामने
109	जनकपुरी	वैश्य मार्बल के सामने
110	जनकपुरी	मस्जिद के पीछे
111	जनकपुरी	सरस्वती शिशु मन्दिर के सामने
112	जनकपुरी	जोगेन्द्र निहावन के सामने
113	जनकपुरी	हाउस न–634 के सामने
114	टिबरी नाथ	एस.एस मिश्रा, हाउस के पास
115	राहपुर चौधरी	राजा चौक पार्क
116	मेदापुर	मस्जिद के पास
117	सेदाना	बाग अहमद अली पार्क
118	जगतपुर	लाल मशीन के पास
119	गाँधी उद्यान	दामोदर पार्क
120	गाँधी उद्यान	पंत पार्क

स्रोतः बरेली नगर निगम

अध्याय–12
भारत सरकार की "स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट–2023–24" के भाग–3 (अर्बन प्लानिंग रिफार्मस) के अनुपालन की स्थिति

भारत सरकार द्वारा Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24" Part-iii (Urban Planning Reforms) विषयक गाईडलाईन निर्गत की गई है। उक्त गाईडलाईन के अन्तर्गत नगरीय योजना सुधारों को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न सुधारों हेतु प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के प्राविधान दिए गए हैं।

Overview of the reform: States need to prepare a master plan for 0.5 million plus cities with following essential components:

1- States need to amend their cities Master Plan/Development Plan through notifications and need to integrate the essential planning components as mentioned below:
2- Transportation network/mobility Plan:- Proposal for new roads (ROW of 18m more), junctions, transportation hubs, etc. apart from the widening of the existing road network. Mobility plan including inter and intra city connectivity.
3- Blue and Green infrastructure: Identifying and integrating the existing water bodies with master plan along with clear contour survey and urban flood prevention plan. Proposal for green public spaces, urban forest, lakefronts, riverfronts, canal fronts, place making etc.
4- Economic Planning: Identification of economic activities, resources, and their integration with transport network.

5- Land use plan: Proposed land use plan including area dedicated for economic activities/industrial development business districts markets/trading centers, transportation hubs and Affordable Housing.

- Milestones and fund allocated: Out of 4 components, inclusion of any of the 3 in the draft master plan will be considered for the reforms. An incentive amount of Rs. 50 crore per city will be provided to.

उक्त सभी प्राविधानों को बरेली महायोजना–2031 (प्रारूप) में सम्मिलित किया गया है एवं तद्नुसार बिन्दुवार विवरण निम्नवत है।

12.1 कॉम्प्रेसिंव मोबिलिटी प्लान/ट्रांसपोर्टेशन प्लान

ट्रांसपोर्ट नेटवर्क/मोबिलिटी प्लानः–बरेली महायोजना–2031 (प्रारूप) में 18 मीटर से अधिक चौड़ाई की नयी सड़कों का प्राविधान किया गया है ट्रांसपोर्ट हब को विकसित करने हेतु बस टर्मिनल व ट्रक टर्मिनल का प्राविधान किया गया है जिनके माध्यम से इंटर व इंट्रा सिटी कनेक्टीविटी बेहतर हो पायेगी। बरेली विकास क्षेत्र में रोड नेटवर्क को यथासंभव इस तरह से प्रस्तावित किया गया है की ट्रैफिक जाम की समस्या एवं यातायात समय को कम किया जा सके। बरेली शहर में उत्तर दिशा की ओर मुरादाबाद रोड से शुरू होकर नैनीताल रोड व पीलीभीत रोड को जोड़ते हुए लखनऊ रोड पर अर्दचन्द्राकार रूप में एन.एच.ए.आई. द्वारा बाईपास बनाया गया है जिससे दिल्ली से लखनऊ जाने वाले ट्रैफिक का आवागमन हो रहा है जो पहले शहर के मध्य से होकर गुजरता था जिससे शहर में काफी हद तक जाम से राहत मिली है परन्तु दिल्ली रोड से रामपुर की तरफ से बदायूं को जाने वाला ट्रैफिक एवं लखनऊ रोड से शाहजंहापुर की तरफ से बदायू को जाने वाला ट्रैफिक बाईपास के अभाव में शहर के अन्दर से गुजरता है जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। बरेली महायोजना–2031 में उपरोक्त दोनों रोड से बदायूं रोड को जोड़ने वाले एन.एच.ए.आई. द्वारा प्रस्तावित बाईपास के संरेखन को दर्शाया गया है। उक्त बाईपास के निर्माण के क्रम में उक्त सड़कों के माध्यस से आ रहे ट्रैफिक के कारण हो रहे जाम से बरेली शहर को काफी राहत मिलेगी।

* बरेली शहर के लिए तैयार किये गये विजन डाक्यूमेंट–2051 में अल्पावधि परियोजनाओं के अन्तर्गत ट्रांन्सपोर्ट नेटवर्क/मोबिलिटी प्लान के तहत निम्नलिखित परियोजनाऐं चिन्हित की गई है जिनका विवरण निम्नानुसार है।

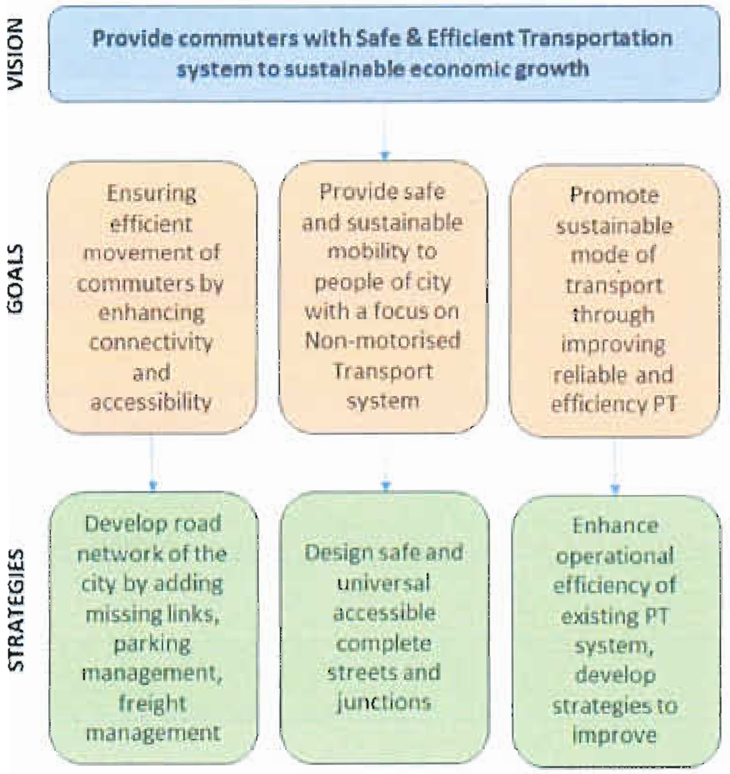

Bareilly Vision Plan-2051			
List of Projects			
Sr.No.	**Project List under Bareilly City**	**Nodal Department**	**Total cost in INR Lakhs**
1	Access to Ganga Expressway through Radial Road and Outer Ring Road	NHAI / PWD	53,555.61
2	Bareilly Lite Metro facility	BDA	17,35,374.90
3	Proposed Bridges, FoBs, Footpaths, Cycle Track	Nagar Nagam	18,000.00
4	Junction Improvement Plan	Nagar Nagam/ PWD/ BDA	4,000.00
5	Missing Links	PWD/BDA/ UP Bridge Corporation	12,000.00

बरेली शहर के विकास हेतु तैयार किये गये विजन डॉक्यूमेंट–2051 में काम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सी.एम.पी.)/ट्रांसपोर्ट प्लान के तहत निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश किया गया है।

1. Identify important destinations of the city.

   बरेली महायोजना–2031 में शहर के मुख्य स्थलों का चिन्हाकंन किया गया है।

2. Link these destinations to transit corridors for buses nad plan for routes of buses of these corridors.
   बरेली महायोजना–2031 व विजन डॉक्यूमेंट में मुख्य स्थलों के कनेक्टिविटी के लिये प्रस्ताव दिये गये है।
3. Estimate the number of buses required (40 buses per 1 lakh population)
   बरेली महायोजना–2031 की प्रक्षेपित जनसंख्या 1894211 की आवश्यकता हेतु बसों का प्राविधान करना प्रस्तावित है।
4. Plan perodicity of bus stops. Identify possible locations of bus depots near important destinations.

बरेली महायोजना–2031 में बस टर्मिनल भू–उपयोग प्रस्तावित किये गये है एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा शहर के महत्वपूर्ण स्थलों के पास बस स्टॉप का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।

5. Converge the mobility planning of different modes (Multi Modal Integration)
   बरेली शहर हेतु तैयार किये गये विजन डॉक्यूमेंट एवं सी.एम.पी. में मोबिलिटी प्लानिंग की गई है।
6. Plan fo EV charging points for electric moblity.
   बरेली शहर हेतु तैयार किये गये विजन डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल हेतु चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है।
7. Plan for seamless access through clean execution of footpaths has to be put in place.
   बरेली महायोजना–2031 में रोड नेटवर्क को पर्याप्त चौड़ाई के साथ प्रस्तावित किया गया है ताकि सीमलेस फुटपाथ का निर्माण हो सके।
8. Identify dark spots of areas near/on and prepare a proper lighting plan for ensuring safe access, especially focusing on gender sensitivity.
   बरेली शहर हेतु तैयार किये गये विजन डॉक्यूमेंट एवं सी.एम.पी. में शहर में स्ट्रीट लाईट के प्रस्ताव दिये गये है एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा शहर में स्थित डार्क स्पॉट्स का चिन्हांकन कर वहां प्रोपर लाईटनिंग की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।
9. Plan for easy access for buses/trains at bus stops/bus depots/ railway stations for differently abled.
   बरेली महायोजना–2031 में संचालित बस टर्मिनस व रेलवे स्टेशनों को दर्शाया गया है व बस टर्मिनस के प्रस्ताव दिये गये है एवं विजन डॉक्यूमेंट एवं सी.एम.पी. में शहर बेहतर कनेक्टिविटी हेतु प्रस्ताव दिये गये है। सम्बन्धित विभागों द्वारा दिव्यांगों की सुगमता हेतु अपने परिसरों में सुविधा किया जाना प्रस्तावित है।
10. Studying the old city transit patterns and esnsuring priority for public transit in old city and segregating streets for public transit only, to avoid congestion.
   बरेली शहर हेतु तैयार किये गये विजन डॉक्यूमेंट एवं सी.एम.पी. में पुराने शहर के ट्रांजेड पैटर्न का अध्ययन एवं प्रस्ताव दिये गये है एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा पुराने शहर के ट्रैफिक को डि–कन्जेस्ट करने की व्यवस्था का प्रस्ताव किया जाना प्रस्तावित है।

11.Parking to encourage private parties to execute infrastructure for parking through proper pricing, based on level of demand.

बरेली महायोजना–2031 में भू–उपयोगों के प्रस्ताव, बरेली शहर हेतु तैयार किये गये विजन डॉक्यूमेंट एवं सी.एम.पी. में पार्किंग हेतु प्रस्ताव दिये गये है। उत्तर प्रदेश भवन उपविधि में भी भवनों/निर्माणों के लिये पार्किंग के प्राविधान किये गये है।

12.Identification of where-how-when of parking in the city, Plan steps for what will make it financially viable for private participation.

बरेली शहर में सम्बन्धित विभागों द्वारा निजी भागीदारी के माध्यम से फाइनेंसियली वायबिलिटी को देखते हुए पार्किंग स्थलों का चयन किया जाना प्रस्तावित है।

13.Integration fo paratransit such as bike, auto, taxis for last mile connectivity.

बरेली महायोजना–2031 में यातायात एवं परिवहन में इस तरह भू–उपयोग प्रस्तावित किये गये है जिससे पैराट्रांजिट का इन्टीग्रेशन संभव हो सकेगा।

14.Identification important road crossings and marking of road juncitons with appropriate.

बरेली महायोजना–2031 व विजन डॉक्यूमेंट–2051 एवं सी.एम.पी. में शहर के मुख्य रोड क्रॉसिंग और रोड जंक्शनों का प्राविधान किया गया है।

15.Identifying vulneable subways and elevated roads/over bridges and making strategies to activate them.

बरेली महायोजना–2031 व विजन डॉक्यूमेंट–2051 एवं सी.एम.पी. में सब–वे व एलिवेटेड़ रोड/ओवरब्रिज का प्राविधान किया गया है।

मानचित्र–13
ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी

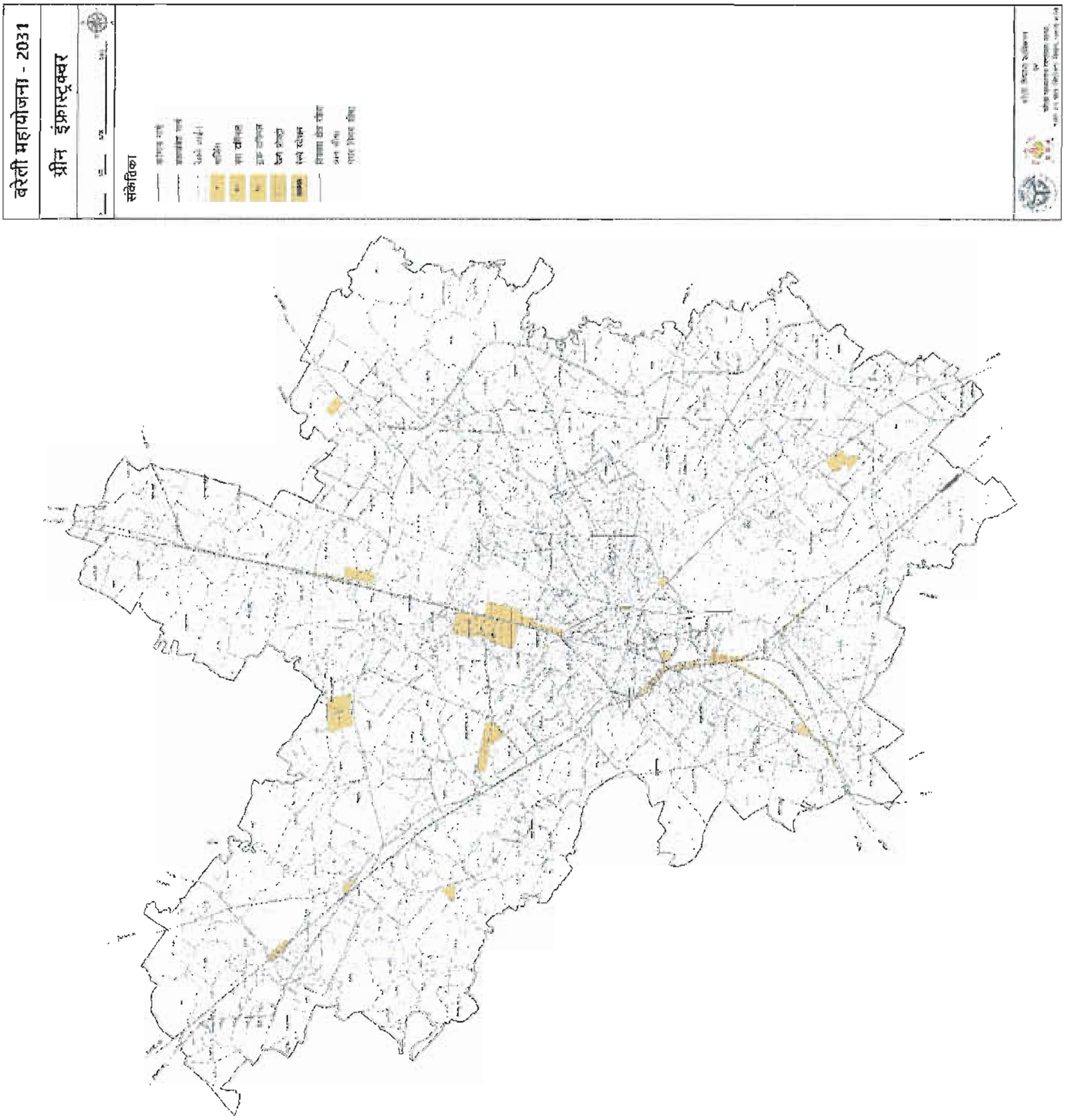

12.2 इकोनोमिक प्लान

बरेली महायोजना–2031 में यह भी प्रस्ताव है कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र को वैज्ञानिक एवं तकनीकी ढ़ंग से सम्बंधित विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा, जिससे बरेली नगर में प्रवाहित हो रही नदियों के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र को संवर्धन तथा अतिक्रमण एवं अनाधिकृत नगरीय गतिविधियों से मुक्त रखा जा सकेगा।

1. आर्थिक नियोजन :– आर्थिक नियोजन में आर्थिक गतिविधियों, संसांधनों तथा औद्योगिक गतिविधियों का परस्पर सबंध निहित होते है जिसके परिणामस्वरूप नगर के आर्थिक, व्यवसायिक, सामाजिक सांस्कृतिक एवं औद्योगिक गतिविधियों का सतत् विकास होता है। औद्योगीकरण नगर के आर्थिक आधार को सुदृढ़ करता है तथा इसका सीधा प्रभाव रोजगार की उपलब्धता के साथ–साथ जीवन स्तर को बेहतर बनाता है। किसी भी शहर का वित्तीय पहलू विभिन्न गतिविधियों की उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है।
2. आसपास के क्षेत्र आर्थिक वृद्धि या कमी के संबंध में कोई भी परिवर्तन गतिविधियों से शहर के विकास में बदलाव आता है। जब से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाना शुरू किया है इसके परिणामस्वरूप बरेली आर्थिक क्षेत्र में तेजी से बढ़ते शहरों में शामिल हो गया है। बरेली जिला मुख्यतः कृषि प्रधान है एवं जिले का व्यापार, व्यापार और वाणिज्य, शहरी क्षेत्रों में फला–फूला है। बेंत और बांस के फर्नीचर के निर्माण के लिए बरेली एक प्रसिद्ध उत्पादन केंद्र है साथ ही कपास, अनाज और चीनी के व्यापार के लिए भी बरेली में काफी संभावनाऐं हैं। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा बरेली शहर में आने वाले मुख्य मार्गो का चौड़ीकरण व सौन्दर्यकरण कार्य करने के फलस्वरूप बरेली शहर का चहुमुखी विकास हुआ है। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा रामगंगा आवासीय योजना में किये गये उत्कृष्ट कार्यो एवं ग्रेटर बरेली योजना के शुभारंभ होने के फलस्वरूप बरेली शहर के प्रति, आस–पास के ग्रामों एवं शहरों के निवासियों में बरेली शहर में निवेश करने के प्रति आकर्षण बढ़ा है। बरेली शहर में उपभोक्ताओं के रिटेल आउटलेट की पूर्ति के लिए ब्रांडेड शो–रूम एवं खाद्य श्रृंखलाओं (फूड़ चैन) में वृद्धि हुयी हैं। बरेली शहर में नवनिर्मित/निर्माणाधीन मॉल और मल्टीप्लेक्स शहर की बढ़ती

समृद्धि का संकेत देते हैं। इन सभी तथ्यों एवं विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुये महायोजना प्रस्तावों में इस नगर के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लघु उद्योग एवं वृहद् उद्योग हेतु औद्योगिक भू–उपयोग/औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किये गये है। जिनके विवरण निम्नानुसार है।

- **लघु उद्योग**

बरेली महायोजना–2031 में लद्यु उद्योग के प्रस्ताव रामपुर रोड पर सी.बी.गंज., खलीलपुर, बदायूं रोड पर ग्राम महेशपुर ठाकुरान, नैनीताल रोड के पश्चिम में ग्राम पीपलसाना चौधरी, नये प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग (बाईपास) पर ग्राम बल्ला कोठा तथा रामपुर रोड के बांयी ओर ग्राम–गरगईया एवं रामपुर रोड के दांयी ओर पर ग्राम–जौहरपुर, मथुरापुर, बंदिया एवं फतेहगंज पश्चिम में प्रस्तावित किये गये है।

- **वृहद् उद्योग**

वृहद् उद्योगों हेतु भूमि के प्रस्ताव महत्वपूर्ण पहुंच मार्ग तथा वर्तमान में इस प्रकार की औद्योगिक इकाईयां विकसित होने के कारण एवं भविष्य में इस प्रकार के औद्योगिक विकास की सम्भावना एवं आवश्यकता तथा उपयुक्त भूमि उपलब्धता आदि कारकों पर विचार करते हुये वृहद् उद्योग भू–उपयोग प्रस्तावित किया जाता है। इस प्रकार वृहद् उद्योगों को शाहजहांपुर रोड पर वर्तमान में संचालित औद्योगिक ईकाईयों के आस–पास के क्षेत्र का विस्तार कर वृहद् औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार शहर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में नये प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग (बाईपास) पर ग्राम रसूला चौधरी एवं रायपुरा जागीर के क्षेत्र को भी वृहद् औद्योगिक क्षेत्र हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसमें आई.टी./टैक्सटाईल पार्क भी प्रस्तावित किये गये है।

इस प्रकार बरेली महायोजना–2031 में औद्योगिक विकास तथा उपरोक्तानुसार यातायात सुविधा एवं सम्बन्धता हेतु मुख्य सड़कों का प्राविधान किया गया है ताकि शहर के आर्थिक विकास के साथ समुचित यातायात नेटवर्क विकसित हो सके।

बरेली शहर के लिए तैयार किये गये विजन डाक्यूमेंट–2051 में अल्पावधि परियोजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक नियोजन के तहत निम्नलिखित परियोजनाएें चिन्हित की गई है जिनका विवरण निम्नानुसार है।

Bareilly Vision Plan-2051			
List of Projects			
S.no	**List of Project**	**Nodal**	**Tentative cost INR Lakhs**
1	Residential Housing Node, a) Greater Bareilly- 240 ha b) Sri Janki Puram- 300 ha c). Nekpur (Phase I - 2022-23) & Gangora Pikariyam , d) Kargaina , e) Tehtajpur (Area - 100 Ha each)	BDA / Awas vikas / Private Builder	**1,85,822.96**
2	Industrial Growth CenteINR, a) Rajau Paraspur Phase I (2022-23) b) PalNRakheda (2025-30) c) Kurtara (2030-35) (Area - 100 Ha each)	BDA / UPSIDC / Private Builder	**59,280.00**
3	Integrated Freight Center cum Logistic Hub, Faridpur (35 Ha each)	BDA / Private Builder	**6,918.95**
4	Ahichchhatra Tourism Infrastructure upgradation	Tourism Department	**2,800.00**
5	Urban Renewal of Nath Temple circuit & Infrastructure improvement of all Seven Nath Temples	Tourism Department	**3,666.85**
6	Aerocity integrated office complex near Airport development: Area - 30 Ha	BDA / Private Builder	**1,76,070.00**
7	"Medicity" – designated area with multiple health business and activities	BDA / Nagar Nigam	**35,132.50**
8	Development of Handicraft Cluster/ Common Facility Centre (CFC) – Zari & Bamboo	BDA / Nagar Nigam	**7.59**

मानचित्र–14
इकोनोमिक इंफ्रास्ट्रक्चर

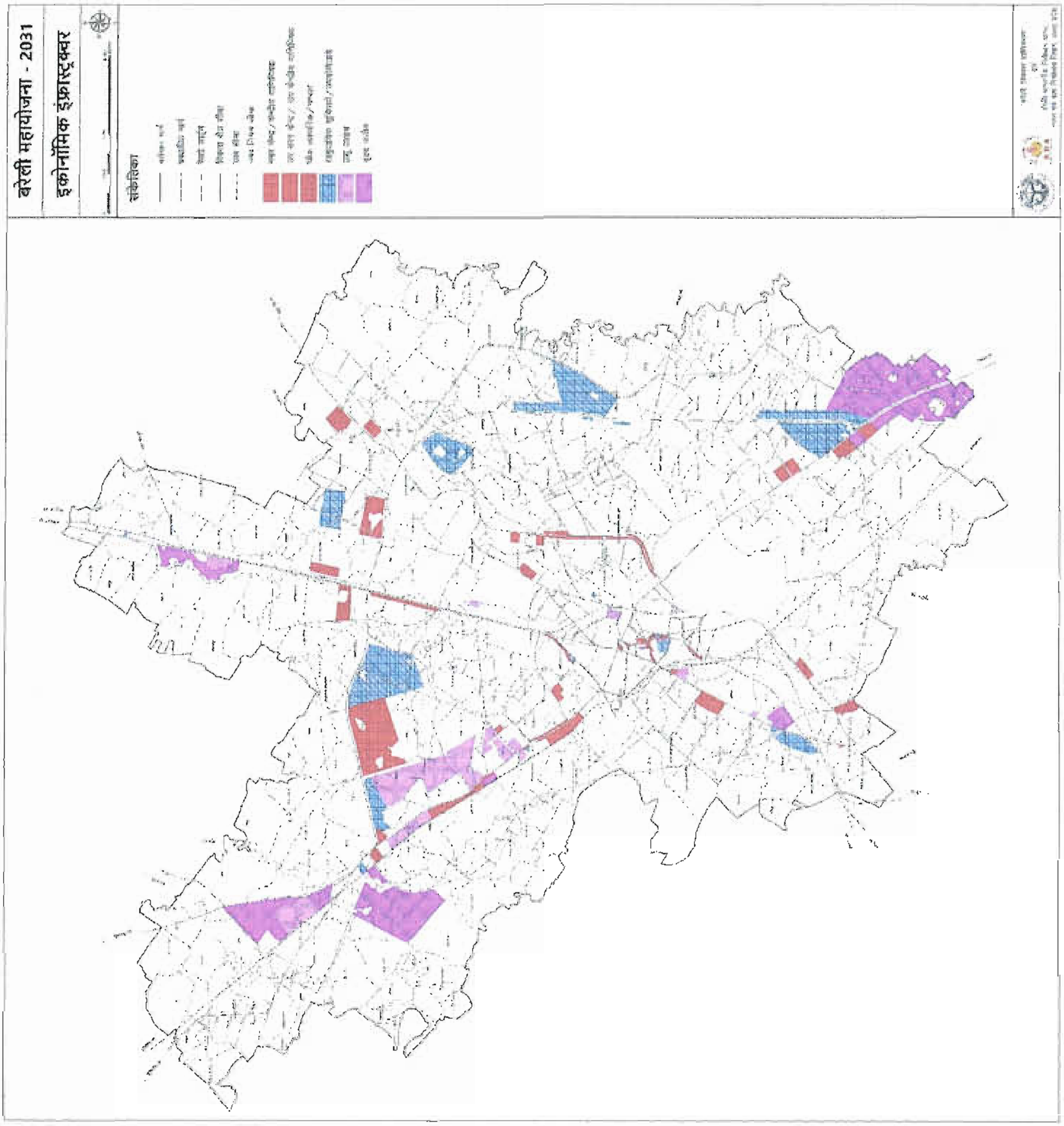

बरेली शहर के विकास हेतु तैयार किये गये विजन डॉक्यूमेंट–2051 में इकोनोमिक प्लान के तहत निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश किया गया है।

1. Cities are labour markets. Indentifying the economic nodes of the cities-commercial areas such as markets, vending spaces, industrial estates, goods transport nodes and wholesale markets (logistic hubs), intercity transport nodes, etc.

   बरेली महायोजना–2031 में औद्योगिक भू–उपयोग एवं यातायात एवं परिवहन भू–उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं जिनमें इण्डस्ट्रीयल स्टेट लॉजिस्टिक हब एवं ट्रांसपोर्ट हब को विकसित किया जाना प्रस्तावित है एवं थोक व्यापारिक/भण्डार एवं औद्योगिक भू–उपयोग प्रस्तावित किये गये है।

2. Regular markets to be planned for pedestrianization and non-vehicular mobility.

   बरेली शहर हेतु तैयार किये गये विजन डॉक्यूमेंट–2051 व सी.एम.पी. में नॉन व्हीकल मोबिलिटी हेतु फुटपाथ व अन्य प्रस्ताव दिये गये है।

3. Logistic hubs to be clearly demarcated and byelaw provisions for creating sotrage infrastructure such a gowdowns, cold storages, etc.

   बरेली महायोजना–2031 में औद्योगिक भू–उपयोग प्रस्तावित किया गया है जिसमें विजन डॉक्यूमेंट–2051 में लॉजिस्टिक हब के प्रस्ताव दिये गये है।

4. Plan for connecting various economic nodes for affordable mobility to be put in place.

   बरेली महायोजना–2031 व विजन डॉक्यूमेंट–2051 एवं सी.एम.पी. में औद्योगिक/आर्थिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी हेतु अफोर्डेबल मोबिलिटी के प्रस्ताव दिये गये है।

5. Plan for worker's housing near the manufacturing hubs, with complete social and health infrastructure such as schools, colleges, universities, hospitals, etc.

   बरेली महायोजना–2031 में औद्योगिक भू–उपयोगों/व्यवसायिक भू–उपयोगों के आसपास आवासीय, सामुदायिक सुविधायें एवं अन्य उपयोगी भू–उपयोग प्रस्तावित

किये गये है जिसमें औद्योगिक/व्यवसायिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु सामुदायिक, हेल्थ, स्कूल, कॉलेज आदि सुविधायें विकसित की जा सकेंगी।

6. Widening of carriage ways and strengthening of them, to cater to heavy vehicular movement near the logistic and manufacturing hus.

   बरेली महायोजना में रोड नेटवर्क का प्लान किया गया है एवं विजन डॉक्यूमेंट–2051 में सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव शामिल किये गये है।

7. Clear delineation of cycle and pedestrian paths to provide for safe mobility of workers.
   बरेली महायोजना में रोड नेटवर्क का प्लान किया गया है एवं विजन डॉक्यूमेंट–2051 में सड़कों के साईकिल ट्रैक व फुटपाथ के प्रस्ताव शामिल किये गये है।
8. Plan for removing inefficiencies
   8.1 Identification of food streets, hawker space, vending zone, and shifting of old markets-Retrofitting to improve them.
   बरेली महायोजना–2031 व विजन डॉक्यूमेंट–2051 एवं सी.एम.पी. में प्रस्ताव दिये गये है जिससे फूड स्ट्रीट, हॉकर्स स्पेस, वेन्डिंग जोन का विकास किया जायेगा।
   8.2 Customized plan for solid waste management for each for these.
   बरेली महायोजना–2031 व विजन डॉक्यूमेंट–2051 में उपरोक्त श्रेणी के लिये सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रस्ताव दिये गये है।

12.3 ब्लू एवं ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर

12.3.1 ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर

एक क्षेत्र के भीतर प्राकृतिक और मानव निर्मित जल–संबंधी सुविधाओं, संपत्तियों और प्रणालियों के नेटवर्क को संदर्भित करता ह। इस शब्द का प्रयोग अक्सर जल संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास के संदर्भ में किया जाता है। हरित बुनियादी ढ़ांचे के विपरीत, जो भूमि–आधारित प्राकृतिक तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है, नीला बुनियादी ढ़ांचा जल निकायों और उन्हें प्रबंधित करने वाली प्रणालियों पर जोर देता है। ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने, जल संसाधनों के प्रबंधन और विभिन्न मानवीय गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नीले बुनियादी ढ़ांचे के विकास और प्रबंधन के प्रयासों में अक्सर जलीय परिस्थितिकी तंत्र और जल संसाधनों के संरक्षण के साथ मानव विकास की जरूरतों को संतुलित करने केलिए सरकारी एजेंसियों, समुदायों और हितधारकों के बीच सहयोग शामिल होता है। पानी से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने और पर्यावरण और मानव समाज दोनों के दीर्घकालिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए नीले बुनियादी ढ़ांचे का सतत् प्रबंधन और विकास महत्वपूर्ण है। बरेली विकास क्षेत्र के महायोजना मानचित्र में समस्त जलाशय/तालाब/पोखर, नदी, नाला, नहर को दर्शाया गया है। जिसके क्षेत्रफल का विवरण निम्नानुसार है।

श्रेणी	उप–श्रेणी	क्षेत्रफल (हे0)	प्रतिशत
जल निकाय	नदी/नाला/पोखर	620.40	54.73
	तालाब/जलाशय/पोखर	513.26	45.27
	कुल	**1133.26**	**100.00**

- बरेली महायोजना–2031 (प्रारूप) में सभी राजस्व तालाबों को चिन्हित किया गया है एवं राजस्व तालाबों के संरक्षण हेतु तालाबों के चारों तरफ 15 मीटर ग्रीन बेल्ट का प्राविधान किया गया है।
- रामगंगा, शंखा, देवरनिया एवं नकटिया नदियों पर उच्चतम बाढ़ स्तर से प्रभावित क्षेत्र को निर्माण/अतिक्रमण से मुक्त रखने हेतु मौके पर नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट एवं तटबन्ध को महायोजना–2031 में प्रस्तावित किया गया है, जिसमे सभी प्रकार के निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है।
- बरेली शहर में से गुजर रही रामगंगा, शंखा, देवरनिया एवं नकटिया नदियों के दोनों ओर पर्याप्त मात्रा में ग्रीन बेल्ट का प्राविधान किया गया है जिसे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के रूप में विकसित किया जायेगा। जिससे शहर को अरबन फ्लडिंग से बचाया जा सकेगा एवं ग्रीन पब्लिक स्पेस व अरबन फॉरेस्ट को विकसित किया जायेगा।

- बरेली महायोजना में यू.आर.डी.पी.एफ.आई. गाईडलाईन के अनुसार पार्क एवं खुले स्थल भू–उपयोग प्रस्तावित किये गये है जिनमें ग्रीन पब्लिक स्पेस विकसित किया जायेगा जिससे शहर के पर्यावरण में सुधार होगा।
- बरेली शहर के लिए तैयार किये गये विजन डाक्यूमेंट–2051 में अल्पावधि परियोजनाओं के अन्तर्गत ब्ल्यू एवं ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत निम्नलिखित परियोजनाऐं चिन्हित की गई है जिनका विवरण निम्नानुसारः–

Bareilly Vision Plan 2051

List of Projects

S.no	List of Project	Nodal	Tentative cost INR Lakhs
1	River front development (Ramganga & Nakatiya)	PWD / Irrigation Department	1,421.74
2	Development of new solid waste treatment plant for 2041, (Area -15 Ha)	Nagar Nigam	9,000.00
3	City Plan for Water Logging / stagnant spots and flood prone areas	Jal Nigam / Nagar Nigam	9,000.00
4	Development of new Tertiary Sewage Treatment Plant (STP): Near Industrial Area.	Jal Nigam / Nagar Nigam	1,68,000.00

12.3.2 ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर

बरेली महायोजना–2031 में ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने हेतु पार्क एवं खुले स्थल भू–उपयोग स्थल प्रस्तावित किये गये है जिनका विकास करके नगर को बेहतर ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर मिल सकेगा। ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकसित होने से नगर को मनोरंजनात्मक सुविधायें प्राप्त हो सकेगी व शहर के पर्यावरण में भी अपेक्षित सुधार होगा। बरेली महायोजना–2031 में पार्क एवं खुले स्थल भू–उपयोग का विवरण निम्नानुसार है।

श्रेणी	उप–श्रेणी	क्षेत्रफल (हे0)	प्रतिशत
ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर/ पार्क एवं खुले स्थल	पार्क	466.60	8.18
	ग्रीन बेल्ट	3208.07	56.24
	जोनल पार्क	271.90	4.76
	मनोरंजन पार्क	348.14	6.10
	डिस्ट्रिक्ट पार्क	1209.44	21.20
	प्रदर्शनी, मेला एवं रैली स्थल	199.10	3.49
	कुल	**5703.25**	**100**

बरेली शहर के विकास हेतु तैयार किये गये विजन डॉक्यूमेंट–2051 में ब्ल्यू एवं ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश किया गया है।

1. Map all waterbodies of the city (all wards)
   बरेली महायोजना–2031 में बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त वाटर बॉडीज का चिन्हांकन महायोजना मानचित्र पर किया गया है।
2. Map the areas prone for flooding based on past experiences.
   बरेली महायोजना–2031 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन महायोजना मानचित्र पर किया गया है जिस पर सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।
3. Contour survey of the city drainage pattern to be done.
   बरेली महायोजना–2031 में विकास क्षेत्र में स्थित ड्रेनेज, नदी, नाले एवं स्ट्रीम को देखते हुए कंटूर मानचित्र तैयार कराया गया है।
4. Areas below the level of riverbed near the river to be clearly demarcated and plan for pumping out water through an independent energy sourced pump infrastructure to be put in place.
   बरेली महायोजना–2031 में बाढ़ प्रभावित/डूब क्षेत्र का चिन्हांकन किया गया है जिस पर सम्बन्धित विभागों द्वारा फ्लड़िंग होने के दौरान आत्मनिर्भर पम्पिंग योजना के तहत जल को बाहर निकालने की व्यवस्था का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है।

मानचित्र–15
ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर

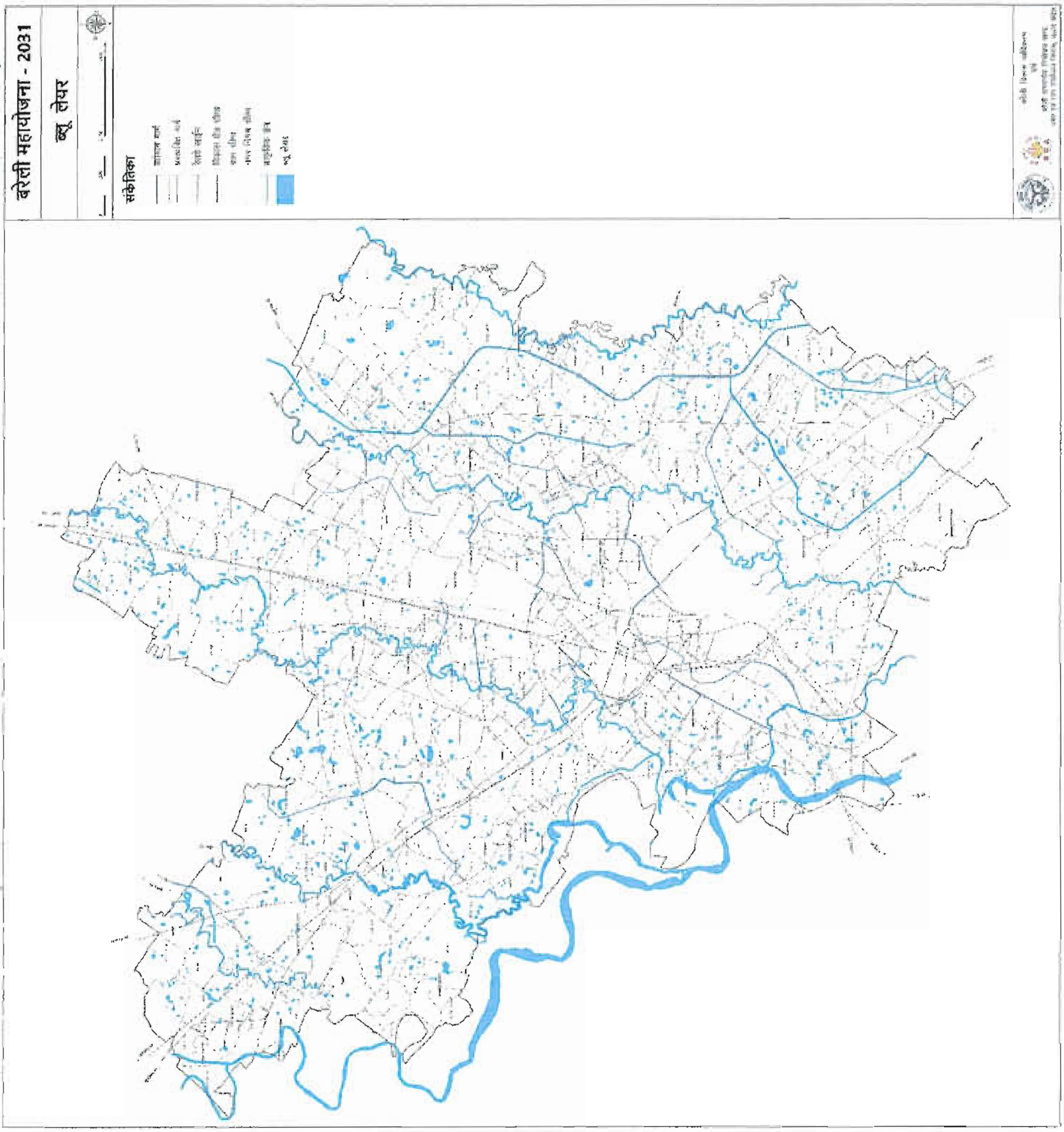

मानचित्र–16
ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर

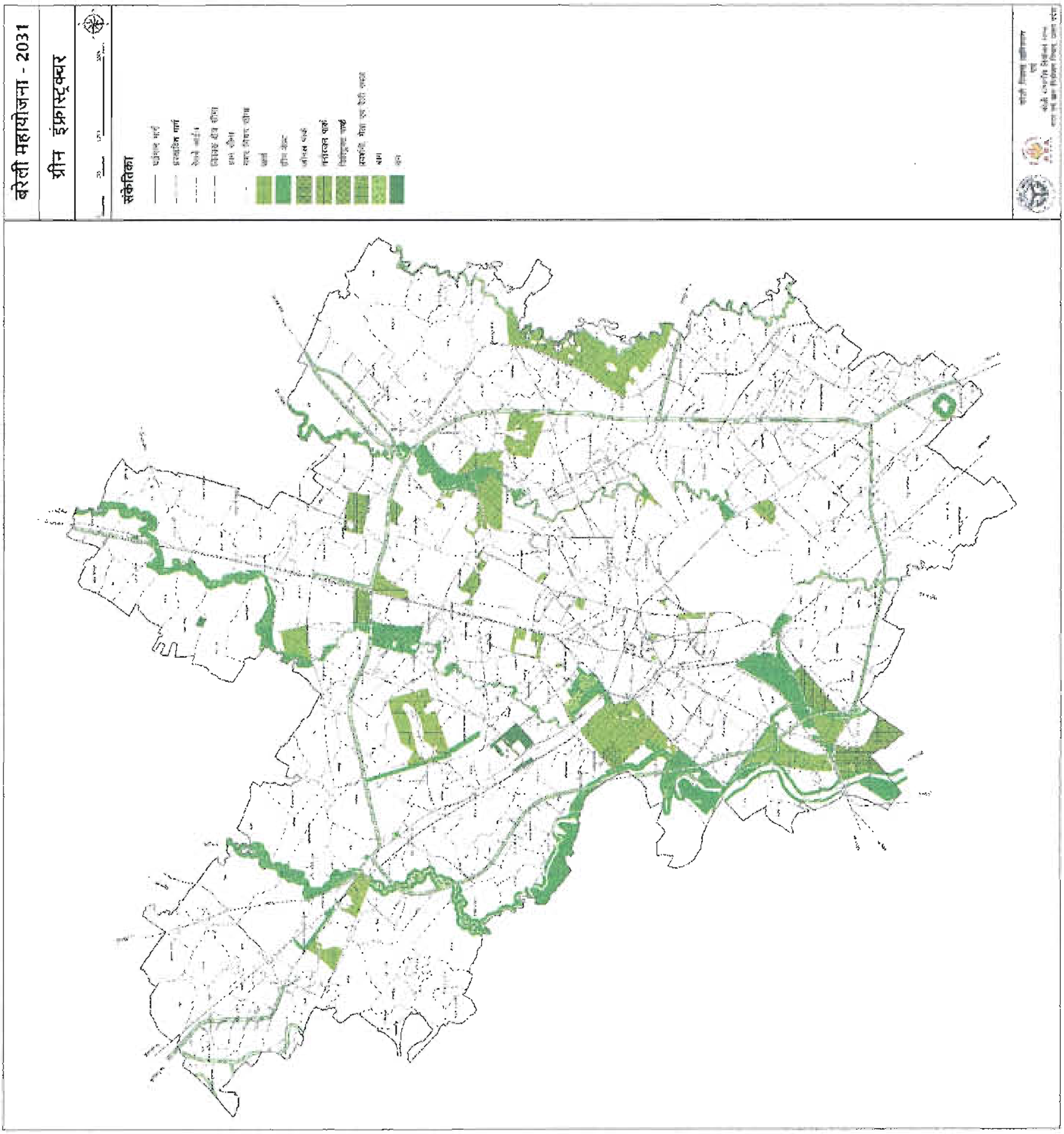

12.3.3 प्राकृतिक ड्रेन एवं कंटूर

रामगंगा जिले की प्राथमिक नदी है, जो पश्चिम से प्रवेश करती है और दक्षिण–पूर्व दिशा की ओर बहती है। बरेली विकास क्षेत्र में शंखा, देवरनिया और नकटिया नदियाँ भी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। साथ ही उनकी सहायक नदियाँ, सभी तराई से शुरू होती हैं और इसमें शामिल होने से पहले जिले में दक्षिणी और दक्षिण–पूर्वी दिशाओं में बहती हैं।

- **रामगंगा नदी**

रामगंगा नदी बरेली विकास क्षेत्र में दक्षिण–पश्चिम दिशा से ग्राम–महगवा व ग्राम–सिंगठौरा की सीमा से प्रवेश करती है। रामगंगा नदी लगभग 6 किलोमीटर लम्बाई में विकास क्षेत्र की दक्षिण–पश्चिम सीमा पर प्रवाहित होती है एवं दक्षिण–पश्चिम दिशा से ही ग्राम–भगवानपुर ठाकुरान मुस्तकिल की सीमा से विकास क्षेत्र से बाहर निकल जाती है।

- **शंखा नदी**

शंखा नदी बरेली विकास क्षेत्र में उत्तरी दिशा से ग्राम–अग्रस व ग्राम–मढ़ौली से प्रवेश करती है। शंखा नदी लगभग 11 किलोमीटर लम्बाई में विकास क्षेत्र के अन्दर प्रवाहित होती है एवं दक्षिण–पश्चिमी दिशा से ग्राम–रफियाबाद एवं ग्राम–ठिरिया ठाकुरान की सीमा से रामगंगा नदी में समाहित हो जाती है।

- **देवरनिया नदी**

देवरनिया नदी बरेली विकास क्षेत्र में उत्तरी दिशा से ग्राम–दभौरा खंजनपुर व ग्राम–बुझिया शुमाली से प्रवेश करती है। देवरनिया नदी लगभग 33 किलोमीटर लम्बाई में विकास क्षेत्र के अन्दर प्रवाहित होती है एवं दक्षिण दिशा से ग्राम–महगवां एवं सराय तल्फी मुस्तकिल से रामगंगा नदी में समाहित हो जाती है।

- **नकटिया नदी**

  नकटिया नदी बरेली विकास क्षेत्र में उत्तरी दिशा से ग्राम–रिठौरा व ग्राम–सिंघाई कायस्थान से प्रवेश करती है। शंखा नदी लगभग 27 किलोमीटर लम्बाई में विकास क्षेत्र के अन्दर प्रवाहित होती है एवं दक्षिण दिशा से ग्राम–दुबारी एवं ग्राम–पालपुर कमालपुर की सीमा से विकास क्षेत्र से बाहर हो जाती है।

बरेली विकास क्षेत्र के कंटूर मानचित्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि बरेली विकास क्षेत्र में सबसे ऊँचा स्थल उत्तर सीमा क्षेत्र में स्थित है जिसकी उच्चत्तम ऊचाई 201 मीटर है जबकि न्यूनत्तम ऊचाई 186 मीटर दक्षिण दिशा में स्थित है। इस प्रकार कंटूर मानचित्र तथा ड्रेनेज मानचित्र के संयुक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि विकास क्षेत्र में धरातल की ढलान उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। जैसा कि नदियों के प्रवाह से भी इंगित होता है।

बरेली शहर में प्रवाहित नदियाँ

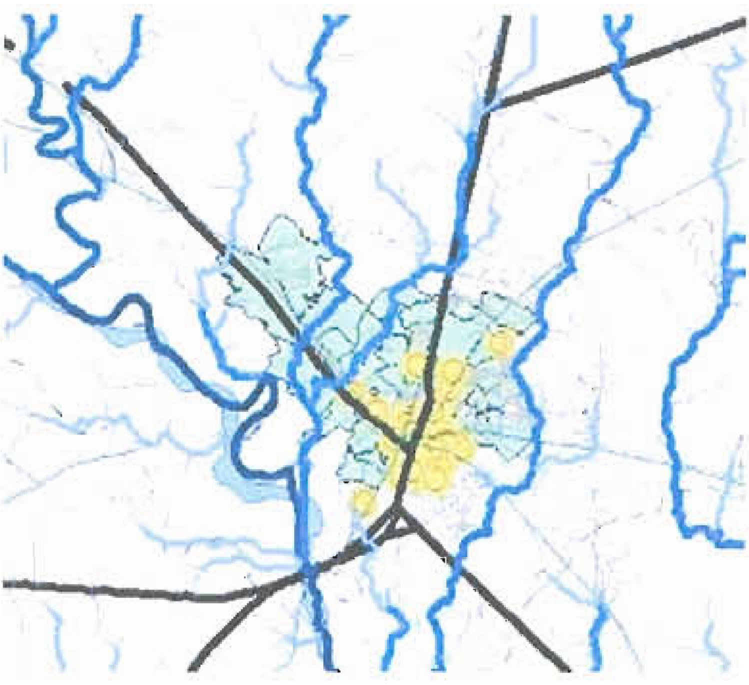

मानचित्र–17
प्राकृतिक ड्रेनेज मानचित्र

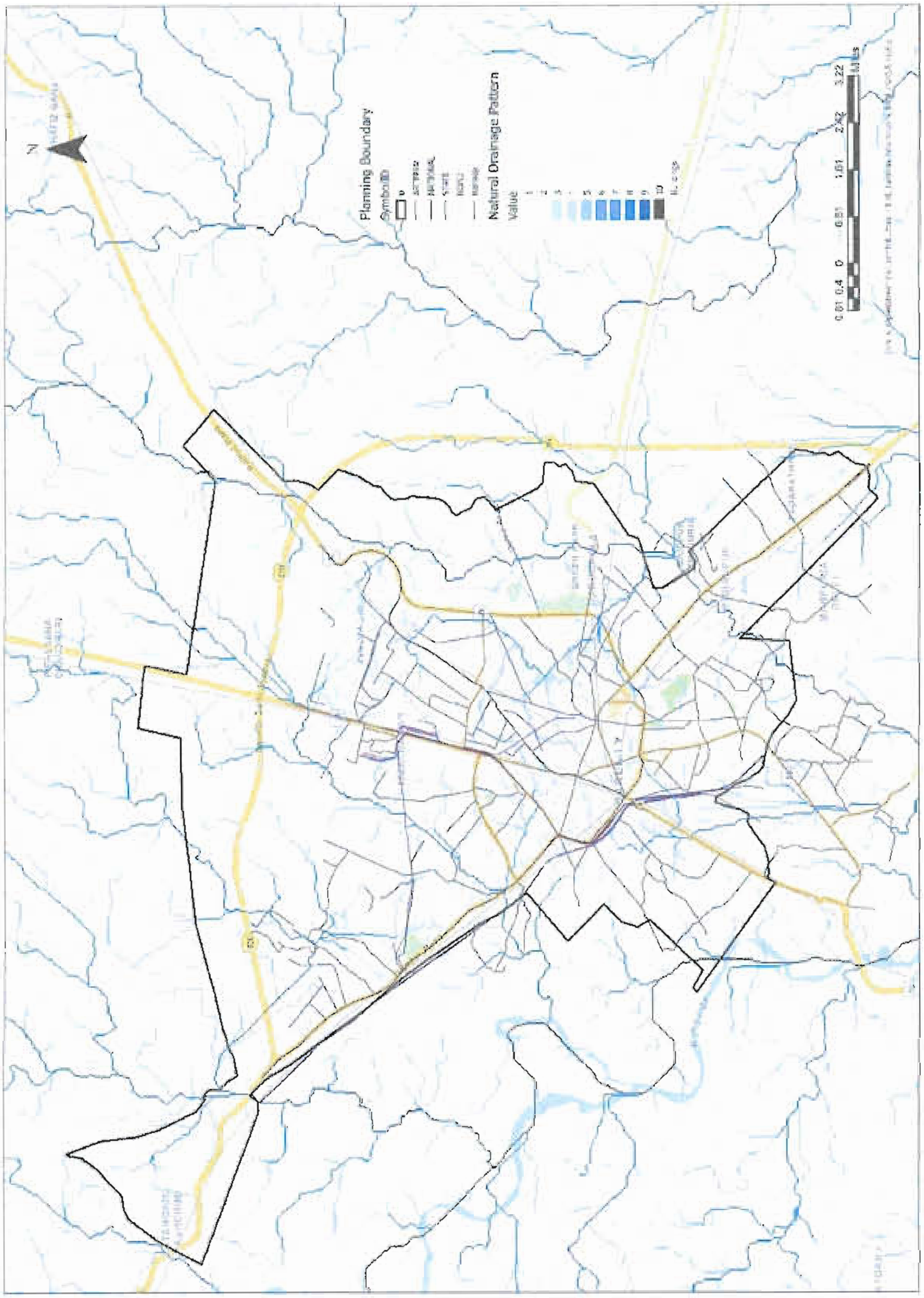

BDA

मानचित्र–18

कंटूर

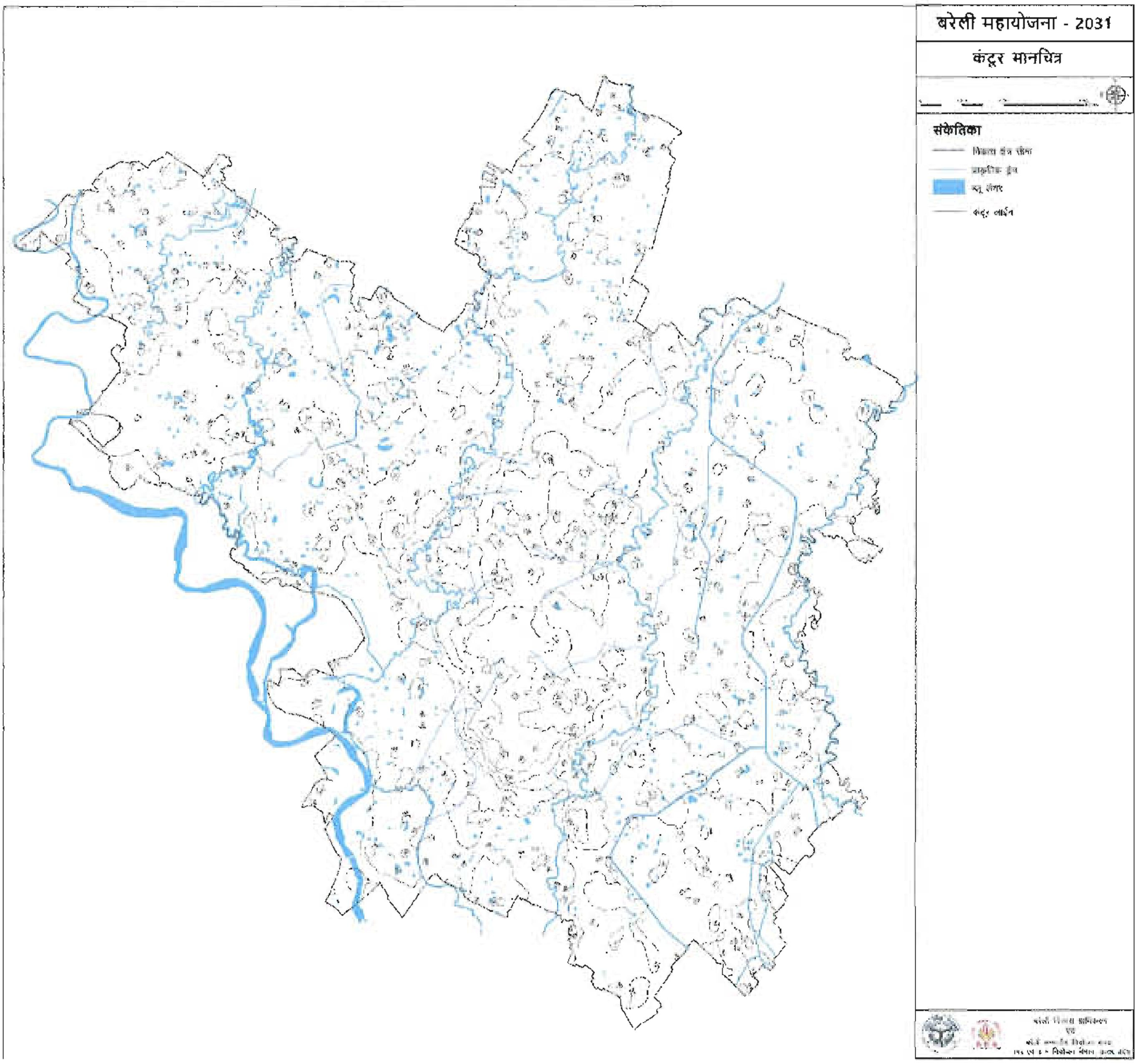

मानचित्र–19
एल्टीट्यूड मैप

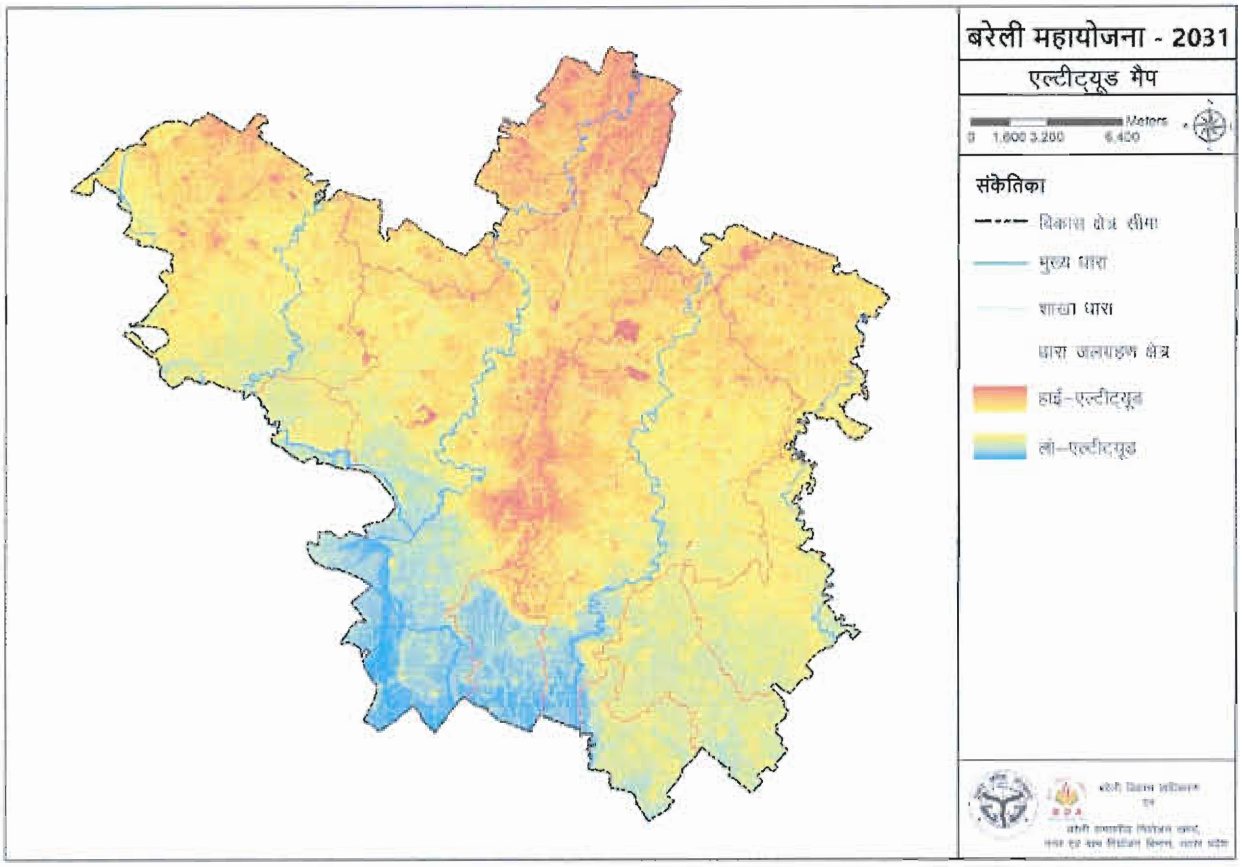

12.4 लैण्डयूज प्लान

बरेली महायोजना–2031 में यू.आर.डी.पी.एफ.आई गाईडलाईन के अनुसार भू–उपयोग प्रस्तावित किये गये है जिनमें मुख्यतः आवासीय, वाणिज्यिक, सामुदायिक सुविधाऐं, ट्रांसपोर्टेशन, पार्क एवं खुले स्थल, औद्योगिक, यातायात एवं परिवहन है। बरेली शहर के आर्थिक आधार के विकास हेतु औद्योगिक एवं वाणिज्यिक भू–उपयोग प्रदान किये गये है व इन्हें यथासंभव मास्टर प्लान सड़कों से जोड़ा गया है। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक भू–उपयोगों के पास ट्रांसपोर्ट हब को विकसित करने हेतु बस टर्मिनल व ट्रक टर्मिनल का प्राविधान किया गया है। औद्योगिक, आर्थिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु भू–उपयोगों के पास यथासंभव आवासीय भू–उपयोग का प्राविधान किया गया है ताकि इन स्थानों पर

काम करने वाले श्रमिक वर्ग, कामगार एवं आर्टिजन्स हेतु अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत् आवासीय सुविधा प्रदान हो सकेगी जिनको बरेली महायोजना–2031 के भू–उपयोग का विवरण निम्नानुसार है एवं प्रस्तावित भू–उपयोगों को बरेली महायोजना–2031 मानचित्र में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

बरेली महायोजना–2031

प्रस्तावित भू–उपयोग

प्रस्तावित भू–उपयोग श्रेणियाँ	कुल क्षेत्रफल	प्रतिशत
आवासीय	11556.52	45.31
व्यवसायिक	945.85	3.71
कार्यालय	263.49	1.03
औद्योगिक	2147.98	8.42
सामुदायिक/सांस्कृतिक सुविधायें एवं उपयोगितायें	1904.41	7.47
यातायात एवं परिवहन	2985.23	11.70
पार्क एवं खुले स्थल	5703.25	22.36
कुल	**25506.73**	**100.00**

बरेली महायोजना - 2031

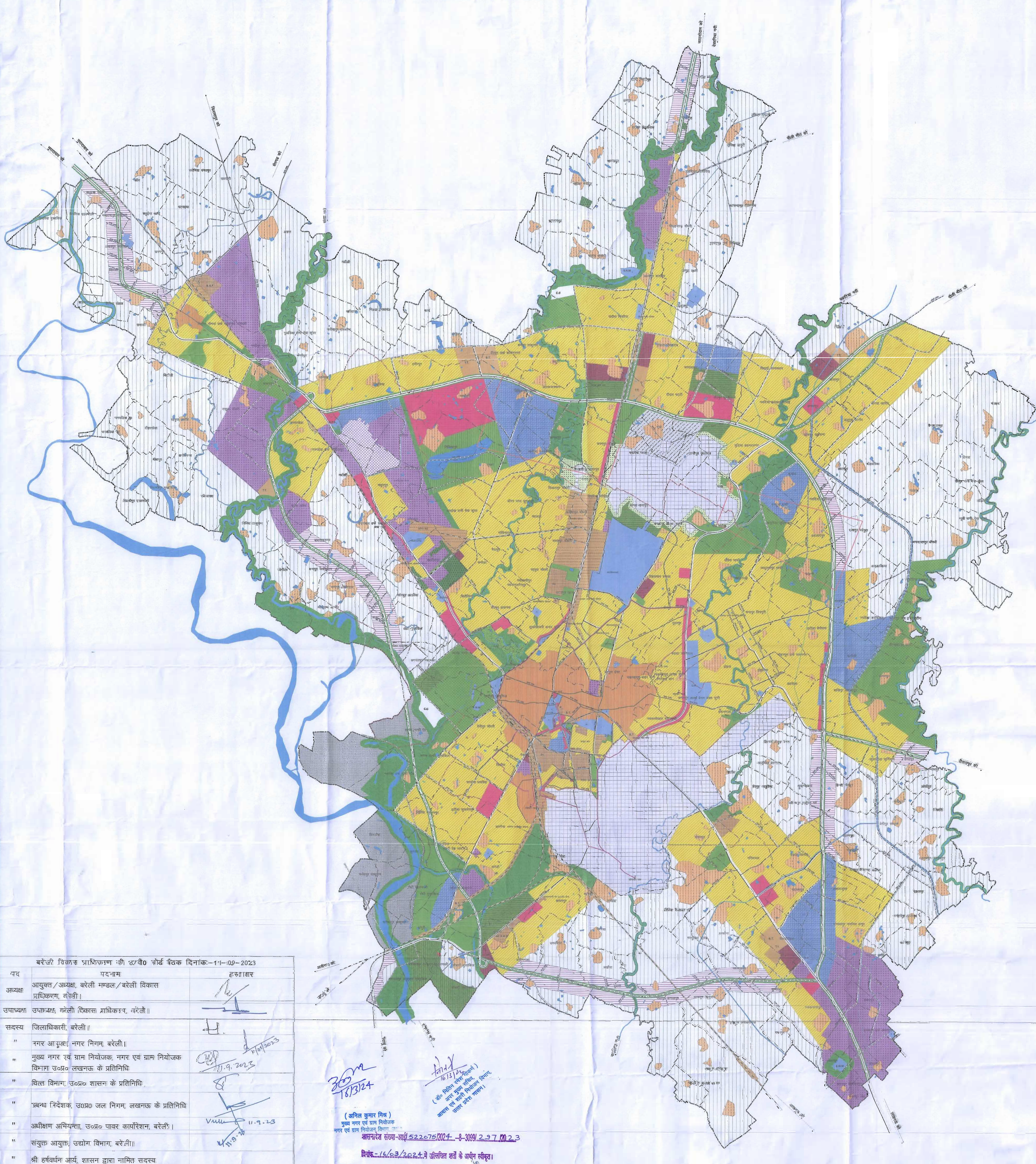

0 1,350 2,700 5,400 Meters

N W E S

प्रस्तावित भू-उपयोग

संकेतिका

आवासीय
- ग्रामीण आबादी
- निर्मित क्षेत्र
- आवासीय

व्यवसायिक
- नगर केन्द्र / केन्द्रीय वाणिज्यिक
- उप नगर केन्द्र / उप केन्द्रीय वाणिज्यिक
- थोक व्यापारिक / भण्डार

कार्यालय
- कार्यालय

सामुदायिक / सांस्कृतिक सुविधायें एवं उपयोगितायें
- सामुदायिक सुविधायें / उपयोगितायें

विद्यमान
- S T — शैक्षणिक संस्थाये / सामान्य तकनीकी
- चिकित्सालय
- W.W E — जलकल / पावर स्टेशन
- R.S D.D — रेडियो स्टेशन / दूरदर्शन
- STP SWM — ट्रीटमेंट प्लांट / डम्पिंग ग्राउण्ड
- I.V.R.I. U.R — शैक्षणिक संस्थाये

आद्योगिक
- लघु उद्योग
- वृहद उद्योग

यातायात एवं परिवहन
- वर्तमान मार्ग
- प्रस्तावित मार्ग
- रेलवे लाईन
- पार्किंग
- B.T — बस टर्मिनल
- T.T — ट्रक टर्मिनल
- रेल्वे प्रोपर्टी
- रेल्वे स्टेशन

पार्क एवं खुले स्थल
- पार्क
- ग्रीन बेल्ट
- जोनल पार्क
- मनोरंजन पार्क
- डिस्ट्रिक्ट पार्क
- प्रदर्शनी, मेला एवं रैली स्थल

अन्य
- निषिद्ध क्षेत्र
- अपरिभाषित क्षेत्र
- बाग
- वन
- नदी / नाला / नहर
- जलाशय / तालाब / पोखर
- बाढ ग्रस्त क्षेत्र
- बंधा / बांध
- श्मशान घाट / कब्रिस्तान
- C.C — कैटल कालोनी
- सीवेज फार्म

कृषि
- कृषि
- हाईवे फैसेलिटी जोन

सीमायें
- विकास क्षेत्र सीमा
- ग्राम सीमा
- नगर निगम सीमा
- यू.पी.एस.आई.डी.सी. क्षेत्र
- फनल जोन
- नाथ कॉरिडोर

बरेली विकास प्राधिकरण की 87वी0 बोर्ड बैठक दिनांक:-11-09-2023

पद	पदनाम	हस्ताक्षर
अध्यक्ष	आयुक्त / अध्यक्ष, बरेली मण्डल / बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।	
उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली॥	
सदस्य	जिलाधिकारी, बरेली॥	
"	नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली।	11/09/2023
"	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग उ०प्र० लखनऊ के प्रतिनिधि	11.9.2023
"	वित्त विभाग, उ०प्र० शासन के प्रतिनिधि	
"	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के प्रतिनिधि	
"	अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन, बरेली।	11.9.23
"	संयुक्त आयुक्त, उद्योग विभाग, बरेली॥	11.9.23
"	श्री हर्षवर्धन आर्य, शासन द्वारा नामित सदस्य	
"	श्री उमेश कठेरिया, शासन द्वारा नामित सदस्य	
"	श्री पुष्पेन्द्र शर्मा, शासन द्वारा नामित सदस्य	

16/3/24
(अनिल कुमार मिश्र)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०

16/3/24
(डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

शासनादेश संख्या-आई/522075/2024-8-3099/297/2023

दिनांक-16/03/2024 में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत।

11/9/23 11/09/23 JE(P) 11/9/23 11/9/23 AB 11.9.23

बरेली विकास प्राधिकरण
एवं
बरेली सम्भागीय नियोजन खण्ड,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

बरेली
वर्तमान भू–उपयोग–2020

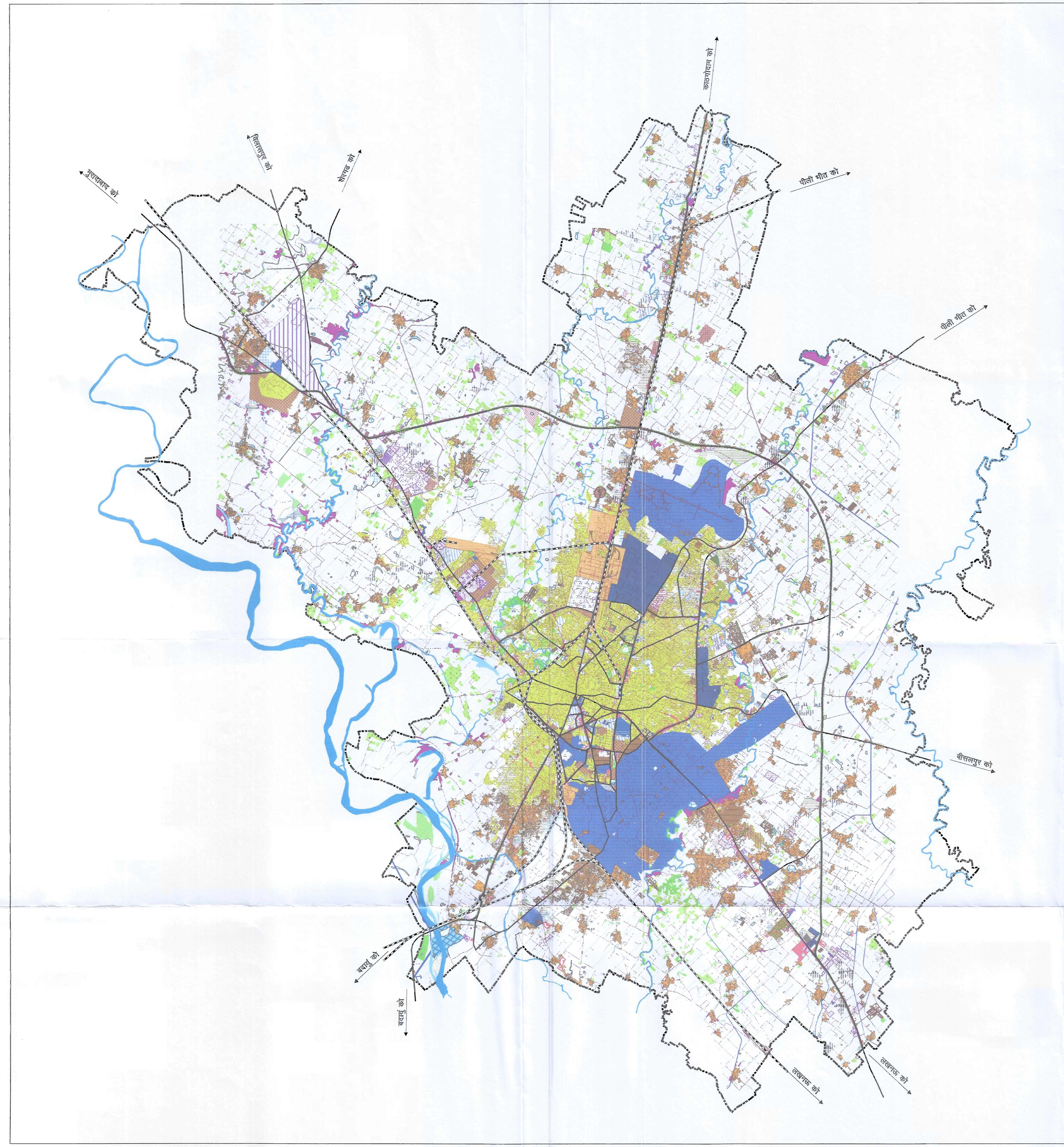

Legend

- MUNICIPAL AREA
- AOI
- DEVELOPMENT AREA
- MAJOR ROAD
- RAILWAY LINE

1. RESIDENTIAL
- RESIDENTIAL
- TOWNSHIP
- CENTRAL GOVT QUARTER
- STATE GOVT QUARTER
- RESIDENTIAL & COMMERCIAL
- RESIDENTIAL & HEALTH SERVICES
- RESIDENTIAL AREA/COLONY
- RESIDENTIAL,COMMERCIAL & HEALTH SERVICES
- RESIDENTIAL,COMMERCIAL & INSTITUTIONAL
- RESIDENTIAL & HEALTH SERVICES
- FARM HOUSE

2. COMMERCIAL
- RETAIL
- WHOLESALE MARKET
- GENERAL BUSINESS
- HOTEL/LODGE/RESTAURANT
- SHOPPING CENTRE / MALL
- MULTIPLEX/CINEMA
- FUNCTION HALL / MARRIAGE GARDEN
- WARE HOUSE
- STORAGE GODOWN
- RESORT
- PETROL PUMP/LPG FILLING STATION
- INFORMAL SHOP
- HOSTEL
- MARKET(DAILY & WEEKLY)/MANDI
- LPG/CNG GAS BOOKING OFFICE
- BANKS
- COMMERCIAL & EDUCATIONAL
- COMMERCIAL & HEALTH SERVICES
- DAIRY BOOTH
- PLANT NURSERY

3. INDUSTRIAL
- MANUFACTURING
- INDUSTRIAL ESTATE/SEZ
- OTHER INDUSTRIES
- AGRO BASED & FOOD PROCESSING
- TEXTILE
- CHEMICAL
- COTTAGE AND HOUSEHOLD

4. GOVT. PROPERTIES
- CENTRAL GOVT. OFFICE
- GOVT VACANT LAND
- STATE GOVT OFFICE

5. PUBLIC SEMI PUBLIC & UTILITIES
- PRIVATE OFFICE
- CREDIT SOCIETY
- POLICE STATION
- JAIL
- GUEST HOUSE
- COMMUNITY HALL
- DHARMASHALA
- CONVENTION CENTRE
- PUBLIC/COMMUNITY TOILET
- FIRE STATION
- COLLEGE
- CLINIC/ DISPENSARY
- DUMPING YARD
- ELECTRIC POWER PLANT
- ELECTRIC SUB-STATION
- FORT
- GOVSHALA
- GOVT. HOSPITAL
- KABRISTAN
- LAND FILL SITE
- MOBILE TOWER
- PLAY GROUND
- POST OFFICE
- PRIMARY/COMMUNITY HEALTH CENTRE
- PRIVATE HOSPITAL
- PRIVATE VACANT
- PRIVATE VACANT LAND
- PRIVET SCHOOL
- SEWAGE PUMPING STATION
- TRAINING INSTITUTE
- UNIVERSITY
- VOCATIONAL INSTITUTE
- WATER PUMPING STATION
- WATER TREATMENT PLANT

6. RELIGIOUS
- TEMPLE
- MOSQUE
- IDGAH
- CHURCH
- GURUDWARA
- CHHATRI

7.COMMUNICATION
- TELEPHONE EXCHANGE
- RADIO/TV STATION
- POST & TELEGRAPH OFFICE

8. TRANSPORTATION
- BUS STAND /TERMINUS
- RAILWAY STATION
- RAILWAY YARD / SIDING
- RAILWAY TRACEK AREA
- RAILWAY PROPERTY
- MEDIAN / DIVIDER
- TRAFFIC ISLAND
- TRANSPORT NAGAR

9. RECREATIONAL
- GARDEN
- PARK
- PLAY GROUND
- CLUB
- GOLF COURSE
- STADIUM
- GYMNASIUM
- SPORTS CENTER

10. OTHERS
- AQUACULTURE
- WEIR
- MARSHY
- SWAMPY
- CANAL
- ISLAND (RIVER/LAKE)
- PONDS
- PONDS DRY
- PONDS FILLED
- RIVER
- RIVER FILLED
- RIVER SAND
- STP
- STREAM DRY
- STREAM FILLED
- SWIMMING POOL
- CREMATION BURIAL GROUND
- CREMATORIUM BURIAL GROUN
- MUSEUM

11. AGRICULTURE LAND
- CROPLAND
- FALLOW LAND
- PLANTATION
- POULTRY FARM
- TREE CLAD AREA
- GREEN BELT
- BRICK KILN

12. VACANT LAND
- LAYOUT / PLOTTED
- PRIVATE VACANT LAND
- VILLAGE/ ABADI AREA

0 1,250 2,500 5,000 Meters

W N E S

बरेली विकास प्राधिकरण
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0
सम्भागीय नियोजन खण्ड, बरेली

क्रियेटिव सर्कल, नागपुर
एवं
वी.के. सुप्रीम कन्सलटेन्ट्स प्रा0 लि0, जयपुर

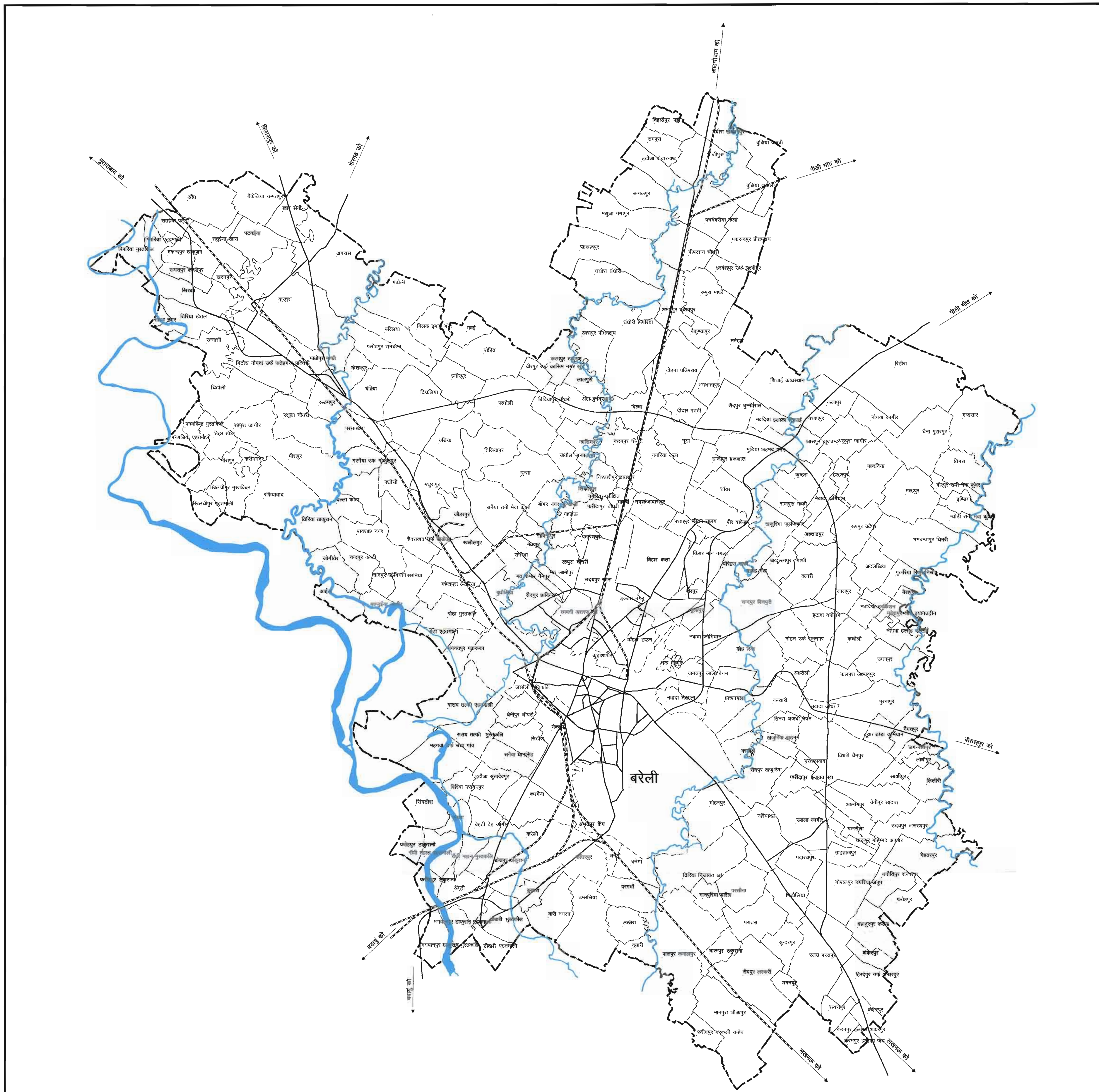

विकास क्षेत्र बरेली

संकेतिका

- विकास क्षेत्र सीमा
- वर्तमान मार्ग
- रेल्वे लाईन
- नदी / नाला / नहर

बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली सम्भागीय नियोजन खण्ड,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

क्रियेटिव सर्कल, नागपुर
एवं
वी.के. सुप्रीम कन्सलटेन्ट्स प्रा0 लि0, जयपुर

रोड नेटवर्क प्लान
बरेली

संकेतिका

- विकास क्षेत्र सीमा
- वर्तमान मार्ग
- रेल्वे लाईन

बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली सम्भागीय नियोजन खण्ड,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

क्रियेटिव सर्कल, नागपुर
एवं
वी.के. सुप्रीम कन्सलटेन्ट्स प्रा0 लि0, जयपुर

बरेली महायोजना – 2031

नियोजन खंड

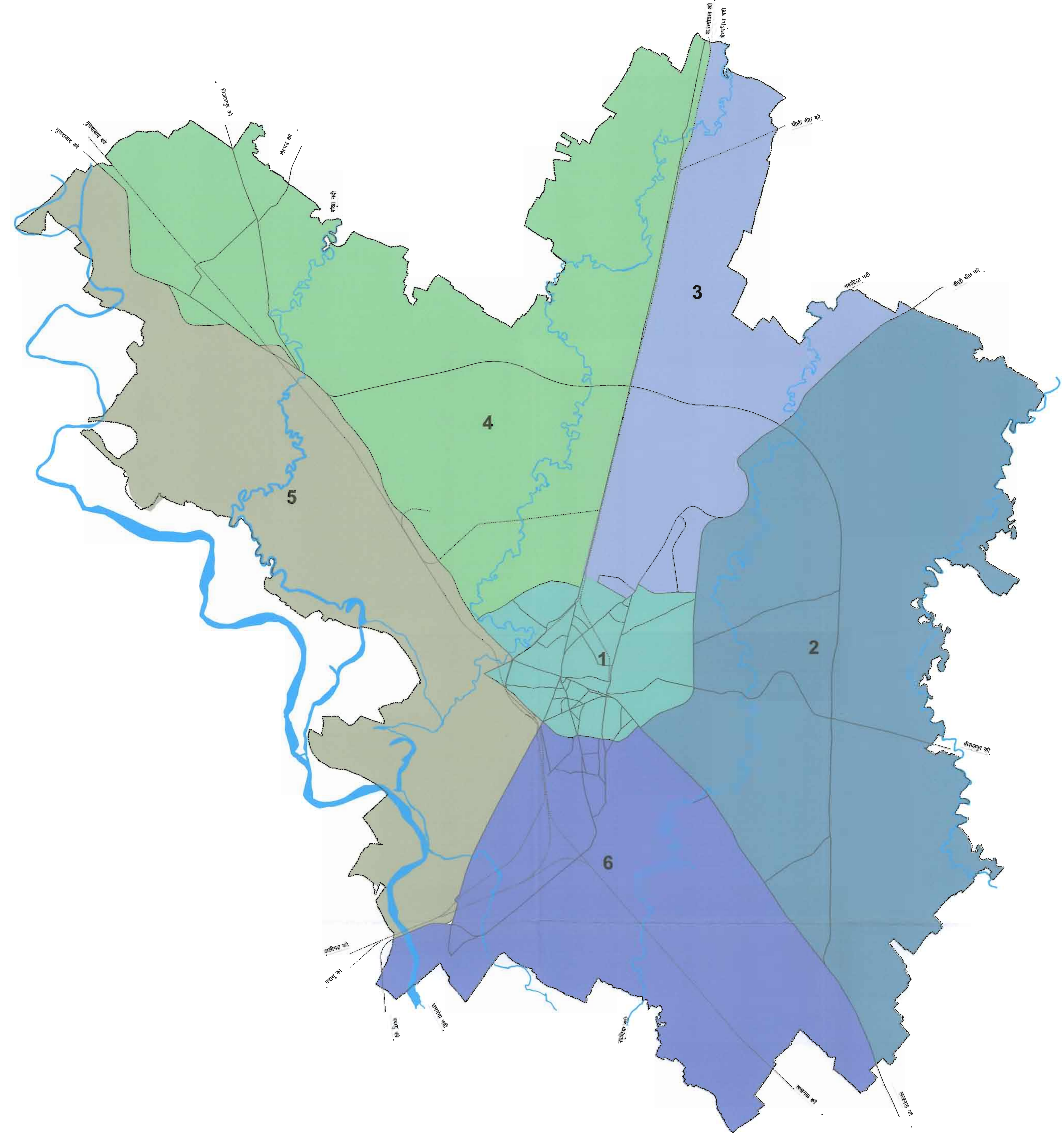

0 1,250 2,500 5,000 Meters

N E S W

संकेतिका

- विकास क्षेत्र सीमा
- वर्तमान मार्ग
- रेलवे लाईन
- नदी / नाला / नहर
- 1 निर्मित क्षेत्र
- 2 लखनऊ मार्ग से पीलीभीत बाईपास मार्ग के मध्य का क्षेत्र
- 3 पीलीभीत बाईपास मार्ग से काठगोदाम मार्ग के मध्य का क्षेत्र
- 4 काठगोदाम मार्ग से दिल्ली मार्ग के मध्य का क्षेत्र
- 5 दिल्ली मार्ग से बदायूँ मार्ग के मध्य का क्षेत्र
- 6 बदायूँ मार्ग से लखनऊ मार्ग के मध्य का क्षेत्र

बरेली विकास प्राधिकरण
एवं
बरेली सम्भागीय नियोजन खण्ड,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

क्रियेटिव सर्कल, नागपुर
एवं
बी.के. सुप्रीम कन्सलटेन्ट्स प्रा0 लि0, जयपुर

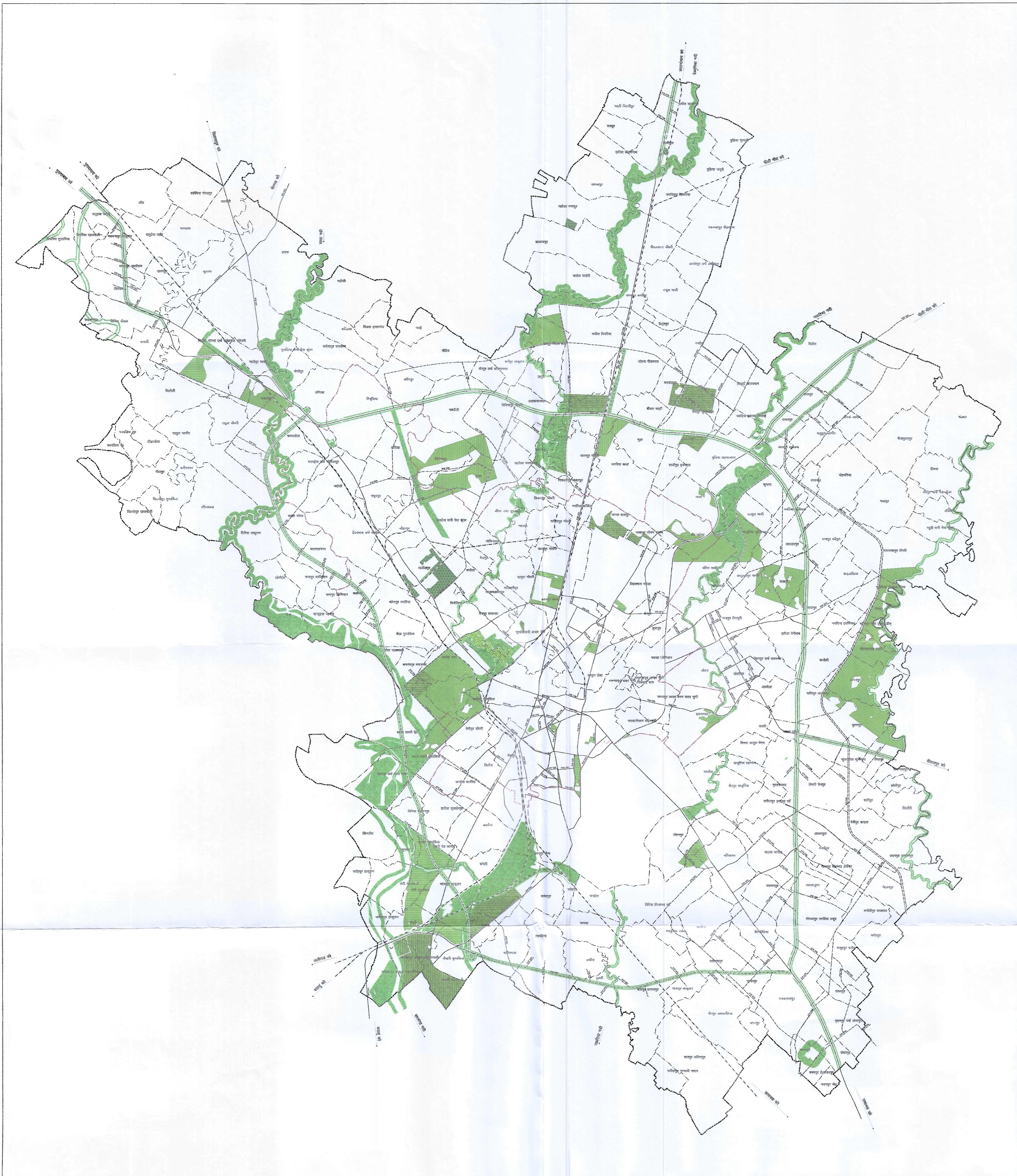

बरेली महायोजना - 2031

ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर

0 1,375 2,750 5,500 Meters

N S E W

संकेतिका

- वर्तमान मार्ग
- प्रस्तावित मार्ग
- रेलवे लाईन
- विकास क्षेत्र सीमा
- ग्राम सीमा
- नगर निगम सीमा
- पार्क
- ग्रीन बेल्ट
- जोनल पार्क
- मनोरंजन पार्क
- डिस्ट्रिक्ट पार्क
- प्रदर्शनी, मेला एवं रैली स्थल
- बाग
- वन

बरेली विकास प्राधिकरण
एवं
बरेली सम्भागीय नियोजन खण्ड,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

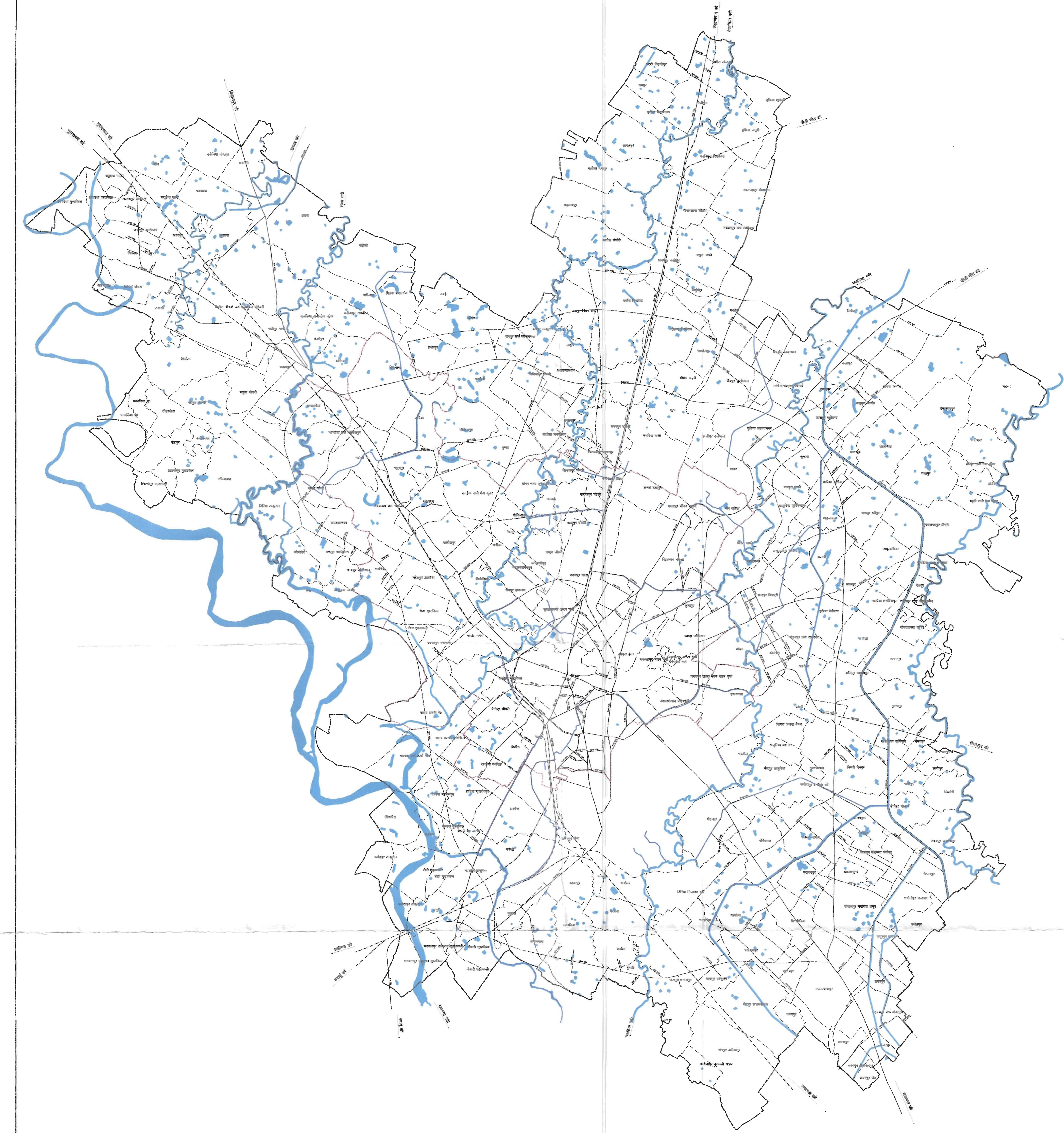

बरेली महायोजना - 2031

ब्लू लेयर

0 1,375 2,750 5,500 Meters

N W E S

संकेतिका

- वर्तमान मार्ग
- प्रस्तावित मार्ग
- रेलवे लाईन
- विकास क्षेत्र सीमा
- ग्राम सीमा
- नगर निगम सीमा
- प्राकृतिक ड्रेन
- ब्लू लेयर

बरेली विकास प्राधिकरण
एवं
बरेली सम्भागीय नियोजन खण्ड,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

बरेली महायोजना - 2031

एल्टीट्यूड मैप

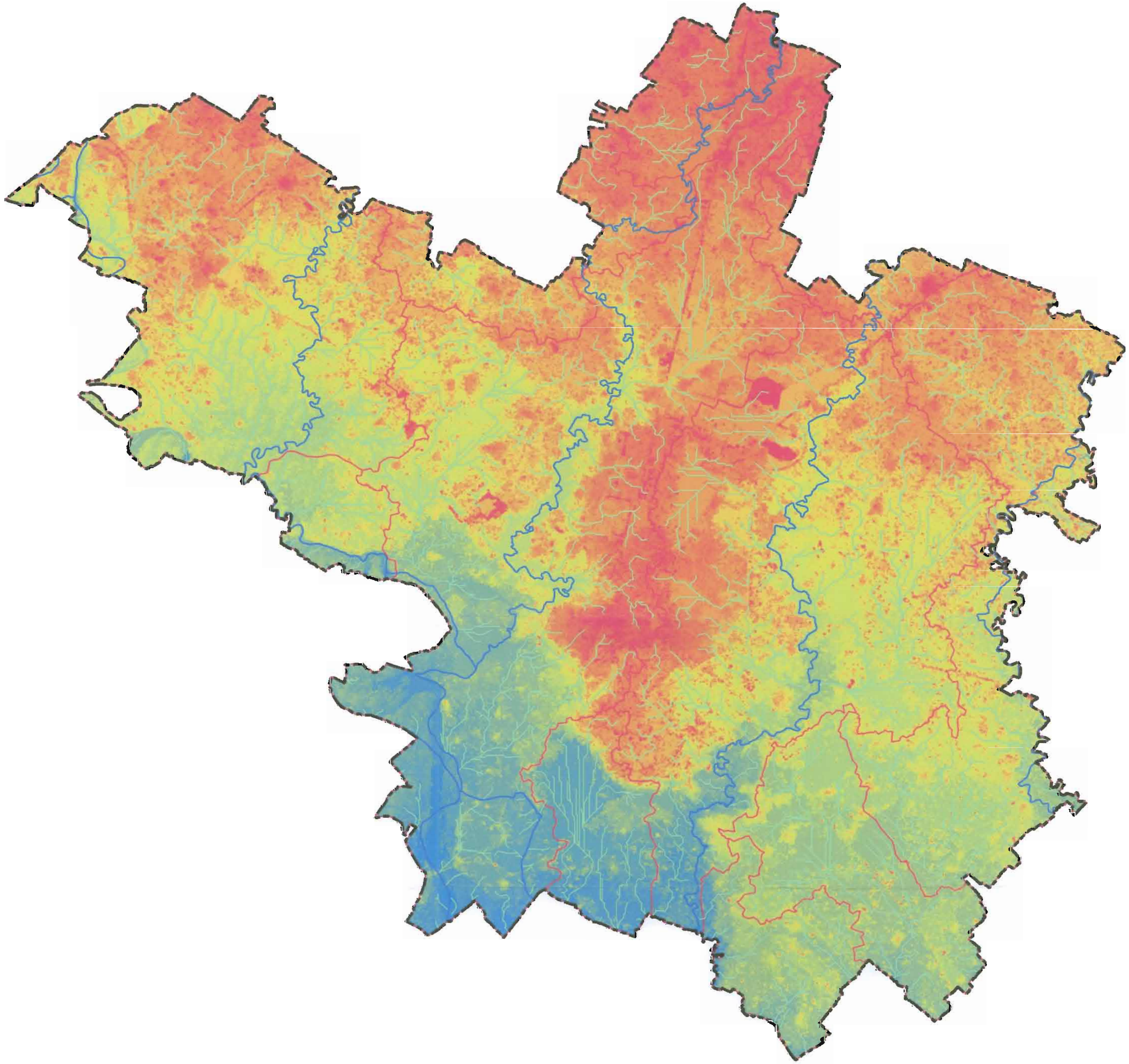

0 1,600 3,200 6,400 Meters

N S E W

संकेतिका

- विकास क्षेत्र सीमा
- मुख्य धारा
- शाखा धारा
- धारा जलग्रहण क्षेत्र
- हाई–एल्टीट्यूड
- लो–एल्टीट्यूड

बरेली विकास प्राधिकरण
एवं
बरेली सम्भागीय नियोजन खण्ड,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

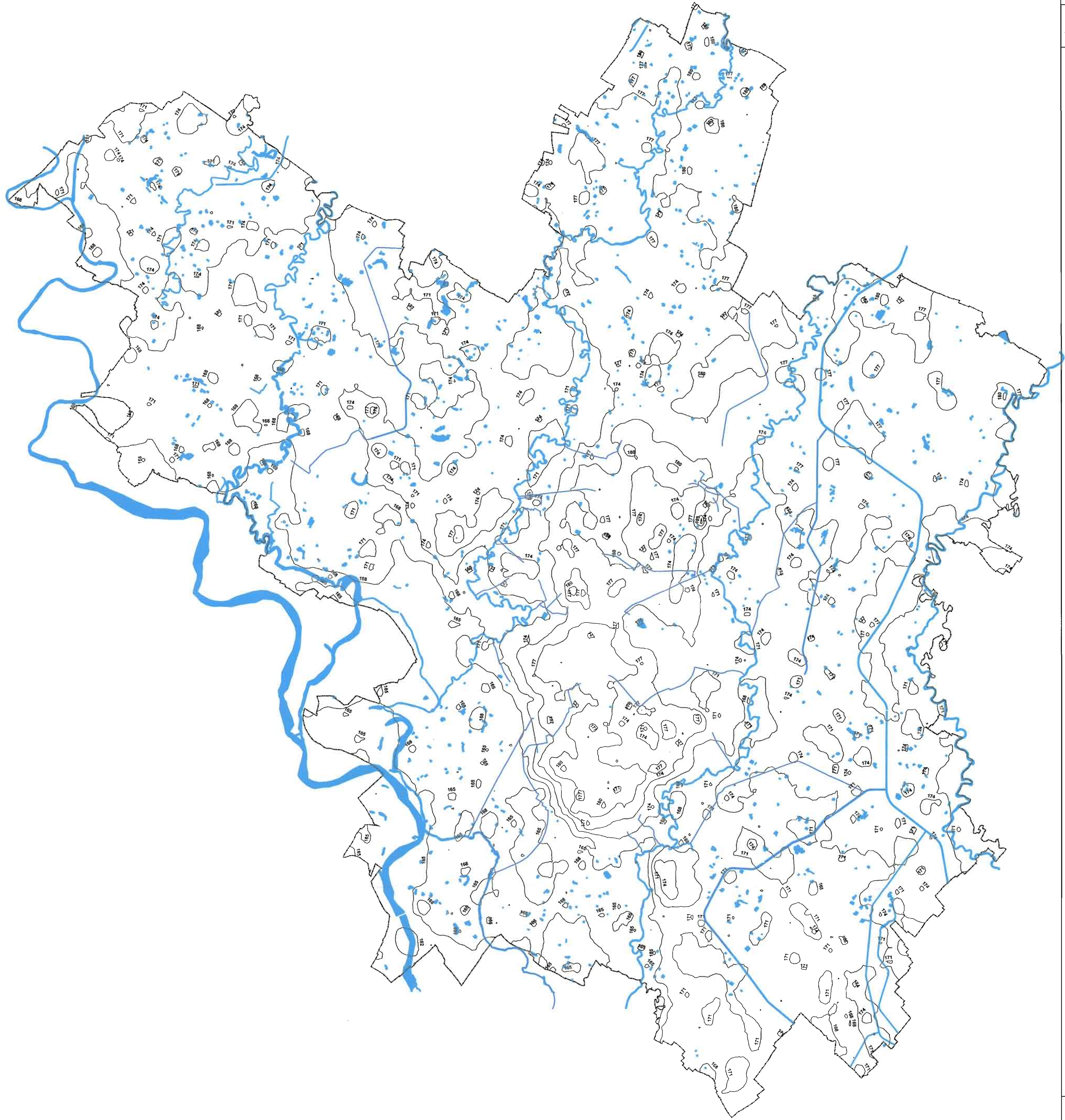

बरेली महायोजना - 2031

कंटूर मानचित्र

0 1,375 2,750 5,500 Meters

N W E S

संकेतिका

- विकास क्षेत्र सीमा
- प्राकृतिक ड्रेन
- ब्लू लेयर
- कंटूर लाईन

बरेली विकास प्राधिकरण
एवं
बरेली सम्भागीय नियोजन खण्ड,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

Nath Corridor Stretch

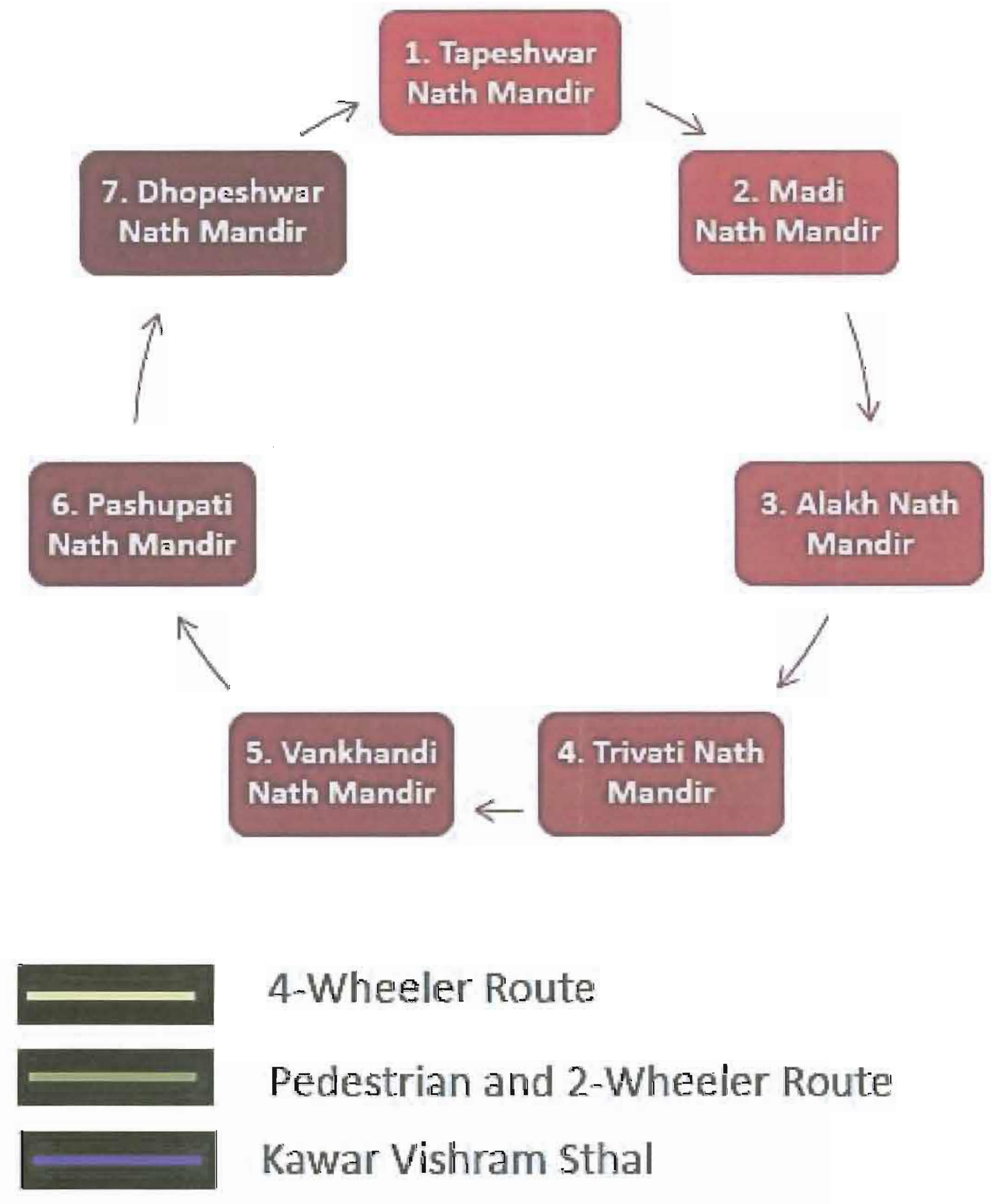

	Location	Distance (Km)
1-2	Tapeshwarnath to Madinath	2.50
2-3	Madinath to Alakhnath	3.70
3-4	Alakhnath to Trivatinath	3.40
4-5	Trivatinath to Vankhandinath	6.50
5-6	Vankhandinath to Pashupatinath	3.10
6-7	Pashupatinath to Dhopeshwarnath	7.50
7-1	Dhopeshwarnath to Tapeshwarnath	5.80
	Total Stretch in Km	32.50

NATH NAGRI PROPOSED CORRIDOR

महत्वपूर्ण / ई–मेल

प्रेषक,

डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
बरेली विकास प्राधिकरण,
बरेली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनॉक :16 मार्च, 2024**

विषयः– पुनरीक्षित बरेली महायोजना–2031 (प्रारूप) की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत जी.आई.एस. आधारित पुनरीक्षित बरेली महायोजना–2031 (प्रारूप) की स्वीकृति संबंधी बरेली विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–750 / का0ब0वि0प्रा0 / 2023–24, दिनांक 07.10.2023, पत्र संख्या–1521 / का0ब0 वि0प्रा0 / 2023–24, दिनांक 23.11.2023, पत्र संख्या–2994 / ब0वि0प्रा0 / 2024, दिनांक 26. 02.2024 एवं पत्र संख्या–4114 / का0ब0वि0प्रा0 / 2024, दिनांक 14.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र दिनांक 23.11.2023 के माध्यम से पुनरीक्षित बरेली महायोजना–2031 (प्रारूप) आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराया गया।

2– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–112 / स.नि.(के) / अमृत महा परीक्षण–बरेली / 2023–24, दिनांक 11.12.2023 के माध्यम से परीक्षणोपरान्त पुनरीक्षित बरेली महायोजना–2031 (प्रारूप) का प्रतिवेदन मानचित्रों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है।

3– पुनरीक्षित बरेली महायोजना–2031 (प्रारूप) के संबंध में शासन / शासकीय समिति स्तर पर हुए प्रस्तुतीकरण में दिए गए निर्देशों की अनुपालन आख्या प्राधिकरण के उपरि संदर्भित पत्र दिनांक 07.10.2023, 26.02.2024 एवं 14.03.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है।

4– पुनरीक्षित बरेली महायोजना–2031 (प्रारूप) के प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त शासकीय समिति की बैठक दिनांक 14.03.2024 में की गयी संस्तुति के क्रम में कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–2.4(क) एवं 2.4(ख) के अनुसार बरेली महायोजना–2021 में प्रस्तावित विभिन्न हरित क्षेत्रों को परिवर्तित / परिवर्धित / संशोधित किये जाने के संबंध में इन्वायरमेन्टल मिटिगेशन स्टडी के आधार पर सुविचारित निर्णय लिये जाने हेतु बरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड को अधिकृत किये जाने एवं उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 (यथासंशोधित) की धारा–8(4) एवं 10(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत पुनरीक्षित बरेली महायोजना–2031 (प्रारूप) को इस शर्त के अधीन स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है कि प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षित बरेली महायोजना–2031 (प्रारूप) के संबंध में शासन / शासकीय समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की प्राधिकरण बोर्ड से पुष्टि कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

5— उपर्युक्त प्रस्तर–4 में अंकित शर्त के अधीन अनुमोदित बरेली महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया बरेली महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) को जनसामान्य की जानकारी हेतु न्यूनतम 02 दैनिक समाचार पत्रों में अविलम्ब प्रकाशित कराते हुए महायोजना के मानचित्रों को जनसामान्य हेतु प्राधिकरण के डिसप्ले बोर्ड/वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : अनुमोदित बरेली महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) (मूल रूप में)।

भवदीय,

Digitally Signed by डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण
Date: 16-03-2024 1[illegible]
Reason: Approved

(डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, बरेली मण्डल/अध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।
2. जिलाधिकारी, बरेली।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को अनुमोदित बरेली महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव।

4
दैनिक जागरण www.jagran.com बरेली, 17 मार्च, 2024
महासमर
2024 सभी चुनें सही चुनें
18वां लोकसभा चुनाव

80 प्रतिशत से अधिक मतदान इस बार के चुनाव में करने का बिहारीपुर सिविल लाइंस के लोगों ने लिया प्रण, करेंगे अन्य को भी जागरूक

बिहारीपुर सिविल लाइंस क्षेत्र के मतदाताओं ने ली अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने की शपथ

मतदान कर निभाएंगे लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका

दैनिक जागरण के जागरूकता अभियान में बिहारीपुर सिविल लाइंस में लोकसभा चुनाव में मतदान करने की शपथ लेते लोग • जागरण

जागरण संवाददाता, बरेली : बिहारीपुर सिविल लाइंस इलाके में मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में 80 प्रतिशत से अधिक मतदान कराने की शपथ ली। मतदाताओं ने कहा पहले अपना वोट डालेंगे इसके बाद मतदाताओं को भी वोट डालने के लिए जागरूक करेंगे। इससे सभी मतदान कर लोकतंत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें।

बिहारीपुर सिविल लाइंस इलाके के महात्मा गांधी हायर सेकेंड्री स्कूल के मतदान केंद्र पर 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 30 प्रतिशत मतदान हुआ था। दैनिक जागरण कम मतदान वाले मतदान केंद्र के मतदाताओं में जागरूकता को अभियान चला रहा है। इसके तहत शनिवार को मतदाता मतदान केंद्र के क्षेत्र में टीम पहुंची। डा. एके रस्तोगी ने कहा कि मतदान लोकतंत्र का पर्व है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान अवश्य करें। उन्होंने सभी से कहा कि मतदान के दिन सभी खुद वोट डालने जाएं और कोशिश करके अपने मुहल्ले, पड़ोस या गली के लोगों को भी वोट डालने जाने को प्रेरित करें। इस दौरान परमेश्वरी, सौरभ माहेश्वरी व शिवम गुप्ता आदि मौजूद रहे।

जागो वोटर

- 30 प्रतिशत तक इस इलाके में हुआ था वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान
- महात्मा गांधी हायर सेकेंड्री स्कूल मतदान केंद्र के जागरूकता के लिए जुटे मतदाता

बिहारीपुर सिविल लाइंस के महात्मा गांधी हायर सेकेंड्री स्कूल में 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान हुआ 30 प्रतिशत।

वर्ष 2024 के लिए संकल्प

क्षेत्रीय लोगों ने इस बार मतदान 80 प्रतिशत से अधिक करने का लिया संकल्प।

"मतदान लोकतंत्र का पर्व है, सभी को वोट अवश्य डालना चाहिए। जितना ज्यादा मतदान होगा उतना ही बेहतर जन प्रतिनिधि चुना जाएगा और बेहतर सरकार बनेगी।
- डा. एके रस्तोगी

लोकतंत्र की मजबूती को सभी को मतदान करने के लिए आगे आना चाहिए, इस इलाके में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की सभी को पहल करानी चाहिए।
-जितेश्वर प्रसाद

चिंता की बात है, मतदान के लिए लोग घरों से नहीं निकलते, सभी को घर से वोट डालने जरूर निकलना चाहिए। यह दिन छुट्टी मनाने के लिए नहीं वोट डालने को होता है।"
-गौरव माहेश्वरी

चुनाव से पहले बसपा में हुआ बड़ा फेरबदल हिस्ट्रीशीटर समेत पांच पदाधिकारी हटाए

जागरण संवाददाता, बरेली : बहुजन समाज पार्टी में लोकसभा चुनाव से पहले जिला कमेटी में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी में हिस्ट्रीशीटर समेत चार पदाधिकारियों को हटाया है।

शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर बसपा की जिला कार्यकारिणी और विधानसभा क्षेत्र अध्यक्षों के पदों में फेरबदल किया। बसपा जिला अध्यक्ष ने हिस्ट्रीशीटर जिला उपाध्यक्ष तौफीक प्रधान की जगह जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद अशफाक अंसारी निवासी मुहल्ला दयालपुर विधानसभा नवाबगंज को मनोनीत किया। जिला कोषाध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा की जगह राजेंद्र कश्यप निवासी जगतपुर टावर वाली गली को विधान सभा कैंट का प्रभारी मनोनीत किया। नवाबगंज विधान सभा क्षेत्र अध्यक्ष महेंद्र सागर की जगह बुद्धसेन गौतम निवासी सैदपुर, फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र अध्यक्ष देवेंद्र कुमार की जगह राजेश कुमार निवासी ग्राम गजनैरा, भुता और शहर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष महेंद्र पाल सागर की जगह पूर्व पार्षद सुर्खा होली चौराहा देशराज सागर को मनोनीत किया गया। जिलाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर बदलाव किया गया।

कार्यालय बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।
दि. 16.03.2024

प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-10 (2) के अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या File No. 8-3099/297/2023-3 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, लखनऊ दिनांक 16 मार्च, 2024 द्वारा बरेली महायोजना-2031 स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके क्रम में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए दिनांक 16.03.2024 को महायोजना-2031 लागू कर दी गयी है। महायोजना-2031 मानचित्र का प्राधिकरण कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है एवं प्राधिकरण की वेबसाइट www.bdainfo.org पर भी देखा जा सकता है।

उपाध्यक्ष

जलकल, स्वास्थ्य व आवश्यक सेवाओं पर नहीं पड़ेगा अधिसूचना का असर

कई प्रोजेक्ट अटके, नए कार्य के लिए चुनाव आयोग की लेनी होगी मंजूरी

जागरण संवाददाता, बरेली : देश की नई सरकार के गठन का बिगुल बजने के बाद शनिवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इससे शहर से लेकर गांव तक नए कार्यों की स्वीकृति और उनके संचालन का कार्य अब चुनाव बाद ही होगा, लेकिन अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े जलकल, स्वास्थ्य, प्रकाश व्यवस्था पहले की तरह संचालित होती रहेंगी। इन विभागों में नए कार्यों की स्वीकृति या सामानों की खरीदारी के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी होगी। इसको लेकर शनिवार को निर्वाचन आयोग ने विधिवत गाइडलाइन जारी कर दी। लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को चुनाव आयोग ने बैठक कर अधिसूचना जारी कर दी। सात चरणों में होने वाले मतदान में बरेली को तीसरे चरण में रखा गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद हर और कई कार्यों के संचालन व प्रभावित ... था। इसको लेकर शहर के 80 वार्डों में 200 से अधिक कार्यों का टेंडर आमंत्रित ...

- बीडीए का विस्तारीकरण, पिताबरपुर क्रासिंग पर पुल की स्वीकृति समेत कई बड़े काम होंगे चुनाव बाद

नहीं हो सकेंगे यह काम....

- हजियापुर यूनानी मेडिकल कालेज का संचालन
- बीडीए का 35 गांवों में विस्तारीकरण
- पिताबरपुर क्रासिंग पर ओवरब्रिज की अनुमति
- सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का संचालन
- शहर में जलापूर्ति का आटोमेशन का कार्य
- स्मार्ट सिटी का अर्बन हाट का संचालन

चलते रहेंगे कार्य

- नगर निगम का जलकल, स्वास्थ्य, प्रकाश व्यवस्था व अन्य अति आवश्यक कार्य पहले की तरह जारी रहेंगे।
- आंवला, शीशगढ़, मीरगंज में जलापूर्ति का काम पूर्व की तरह चलता रहेगा।
- बीडीए की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर में निकाला गया डिमांड सर्वे का काम जारी रहेगा।
- बदायूं रोड पर एमएसएमई योजना का डिमांड सर्वे भी जारी रहेगा।
- नाथ नगरी के सभी मार्गों का निर्माण कार्य पूर्व की तरह जारी रहेगा।
- भोजीपुरा अग्रास, बलिया-शीशगढ़, अटामाडा-धौराशाही के निर्माण कार्य पूर्व की तरह चलता रहेगा।

प्रत्याशियों को परख रही बसपा

जासं, बरेली : लोकसभा चुनाव की सीटों को घोषित करने से पहले बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशियों को परख रही है। बरेली और लोकसभा सीटों से दो-दो मुस्लिम प्रत्याशियों ने दावेदारी ठोकी है, लेकिन पार्टी की ओर से मंथन किया जा रहा है। बसपा भाजपा के प्रत्याशियों के घोषित होने का इंतजार कर रही है।

रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ
उत्तर प्रदेश व भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त
महेन्द्र गायती नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं फार्मेसी कालेज
धनवन्तरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल
रम्पुरा रोड, फतेहगंज पश्चिमी, बरेली मो. 7599203105
G.N.M. A.N.M. B.Sc. Nursing
DIPLOMA O.T. • D.P.T. • D.Opt.
D. Pharma 12th Pass Science Side B.A.M.S.
• उच्च शिक्षा • उच्च प्रैक्टिस • उच्च क्लीनिक ट्रेनिंग

ऑल इण्डिया एम्स नई दिल्ली एवं के.जी.एम.यू. लखनऊ के बच्चों के दिमाग के डॉक्टर
डा. शशांक मिश्रा
MBBS, MD (Pedia)
Member British Pediatric Neurological Association
दिमागी बुखार, सेरिबरल पालसी, जटिल दौरे, देरी से विकास, दिमागी गांठ, सिर दर्द, ऑटिज़्म ADHD
न्यूरो किड्स केयर
बच्चों के सभी प्रकार के वैक्सीनेशन किए जाते हैं।
साईं सुखदा अस्पताल में भर्ती की सुविधा उपलब्ध
(बच्चों के सभी रोगों का इलाज व वैक्सिनेशन केन्द्र), ट्यूलिप ग्रेस बिल्डिंग, निकट थाना इज्जतनगर, बरेली।
मो. 9548719779, 8445091989
बच्चों के दिमागी ई.ई.जी. की सुविधा
बच्चों की स्पीच थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी की सुविधा
firstcry babyhug

Dr. Juneja's डा.ऑर्थो
Ayurvedic Oil, Capsules, Spray & Ointment
24x7 Helpline : 7876977777 • www.drorthooil.com
घुटना दर्द गर्दन दर्द कलाई दर्द कमर दर्द
जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा
Clinically Tested
8 गुणकारी आयुर्वेदिक तेलों से बना डा. ऑर्थो तेल जोड़ों के दर्द को जड़ से कम करने में विशेष सहायता करता है। मात्र 8-10ml तेल दिन में सिर्फ एक या दो बार हल्के हाथों से पीड़ित अंग पर मालिश करें।
आयुर्वेदिक होने के कारण इसका प्रभाव अल्पकालिक नहीं अपितु लंबे समय तक बना रहता है।

1478 अनुपस्थित परीक्षकों को वेतन रोकने की चेतावनी

यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का मूल्यांकन हुआ शुरू

मूल्यांकन

- पहले दिन जांची गई 29612 कापियां
- 3007 में से 1529 परीक्षक रहे उपस्थित

बरेली, मुख्य संवाददाता। यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का मूल्यांकन कार्य शनिवार से शुरू हो गया। जिले मे प्राप्त 611580 कॉपियों में से 29612 का पहले दिन मूल्यांकन हुआ। मूल्यांकन के लिए नियुक्त 3007 परीक्षकों में से 1529 ही उपस्थित हुए। अनुपस्थित परीक्षक यदि रविवार को उपस्थित नहीं हुआ तो उनका वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी।

डीआईओएस देवकी सिंह ने चारों केंद्रों पर जाकर परीक्षकों को प्रशिक्षण दिया। इसके बाद डीएचई ने मूल्यांकन कार्य शुरू किया। डीएचई ने सभी परीक्षकों को मॉडल कॉपी दिखाई। उसके अनुसार सभी ने मूल्यांकन कार्य शुरू कर दिया। जीआईसी में कुल 131327 कापियां प्राप्त हुई हैं। इनमें से 5415 कापी जांची गई। एफआर इस्लामियां इंटर कालेज में प्राप्त 114988 कॉपियों में से 4622 कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हुआ। एसवी इंटर कालेज में 156325 कॉपियों में से 10145 कापी जाची गई। जीजीआईसी में 208940 कॉपियों में से 9530 का परीक्षण किया गया। इस तरह पहले दिन 29612 कॉपियों को जांचा गया।

पहले दिन 3007 परीक्षकों में से सिर्फ 1529 ही उपस्थित हुए। जीआईसी में 664 में 407, इस्लामियां में 617 में से 334, एसवी में 820 में से 333 और जीजीआईसी में 856 में से 404 परीक्षक अनुपस्थित रहे। डीआईओएस देवकी सिंह ने बताया कि राजकीय-अशासकीय स्कूलों के शिक्षक यदि रविवार को उपस्थित नहीं होंगे तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों के उपस्थित नहीं होने पर संबधित स्कूल के खिलाफ मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाएगी।

जीआईसी में आज आठ बजे से होगा मूल्यांकन

बरेली। डीआईओएस देवकी सिंह ने बताया कि जीआईसी में 17 मार्च को निर्वाचन कार्मिकों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है। इस लिए मूल्यांकन कार्य सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक होगा।

छात्र नेता रवि पंडित ने एसएसपी को शिकायती पत्र दिया

बरेली। बरेली कॉलेज के छात्र नेता रवि पंडित ने शनिवार को एसएसपी को शिकायती पत्र दिया। रवि ने आरोप लगाया कि 14 मार्च को दोपहर 12 बजे वो बरेली कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर के कक्ष में था। उसी समय विद्यार्थी परिषद के दो पदाधिकारी लाठी-डंडों के साथ आए। मुझ पर पास कराने के नाम पर छात्राओं से पैसे लेने के आरोप लगाए। उस समय चीफ प्रॉक्टर ने बीच-बचाव करवा दिया। मुझे दोनों पदाधिकारियों से जान का खतरा है। उक्त प्रकरण की जांच कर कार्रवाई की जाए।

सांस्कृतिक धरोहरों को दिलाएं अंतरराष्ट्रीय पहचान

सेमिनार

साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय मे भारतीय सांस्कृतिक विरासत संवर्धन एव चुनौतिया विषय पर शनिवार को आगाज हुआ वही पुस्तिका का विमोचन किया गया।

बरेली, मुख्य संवाददाता। साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय में भारतीय सांस्कृतिक विरासत: सवर्धन एवं चुनौतिया विषय पर दो दिनी सेमिनार का शनिवार को आगाज हुआ। मुख्य अतिथि सजीव अग्रवाल ने कहा, वर्तमान में सरकार हमारी सांस्कृतिक विरासत को सरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। प्रभु श्रीराम को प्राण प्रतिष्ठा को देखने का सौभाग्य हम सबको अपनी सास्कृतिक विरासत से जोड़ने का संदेश है।

एआईएचसीए गुरुकुल कैंपस देहरादून की प्रो. रेनू शुक्ला ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को पहचान कर उसे सूचीबद्ध करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि जेएन पीजी कालेज लखनऊ के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ गिरिजेश त्रिपाठी ने कहा कि हमारी सास्कृतिक विरासत के दो रूप मूर्त और अमूर्त हैं। हमारा वैदिक साहित्य हजारों वर्षों पुराना है। हमें संस्कृति के साथ विकृति को भी समझना चाहिए। सत्र के अंत में त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन किया गया। प्रबंध समिति के सह सचिव मनोज मुगल, प्रबंध समिति सदस्य आनंद गोयल, प्राचार्या प्रो. अनुपमा मेहरोत्रा, संयोजिका प्रो. कनक लता सिंह, आयोजन सचिव डॉ. सोमा गौतम, इतिहास विभागाध्यक्षा डॉ. सोमा गौतम, डॉ. महिमा यादव आदि मौजूद रहे।

प्रथम सत्र में 30 शोध पत्र प्रस्तुत

प्रथम तकनीकी सत्र में विभिन्न शहरों से आए लगभग 30 शिक्षकों, शोधार्थियों, छात्र-छात्राओं ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। विषय विशेषज्ञ डॉ. रजत गंगवार ने कहा कि एक राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति और इतिहास से होती है। डॉ. शशि बाला राठी, प्रो. चारु मेहरोत्रा ने विचार रखे। दूसरे सत्र में 45 प्रतिभागियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। प्रो. मनीषा राव, प्रो. सुनीता जोशी, प्रो. सविता उपाध्याय, डॉ. नीतम गुप्ता, डॉ. दीपक सिंह आदि मौजूद रहे।

एनएसएस कैम्प में एसपी ट्रैफिक शिवराज ने सड़क सुरक्षा के बारे में बताया।

फुटबॉल प्रतियोगिता में 3-0 से वाराणसी बना चैंपियन

बरेली। प्रदेश स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शनिवार को स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला गया। वाराणसी ने प्रयागराज, मेरठ व देवीपाटन की संयुक्त टीम को 3-0 से पराजित किया। वाराणसी के लिए मोहम्मद आदिल ने 23वें, साहनी पटेल ने 38वें और अमन खान ने 49वें मिनट में गोल किया। विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि इंटरनेशनल खिलाड़ी कमल सेन, भद्र गुप्ता, शम्सी रजा, वीरेंद्र कुमार ने पुरस्कृत किया। नितई सरदार, विशाल सिंह, अरुण कुमार, विवेक कुमार, अजय यादव, सजय पटेल ने निर्णायकों की भूमिका निभाई। आरएसओ जितेंद्र यादव, शमीम अहमद, शिल्पा मौजूद रहीं।

छात्राओं को दी साइबर सुरक्षा की जानकारी

रैली

बरेली, मुख्य संवाददाता। जीजीआईसी के एनएसएस शिविर के पांचवें दिन स्वयंसेवी छात्राओं ने नशा मुक्ति पर जागरूकता रैली निकाली। एसपी ट्रैफिक शिवराज ने स्वयंसेवी छात्राओं को उनके करियर के साथ-साथ साइबर क्राइम, बालिका शिक्षा और सुरक्षा व यातायात प्रबंधन के विषय में जानकारी दी। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जैसे 112, 1930, 1098 आदि के बारे में भी बताया। कार्यक्रम अधिकारी अर्चना राजपूत के निर्देशन में सलोनी शर्मा, कमलजीत कौर, रोशनी, मोमिना, अनामिका, झलक सिंह, यशिका यादव, उर्वशी राठौर, किरण साहू, सलोनी शर्मा, शिल्पी सागर, कामिनी, पिंकी आदि स्वयंसेवी छात्राओं का विशेष सहयोग रहा।

सन् 1913 से घर-घर में प्रचलित भारत की सबसे प्राचीन
हकीम तुलसी प्रसाद अग्रवाल, अलीगढ़ की
बाल जीवन घुट्टी+
पीढ़ियों से बच्चों को स्वस्थ बनाए रखने के लिये सफल आयुर्वेदिक औषधि, 1913 से भारत की करोड़ों माँओं का विश्वास।
बाल जीवन घुट्टी + एक आयुर्वेदिक उपाय है। इसके इस्तेमाल के लिये अंग्रेजी डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। यह आपके शिशु के लिये 100% सुरक्षित है।
नकली
कम्पनी ऑफिस- 8979945252
बरेली-माधव एजेन्सीज-9897540567, सतीश ट्रेडर्स-9719202563

SBI card
क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने का सुपर-फ़ास्ट तरीका
डिजिटल एप्लीकेशन | पेपरलैस | इंस्टेंट डिसिशन

अप्लाई करें और फ्री लिमिटेड वन मेम्बरशिप पाएं
नियम एवं शर्तें (T&C) लागू। *3 महीने का क्लिप वन मेम्बरशिप ऑफर प्रदर्शित क्यूआर कोड के ज़रिये अप्लाई करने पर मान्य। अन्य T&Cs sbicard.com/swg
अप्लाई करने के लिए स्कैन करें

कार्यालय बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।
विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर, पीलीभीत रोड, बरेली (उ.प्र.)
Website - www.bdainfo.org, Email bdabareilly@gmail.com, blyda@up.nic.in
पत्रांक -4130/[illegible]/2023-24 दिनांक 16.03.2024
प्रेस विज्ञप्ति
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-10 (2) के अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सख्या- File No. 8-3099/297/2023-3 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, लखनऊ दिनाक 16 मार्च, 2024 द्वारा बरेली महायोजना-2031 स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके क्रम में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए दिनांक 16-03-2024 को महायोजना-2031 लागू कर दी गयी है। महायोजना -2031 मानचित्र का प्राधिकरण कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है एवं प्राधिकरण की वेबसाइट www.bdainfo.org पर भी देखा जा सकता है।
उपाध्यक्ष

विज्ञापन
मिर्गी दौरे
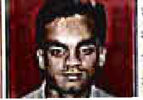
मैं कमल मुम्बई महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मुझे महीने में 150 दौरे पड़ते थे। मैं पिछले 10 सालों से अँग्रेज़ी दवायें खा रहा था लेकिन किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर ने ठीक होने की गारंटी नहीं दी, दौरे तो बंद नही हुए बल्कि अँग्रेजी दवाओं के दुष्प्रभाव SIDE-EFFECT होने लग गये, जैसे लिवर और किडनी में इन्फेक्शन हो गया था, हड्डिया भी बहुत कमजोर होने लग गयी थी यहा तक की मेरी सेक्सुअल लाइफ पे भी इन दवाओं का बहुत प्रभाव पड़ा, हर समय नींद आना,